



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक



AX1/ISD/STEX/40/2025-26

Date: 7th June 2025

The Vice President BSE Ltd. P. J. Towers Dalal Street Mumbai-400 001	The Vice President National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai-400 051
BSE Scrip Code: 532525	NSE Scrip Code: MAHABANK

Dear Sir / Madam,

Sub: Annual Report of the Bank for the FY 2024-25.

With reference to the captioned subject, please find enclosed the Annual Report of the Bank for the FY 2024-25 pursuant to Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Copy of Annual Report 2024-25 of the Bank is also available on Bank's website at <https://bankofmaharashtra.in/annual-reports>

This is for your information, records, and dissemination please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bank of Maharashtra

VISHAL Digitally signed
by VISHAL
SETHIA
Date: 2025.06.08
04:10:26 +05'30'

(Vishal Sethia)

Company Secretary

Encl: As above



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

बैंकिंग की नई उड़ान, सुनहरे भविष्य का निर्माण

Defining New Orbit of Banking

SHAPING THE FUTURE

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT: 2024-25



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

पुरस्कार व सम्मान AWARDS & ACCOLADES



अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	1
2.	सीवीओ और महाप्रबंधक	CVO & General Managers	2
3.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन	Statement of Managing Director & CEO	3
4.	मुख्य कार्य - निष्पादन संकेतक	Key Performance Indicators	13
5.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	15
6.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	16
7.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	16
	- वर्ष 2023-24 का कार्य निष्पादन	- Performance Highlights 2024-25	19
	- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	- Priority Sector Lending	23
	- अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	43
	- सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	44
	- निगमित सामाजिक दायित्व	Corporate Social Responsibility	82
	- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	83
	- निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	- Directors' Responsibility Statement	91
	- निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors	91
	- बीआरएसआर रिपोर्ट	- BRSR Report	92
	- आभार	- Acknowledgements	92
8.	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	Corporate Governance Report	103
9.	तुलनपत्र	Balance Sheet	159
10.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	161
11.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	174
12.	खातों हेतु टिप्पणियां	Notes to Accounts	185
13.	नकदी प्रवाह का विवरण	Cash Flow Statement	249
14.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	250
15.	बेसल III प्रकटन	Basel III Disclosures	267
16.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statements	268

निवेशक शिकायतों के लिए कृपया संपर्क करें:
श्री विशाल सेठिया
कंपनी सचिव
निवेशक सेवाएं विभाग
1501, लोकमंगल, शिवाजी नगर, पुणे -411005
ई-मेल : investor_services@mahabank.co.in
फोन : 020- 25511360

For Investor Grievances, please contact:
Mr. Vishal Sethia
Company Secretary
Investor Services Department
1501, Lokmangal, Shivaji Nagar, Pune -411005
Email : investor_services@mahabank.co.in
Phone : 020- 25511360

सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

कृते मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
एफआरएन - 105215W/W100057
सनदी लेखाकार
For M/s. Kirtane & Pandit LLP
FRN- 105215W/W100057
Chartered Accountants

कृते मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन
एफआरएन- 004207S
सनदी लेखाकार
For M/s. Sundaram & Srinivasan
FRN- 004207S
Chartered Accountants

कृते मेसर्स जी डी आर्टे एंड कं.
एफआरएन- 100515W
सनदी लेखाकार
For M/s. G D Apte & co.
FRN- 100515W
Chartered Accountants

कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी
एफआरएन-106041W/ W100136
सनदी लेखाकार
For M/s. Manubhai & Shah LLP
FRN-106041W/ W100136
Chartered Accountants



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार / As on 31st March, 2025



श्री निधु सक्सेना
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Shri Nidhu Saxena
Managing Director & CEO



श्री आशीष पाण्डेय
कार्यपालक निदेशक
Shri Asheesh Pandey
Executive Director



श्री रोहित ऋषि
कार्यपालक निदेशक
Shri Rohit Rishi
Executive Director



डॉ. अभिजीत फुकन
सरकार नामित निदेशक
Dr. Abhijit Phukon
Government Nominee Director



श्री संजीव प्रकाश
आरबीआई नामित निदेशक
Shri Sanjeev Prakash
RBI Nominee Director



श्री प्रवीण कुमार
शेयरधारक निदेशक
Shri Praveen Kumar
Shareholder Director



सीवीओ और महाप्रबंधक / CVO AND GENERAL MANAGERS

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार / As on 31st March, 2025



श्री अमित श्रीवास्तव (सीवीओ)
Shri Amit Srivastava (CVO)



श्री वी. पी. श्रीवास्तव
Shri V. P. Srivastava



श्रीमती चित्रा दातार
Mrs. Chitra Datar



श्री ए. एफ. कबाडे
Shri A. F. Kabade



श्री दिवेश दिनकर
Shri Divesh Dinkar



श्री दिनकर संकपाळ
Shri Dinkar Sankpal



श्री मनोज करे
Shri Manoj Kare



श्री राजेश सिंह
Shri Rajesh Singh



सुश्री अपर्णा जोगळेकर
Ms Aparna Joglekar



श्री के. राजेश कुमार
Shri K. Rajesh Kumar



श्री देवदत्त रोकडे
Shri Devdatta Rokade



श्री अमित कुमार शर्मा
Shri Amit Kumar Sharma



श्री मिलिंद घारड
Shri Milind Gharad



श्री दिनेश सुरेश तांबट
Shri Dinesh Suresh Tambat



श्री प्रदीप श्रीवास्तव
Shri Pradeep Srivastava



श्री मुकेशचंद्र उपाध्याय
Shri Mukeshchandra
Upadhyay



डॉ. मोहम्मद जावेद कासिम मोहनवी
Dr. Mohd Javed Qasim Mohnavi



श्री शुभाशीष रॉय
Shri Subhasish Roy



श्रीमती संतोष दुलड़
Mrs. Santosh Dular



श्री गिरीश मोहनराव थोरात
Shri Girish Mohanrao Thorat



श्री शिरीष संतोषराव साळवे
Shri Shirish Santoshrao Salway



निधु सक्सेना
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Nidhu Saxena
Managing Director & CEO

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन

प्रिय शेयरधारक,

आपके बैंक की 22वीं वार्षिक साधारण बैठक में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके अटूट समर्थन और विश्वास के साथ, आपके बैंक ने प्रगति और सेवा के शानदार 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं आपके सामने रखना मेरे लिए सौभाग्य और अत्यंत प्रसन्नता की बात है।

आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य:

वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसने सुदृढ़ अनुकूलता के नोट के साथ वर्ष 2025 में प्रवेश किया था, बढ़ते व्यापारिक तनाव के दायरे तथा समय और टैरिफ की गहनता संबंधी संवर्धित अनिश्चितता के भंवर में फंस गई है। हालांकि, यह पुष्टि हो गई कि व्यापार-युद्ध और बढ़ते टैरिफ का, विकास तथा ईंधन मुद्रास्फीति पर हानिकारक प्रभाव, केवल प्रत्यक्ष रूप से शामिल देशों पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सुदीर्घ भू-राजनैतिक तनाव, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच मौद्रिक नीति की अलग-अलग ट्रेजेक्टरी तथा व्यापार और नीतिगत बढ़ी हुई अनिश्चितताओं ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया है।

भारत की प्रगति की कहानी ऐसे अशांत वातावरण के बीच आशा की किरण बनी हुई है। हमारा बजट, 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप सर्वसमावेशी, दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चार प्रमुख विकास इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ-साथ रोजगार की स्थिति में सुधार, केंद्रीय बजट में कर राहत, स्वस्थ कृषि गतिविधियों के साथ मुद्रास्फीति को कम करना, बेहतर आर्थिक दृष्टिकोण के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं।

Statement of Managing Director & CEO

Dear Shareholder,

We would like to extend a very warm welcome to each one of you to the 22nd Annual General Meeting of your Bank. With your unwavering support and trust, your Bank has completed 90 glorious years of growth, and service. It is a privilege and a matter of immense pleasure on my part to place the highlights of your Bank's performance during the Financial Year 2024-25 before you.

Economic and Banking Overview:

The global economy, which entered 2025 on a strong note of resilience, is caught in a storm of escalating trade tensions and a heightened wave of uncertainty around the scope, timing, and intensity of tariffs. What is more certain, however, is that trade wars and escalating tariffs could have a deleterious impact on growth and fuel inflation, not just in the countries directly involved but for the global economy. Lingered geopolitical tensions, divergent trajectories of monetary policy across advanced economies, and elevated trade and policy uncertainties have exacerbated financial market volatility.

India's growth story remains a beacon of hope amid the turbulent times. The Budget reaffirms the Government's commitment to fiscal discipline while fostering inclusive, long-term economic growth in line with the vision of 'Viksit Bharat'. With a strategic focus on four key growth engines – agriculture, MSMEs, investment, and exports along with improving employment conditions, tax relief in the Union Budget, moderating inflation with healthy agricultural activity bode well for an improved economic outlook.



आपके बैंक का वित्तीय कार्य-निष्पादन:

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, आपके बैंक ने सभी परिचालन पहलुओं और निष्पादन मेट्रिक्स में असाधारण प्रगति प्रदर्शित की है। हमने अपनी सतत वृद्धि जारी रखी है और उद्योग के मानकों से कहीं आगे बढ़कर प्रदर्शन किया है।

व्यवसाय

- कुल व्यवसाय 31.03.2024 के ₹4,74,411 करोड़ से 15.30% बढ़कर 31.03.2025 को ₹5,46,979 करोड़ हो गया।
- कुल जमाशियां 31.03.2024 के ₹2,70,747 करोड़ से 13.44% बढ़कर 31.03.2025 को ₹3,07,143 करोड़ हो गई।
- कासा जमाशियां 31.03.2024 के ₹1,42,774 करोड़ से 14.63% बढ़कर 31.03.2025 को ₹1,63,657 करोड़ हो गई।
- सकल अग्रिम 31.03.2024 के ₹2,03,664 करोड़ से 17.76% बढ़कर 31.03.2025 को ₹2,39,837 करोड़ हो गए।

लाभप्रदता

- निवल लाभ वित्तीय वर्ष 24 के ₹4,055 करोड़ से 36.12% बढ़कर 31.03.2025 को ₹5,520 करोड़ तक पहुँच गया।
- परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 24 के ₹8,005 करोड़ से 16.41% बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में ₹9,319 करोड़ हो गया।
- निवल ब्याज आय (एनआईआई) वित्तीय वर्ष 24 के ₹9,822 करोड़ से 18.77% बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में ₹11,666 करोड़ हो गई।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में 8 आधार अंकों का सुधार हुआ, जो वित्तीय वर्ष 24 के 3.92% की तुलना में वित्तीय वर्ष 25 में 4% तक पहुँच गया।
- शुल्क-आधारित आय वित्तीय वर्ष 24 के ₹1,582 करोड़ से 10% बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में ₹1,741 करोड़ हो गई।

दक्षता अनुपात

- लागत-से-आय अनुपात वित्तीय वर्ष 24 के 37.55% की तुलना में वित्तीय वर्ष 25 में 38.37% रहा।
- परिसंपत्तियों से आय (आरओए) वित्तीय वर्ष 24 के 1.50% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में 1.75% हो गई।
- इक्विटी पर आय (आरओई) वित्तीय वर्ष 25 में 22.92% पर मजबूत बनी रही।
- प्रति कर्मचारी कुल व्यवसाय वित्तीय वर्ष 24 के ₹35 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 25 में सुधरकर ₹37.44 करोड़ हो गया।

Financial Performance of Your Bank

I am delighted to share that in the Financial Year 2024-25; your Bank demonstrated exceptional advancement across all operational aspects and performance metrics. We have continued our sustainable growth and exhibited a performance, which has exceeded the industry benchmarks.

Business

- Total Business grew by 15.30% to ₹5,46,979 crore as on 31.03.2025 from ₹4,74,411 crore as on 31.03.2024.
- Total Deposits increased by 13.44% to ₹3,07,143 crore as on 31.03.2025 from ₹2,70,747 crore as on 31.03.2024.
- CASA Deposits rose by 14.63% to ₹1,63,657 crore as on 31.03.2025 from ₹1,42,774 crore as on 31.03.2024.
- Gross Advances grew by 17.76% to ₹2,39,837 crore as on 31.03.2025, from ₹2,03,664 crore as on 31.03.2024.

Profitability

- Net Profit increased by 36.12%, reaching ₹5,520 crore as on 31.03.2025, compared to ₹4,055 crore in FY24.
- Operating Profit grew by 16.41% to ₹9,319 crore in FY25 from ₹8,005 crore in FY24.
- Net Interest Income (NII) rose by 18.77% to ₹11,666 crore in FY25, up from ₹9,822 crore in FY24.
- Net Interest Margin (NIM) improved by 8 basis points, reaching 4% in FY25 compared to 3.92% in FY24.
- Fee-based income increased by 10% to ₹1,741 crore in FY25 from ₹1,582 crore in FY24.

Efficiency Ratios

- Cost-to-Income Ratio stood at 38.37% in FY25, compared to 37.55% in FY24.
- Return on Assets (ROA) improved to 1.75% in FY25, from 1.50% in FY24.
- Return on Equity (ROE) remained healthy at 22.92% in FY25.
- The Total business per employee improved to ₹ 37.44 Cr. in FY25 as against ₹ 35 Cr. in FY24.



आस्ति गुणवत्ता:

पोर्टफोलियो क्वालिटी में सुधार संबंधी हमारे केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप, आपके बैंक का एनपीए अनुपात अब उद्योग के सबसे बेहतरीन में से एक है।

- सकल एनपीए 31.03.2024 के 1.88% से घटकर 31.03.2025 को 1.74% हो गया।
- निवल एनपीए 31.03.2024 के 0.20% की तुलना में 31.03.2025 को घटकर 0.18% हो गया।
- प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2024 के 98.34% की तुलना में 31.03.2025 को 98.26% पर मजबूत बना रहा।

पूंजी पर्याप्तता:

- आपके बैंक ने अपनी मजबूत पूंजी स्थिति को बनाए रखा है, जिसने विनियामक सीमाओं को आसानी से पार कर लिया है। हमारा कुल बेसल III पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR), 15.83% के कॉमन इक्यूटी टियर-1 अनुपात के साथ और बेहतर होकर 20.53% रहा।

लाभांश:

- मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निवल लाभ से पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 के प्रत्येक इक्यूटी शेयर पर ₹ 1.50 का लाभांश प्रस्तावित किया है। वर्तमान वर्ष का लाभांश यानी 15% पिछले वर्ष घोषित लाभांश की तुलना में अधिक है।

डिजिटल रूपांतरण:

आपका बैंक इंस्टेंट-रहित सेवाओं की सुविधा देने और ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए बैंकिंग अनुभव को आसान बनाने के उद्देश्य से अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर बना रहा है। बैंकिंग अनुभव के संवर्धन के लिए बैंक अत्याधुनिक तकनीक को अपना रहा है और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ उत्पादों और सेवाएं के साथ, मार्केट प्लेयर्स से सार्थक सहयोग कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय प्रयास इस प्रकार हैं:

- बैंक ने संपूर्ण एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण प्रक्रिया के साथ पीएम स्वनिधि ऋण प्रोसेस के लिए सीधी प्रक्रिया (एसटीपी) आरंभ करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। बैंक ने डिजिटल मुद्रा, डिजिटल पर्सनल लोन, कार्यशील पूंजी का ऑटो रिन्यूअल, डिजिटल पीएम विश्वकर्मा स्कीम, एमएसएमई के लिए ई-जीएसटी स्कीम, डिजिटल गोल्ड लोन और डिजिटल कार लोन आदि ग्राहकों से जुड़ी एसटीपी यात्राओं को भी सक्षम बनाया है। हमारी कुछ नए प्रस्ताव आरंभ करने की योजना है, जिसमें डिजिटल कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट खोलना, अर्जित सैलरी एडवांस, एटीएल डायरी लोन, किसान तत्काल लोन आदि शामिल हैं, जो भविष्य में आपके बैंक की डिजिटल सुविधाओं को नए सिरे से परिभाषित करेंगे।
- ग्राहक ऑनबोर्डिंग को आसान बनाने के लिए आपके बैंक ने

Asset Quality:

Our focused endeavors to improve portfolio quality have resulted in NPA ratios of your Bank, which is now among the industry's finest.

- Gross NPA reduced to 1.74% as on 31.03.2025, from 1.88% as on 31.03.2024.
- Net NPA declined to 0.18% as on 31.03.2025, compared to 0.20% as on 31.03.2024.
- Provision Coverage Ratio (PCR) remained robust at 98.26% as on 31.03.2025, as against 98.34% as on 31.03.2024.

Capital Adequacy:

- Your Bank continues to maintain a robust capital position, surpassing regulatory thresholds with ease. Our Total Basel III Capital adequacy ratio (CRAR) further improved to 20.53 % with Common Equity Tier 1 ratio of 15.83 %.

Dividend:

- I am happy to inform you that your Bank has proposed a dividend of ₹ 1.50 per every fully paid-up equity share of ₹10 from the Bank's net profit for the financial year ended 31st March 2025. The current year dividend i.e., 15% is higher than that declared in the previous year.

Digital Transformation:

Your Bank has been consistently improving its digital infrastructure with an aim to facilitate hassle-free services and improve the ease of banking experience for customers as well as staff. Bank is onboarding state of the art technology to enhance the banking experience and making meaningful collaborations with market players to excel in the digitalization realm, with best-in-class products and services. Some of the notable measures undertaken by the bank in FY 2024-25 are as under.

- The Bank took a historic stride by introducing straight through process (STP) journey for PM SVANidhi loan with complete end-to-end digitalization process. The bank has also enabled several customers facing STP journeys viz. Digital Mudra, Digital Personal loan, Auto Renewal of Working Capital, Digital PM Viswakarma Scheme, E-GST scheme for MSMEs, Digital Gold loan and Digital Car loan etc. We also have a healthy pipeline of new offerings which includes opening of Digital Corporate Salary Account, earned salary advance, ATL diary loan, Kisan Tatakall loan etc. which will redefine your Bank's digital facilities in future.
- Your bank has taken a big leap in terms of ease of



वीडियो-केवाईसी लागू करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जो ग्राहकों को भौतिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता के बिना कहीं से भी खाता खोलने की अपनी पूर्ण सुरक्षित और अनुपालित वीडियो केवाईसी प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करता है। इसने ग्राहक सुविधा को बढ़ा दिया है और अब वे अपनी सुविधानुसार रविवार और अवकाश के दिन भी अपने खाते खोल सकते हैं। साथ ही, आपके बैंक ने खाता सुरक्षा और ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन खाता नामांकन सुविधा भी प्रदान की है।

- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए, ग्राहक आसानी से फिक्स्ड डिपॉजिट (ईएफडी) और आवर्ती जमा (आरडी) खाते खोल और प्रबंधित कर सकते हैं। इस कदम से बैंक के व्यवसाय में भी काफी वृद्धि हुई है। इन चैनलों के माध्यम से बैंक तत्काल ऋण सुविधा चाहने वाले ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार उनकी जमा राशियों पर ऋण भी दे रहा है।
- आपके बैंक ने अब तक 78 से अधिक प्रक्रियाओं में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) का कार्यान्वयन किया है, जिससे परिचालन संबंधी व्यवधानों को दूर करने और विभिन्न क्षेत्रों में समुचित संचालन प्रणाली सुनिश्चित करने में मदद मिली है। एक उदाहरण पेश करते हुए, आपके बैंक ने RPA तकनीक कार्यान्वित करके महाराष्ट्र सरकार की ओर से “नमो शेतकरी निधि योजना” को सक्षम किया है। बैंक अपनी परिचालन दक्षता के संवर्धन के लिए कई अन्य तयशुदा प्रक्रियाओं में RPA को लागू करने हेतु प्रक्रियाधीन है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते अनुप्रयोग को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने AI-संचालित इंटरैक्टिव वॉयस असिस्टेंट कॉलिंग सुविधा को सफलतापूर्वक लागू किया है। साथ ही, लागत प्रभावी तरीके से बेहतर दक्षता और ग्राहक अनुभव के साथ हमारी आउटबाउंड कॉलिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देते हुए इसने हमारी डिजिटल सेवाओं को और मजबूत किया है। आपके बैंक ने रिटेल आवास ऋण श्रेणी में अनर्जक आस्ति (एनपीए) की प्रवृत्तियों, ऋण वसूली और दबावग्रस्त ऋणों का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई-संचालित पूर्वानुमान विश्लेषण का भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।
- हमने अपनी कार्यक्षमताओं का विस्तार करते हुए कई अतिरिक्त सेवाओं को शामिल किया है, जिसमें बैंकिंग को ग्राहकों की उंगलियों पर ले जाते हुए मोबाइल बैंकिंग में 30, इंटरनेट बैंकिंग में 06 और वाट्सएप बैंकिंग में 19 विविध सेवाएं शामिल हैं। नई पीढ़ी के उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए वाट्सएप बैंकिंग को भी नया स्वरूप दिया गया है।
- बैंक के यूपीआई चैनल में महत्वपूर्ण सेवाओं को सक्षम करके संवर्धित किया गया है, जिसमें यूपीआई लाइट की शुरुआत, पिन की आवश्यकता के बिना तीव्र और कम लागत लेन-देन को सक्षम करना, ग्राहक सुविधा में सुधार करना शामिल है।
- आपके बैंक ने बैंक के सभी एटीएम में नवीनतम तकनीक लागू करते हुए उन्हें आसानी से पहुंच योग्य बना दिया है और बैंकिंग सेवाओं को आधुनिक बनाया है, जिसमें दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाओं वाले

customer onboarding by implementing Video-KYC which facilitates customers through its secure and fully compliant Video KYC platform to open accounts remotely without the need for physical documentation. This has enhanced the customer convenience as they can now open their accounts at their convenience which includes Sundays and holidays. Further, your bank has enabled online account nomination facility to enhance account security and customer convenience.

- Further, while using Mobile Banking and Internet Banking, customers can seamlessly open and manage Fixed Deposit (eFD) and Recurring Deposit (RD) accounts. This move has substantiated to Bank's business significantly as well. Through these channels Bank is also offering loan against deposit to cater to the needs of customer seeking instant facility.
- Your Bank has implemented Robotic Process Automation (RPA) in more than 78 processes so far, which has helped in removing operational redundancy and ensuring an agile operation system in various segments. In a glowing testimony, your bank by implementing RPA Technology has enabled “Namo Shetkari Nidhi Yojna” on behalf of Govt. Of Maharashtra. Bank is in the process of implementing RPA in several other identified processes to augment its operational efficiency further.
- Considering the growing application of Artificial Intelligence (AI), your Bank has successfully implemented AI-driven interactive voice assistant calling solution. This has given a strong boost to our digital services while driving innovation to improve our outbound calling services with improved efficiency and customer experience in a cost-effective manner. Your Bank has also successfully implemented AI-powered Predictive Analysis to forecast Non-Performing Asset (NPA) trends, debt recovery prediction, and stress prediction in the retail housing loan segment.
- We have significantly expanded our functionalities incorporated additional services, which includes 30 in Mobile Banking, 6 in Internet Banking and 19 in WhatsApp Banking with multiple facilities encompassing banking at the fingertip. WhatsApp banking also has whole new dimension keeping in view of the new generation users.
- Bank's UPI channel has been enhanced significantly by enabling vital services which includes introduction of UPI Lite, enabling faster and low-value transactions without the need for a PIN, improving customer convenience.
- Your Bank has ensured enhanced accessibility and modernize banking services by replacing all ATMs of the Bank with the latest technology which includes ATMs /



एटीएम/रि-साइक्लर शामिल हैं। स्व-अद्यतन पासबुक कियोस्क और मल्टीफंक्शन कियोस्क विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। बैंक ने परिचालन दक्षता को संवर्धित करते हुए 500 से अधिक नए एटीएम और कैश रि-साइक्लर स्थापित करके अपने एटीएम नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार किया है।

- सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आपका बैंक, बैंकिंग उद्योग के प्लेयर्स के साथ सार्थक सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। बैंक ने अब तक रणनीतिक रूप से वित्तीय सेवा सुविधाओं सहित 139 से अधिक फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) समूहों को शामिल किया है और विभिन्न तकनीकी पहलों के लिए 15 से अधिक फिनटेक के साथ कार्य कर रहा है।
- समन्वित ग्राहक अनुभव के लिए, आपके बैंक ने ग्राहकों की दैनिक जीवन शैली को समृद्ध करने के लिए वित्तीय सेवाओं को नए फीचर्स के साथ जोड़ने हेतु लाइफस्टाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का विकास किया है।
- डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आपके बैंक द्वारा किए गए इन सभी प्रयासों के शानदार परिणाम परिलक्षित हुए हैं और 31.03.2025 को डिजिटल बिजनेस ज़ोन के माध्यम से आपके बैंक ने ₹6,700 करोड़ से अधिक का नया व्यवसाय सफलतापूर्वक संग्रहित किया है।

ग्राहक केंद्रितता:

- आपका बैंक ग्राहक केंद्रितता के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह हमारे बुनियादी मूल्यों में गहराई से समाहित है। आपके बैंक ने बैंकिंग अनुभव को सहज बनाने के लिए विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं को अपनाया है और यह ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास जारी रखे हुए है।
- अधिकतम ग्राहकों तक पहुंचने और उन्हें हमारे प्रीमियम बैंकिंग अनुभवों से परिचित कराने हेतु विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों के अलावा, आपके बैंक ने पूरे देश में अपनी वृद्धिगत उपस्थिति दर्ज की है।
- वर्ष 2024-25 में ही आपके बैंक ने 120 शाखाएँ खोली हैं, जिनमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खोली गई अत्याधुनिक शाखा भी शामिल है, जिससे वित्तीय वर्ष 2025 में हमारी शाखाओं की संख्या 2606 पहुंच गई है। बैंक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और वह बहुत जल्द गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में आईएफएससी बैंकिंग इकाई (IBU) स्थापित करने जा रहा है।
- हमारा वर्तमान नेटवर्क अब 50 अंचलों, 2606 शाखाओं, 2402 एटीएम और 6005 व्यवसाय प्रतिनिधियों (BC) के साथ 28 राज्यों और 07 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, जिसमें बैंक मित्रों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले 155 ग्राहक सेवा प्वाइंट्स (CSP) भी शामिल हैं। बीसी एक महत्वपूर्ण चैनल हैं और हम इनकी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। शीघ्र ही, यह संख्या 10,000 तक पहुंचाने की हमारी योजना है।

Recyclers with disability friendly features. Self-update Passbook Kiosks and Multifunction Kiosks are strategically deployed at various locations. Bank has expanded its ATM network significantly by installing over 500+ new ATMs & Cash Recyclers bringing marked changes in the operational efficiency.

- Your Bank is exploring possibilities for meaningful collaborations with the industry players for leveraging best banking services. Bank has strategically on boarded more than 139 Fintechs (Financial Technology) with a suite of financial services and working with more than 15 Fintechs for various technological initiatives.
- To have an integrated customer experience, your Bank has undertaken development of lifestyle banking application to combine financial services with features to enrich daily lifestyle.
- All these efforts made by your Bank in the digitalization realm is reaping great results as your Bank through its Digital Business Zone has successfully mobilized business of over ₹6,700 Cr. as of 31.03.2025.

Customer Centricity:

- Your Bank is committed to customer centricity as it is deeply imbibed in our core values. Your Bank has adopted various cutting-edge technology driven services to make banking experience seamless and continues to undertake groundbreaking efforts to meet the evolving customer expectations.
- In addition to various digitalization initiatives with a motto to reach out to maximum number of customers and enable them with our premium banking experience, your bank has extended its footprints across the country.
- In 2024-25 alone your bank has opened 120 branches which includes state of the art branch in Supreme Court of India taking our number of branches to 2606 in FY-25. Bank has already received the approval and is in the process of setting up IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City, Gandhinagar, Gujarat very soon.
- Our current network is now spread across 28 states and 7 Union Territories with 50 Zones, 2606 Branches, 2402 ATMs and 6005 Business Correspondents (BC) which includes 155 customer Service Points (CSPs) serviced by the Bank Mitras. BCs are an important channel, and we are ramping up the numbers and planning to reach the count to 10,000 very soon.



- साथ ही, आपके बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस शाखा, मिड-कॉर्पोरेट शाखा, कॉर्पोरेट फाइनेंस शाखा, एग्री हाई-टेक शाखा आदि जैसी विशेषीकृत शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है, जिससे हमारे ग्राहकों को निर्बाध ऋण सवितरण का लाभ प्राप्त हुआ है।
- आपका बैंक चैटबॉट, वाट्सएप बैंकिंग, ऑनलाइन नामांकन सुविधा, वीडियो केवाईसी आदि जैसी सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान कर रहा है, जो हमारे ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को समृद्ध करने के साथ ही सुविधाजनक समग्र बैंकिंग आनंद में भी संवर्धन कर रहा है।

हमारी जनशक्ति:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, हमारी जनशक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने समर्पण और नवोन्मेषी प्रयासों के साथ संगठन को निरंतर उत्कृष्टता की ओर ले जा रही है। हमें गर्व है कि हम 28% महिला कर्मचारियों के साथ एक वैविध्यपूर्ण और समावेशी कार्यबल को बढ़ावा देते हुए, कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को सशक्त बनाने के लिए विशिष्ट पहलें कर रहे हैं।

युवाओं को सशक्त बनाने और खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, आपके बैंक ने भारत की पहली पूर्ण महिला वॉलीबॉल टीम की भर्ती की है, जिसमें असाधारण रूप से प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव है और उन्होंने विश्व टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही, बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 265 विशेषज्ञ अधिकारियों और कार्यपालकों की भर्ती करके अपनी कार्य-क्षमताओं का संवर्धन किया है, जिससे विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ सक्षम और प्रवीण कार्यबल अब हमें उपलब्ध है।

अपनी समुन्नत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से, हम अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा यात्रा के हर चरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करनेवाली प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। 37 वर्ष की औसत कर्मचारी आयु वाले युवा और जोशीले संगठन के रूप में, पेशेवर विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नेतृत्व विकास पहलों और उद्योग सहयोगों में परिलक्षित होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारी टीम नवोन्मेष और विशेषज्ञता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रहे। मानसिक बल सुदृढ़ीकरण, कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और महिलाओं के लिए बेहतर लाभों सहित, विभिन्न कल्याणकारी उपायों की श्रृंखला द्वारा समर्थित हमारा व्यक्ति-प्रथम (People First) दृष्टिकोण, एक ऐसे कार्यस्थल सृजन के हमारे मिशन को रेखांकित करता है, जो प्रत्येक कर्मचारी को समुचित महत्व देता है और उनके गुणों का संवर्धन करता है। अपने कर्मचारियों को सुविधाजनक और आरामदायक आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए, बैंक ने पुणे में 40 आवासीय फ्लैट खरीदे हैं, ताकि कर्मचारियों को नए आवास खोजने की चुनौतियों का सामना न करना पड़े और उन्हें सहजता से निवास की सुविधा प्राप्त हो सके।

एक साथ मिलकर, हम एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर हैं, जिसे योग्यता, जुनून और साझा सफलताएं परिभाषित करती हैं, ताकि हम अपने ग्राहकों को बैंकिंग की सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान कर सकें।

- Further, Your Bank has also given thrust on increasing specialized branches like Housing Finance Branch, Mid-Corporate branch, Corporate Finance Branch, Agri Hi-Tech branch etc. which have benefited our customers immensely with seamless delivery.
- Your bank is leveraging best banking services like chatbots, WhatsApp banking, online nomination facility, Video KYC etc. which is adding fillip to our customer experience and enhancing customer delight.

Our People:

At Bank of Maharashtra, our people are our greatest strength, driving the organization towards excellence with their dedication and innovation. We pride ourselves on fostering a diverse and inclusive workforce with women comprising 28%, and targeted initiatives to empower underrepresented groups.

In a move that aligns with the government's vision of empowering youth and promoting gender equality in sports, your Bank has recruited India's first all-women volleyball team constituting exceptionally talented players who played at National/ International level and represented India in the world tournaments. Further, the Bank has enhanced its capabilities by recruiting 265 specialist officers and executives across different cadres, ensuring a well-equipped and highly skilled workforce with expertise in diverse domains.

Through our advanced Human Resource Management System (HRMS), we streamline processes to support employees at every stage of their journey. As a young and agile organization with an average employee age of 37, our commitment to professional growth is reflected in extensive training programs, leadership development initiatives, and industry collaborations, ensuring our team remains at the forefront of innovation and expertise. Complemented by a range of welfare measures including mental health support, performance-linked incentives, and enhanced benefits for women, our people-first approach underscores our mission to create a workplace that values and nurtures every individual. To facilitate convenient and comfortable housing for its employees, the bank has purchased 40 residential flats in Pune, effectively addressing the challenges of finding new accommodations and ensuring a smooth living experience.

Together, we are building a future defined by competence, passion, and shared success to deliver best in class services to our customers.



पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासनिक (ईएसजी) पद्धतियां:

आपका बैंक कुल राजस्व (टॉप-लाइन) के साथ-साथ निवल लाभ (बॉटम-लाइन) में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारा हर कार्य एक सतत विकासशील और सुदृढ़ बैंक निर्माण के हमारे उत्तरदायित्व के अनुरूप ही होगा। हम अपने कार्बन फुट-प्रिंट को सीमित करने, बैंकिंग सेवाओं को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाने और हाशिए पर मौजूद समुदाय के प्रति सामाजिक दायित्व निभाने के इरादे से अपने बैंकिंग व्यवसाय को पूरी जिम्मेदारी से संचालित कर रहे हैं।

पर्यावरणीय पहलें:

- आपके बैंक की "महा ग्रीन पहल" एक ईएसजी पहल है, जिसका उद्देश्य हमारे संगठन में सभी इकाइयों के सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। आपका बैंक पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सौर परियोजनाओं, पीएम-सूर्य घर योजना, ग्रीन हाउसिंग पहलों के वित्तपोषण के लिए तैयार की गई 'महाबैंक ग्रीन फाइनेंसिंग' के अंतर्गत ऋण उत्पादों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है।
- आपका बैंक पर्यावरण के अनुकूल ई-कचरे को सक्रिय रूप से रि-साइकिल कर रहा है और सैकड़ों टन कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है।
- स्थायित्व की हमारी प्रतिबद्धता के भागस्वरूप, विशेषकर हमारे स्वामित्व वाले परिसरों में सौर पैनलों की स्थापना करते हुए, आपके बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा सोल्यूशन्स में निवेश किया है।
- आपका बैंक दैनंदिन गतिविधियों के डिजिटलीकरण और ई-मीटिंग जैसी विभिन्न पहलों द्वारा समर्पित रूप से, कागज़ के उपयोग को निरंतर कम कर रहा है।
- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, आपका बैंक अब तिमाही आधार पर स्कोप-1 और स्कोप-2 ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की सक्रिय निगरानी और रिपोर्टिंग कर रहा है।
- आपके बैंक ने पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए एक कार्यपालक स्तर की समिति (ग्रीन सेल) भी स्थापित की है।

Environmental, Social & Governance (ESG) Practices:

As your Bank is excelling in both topline as well as bottom-line, we are ensuring that our every action transpires to our responsibility towards building a sustainable Bank. We are carrying out our business in a responsible manner with an intent to limit our carbon footprint, making the banking service available to the person standing at the last mile and carrying out social responsibility towards the marginal community.

Environmental initiatives:

- Through "Maha Green Pehal", an ESG initiative by your Bank, which aims to encourage active participation of all units within the organisation. Under 'Mahabank Green Financing' your bank is offering a range of loan products tailored for financing Electric Vehicles (EVs), Solar projects, PM-Surya Ghar scheme, Green housing initiatives in order to promote lending to environment-friendly sectors.
- Your Bank is recycling the eco-friendly E-Waste proactively and reducing carbon emission by hundreds of tons.
- As part of our commitment to sustainability, your Bank has invested in renewable energy solutions, specifically through the installation of solar panels at our owned premises.
- Your Bank is dedicatedly reducing paper usage through various initiatives such as digitalization of activities and e-meetings.
- As a step towards reducing the carbon footprints, your Bank is now actively monitoring and reporting Scope 1 and Scope 2 Green House Gas (GHG) emissions on a quarterly basis.
- Your Bank has also established an executive level committee (Green Cell) to frame policies and strategies to encourage environment friendly activities.



सामाजिक पहलें:

- सभी भारतीयों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आपका बैंक, समर्पित रूप से पूरे देश में वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है। आपके बैंक का लक्ष्य सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय सेवाएं देश के हर कोने तक पहुंचें।
- मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक ने क्रांतिकारी जेएम (जन धन-आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी मिशन में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हुए, अपनी सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथ मिलकर 2024-25 में 9.49 लाख जन धन खाते खोले हैं। यह उपलब्धि वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपका बैंक अपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्राहकों के आधार और मोबाइल नंबर की अधिकतम सीडिंग का हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी जन सुरक्षा (JSY) योजनाओं को सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराने में आपके बैंक ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।
- आपका बैंक किसानों और वंचित वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए उत्पाद तैयार करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहता है। आपके बैंक का कृषि ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2024 की तुलना में 16.71% की वृद्धि के साथ 31.03.2025 को ₹ 35,547 तक पहुंच गया। हमारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण बही वित्तीय वर्ष 24 की तुलना में 10% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 25 में ₹ 94,805 हो गई। इसके अलावा, महिला लाभार्थियों को ऋण देने में 31.03.2025 तक 29% की वृद्धि हुई और यह ₹19,542 करोड़ हो गया, जिससे उन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराई गई।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने तथा एक बेहतर और समतावादी समाज के निर्माण में योगदान देने की दृष्टि से, आपके बैंक ने महिला सशक्तिकरण, खेल और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, स्वच्छता, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं आदि में सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान दिया।
- पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्वरूप, आपके बैंक ने भारत की प्रोजेक्ट टाइगर पहल को बढ़ावा देते हुए, रणथम्भौर टाइगर रिजर्व को अपना सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है तथा अभयारण्य की बढ़ती बाघ आबादी की रक्षा में सहायक, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित बचाव वाहन उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, हमने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (पूर्ववर्ती भरतपुर पक्षी अभयारण्य), भरतपुर को इलेक्ट्रिक कार्ट्स उपलब्ध कराई हैं, जिससे अभयारण्य में पर्यावरणिक सुसज्ज परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

Social Initiatives:

- Your Bank is dedicatedly leveraging financial inclusion to foster inclusive growth for all Indians, spanning across the country. Your Bank aims to empower individuals from all walks of life, ensuring that access to financial services reaches every corner of the country.
- I am happy to share that adding proactively to the revolutionary JAM (Jan Dhan- Aadhar-Mobile) trinity Mission your Bank and its subsidiary Maharashtra Gramin Bank have collectively opened 9.49 lakh Jan Dhan accounts in 2024-25. This accomplishment reflects our unwavering commitment to expanding financial inclusion and ensuring that every individual has access to essential banking services. Your Bank is putting all out efforts through its various channels to maximize seeding of Aadhar and Mobile number of customers. Your Bank's efforts stands out in facilitating Jan Suraksha (JSY) Schemes - Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Atal Pension Yojana.
- Your Bank endeavors constantly to devise products to meet the needs of agriculturists and marginalized segment. Your Bank's Agriculture credit portfolio reached to ₹ 35,547 as of 31.03.2025 with a growth of 16.71% over 31.03.2024. Our priority sector loan book stood at ₹94,805 in FY 25 with a 10% growth over FY24. Moreover, lending to women beneficiaries enhanced by 29% to ₹19,542 Cr as on 31.03.2025, facilitating them with a wide range of products under different schemes.
- With a vision to foster inclusive growth and contribute to building a better and equitable society, your bank has contributed significantly through CSR activities to women empowerment, sports & skill development, healthcare, education, environment, wildlife conservation, sanitation, research & development projects among others.
- As part of our commitment to environmental conservation, your Bank in alignment with India's Project Tiger initiative, has pledged its support to the Ranthambore Tiger Reserve, providing rescue vehicle equipped with state of art medical equipment to help protect the sanctuary's thriving tiger population. Additionally, we have provided Electric Carts to Keoladeo National Park (erstwhile Bharatpur Bird Sanctuary), Bharatpur, enhancing sustainable transportation within the sanctuary.



निगमित अभिशासन पहलें:

- आपका बैंक, बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में निष्पक्ष व्यवहार को प्राथमिकता देता है। हमने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण के साथ एक मजबूत नीति लागू की है, जो हमारे सभी परिचालनों में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करती है।
- हमारे शीर्ष प्रबंधन और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नैतिक और पारदर्शी अभिशासन के साथ-साथ, बैंकिंग में नैतिकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम निष्ठा और जवाबदेही के साथ व्यवसाय करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं
- 31 मार्च, 2025 को, हमारे कुल कार्यबल का 28% हिस्सा महिला कर्मचारी हैं, जो हमारे संगठन में लैंगिक समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने के हमारे समर्पण को दर्शाता है।
- भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (BCSBI) द्वारा प्रकाशित ग्राहक अधिकार संहिता के अनुपालन में आपके बैंक ने बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के दौरान निष्पक्ष व्यवहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी 'ग्राहक अधिकार नीति' निर्धारित की है।

हमारे पुरस्कार और सम्मान:

- पिछले एक साल में, बैंक को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये सम्मान हमारे मूल्यवान ग्राहकों और हितधारकों के भरोसे एवं विश्वास का प्रमाण हैं, जो हमें अपनी सेवा के हर पहलू में उत्कृष्टता और नवाचार के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं।
- बिजनेस टुडे के बेस्ट बैंक अवार्ड्स में बैंक को प्रतिष्ठित "सर्वश्रेष्ठ मध्यम श्रेणी का बैंक" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- बैंक को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बीएफएसआई और फिनटेक समिट 2025 में भारत के 'सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी मध्यम श्रेणी के बैंक' के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
- आपके बैंक को ईएसजी एवं स्थायित्व पहलों तथा परिचालन दक्षता में उत्कृष्टता के लिए आईबीईएक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- हमें लगातार पिछले वर्ष से 'आईबीए प्रौद्योगिकी पुरस्कार' के अंतर्गत सात अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने पर गर्व है।
- आपके बैंक को एसोचैम द्वारा आयोजित 11वें एमएसएमई एक्सीलेंस पुरस्कार 2025 में "सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई ऋणदाता (पीएसयू) विजेता" पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

Corporate Governance Initiatives:

- Your Bank prioritizes the adoption of fair practices in providing banking services. We have established a robust policy for the prevention of corruption and bribery with a zero tolerance approach, ensuring transparency and integrity in all our operations.
- Training programs on ethical and transparent governance, as well as ethics in banking, have been conducted for our top management and key managerial personnel. These programs underscore our commitment to conducting business with integrity and accountability.
- As of March 31, 2025, women employees constitute 28% of our total workforce, reflecting our dedication to promoting diversity and gender inclusivity within our organization.
- In adherence to the Code of Customer Rights published by BCSBI your Bank has set out its 'Customer Rights Policy' while prioritizing fair practices during extending banking services.

Our Awards and Accolades:

- Over the past year, the Bank has had the honour of receiving multiple prestigious awards and accolades. These distinctions stand as a testament to the trust and confidence of our valued customers and stakeholders which motivates us to uphold the highest standards of excellence and innovation in every aspect of our service.
- The Bank was honored with the prestigious best Mid-sized Bank award in the Best Bank Awards by Business Today.
- The Bank has been recognized as India's 'Leading Mid-Sized Public Sector Bank' at the Dun & Bradstreet BFSI & FinTech Summit 2025.
- Your Bank was conferred with IBEX Award for excellence in ESG & Sustainability initiatives and Operational Efficiencies.
- We were proud to receive 'IBA Technology Award' under seven different categories for the consecutive year.
- Your Bank also received "Best MSME Lending (PSU) Winner Award" in 11th MSME Excellence Awards 2025 hosted by ASSOCHAM.



भविष्य की ओर

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, हम विश्वास, प्रगति और सेवा के 90 वर्षों की शानदार यात्रा का जश्न मना रहे हैं। इस प्रेरक यात्रा को पूरा करने के साथ-साथ आपका बैंक आज उत्कृष्टता का मानदंड बन गया है और इसने राष्ट्र निर्माण में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मैं अपने सभी हितधारकों के सतत समर्थन और बैंक की भावी स्वर्णिम यात्रा में बैंक की टीम का नेतृत्व करने का दायित्व मुझे सौंपने के लिए अत्यंत आभारी हूँ।
- प्रगति और लाभ के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ स्थायित्व और नई ऊंचाइयों को छूने का हमारा संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की गति के अनुरूप राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए हम अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं। भावी चुनौतियों का सामना करने की भी हमारी पूरी तैयारी है। हम तकनीकी क्षमताओं और भविष्य के अनुरूप उपयोगी डेटा के साथ-साथ समरूप और स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु अपने प्रयासों में अभिवृद्धि कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य डिजिटलीकरण से प्रेरित एक मजबूत, विश्वसनीय व्यवसाय मॉडल का निर्माण करना और बेहतर ग्राहक अनुभव विकसित करना है।
- अपनी तकनीकी क्षमताओं में संवर्धन के साथ ही, हम अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करने तथा उत्पाद नवोन्मेष और आय के नए स्रोत तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रणनीतिक पहलों के माध्यम से हम अपने विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और औद्योगिक रुझानों में हमने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। एक सुदृढ़ बैंक की छवि बनाए रखने के अपने प्रयासों के साथ-साथ, हम अपने हितधारकों के सतत लाभ संवर्धन को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय और गैर-वित्तीय, दोनों ही क्षेत्रों के प्रबंधन में सदैव सतर्क रहते हैं।
- हम अपने सभी हितधारकों से प्राप्त अटूट समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिसके चलते आपका बैंक, विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की हर भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।

भवदीय,

निधु सक्सेना
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Way Forward:

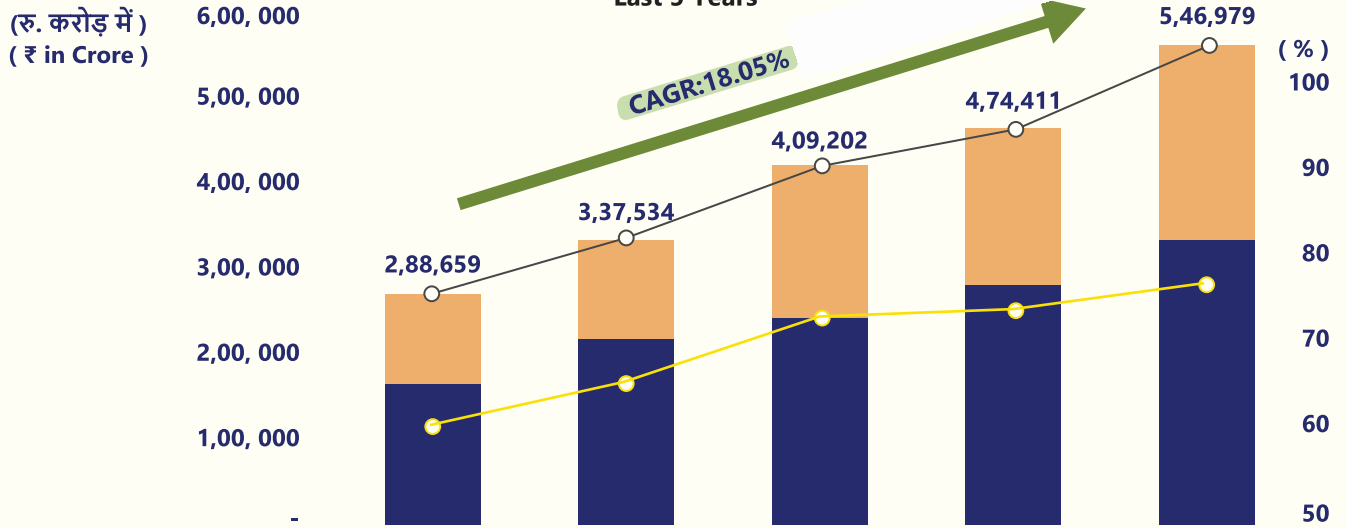
- At Bank of Maharashtra, we proudly celebrate 90 glorious years of trust, growth, and service of the Bank. Your Bank stands as a hallmark of excellence while traversing this inspiring journey and remains an integral player of nation building. I am immensely grateful to all our stakeholders for their unwavering support and entrusting me to lead this team on the exciting future journey.
- Our resolve to scale greater heights with sustainability remain strong more than ever as we excel in our growth and profit trajectory. We are proactively harnessing our resources to contribute to the growth of the nation, in line with growing pace of the economy. We are also gearing up to address the challenges that future holds. We are intensifying our efforts to develop resilient and scalable infrastructure, along with future-ready data and technological capabilities. Our aim is to build a robust sustainable business model driven with digitalisation and cultivate superior customer experiences.
- In addition to enhancing our technological prowess, we are committed to expanding our geographical presence and exploring new avenues for product innovation and revenue generation. Through strategic initiatives we are accelerating our growth trajectory and staying in the forefront of industry trends. As we strive to create a sustainable Bank, we remain vigilant in managing both financial and non-financial metrics to ensure consistent value creation for our stakeholders.
- We extend our gratitude to all our stakeholders, for the continued support as your Bank is ready to play a pivotal role in the aspiration of every Indian for achieving the goal of Viksit Bharat.

Yours sincerely,

Nidhu Saxena
Managing Director & CEO

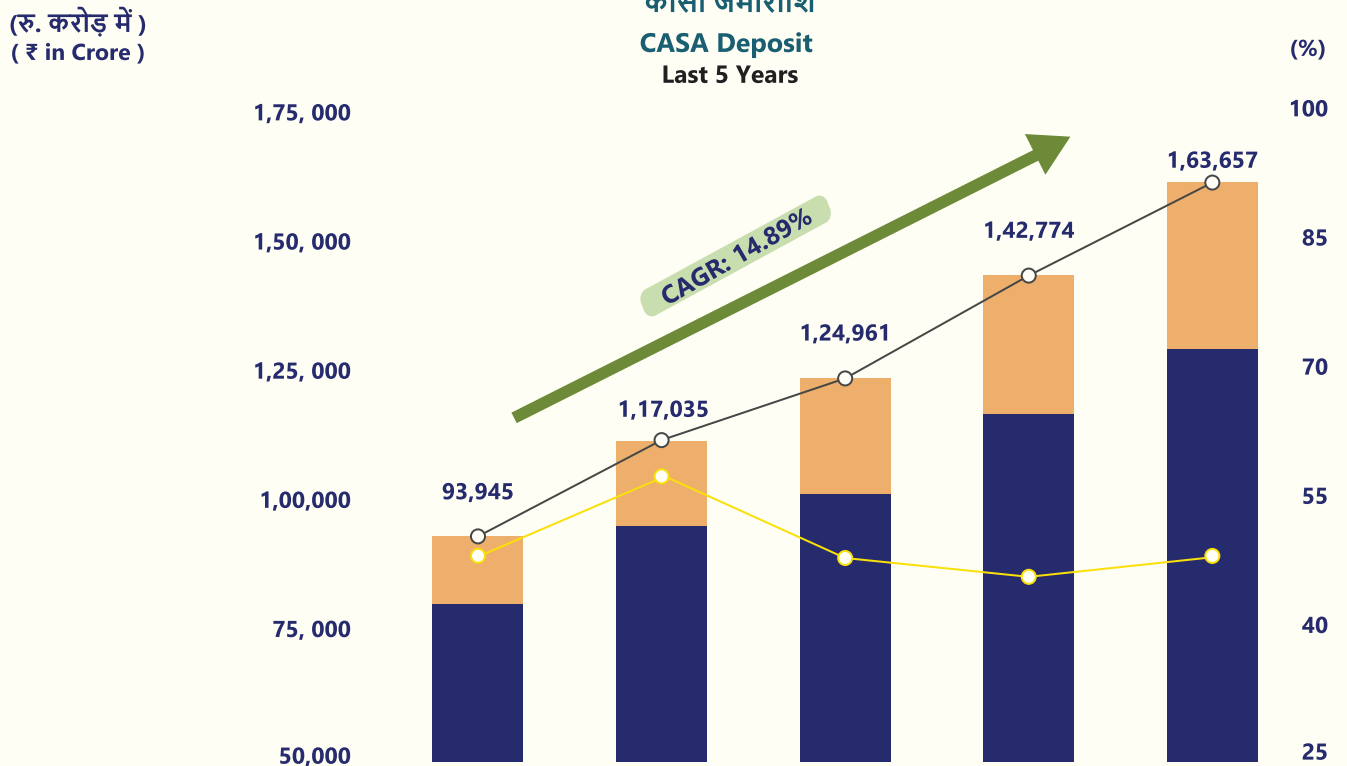


कुल व्यवसाय
Total Business
Last 5 Years



	वि.व. FY21	वि.व. FY22	वि.व. FY23	वि.व. FY24	वि.व. FY25
Gross Advances सकल अग्रिम	1,07,654	1,35,240	1,75,120	2,03,664	2,39,837
Total Deposit कुल जमाराशि	1,74,006	2,02,294	2,34,083	2,70,411	3,07,143
Total Business कुल व्यवसाय	2,88,659	3,37,534	4,09,202	4,74,411	5,46,979
C/D Ratio (%) सी/डी अनुपात (%)	61.87	66.85	74.81	75.22	78.09

कासा जमाराशि
CASA Deposit
Last 5 Years



	वि.व. FY21	वि.व. FY22	वि.व. FY23	वि.व. FY24	वि.व. FY25
चाल्-Current	18,543	28,179	28,301	34,968	46,313
बचत-Saving	75,402	88,857	96,660	1,07,806	1,17,344
कासा-CASA	93,945	1,17,035	1,24,961	1,42,774	1,63,657
कासा %-CASA%	53.99	57.85	53.38	52.73	53.28



सकल अग्रिम Gross Advances

(रु. करोड़ में)
(₹ in Crore)

Last 5 Years

2,40,000

2,00,000

1,60,000

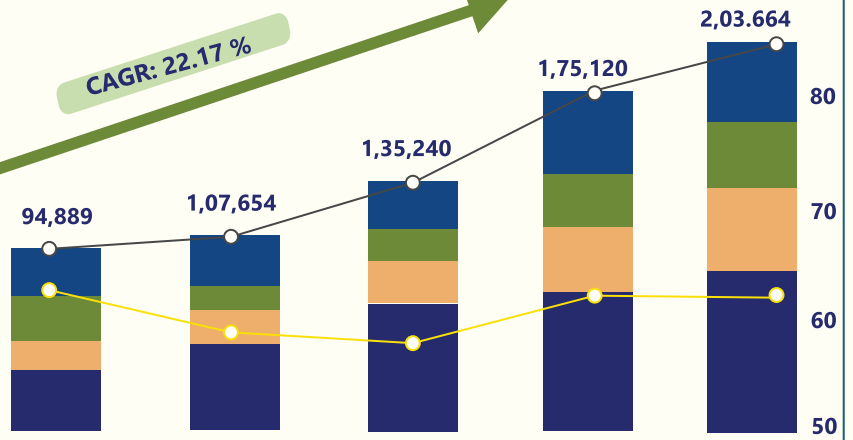
1,20,000

80,000

40,000

-

CAGR: 22.17 %



		वि.व. FY21	वि.व. FY22	वि.व. FY23	वि.व. FY24	वि.व. FY25
खुदरा क्षेत्र	Retail Sector	28,651	35,422	43,433	51,727	64,853
कृषि क्षेत्र	Agriculture Sector	16,202	18,968	23,400	30,456	35,547
एमएसएमई क्षेत्र	MSME Sector	23,133	26,279	33,244	42,117	48,369
कॉर्पोरेट और अन्य	Corporate & Others	39,668	54,570	75,044	79,364	91,068
सकल अग्रिम	Gross Advances	1,07,654	1,35,240	1,75,120	2,03,664	2,39,837
आरएम %	RAM (%)	63.15	59.65	57.15	61.03	62.03

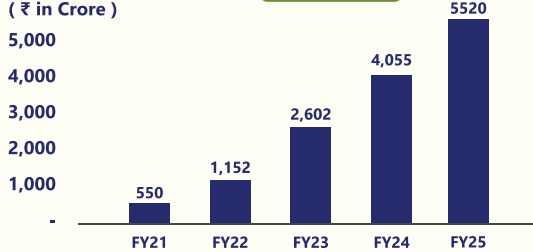
Profitability लाभप्रदता

(रु. करोड़ में)
(₹ in Crore)

Net Profit

36.12% (Y-o-Y)

(Yearly)



Gross and Net NPA (%) सकल एवं निवल एनपीए



Interest Income ब्याज आय

(रु. करोड़ में)
(₹ in Crore)

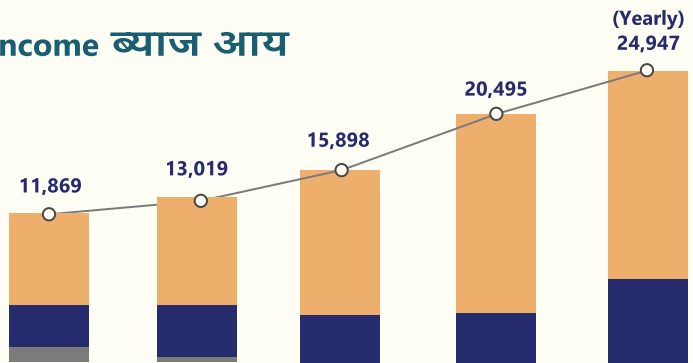
24,000

18,000

12,000

6,000

-



	वि.व. FY21	वि.व. FY22	वि.व. FY23	वि.व. FY24	वि.व. FY25
अग्रिम पर ब्याज- Interest on Advances	7,154	8,232	11,486	15,826	19,292
निवेश पर ब्याज- Interest on Investment	4,153	4,385	4,267	4,461	5,360
अन्य ब्याज आय- Other Interest Income	561	403	146	208	296
कुल ब्याज आय- Total Interest Income	11,869	13,019	15,898	20,495	24,947



प्रगति एक नजर में - Progress at a Glance

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

	वि. व. FY21	वि. व. FY22	वि. व. FY23	वि. व. FY24	वि. व. FY25
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	6560	6731	6731	7081	7692
आरक्षितियां Reserves	5573	7154	8880	12593	20798
कुल जमा राशियां Total Deposits	174006	202294	234083	270747	307143
वृद्धि % Growth %	15.95	16.26	15.71	15.66	13.44
कुल जमा राशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits(%)	53.99	57.85	53.38	52.73	53.28
सकल अग्रिम Gross Advances	107654	135240	175120	203664	239837
वृद्धि % Growth %	13.45	25.62	29.49	16.30	17.76
रिटेल अग्रिम Retail Advances	28651	35422	43433	51727	64853
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	49109	42640	66844	84281	94805
कृषि Agriculture	16202	18968	23400	30456	35547
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम Micro, Small & Medium Enterprises	23133	26279	33244	42117	48369
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	3814	4481	5723	9187	13916
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	2911	4234	5442	5942	6998
निर्यात ऋण Export Credit	1311	1385	1715	2168	2374
कुल आय Total Income	14494	15672	18179	23493	28402
कुल व्यय Total Expenditure	10536	10824	12080	15487	19083
परिचालन लाभ Operating Profit	3958	4848	6099	8005	9319
निवल लाभ Net Profit	550	1152	2602	4055	5520
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1915	2022	2203	2489	2606
एटीएम की संख्या Number of ATMs	1950	2128	2330	1901	2402
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)					
पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल III(%) Capital Adequacy Ratio- Basel III(%)	14.49	16.48	18.14	17.38	20.53
प्रति शेयर आय (₹. में) Earning Per Share (in Rs)	0.88	1.72	3.87	5.78	7.48
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	12.22	15.12	18.97	24.26	33.65
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	21.45	26.53	31.53	35.14	37.44
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	4.19	9.05	20.05	30.04	37.83
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.30	0.55	1.10	1.50	1.75
लागत से आय अनुपात Cost to Income Ratio	47.39	44.20	39.14	37.55	38.37
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	7.23	3.94	2.47	1.88	1.74
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	2.48	0.97	0.25	0.20	0.18
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	89.86	94.79	98.28	98.34	98.26
समायोजित निवल बैंक ऋण से प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	54.23	40.89	56.77	50.17	46.75



निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT

आपके निदेशक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2025.

1

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य 2024-25: चुनौतियों के बीच सतत विकास

1.1 आर्थिक विकास :

- I. प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तत्पर है।
- II. वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुछ देशों में प्रशासनिक बदलाव, भू-राजनीतिक संघर्ष और बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक अनिश्चितताएँ बढ़ गई हैं। इन वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती और अनुकूलन का प्रदर्शन जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई के अनुमान के अनुसार निजी खपत में सुधार से अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आपूर्ति पक्ष पर, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में सुधार से विकास को समर्थन मिला।

1.2 राजकोषीय विवेक के साथ नियंत्रित मुद्रास्फीति :

- I. कम खाद्य कीमतों और राजकोषीय विवेकशीलता के कारण, मार्च 2025 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति 67 महीने के निम्नतम स्तर 3.3% पर आ गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। यह विकास के उद्देश्यों के साथ राजकोषीय समेकन को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित करता है, विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय पर जोर देता है, साथ ही उपभोग को समर्थन देता है और ऋण प्रबंधन के लिए स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है।

1.3 बैंकिंग परिदृश्य:

- I. बढ़ती लाभप्रदता, घटती अनर्जक आस्तियाँ और पर्याप्त पूंजी से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मजबूत हुए हैं। आस्ति पर आय (आरओए) और इक्विटी पर आय (आरओई) दशक के उच्चतम स्तर पर हैं, जबकि सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात कई वर्षों के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है।

1.4 ऋण वृद्धि गतिकी:

- I. वित्तीय वर्ष 2024-25 में नकदी की कमी के कारण ऋण वृद्धि धीमी रही और बैंकों ने अपने उच्च ऋण-जमा अनुपात को प्रबंधित करने का प्रयास किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुधार की उम्मीद है, जिसमें सार्वजनिक और निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि से कॉर्पोरेट ऋण मांग में वृद्धि होगी। दर-कटौती चक्र शुरू होने से ऋण वृद्धि में मदद मिलेगी।

1

Management Discussion and Analysis

Economic & Banking Scenario 2024-25: Sustained Growth Amidst Challenges

1.1 Economic Growth:

- I. The Indian economy is poised to sustain its position as the fastest-growing major economy during 2025-26 as per the estimates of major multilateral agencies.
- II. Global uncertainties were heightened in FY 2024-25 due to change of administration in certain countries, geopolitical conflicts, and escalated trade war. Amidst these global headwinds the Indian economy continued to demonstrate strength and resilience. The economy is expected to grow at 6.5 percent as per the RBI estimates for FY 2024-25 supported by recovery in private consumption. On supply side, growth was supported by service sector and recovery in agriculture sector.

1.2 Tamed Inflation coupled with Fiscal Prudence:

- I. Headline inflation moderated to a 67-month low of 3.3% by March 2025, supported by lower food prices and fiscal prudence. The Union Budget 2025-26 prioritizing four key engines: agriculture, MSMEs, investment, and exports are expected to boost medium-term growth prospects of the Indian economy. It prudently balances fiscal consolidation with growth objectives, emphasizing capital expenditure to fuel development while supporting consumption and providing a clear roadmap for debt management.

1.3 Banking Scenario:

- I. The soundness of scheduled commercial banks (SCBs) has been bolstered by strong profitability, declining non-performing assets and adequate capital. Return on assets (RoA) and return on equity (RoE) are at decadal highs while the gross non-performing asset (GNPA) ratio has fallen to a multi-year low.

1.4 Credit Growth Dynamics:

- I. Credit growth in FY 2024-25 was subdued due to a liquidity crunch and banks tried to manage their high Credit- Deposit ratios. FY 2025-26 is expected to see a rebound, with credit growth driven by increased corporate credit demand from rising public and private capital expenditures. The commencement of a rate-cut cycle will lower the lending rate to add further credit growth.



1.5 जमा संग्रहण की चुनौतियाँ:

- I. बैंकिंग प्रणाली के लिए जमा वृद्धि वित्तीय वर्ष-25 में भी धीमी रही है और वित्तीय वर्ष-26 में मध्यम रहने की उम्मीद है। बैंकों को जमा वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से कम लागत वाले चालू खाता, बचत खाता (सीएसएस) जमा राशियों के लिए। कम जमा वृद्धि एक मूलभूत मुद्दा बनी हुई है जिसके लिए बैंकों को तरलता में बाधक बने बिना बेहतर ऋण वृद्धि का समर्थन करने के लिए जमा संग्रहण को बढ़ावा देने के तरीके खोजने होंगे। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे लाभप्रदता से समझौता किए बिना जमा राशि आकर्षित करने के लिए अभिनव रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करें।

1.6 ब्याज दर की प्रवृत्ति :

- I. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में आगामी कटौती कर सकता है, इससे निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) प्रभावित हो सकता है।
- II. बाह्य बेंचमार्क से जुड़े अग्रिमों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि जमा पुनर्मूल्यांकन में अंतराल होगा, जिससे अल्पावधि में लाभप्रदता प्रभावित होगी।

1.7 आस्ति गुणवत्ता में सुधार:

- I. बैंकिंग क्षेत्र के लिए आस्ति गुणवत्ता एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) वित्तीय वर्ष 25 की पहली छमाही में 12 वर्ष के निचले स्तर 2.6 प्रतिशत और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) 0.6 प्रतिशत पर हैं।

1.8 तकनीकी परिवर्तन :

डिजिटल बैंकिंग नवाचारों, एआई और स्वचालन ने बैंकिंग सेवाओं में क्रांति ला दी है, जिससे कार्य दक्षता और ग्राहक जुड़ाव बढ़ा है।

कार्यबल क्षमता निर्माण - आईटी और डिजिटल रूपांतरण उतना ही सशक्त होता है, जितना सशक्त उसके पीछे के खड़े लोग होते हैं। विभाग का लक्ष्य, भविष्य के लिए तैयार कौशल के माध्यम से अपने बैंक के कर्मचारियों को सशक्त बनाना है:

- अवसंरचित शिक्षण कार्यक्रम: प्रमाणन-आधारित और व्यावहारिक शिक्षा पथ का निर्माण करना।
- लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 25-26 के अंत तक आईटी कर्मचारियों के पर्याप्त प्रतिशत को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना।
- नवाचार की संस्कृति: कर्मचारियों को नए विचारों के सृजन और डिजिटल नवाचार पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

केंद्रीकृत निगरानी और नियंत्रण स्थापित करना -

- बड़े पैमाने पर आईटी परिदृश्य के प्रबंधन के लिए परिचालन दृश्यता और नियंत्रण महत्वपूर्ण हैं। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने अत्याधुनिक निगरानी अवसंरचना का परिचालन किया है:
- 24x7 आईटी कमांड सेंटर: मिशन-महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना, अनुप्रयोगों और नेटवर्क की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए तत्पर।
- 14 एचडी डैशबोर्ड: सिस्टम की स्थिति, संव्यवहार की मात्रा, घटना की स्थिति और अपटाइम मेट्रिक्स का विजुअल प्रदर्शन।

1.5 Deposit Mobilization Challenges:

- I. Deposit growth for the banking system has remained tepid in FY-25 and is expected to remain moderate in FY-26. Banks may continue to face competition for deposit accretion, especially for low-cost current account savings account (CASA) deposits. Low deposit growth remains a structural issue for which banks must find ways to bolster deposit mobilization to support healthy credit growth without hindering liquidity. Banks are expected to focus on innovative strategies to attract deposits without compromising profitability.

1.6 Interest Rate Trends:

- I. With the Reserve Bank of India expected to cut repo rates further in FY 2025-26, net interest margins (NIMs) may come under pressure.
- II. Advances linked to external benchmarks will be repriced immediately, while deposit repricing will lag, impacting NIM and profitability in the short term.

1.7 Asset Quality Improvements:

- I. Asset quality remains a bright spot for the banking sector, with gross non-performing assets (GNPA) at a 12-year low of 2.6 per cent and net non-performing assets (NNPA) at 0.6 per cent in the first half of FY25.

1.8 Technological Transformation:

Digital banking innovations, AI, and automation have revolutionized banking services, driving efficiency and customer engagement.

Building Workforce Capability - IT & Digital transformation is only as strong as the people behind it. The department aims to empower employees through future-ready skills:

- Structured Learning Programs: Creating certification-based and hands-on learning paths.
- Target: A substantial percentage of IT staff trained and certified by the end of FY25-26.
- Culture of Innovation: Encouraging employees to participate in idea generation and digital innovation initiatives.

Establishing Centralized Monitoring & Control -

- Operational visibility and control are critical to managing a large-scale IT landscape. To this end, the bank has operationalized a state-of-the-art monitoring infrastructure:
- 24x7 IT Command Centre: Equipped to monitor mission-critical infrastructure, applications, and networks in real-time.
- 14 HD Dashboards: Visual representations of system health, transaction volumes, incident status, and uptime metrics.



सक्रिय चेतावनी और प्रतिक्रिया: सिस्टम विसंगतियों या कार्य-निष्पादन में गिरावट की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप को सक्षम करना।

Proactive Alerting & Response: Enabling immediate intervention for system anomalies or performance degradation.

प्रमुख कार्य बिंदु - भविष्य के लक्ष्य

- भविष्य को ध्यान में रखते हुए, विभाग का लक्ष्य रणनीतिक संवर्द्धन की अगली कड़ी को क्रियान्वित करने पर केंद्रित है:
- एआई/एमएल में यूज केसेस का कार्यान्वयन
- अवसंरचना आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा करना
- बैंक-व्यापी डीआर स्वचालन रोलआउट
- समावेशी बैंकिंग सुविधाओं की शुरुआत
- डिजिटल सुलभता संवर्द्धन का शुभारंभ
- कमांड सेंटर की क्षमताओं का विस्तार
- साइबर सुरक्षा लक्षित पूर्व अभ्यास और जोखिम सिमुलेशन

Key Action Points – Future Goals -

- Looking ahead, the department is focused on executing the next wave of strategic enhancements:
- Implementation of Use Cases in AI/ML
- Completion of Infrastructure Modernization Projects
- DR Automation Rollout Bank-wide
- Rollout of Inclusive Banking Features
- Launching Digital Accessibility Enhancements
- Expansion of Command Centre Capabilities
- Targeted Cybersecurity Drills and Threat Simulation

1.9 भारत का आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2025-26 और उसके बाद

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसमें मजबूत निवेश और सार्वजनिक उपभोग आर्थिक प्रदर्शन के आधार हैं। भारत की वास्तविक जीडीपी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो दुनिया भर की प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी बेहतर है। आगे चलकर, रोजगार की स्थिति में सुधार, केंद्रीय बजट में कर राहत, मुद्रास्फीति में कमी तथा बेहतर कृषि गतिविधि घरेलू उपभोग के लिए शुभ संकेत हैं।

बैंकों की लाभप्रदता बनाए रखने के लिए लागत में कटौती करने हेतु नई रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता होगी, साथ ही, उन्हें निरंतर जमा और उन्नत वृद्धि भी हासिल करनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नए उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित नई तकनीकों को अपनाना, साथ ही ऋण निगरानी और धोखाधड़ी की रोकथाम के क्षेत्र में बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। एआई और ऑटोमेशन बैंकिंग परिचालन में क्रांति लाने, ग्राहक सेवा में सुधार करने और दक्षता बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। व्यक्तिगत वित्तीय सलाह से लेकर धोखाधड़ी का पता लगाने तक, एआई भारतीय बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा। फिनटेक के साथ सहयोग भी सतत विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति के रूप में उभरने की उम्मीद है।

विश्व का फोकस अब जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर है, भारतीय बैंक इस क्षेत्र को अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने और इस क्षेत्र को अपने ऋण पोर्टफोलियो में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की अनुकूलता, आर्थिक चुनौतियों से निपटने, तरलता दबावों का प्रबंधन करने और तकनीकी नवाचारों को अपनाने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

1.9 India's Economic and Banking Outlook 2025-26 & Beyond

India remains the fastest growing major economy of the world, with strong investment and public consumption underpinning economic performance. India's real GDP is set to grow at a pace of 6.5% in FY 2025-26 much better than the progressive economies around the world. Going forward, improving employment conditions, tax relief in the Union Budget, and moderating inflation, together with healthy agricultural activity bode well for household consumption.

The banks will need to evolve corresponding fresh strategies to cut costs to maintain profitability while at the same time achieving consistent deposit and advanced growth. Adoption of new technologies based on Artificial Intelligence and Machine Learning for promoting new products and services, as well as in the domain of credit monitoring and fraud prevention, is another area requiring attention of banks in FY 2025-26. AI and automation are set to revolutionize banking operations, improve customer service, and drive efficiency. From personalized financial advice to fraud detection, AI will be a crucial tool for Indian banks. Collaboration with fintechs is also expected to emerge as a long-term strategy for sustainable growth.

As global attention focuses on climate change and sustainability, Indian banks are increasingly looking to incorporate sustainable finance into their portfolios.

The Indian banking sector's resilience in FY 2025-26 will depend on its ability to navigate economic challenges, manage liquidity pressures, and embrace technological innovations



1.10 अनुकूलित भविष्य की रूपरेखा

भारत में विश्व की सबसे बड़ी और युवा की जनसंख्या है। भारत बढ़ती कामकाजी आयु वाली आबादी और श्रम शक्ति भागीदारी दर के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

देश में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन रोजगार के नए रास्ते खोल रहा है। भारत एक मजबूत विनिर्माण आधार द्वारा समर्थित निर्यात शक्ति के रूप में भी उभर रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली वैश्विक अस्थिरता के बीच विकसित होने और आगे बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो अनुकूलता और आशावाद को प्रदर्शित करता है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है। नीतिगत उपायों, तकनीकी नवाचारों और सक्रिय बैंकिंग क्षेत्र के सहयोगात्मक प्रयास आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

1.10 Charting Resilient Future

India has the world's largest population and the youngest as well. India is set to enjoy a demographic dividend window driven by a rising working age population rates and labor force participation rate

The burgeoning startup and entrepreneurship ecosystem in the country is fostering innovation and job creation. Digital transformation through the Digital India campaign is opening up new avenues for employment. India also emerges as an export powerhouse backed by a strong manufacturing base.

The Indian economy and financial system are positioned well to thrive and navigate through global volatility, showcasing resilience and optimism. India is set to maintain its status as the fastest-growing major economy. The collaborative efforts of policy measures, technological innovations, and a proactive banking sector will be pivotal in navigating economic and geopolitical challenges.

2

बैंक का प्रदर्शन: प्रमुख मानदंडों पर उल्लेखनीय वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2024-25)

2.1 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन किया तथा प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की।

- I. **कुल कारोबार 15.30% बढ़ा** : बैंक का कुल व्यवसाय 31 मार्च, 2024 के ₹4,74,411 करोड़ की तुलना में 15.30% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2025 को ₹5,46,979 करोड़ हो गया।
- II. **जमाराशि वृद्धि 13.44%** : कुल जमाराशियां 31 मार्च, 2024 के ₹2,70,747 करोड़ की तुलना में 13.44% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2025 को ₹3,07,143 करोड़ हो गईं।
- III. **कासा 14.63% से मजबूत** : कासा जमाराशियां जो कम लागत वाली जमाराशियों की एक प्रमुख संकेतक है, 31 मार्च, 2024 के ₹1,42,774 करोड़ की तुलना में 14.63% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2025 को बढ़कर ₹1,63,657 करोड़ रही।
- IV. **ऋण पोर्टफोलियो में 17.76% की वृद्धि** : सकल अग्रिम 31 मार्च, 2024 के ₹2,03,664 करोड़ की तुलना में 17.76% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2025 को ₹2,39,837 करोड़ रहा।
- V. **परिचालन लाभ 16.41% बढ़ा** : परिचालन लाभ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के ₹8,005 करोड़ की तुलना में वर्ष दर वर्ष आधार 16.41% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2025 को ₹9,319 करोड़ हो गया।
- VI. **निवल लाभ 36.12% बढ़ा** : निवल लाभ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹4,055 करोड़ की तुलना में वर्ष दर वर्ष आधार पर 36.12% बढ़कर 31 मार्च, 2025 को ₹5,520 करोड़ हो गया।

2

Bank's Performance: Strong Growth Across Key Metrics (FY 2024-25)

2.1 The bank demonstrated robust financial performance in FY 2024-25, achieving notable growth across key financial parameters.

- I. **Overall Business Growth of 15.30%**: The total business expanded to ₹5,46,979 crore as of March 31, 2025, marking a YOY increase of 15.30% from ₹4,74,411 crore as of March 31, 2024.
- II. **Deposits Grew by 13.44%**: Total deposits reached ₹3,07,143 crore as of March 31, 2025, reflecting a YOY growth of 13.44% from ₹2,70,747 crore as of March 31, 2024.
- III. **CASA Strengthens by 14.63%**: CASA deposits, a key indicator of low-cost deposits, increased to ₹1,63,657 crore as of March 31, 2025, reflecting a YOY growth of 14.63% from ₹1,42,774 crore on March 31, 2024.
- IV. **Loan Portfolio Increases by 17.76%**: Gross advances grew to ₹2,39,837 crore as of March 31, 2025, demonstrating a YOY increase of 17.76% compared to ₹2,03,664 crore on March 31, 2024.
- V. **Operating Profit Soars by 16.41%**: Operating profit witnessed a significant rise of 16.41% YOY, reaching ₹9,319 crore as of March 31, 2025, compared to ₹8,005 crore for the year ended March 31, 2024.
- VI. **Net Profit Up by 36.12%**: Net profit achieved an impressive YOY increase of 36.12%, climbing to ₹5,520 crore as of March 31, 2025, from ₹4,055 crore for the year ended March 31, 2024.



2.2 वित्तीय अनुपात

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के विभिन्न वित्तीय मानकों को निम्नानुसार देखा जा सकता है:

2.2 Financial Ratios

The various financial parameters of the Bank during FY 2024-25 are as under:

विवरण Particulars	2024-25	2023-24
ईपीएस (रु.) EPS (Rs)	7.48	5.78
लागत से आय का अनुपात (प्रतिशत) Cost to Income Ratio (percent)	38.37	37.55
आस्तियों पर आय (प्रतिशत) Return on assets (percent)	1.75	1.50
इक्विटी पर आय (प्रतिशत) Return on equity (percent)	22.92	23.83
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.) Book value per share (Rs)	33.65	24.26
प्रति शाखा लाभ (रु.लाख में) Profit per Branch (Rs.in lakh)	211.81	162.92
प्रति कर्मचारी लाभ (रु.लाख में) Profit per employee (Rs.in lakh)	37.83	30.04
प्रति शाखा कारोबार (रु. करोड़ में) Business per Branch (Rs.in crore)	209.65	189.84
प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. करोड़ में) Business per employee (Rs.in crore)	37.49	35.14
औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय Interest income as per cent to Average working funds	7.92	7.59
औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-Interest income as per cent to average working funds	1.10	1.11
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत) Net Interest Margin (percent)	4.00	3.92
औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ Operating Profit as per cent to average working Funds	2.96	2.96
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च Staff expenses as a percent to average working funds	1.09	1.05
लाभांश (प्रतिशत) Dividend (percent)	15.00	14.00
नेटवर्थ (₹ करोड़ में) Net worth (₹in crore)	25,880.52	17,177.58
सीआरएआर (%) CRAR (%)	20.53	17.38
जिसमें से टियर - I सीआरएआर (%) Of which, Tier I CRAR (%)	15.83	13.72

2.3 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹23,492.56 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹28,401.62 करोड़ रही। विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

2.3 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank increased to ₹28,401.62 crores in FY 2024-25 as compared to ₹23,492.56 crores in FY 2023-24. The detailed income/expenditure components are as under:



ब्यौरा Particulars	2024-25	2023-24	अंतर (% में) Variation (in %)
अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट Interest / discount on advances / bills	19,292	15,826	221.90
निवेशों पर आय Income on investments	5,360	4,461	20.17
अंतर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज Interest on interbank lending & other Interest	296	208	42.28
कुल ब्याज आय Total Interest Income	24,947	20,495	21.73
गैर-ब्याज आय Non-interest income	3,454	2,998	15.22
कुल आय Total Income	28,402	23,493	20.90
जमा पर ब्याज Interest on deposits	12,295	10,041	22.45
उधारी पर ब्याज और अन्य ब्याज Interest on borrowings & other Interest	987	632	56.17
कर्मचारी व्यय Staff expenses	3,442	2,838	21.29
अन्य परिचालनगत व्यय Other Operating expenses	2,358	1,976	19.34
कुल गैर-ब्याज व्यय Total Non-Interest Expenses	5,801	4,814	20.49
कुल व्यय Total Expenses	19,083	15,487	23.22
परिचालनगत लाभ Operating Profit	9,319	8,005	16.41
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions and Contingencies	3,799	3,950	(3.82)
निवल लाभ Net Profit	5,520	4,055	36.12

2.4 हमारे पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाना (वित्तीय वर्ष 2024-25)

I. इक्विटी में वृद्धि, टियर-II बाण्ड जारी करना और टियर-II बाण्ड मोचन

क) इक्विटी पूंजी में वृद्धि: 5 अक्टूबर, 2024 को एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹3,500 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाई गई। इस निर्गम के परिणामस्वरूप ₹10 प्रत्येक के 61,01,81,311 नए इक्विटी शेयर जारी किए गए और निवेशकों को ₹47.36 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवंटित किए गए।

ख) टियर-II बाण्ड जारी करना: बैंक ने 4 जुलाई, 2024 को ₹1,000 करोड़ मूल्य के बेसल III-अनुरूप टियर-II बाण्ड जारी किए, जिससे इसकी पूंजी पर्याप्तता और मजबूत हुई।

ग) टियर-II बाण्ड का मोचन: बैंक ने 6 मार्च, 2025 को ₹600 करोड़ मूल्य के बेसल III-अनुरूप टियर-II बाण्ड को भुनाने के लिए अपने कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया।

2.4 Strengthening Our Capital Base (FY 2024-25)

I. Equity Raise, Tier-II Bond Issuance & Redemption of Tier-II Bond

a) Equity Capital Raised: The Bank raised ₹3,500 crore in equity share capital (including share premium) through a Qualified Institutional Placement (QIP) on October 5, 2024. This resulted in the issuance and allotment of 61,01,81,311 new equity shares of ₹10 each to investors at a premium of ₹47.36 per share

b) Tier-II Bond Issuance: The Bank issued Basel III-compliant Tier-II bonds worth ₹1,000 crore, on July 4, 2024.

c) Redemption of Tier-II Bond: The Bank exercised its call option to redeem Basel III-compliant Tier-II bonds amounting to ₹600 crore on March 6, 2025.



2.5 निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्त अनुपात

I. इन पूंजी जुटाने के उपायों बैंक की स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

क) **नेट वर्थ ग्रोथ:** बैंक की नेट वर्थ 31 मार्च, 2024 के ₹17,177.58 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2025 को ₹25,880.52 करोड़ तक पहुंच गई।

ख) **मजबूत पूंजी पर्याप्तता:** 31 मार्च, 2025 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 20.53% था, जो बेसल III मानदंडों के अंतर्गत विनियामक आवश्यकता 11.50% (पूंजी संरक्षण बफर सहित) से अधिक है। सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी अनुपात 15.83% रहा।

2.6 इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करना

क. इंफ्रास्ट्रक्चर बांड: बैंक ने दो किस्तों में इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जुटाए हैं; 05.08.2024 को ₹811 करोड़ और 18.02.2025 को ₹1612 करोड़।

2.7 लाभांश अनुशंसा

- I. आपके बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी पर रु.10 प्रत्येक प्रति इक्विटी शेयर रु.1.50 (15%) के लाभांश की सिफारिश की है।
- II. लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम दिनांक 09 मई 2025 को व्यवसाय समय के अंत में एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभकारी स्वामित्व स्थिति के साथ-साथ सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित होते हैं।
- III. 25 अप्रैल, 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में इस सिफारिश को मंजूरी दी गई। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 9 मई, 2025 है। यदि बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो एजीएम के बाद उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार, 9 मई, 2025 को कारोबारी समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरीज जैसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामित्व रजिस्टर/ बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित होते हैं।

2.5 Net Worth and Capital Adequacy Ratio

I. These capital-raising measures significantly enhanced the Bank's financial position:

a) **Net Worth Growth:** The Bank's net worth increased substantially to ₹25,880.52 crore as of March 31, 2025, from ₹17,177.58 crore as of March 31, 2024.

b) **Strong Capital Adequacy:** As of March 31, 2025, the capital adequacy ratio stood at 20.53%, comfortably exceeding the regulatory requirement of 11.50% (including the Capital Conservation Buffer) under Basel III norms. The Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio was robust at 15.83%.

2.6 Issuance of Infrastructure Bond

a. Infrastructure Bonds: The Bank has raised infrastructure bonds in two tranches; ₹811 crores on 05.08.2024 & ₹1612 crores on 18.02.2025.

2.7 Dividend Recommendation

- I. Your Bank's Board of Directors has recommended a dividend of ₹1.50 per equity share (15%) on the paid-up equity share capital of ₹10 per share for the financial year 2024-25.
- II. The dividend will be paid to members whose names appear in the Register of Members and the Beneficial Ownership Position provided by NSDL/CDSL as of the close of business hours on May 9, 2025.
- III. This recommendation was approved at the Board meeting held on April 25, 2025. Further it is informed that the Record Date for determining the eligibility of members entitled to receive dividend on equity shares is Friday, 9th May, 2025. Dividend, if approved by the shareholders of the Bank, shall be paid after the AGM to those shareholders, whose names appear in the Bank's Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories viz., National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as at the close of business hours on Friday, 9th May, 2025.



2.8 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

2.8 Sectoral Deployment of Credit

कुल बकाया प्रतिशत Percentage to Total Outstanding		31.03.2025 को बकाया OS as on 31.03.2025	कुल बकाया प्रतिशत Percentage to total OS	31.03.2024 को बकाया OS as on 31.03.2024	कुल बकाया प्रतिशत Percentage to total OS
उद्योग इसमें से	Industry of which	79223.63	33.03%	69211.21	33.98%
i. अवसंरचनात्मक	Infrastructure	37027.70	15.44%	35894.91	17.62%
ii. रसायन व रसायन उत्पाद	Chemicals & Chemical Products	2100.10	0.88%	2073.03	1.02%
iii. पेट्रोलियम (प्राकृतिक गैस सहित)	Petroleum (Including Natural Gas)	3998	1.67%	2783.99	1.37%
iv. लोहा व स्टील	Iron and Steel	3249	1.35%	1627.52	0.80%
v. एनबीएफसी	NBFCs	25737	10.73%	21109.70	10.36%
vi. इंजीनियरिंग	Engineering	3259	1.36%	2583.34	1.27%
vii. निर्माण	Construction	1770	0.74%	1333.11	0.65%
viii. अन्य उद्योग	Other Industries	2083	0.87%	1805.61	0.89%
कृषि	Agriculture	35547	14.82%	30456.27	14.95%
एमएसएमई	MSME	48369	20.16%	42117.12	20.68%
आवास	Housing	38346	59.13	29786.27	14.63%
शिक्षा	Education	2676	4.13	2279.19	1.12%
निर्यात	Exports	2145	0.89%	2167.85	1.06%
वाणिज्यिक भूसंपदा	Commercial Real estate	7367	3.07%	4954.31	2.43%
सकल अग्रिम	Gross Advances	239837		203664	

3

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना: बैंक राष्ट्र के निर्माण में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के महत्व को समझता है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए, बैंक ने न केवल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को प्राप्त किया है, बल्कि उसे पार कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनबीसी का 46.75 % पीएसएल अनुपात उल्लेखनीय रूप से प्राप्त किया है, जो कि ₹95632.64 करोड़ (निवेश सहित) है।

3.1 हमारे किसानों को सशक्त बनाना: नींव को मजबूत करना

हमारे किसानों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए, बैंक ने कृषि को वास्तविक बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार की है:

3

Priority Sector Lending: Driving Growth and Empowerment

Priority Sector Lending: Driving Growth and Empowerment: The bank understands the importance of priority sector lending towards nation building. Embracing this vision, the Bank has not only met but surpassed Priority Sector Lending (PSL) targets, achieving an impressive PSL ratio of 46.75 % of ANBC, amounting to ₹ 95632.64 crore in FY 2024-25 (including investments).

3.1 Empowering Our Kisans: Strengthening the Foundation

Knowing the unique challenges our kisans (farmers) face, the Bank has put a strategies in place to give agriculture a real boost:



- I. **मदद करना, नींव मजबूत करना:** बैंक ने देश की रीढ़ यानी हमारे किसानों के साथ मजबूती से खड़े होकर ₹35,547.01 करोड़ के बकाया कृषि अग्रिम के साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹18,981 करोड़ के नए ऋण मंजूर किए हैं।
- II. **भविष्य में निवेश करना: उद्देश्य के साथ विकास:** दीर्घकालिक कृषि समृद्धि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, बैंक ने निवेश ऋण में 47.65% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹4,509 करोड़ का संवितरण किया। ये निवेश किसानों को सतत विकास के लिए उन्नत तकनीकों और बुनियादी ढाँचे को अपनाने में मदद करते हैं। इससे हमारे किसान लंबे समय में अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकेंगे, जिससे उनका और भारतीय कृषि उद्योग का भविष्य अधिक समृद्ध हो सकेगा।
- III. **स्वर्ण को विकास में बदलना: स्वर्ण कृषि ऋण:** बैंक के स्वर्ण कृषि ऋण कार्यक्रम ने नए स्वीकृतियों में ₹8,254 करोड़ जुटाए, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 57.14% की उल्लेखनीय वृद्धि है। स्वर्ण के मूल्य से लाभान्वित होकर, किसान वित्तीय अंतर को पाटने और नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए तत्काल नकदी प्राप्त कर सकते हैं।
- IV. **अनुकूलित समाधानों के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाना:** यह समझते हुए कि कोई भी दो खेत एक जैसे नहीं होते, बैंक ने अपने एमकेसीसी समीक्षा/नवीनीकरण पहल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण समाधानों को अनुकूलित किया, जिससे 44% पूर्णता प्राप्त हुई। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत वित्तीय सहायता मिले। इस व्यापक कार्यक्रम ने यह सुनिश्चित किया है कि मौजूदा ऋणों की समीक्षा की जाए और उन्हें प्रत्येक किसान की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाए। बैंक ने हमारे किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी है और उन्हें सफल होने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है।
- V. **भविष्य की ओर कदम:** कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास का समर्थन करना बैंक की प्राथमिकता है। यह कृषि उपज के मूल्य में वृद्धि करते हुए उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक ने अपनी "महा कृषि समृद्धि योजना" के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹782 करोड़ मंजूर किए हैं, जिससे ये उद्योग कृषि आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने में सक्षम बनेंगे।
- VI. **डिजिटल पहल के माध्यम से पहुंच को आसान बनाना:** वित्तीय समावेशन बैंक की प्राथमिकता है। हमने केसीसी नवीनीकरण प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे हमारे किसानों के लिए ऋण तक पहुँच आसान हो गई है।
- VII. **चुनौतियों के बीच मजबूती से खड़ा रहना:** खेती की चुनौतियों को समझते हुए, विशेष रूप से सूखे, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप समय पर राहत उपायों को सक्रिय रूप से पहुंचाता है। ये प्रयास किसानों को समस्या से निपटने और पुनर्निर्माण में मदद करते हैं तथा उनकी सुरक्षा और समर्पण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। बैंक अपनी अभिनव योजनाओं, अनुरूप समाधानों और अटूट समर्थन के माध्यम से हमारे किसानों को सशक्त बनाता है और कृषि में सतत विकास को बढ़ावा देता है, जिससे वह एक बेहतर कल की ओर उनकी यात्रा में एक भरोसेमंद साथी साबित हो रहा है।
- I. **Lending a Hand, Strengthening the Roots:** With an outstanding agricultural advance of ₹35,547.01 crore, the Bank sanctioned ₹18,981 crore in fresh loans during FY 2024-25, standing firmly with the backbone of the nation—our farmers.
- II. **Investing in the Future: Growth with a Purpose:** Aiming to secure long-term agricultural prosperity, the Bank facilitated a 47.65% rise in investment credit, disbursing ₹4,509 crore in FY 2024-25. These investments help farmers adopt advanced technologies and infrastructure for sustainable growth. This will enable our kisans to be well-equipped to increase their crop yields in the long run, ensuring a more prosperous future for themselves and Indian agriculture industry.
- III. **Turning Gold into Growth: Swarna Krishi Loans:** The Swarna Krishi Loan program of the Bank unlocked ₹8,254 crore in fresh sanctions, a remarkable 57.14% growth in FY 2024-25. By leveraging the value of gold, farmers gain quick liquidity to bridge financial gaps and seize new opportunities.
- IV. **Empowering Kisan to be Self-reliant through customized solutions:** Understanding that no two farms are alike, the Bank customized loan solutions through its MKCC Review/Renewal initiative, achieving 44% completion in FY 2024-25. This ensures farmers receive personalized financial support that meets their unique needs. This extensive program has ensured that existing loans are reviewed and customized to fit each farmer's specific needs and circumstances. Bank has prioritized the needs of our kisans and worked towards empowering them to succeed.
- V. **A leap to the future:** Supporting the growth of Agro and food processing industries is a priority for the Bank. This is a crucial step towards a brighter future while adding to the value of agriculture produce. Bank through its "Maha Krishi Samruddhi Scheme," has sanctioned ₹782 crore in FY 2024-25, empowering these industries to add significant value to the agricultural supply chain.
- VI. **Making Access Easier through Digital Initiative:** Financial inclusion is a priority for the Bank. We have digitized the KCC Renewal process, making it simpler for our kisans to have credit access.
- VII. **Standing Strong Through Storms:** Understanding the challenges of farming, especially during natural calamities such as droughts, floods, and hailstorms, the Bank proactively extends timely relief measures in line with regulatory guidelines. These efforts help farmers recover and rebuild, reaffirming our commitment to their resilience and security. Through innovative schemes, tailored solutions, and unwavering support, the Bank continues to empower our Kisans and foster sustainable growth in agriculture, proving to be a dependable partner in their journey towards a better tomorrow.



3.2 भारत के विकास की गति को सहयोग प्रदान करना: एमएसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक रोजगार सृजन के माध्यम से समावेशी विकास को गति प्रदान करते हैं। उनके महत्व को स्वीकार करते हुए, बैंक ने एमएसएमई को समर्थन देने और देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है।

- I. **रिकॉर्ड वृद्धि और लक्ष्य को पार करना**-एमएसएमई के प्रति बैंक का समर्पण मार्च 2024 की तुलना में ऋण देने में वर्ष-दर-वर्ष 14.84% की उल्लेखनीय वृद्धि में परिलक्षित होता है। यह 31 मार्च, 2025 को ₹6251.45 करोड़ की प्रभावशाली वृद्धि का उल्लेख करता है, बैंक का कुल एमएसएमई अग्रिम ₹47,500 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹48,368.57 करोड़ रहा जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2025 में प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2025 में एमएसएमई के लिए बैंक का अटूट समर्थन इसके प्रदर्शन से और भी उजागर होता है:

वित्तीय वर्ष 2025 में एमएसएमई पोर्टफोलियो में बैंक का प्रदर्शन:

क्र. S.N.	विवरण Particulars	वास्तविक Actual	लक्ष्य Target
1	एमएसई बकाया की तुलना में माइक्रो की हिस्सेदारी Share of Micro against to MSE O/s	60.81%	60%

- II. **मुद्रा: महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सशक्त बनाना:** बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे छोटे व्यवसायों और गैर-कृषि उद्यमों को महत्वपूर्ण ऋण प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2025 में, बैंक ने पीएमएमवाई के अंतर्गत ₹5,549.05 करोड़ की मंजूरी दी, जो ₹5,500 करोड़ के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से अधिक है। यह 100.89% उपलब्धि दर छोटे पैमाने के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बैंक के समर्पण को दर्शाती है।

- III. **ऋण के अतिरिक्त: एक समग्र दृष्टिकोण:** एमएसएमई के लिए बैंक का समर्थन केवल ऋण प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कुछ प्रमुख पहल हैं:

क. एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम: बैंक नए व्यवसायों से जुड़ने और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और एमएसएमई के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं।

3.2 Fueling India's Growth Engine: The Bank's Commitment to MSMEs

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the cornerstone of the Indian economy, driving inclusive growth through extensive employment generation, both directly and indirectly. Acknowledging their importance, the Bank has adopted a comprehensive strategy to support MSMEs and enhance their contribution to the nation's economic development.

- I. **Record Growth and Exceeding Targets**-The Bank's dedication to MSMEs is reflected in a remarkable 14.84% year-on-year growth in lending compared to March 2024. This translates to an impressive absolute increase of ₹6251.45 Cr. as of March 31, 2025, the Bank's total MSME advances stand at a robust ₹48,368.57 Cr. as against target of ₹47,500 Cr. demonstrating a strong commitment to this crucial sector.

Performance in FY'25

The Bank's unwavering support for MSMEs is further highlighted by its performance in FY'25:

Bank's performance in MSME portfolio in FY'25:

- II. **MUDRA: Empowering Aspiring Entrepreneurs:** The Bank actively participates in the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) scheme, providing crucial credit to small businesses and non-farm enterprises engaged in manufacturing, trade, and services. In FY'25, the Bank sanctioned a commendable ₹5,549.05 Cr under PMMY, exceeding the ambitious target of ₹5,500 Cr. This 100.89% achievement rate reflects the Bank's dedication to empowering small-scale entrepreneurs

- III. **Beyond Lending: A Holistic Approach;** The Bank's support for MSMEs extends beyond just providing loans. Here are some key initiatives:

a. MSME Outreach Programs: The Bank actively organizes outreach programs across various locations to connect with new businesses and cater to their unique needs. These programs have received a positive response and are crucial for building strong relationships with MSMEs



ख. क्लस्टर दृष्टिकोण: बैंक विशिष्ट क्लस्टर के लिए ग्राहक के अनुरूप उत्पाद की पेशकश करके वॉल्यूम व्यवसाय निर्मित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योग/गतिविधि विशिष्ट उत्पाद विकसित कर रहा है। बैंक ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ग्लास और चूड़ियों का क्लस्टर और सूरत, कोल्हापुर, जयपुर, तिरुपुर, कोयंबटूर और मालेगांव में टैक्सटाइल क्लस्टर लॉन्च किया है।

ग. कस्टमाइज्ड ऋण उत्पाद विशिष्ट एमएसएमई ग्राहक श्रेणी हेतु। हम विभिन्न ग्राहक श्रेणियों जैसे डॉक्टर, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट, ठेकेदार, आतिथ्य व्यवसाय में लगे एमएसएमई, परिवहन संचालक आदि को आकर्षक ब्याज दर, विस्तारित ऋण पुनर्भुगतान अवधि, प्रसंस्करण शुल्क और बीजी/एलजी कमीशन आदि में रियायत प्रदान करते हैं।

घ. वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन कार्यशालाओं, वेबिनार और एमएसएमई को सलाहकार सेवाओं के माध्यम से। एमएसएमई को निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए नेटवर्किंग प्रक्रियाओं जैसे आयोजनों के माध्यम से एमएसएमई का समर्थन करना।

ङ. बैंक ने महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए विशेष योजना तैयार की है, ताकि इन विशेष ग्राहक आधार तक वित्त की आसान पहुँच को प्रोत्साहन दिया जा सके और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

च. बैंक डिजिटल ऋण आधार को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक डेटा का उपयोग कर रहा है। वित्तीय तंत्र में उपलब्ध डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर सूक्ष्म इकाइयों को नकदी प्रवाह आधारित डिजिटल ऋण प्रदान किया जा रहा है। बैंक डिजिटल मोड के माध्यम से सूक्ष्म इकाइयों को वित्तपोषण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के स्थान पर व्यवसाय के नकदी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

छ. सह-उधार मॉडल के माध्यम से बैंक की पहुँच का विस्तार करने के लिए एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ सहयोग।

ज. हरित वित्तपोषण के लिए विशेष योजना: नवीकरणीय ऊर्जा या पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय परियोजनाओं को अपनाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन ऋण। एमएसएमई की परिचालन लागत को कम करने के साथ-साथ धारणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैप्टिव उद्देश्य से सौर पैनल की स्थापना के लिए बैंक के पास एमएसएमई हेतु विशेष योजना है।

झ. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उधारी के लिए ऋण गारंटी कवर और पूंजी/ब्याज सब्सिडी प्रदान करना। इससे वित्तीय समावेशन के साथ-साथ एमएसएमई की ऑनबोर्डिंग बढ़ाने में मदद मिली है।

b. Cluster Approach: Bank is developing industry / activity specific products at different parts of country for generating volume business by offering tailor product to specific cluster. Bank has launched Glass & bangles cluster in Firozabad in Uttar Pradesh and Textile cluster in Surat, Kolhapur, Jaipur, Tirupur, Coimbatore and Malegaon.

c. Customizing loan products for specific MSME customer category. We offer attractive RoI, extended loan repayment tenor, concession in Processing fee and BG/LG commission etc. to various customer category like Doctors, CA, CS, Architects, Contractors, MSMEs engaged in hospitality business, Transport operators etc.

d. Fostering financial literacy through workshops, webinars and advisory services to MSMEs. Supporting MSMEs through networking processes like organizing events to connect MSMEs with investors, suppliers other stakeholders for their growth.

e. Bank has devised special scheme for Women and Young Entrepreneurs to promote easy access to finance to these special customer base for empowering them economically and socially.

f. Bank is using technology and alternative data to increase the digital lending base. Cashflow based digital lending to micro units based on digital footprints available in financial ecosystem. Bank is focusing on business's cash flow rather than collateral security for financing to Micro units through digital mode.

g. Collaboration with NBFCs, Fintech companies, e-commerce platforms to expand reach of Bank through Co-Lending Model.

h. Special scheme for Green financing: Incentivized loans to MSMEs for adopting renewable energy or environmentally sustainable projects. Bank has special scheme for MSMEs for installation of solar panel for captive purpose to promote sustainable energy along with reducing operation cost of MSMEs.

i. Providing credit guarantee cover and capital / interest subsidy for borrowings under various government schemes. This has helped in financial inclusion as well as increase in the onboarding of MSMEs.



ज. व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस): बैंक में टीआरईडीएस वित्तपोषण के केंद्रीकरण के लिए नया प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

ट. प्रक्रिया सुधार के लिए विभिन्न आईटी पहल इस प्रकार हैं:

- जेडईडी पोर्टल (www.zed.msme.gov.in) के माध्यम से सीबीएस में जेडईडी सत्यापन के प्रमाणन का स्वचालन और लाभार्थियों को लागू प्रोत्साहन देना।

- **सीजीटीएमएसई प्रक्रिया के लिए रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन:** स्वचालन किया जाता है ताकि

- क) प्रति आइटम प्रसंस्करण समय को 80% तक कम किया जा सके।

- ख) मानवीय त्रुटियों को 99% कम करना

- ग) बोट द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉग का उपयोग करके समग्र गतिविधि की बेहतर निगरानी करना।

ठ. डिजिटल उत्पाद पहल

- **डिजिटल पीएम स्वनिधि:** बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण के लिए एसटीपी यात्रा लागू की है।

- **डिजिटल मुद्रा:** बैंक ने ईटीबी ग्राहकों के लिए पैन इंडिया स्तर पर रु.10 लाख तक की सीसी क्रेडिट सुविधा के लिए एसटीपी की शुरूआत की है और एनटीबी ग्राहकों के लिए यह सहायता मोड के अंतर्गत है।

- **रु.10 लाख तक की कार्यशील पूंजी सुविधा की स्वतः समीक्षा/नवीनीकरण:** इसका उद्देश्य एसटीपी के माध्यम से रु.10 लाख तक की मौजूदा एमएसएमई कार्यशील पूंजी सुविधा की समीक्षा/नवीनीकरण की प्रक्रिया को स्वचालित करना है।

- क) संगठनात्मक स्तर पर शाखाओं में कार्य समय को कम करना।
- ख) शाखा को भेंट देने की आवश्यकता लगभग समाप्त करके ग्राहक सुविधा में वृद्धि।

- **महा ई-जीएसटी योजना:** बैंक ने वित्तीय इकोसिस्टम में उपलब्ध डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर ऋण मूल्यांकन मॉड्यूल के माध्यम से ईटीबी एमएसएमई ग्राहकों को रु.25 लाख तक की नकद ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल यात्रा शुरू की है।

- **डिजिटल पीएम विश्वकर्मा:** बैंक ने सरकारी पहल के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए एसटीपी यात्रा शुरू की है।

j. TRADE RECEIVABLES DISCOUNTING SYSTEM (TReDS): New platform is developed for centralization of TReDS financing in Bank

k. Various IT initiatives for process improvement are as under:

- Automation of validation ZED certification in CBS through ZED portal (www.zed.msme.gov.in) and passing of applicable incentives to beneficiaries.

- **Robotic Process Automation for CGTMSE Process:** Automation is done to

- a) Reduce processing time per item by 80%

- b) Reducing 99% Human errors

- c) Better Monitoring of the overall activity by using the logs provided by the BOT

l. Digital Products Initiative

- **Digital PM SVANidhi:** Bank has implemented STP journey for loans under PM SVANidhi Scheme.

- **Digital MUDRA:** Bank has launched STP journey for CC credit facility upto Rs.10 lakh at PAN India level for ETB customer and for NTB customer it is under assisted mode.

- **Auto Review / Renewal of Working Capital Facility upto Rs.10 lakh:** The objective is to automate the process for review / renewal of existing MSME Working Capital facility up to Rs.10 lakhs through STP.

- a) Minimization of significant manhours at branches at an organizational level.

- b) Enhancement of customer convenience by almost eliminating branch visits.

- **Maha E-GST Scheme:** Bank has launched Digital journey for providing cash credit facility upto Rs.25 lakh to ETB MSME customers through credit assessment module based on digital footprints available in financial ecosystem.

- **Digital PM Vishwakarma:** Bank has launched STP journey for Credit under PM Vishwakarma Scheme to streamline the implementation of Govt. initiative.



IV. आगे की राह : एक मजबूत एमएसएमई इकोसिस्टम का निर्माण

एमएसएमई के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा, पीएम-विश्वकर्मा और स्टैंड-अप इंडिया, पीएमईजीपी आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और उससे आगे निकलने के प्रति इसके समर्पण से स्पष्ट है। बैंक "स्टार्ट-अप के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस)" के अंतर्गत स्टार्ट-अप को ऋण सहायता प्रदान करने पर फोकस कर रहा है। ये सफलताएं बैंक के एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और परिणामस्वरूप, अधिक व्यवसायों के विकास के लिए सशक्त बनाएंगी।

IV. Looking Ahead: Building a Stronger MSME Ecosystem

The Bank's unwavering commitment to MSMEs is evident in its dedication to achieving and exceeding set targets for government schemes like MUDRA, PM-Vishwakarma and Stand-up India, PMEGP etc. Bank is focusing on providing credit help to start-ups under "Credit Guarantee Scheme for Start-ups (CGSS)". These successes will contribute significantly in strengthening Bank's MSME loan portfolio and consequently, empower more businesses to thrive.

चुनिन्दा क्षेत्रों को बैंक ऋण

Bank's Exposure to Select Segments

क्र.सं. Sr.No	क्षेत्र Sector	31.03.2025 को As on 31.03.2025	31.03.2024 को As on 31.03.2024	% वृद्धि (+/-) को % increase (+/-)
1	सूक्ष्म/ स्व. सहा. समूह वित्त Micro / SHG Finance	3250	2797	16.20%
2	कमजोर वर्ग Weaker Section	25345	26487	-4.31%
3	एससी / एसटी लाभार्थी SC/ ST Beneficiaries	6998	5942	17.77%
4	ओबीसी लाभार्थी OBC Beneficiaries	18762	14858	26.28%
5	अल्पसंख्यक समुदाय Minority Communities	13916	9187	51.47%

3.3 आम आदमी के स्वप्न को पूरा करना: रिटेल ऋण देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता

रिटेल क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लाखों लोग अपनी दैनिक जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए इस पर निर्भर हैं। बैंक इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझता है और अपने ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए समर्पित है। हम आपके सपनों का घर खरीदने से लेकर आपके बच्चे की शिक्षा के वित्तपोषण या यहां तक कि रोजमर्रा के आवागमन के लिए एक विश्वसनीय वाहन प्राप्त करने तक, आपकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए रिटेल ऋण उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हैं।

3.3 Fulfilling Common Man Dreams: The Bank's Commitment to Retail Lending

The retail sector is the backbone of the Indian economy, with millions of people relying on it for their daily needs and aspirations. The Bank understands this crucial role and is dedicated to being a trusted partner for our customers. We offer a wide range of retail loan products designed to meet your diverse needs, from buying your dream home to financing your child's education or even getting a reliable vehicle for everyday commutes.

I. रिटेल ऋण का क्षेत्रीय परिनियोजन

I. Sectoral deployment of retail credit:

खंड Segment	31.03.2025 तक बकाया Outstanding (OS) as on 31.03.2025	कुल बकाया का प्रतिशत Percentage to total OS	31.03.2024 तक बकाया Outstanding(OS) as on 31.03.2024	कुल बकाया का प्रतिशत Percentage to total OS
आवास Housing	38346	59.13	29786.27	57.58
शिक्षा Education	2676	4.13	2279.19	4.41
वाहन Vehicle	4063	6.26	2771.45	5.36
अन्य रिटेल Other Retail	19768	30.48	16889.68	32.65
कुल रिटेल Total Retail	64853	100.00	51726.59	100.00



II. योजनावार प्रदर्शन:

II. Scheme wise Performance:

क्र. Sr. No	योजना Scheme	संक्षिप्त विवरण Brief Description	मार्च 25 को पोर्टफोलियो Portfolio as of Mar '25	एनपीए % NPA %
1	महा सुपर आवास ऋण योजना Maha Super Housing Loan Scheme	आवास ऋण बैंक का हमेशा से एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। तदनुसार, बैंक ने देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 'सभी के लिए आवास' के साथ संरेखन किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को कवर करने वाले ग्राहकों के लिए गृह ऋण योजना शामिल है। बैंक पूरे उद्योग में गृह ऋण योजना में सबसे आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है। बैंक "नए/ मौजूदा घर/ फ्लैट की खरीद/ निर्माण, मौजूदा घर/ फ्लैट की मरम्मत/ नवीनीकरण/ परिवर्तन, प्लॉट की खरीद और उस पर निर्माण" के लिए आवास ऋण प्रदान करता है। Housing loan remains a thrust area of the Bank. Accordingly, Bank has aligned with the goal of 'Housing for all' aspiration of the country, which includes Home loan scheme for customers covering every segment of the economy. Bank extends the most competitive ROI across the industry in home loan scheme. Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon".	38346.44	0.20
2	महासुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme	बैंक व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक) और गैर-व्यक्तियों के लिए निजी उपयोग (अर्थात यात्रियों को किराये पर लेने/दुलाई के लिए नहीं) के लिए नए/सेकेंड हैंड चार पहिया वाहन यानी कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वाहन (एमयूवी), एसयूवी, इलेक्ट्रिक वाहन आदि की खरीद के लिए वाहन ऋण योजनाएं प्रदान करता है। Bank offers Vehicle loan schemes for purchase of New / Second hand four wheelers i.e. Car, Jeep, Multi Utility vehicles (MUVs), SUV, electric vehicles etc. for personal use (i.e. not for hiring/ferrying passengers) for individuals (18 years and above) and Non-Individuals.	4062.84	0.09
3	शिक्षा ऋण योजना Education Loan Scheme	बैंक सभी मेधावी और योग्य विद्यार्थियों को भारत और विदेश में उच्च अध्ययन/शिक्षा प्राप्त करने के लिए परेशानी मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना और महा स्कॉलर ओवरसीज शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। Bank is implementing IBA Model Education Loan Scheme, PM Vidyaxmi Scheme & Maha Scholar Overseas Education Loan scheme to provide hassle free Education loan to all meritorious and deserving students for pursuing higher studies /education in India and abroad.	2675.73	0.10



क्र. Sr. No	योजना Scheme	संक्षिप्त विवरण Brief Description	मार्च 25 को पोर्टफोलियो Portfolio as of Mar '25	एनपीए % NPA %
4	स्व-अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण Loan Against Self-Occupied	बैंक स्व- अधिकृत वाली संपत्ति के बदले ऋण प्रदान करता है जिसमें व्यक्तिगत उधारकर्ता को संपत्ति के बदले ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण का अंतिम उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, यात्रा/भ्रमण व्यय, वाहन या हाई-टेक गैजेट खरीदना, अन्य घरेलू जरूरतें आदि जैसी विभिन्न व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। Bank offers Loan Against Self-Occupied Property in which loan is given to the Individual borrower against the property. The end use of the loan is for meeting varied personal needs like Children's Education, marriage of children, medical treatment, travel/ tour expenses, buying vehicle or hi-tech gadgets, other domestic needs etc. Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon".	2202.80	1.20
5	महाबैंक टॉप अप ऋण योजना Mahabank Top up Loan Scheme	मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करने के साथ-साथ टॉप-अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों से मौजूदा आवास ऋणों का अधिग्रहण करने के लिए, बैंक "महाबैंक टॉप अप ऋण योजना" प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न घरेलू उद्देश्यों जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, वाहन या हाई-टेक गैजेट खरीदना और अन्य घरेलू जरूरतों आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। In order to extend additional credit support to existing housing loan borrowers as well takeover of existing housing loans from other banks with additional facility of Top-up Loan, Bank offers "Mahabank Top Up loan Scheme". Under the scheme credit is extended for variety of domestic purposes like children's education, marriage of children, medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets and other domestic needs etc.	3510.94	0.09
6	महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना (रिटेल + कृषि) Mahabank Gold Loan Scheme (Retail + Agri)	एक आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की संभावनाओं का लाभ उठाने और सामान्य उपभोग के साथ-साथ कृषि उपयोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें खेती, कृषि भूमि का विकास, कृषि संबद्ध गतिविधियां और विवाह, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आपात स्थिति, व्यावसायिक यात्रा आदि जैसी विविध जरूरतों के लिए व्यक्तिगत व्यय शामिल हैं, बैंक ने "महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना" के रूप में ऋण उत्पाद पेश किया है। With a view to tap the potential of gold loans as a lucrative asset and to cater to the needs of meeting General consumption as well as Agriculture use, whatsoever which include cultivation, development of agricultural land, agri allied activity & personal expenditure for varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, business travel etc, Bank has loan product as "Mahabank Gold Loan Scheme".	15909.05	0.13



क्र. Sr. No	योजना Scheme	संक्षिप्त विवरण Brief Description	मार्च 25 को पोर्टफोलियो Portfolio as of Mar'25	एनपीए % NPA %
7	महाबैंक आधार ऋण योजना Mahabank Aadhar Loan Scheme	हमारे मौजूदा पेंशन खाताधारकों की वैयक्तिक आपात स्थितियों या खर्चों, तीर्थयात्रा, चिकित्सा और घरेलू जरूरतों आदि की पूर्ति के लिए बैंक "महाबैंक आधार ऋण योजना" प्रदान करता है। To cater to the needs of our existing pension account holders in meeting their personal emergencies or expenses, pilgrimage, medical and domestic needs etc., Bank offers "Mahabank Aadhar Loan Scheme".	833.95	0.40
8	वैयक्तिक ऋण Personal Loan	बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशवरों और व्यापारी वर्ग के ग्राहकों के अन्य व्यक्तिगत व्ययों, चिकित्सा या घरेलू व्यय आदि की पूर्ति के लिए वैयक्तिक ऋण प्रदान करता है। Bank offers Personal loan to cater to the needs of salaried individual, professionals & business class of customers for meeting other personal expenses, medical or domestic expenses etc.	3455.95	0.78

III. वित्तीय वर्ष 2024-25 पर एक नज़र:

व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता ने हमारे रिटेल पोर्टफोलियो की प्रभावशाली वृद्धि में परिलक्षित होती है, जो अब **31 मार्च, 2025 तक ₹64,852.98** करोड़ के प्रभावशाली स्तर तक पहुंच गई है। इस सफलता में योगदान देने वाली कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

क. केंद्रीकृत प्रोसेसिंग के साथ शीघ्रता से ऋण स्वीकृति: ऋण प्रोसेसिंग में दक्षता बढ़ाने के लिए, हमने सभी अंचलों में केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीसी) स्थापित किए हैं, जो विशेष रूप से आवास ऋण, संपत्ति के बदले ऋण और टॉप-अप ऋण जैसे बंधक-आधारित ऋणों पर फोकस करते हैं। इस केंद्रीकृत दृष्टिकोण ने टर्नअराउंड समय को काफी कम कर दिया है और समग्र ग्राहक अनुभव में सुधार किया है।

ख. समर्पित आवास वित्त शाखाएँ: आवास ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, हमने टियर-II शहरों सहित देश भर में 43 प्रमुख स्थानों पर समर्पित आवास वित्त शाखाएँ (एचएफबी) स्थापित की हैं। इन शाखाओं द्वारा बंधक वित्तपोषण में विशेषज्ञ स्टाफ की सहायता से त्वरित और अधिक ग्राहक-अनुकूल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

ग. "महा बैंक स्वर्ण ऋण पॉइंट्स" के साथ सुलभ स्वर्ण ऋण: स्वर्ण ऋण को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, हमने देश भर में 34 स्थानों पर "महा बैंक स्वर्ण ऋण पॉइंट्स" खोले हैं। ये केंद्र एक त्वरित, पारदर्शी और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, हमने एक डिजिटल स्वर्ण ऋण उत्पाद की शुरुआत की है, जो एक निर्बाध ऋण प्रक्रिया और त्वरित ऋण वितरण को सक्षम बनाता है।

घ. इसके अतिरिक्त, हमने इस बढ़ते हुए वर्ग की जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रधान कार्यालय में एक समर्पित वैयक्तिक ऋण केंद्र स्थापित किया है तथा वेतनभोगी, पेशेवर और व्यवसाय मालिकों जैसे लक्षित ग्राहक वर्ग के अनुरूप ऋण योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

III.FY 2024-25 at a Glance:

Our unwavering commitment to empowering individuals and families has driven remarkable growth in our retail portfolio, which now stands at an impressive **₹64,852.98 crore as of March 31, 2025**. Here are some key initiatives that contributed to this success:

a. Faster Loan Approvals with Centralized Processing: To enhance efficiency in loan processing, we have established Centralized Processing Cells (CPCs) across all zones, focusing particularly on mortgage-based loans like housing loans, Loans Against Property, and Top-Up loans. This centralized approach has significantly reduced turnaround times and improved the overall customer experience.

b. Dedicated Housing Finance Branches: To meet the increasing demand for housing loans, we set up dedicated Housing Finance Branches (HFBs) in 43 major locations, including tier-II cities across India. Staffed with experts in mortgage financing, these branches provide faster and more customer-friendly services.

c. Simplified Gold Loans with "Maha Bank Gold Loan Points": To make gold loans more accessible, we opened "Maha Bank Gold Loan Points" in 34 locations nationwide. These centers ensure a quick, transparent, and hassle-free experience. Additionally, we introduced a Digital Gold Loan product, enabling a seamless lending process and faster credit delivery.

d. Additionally, we have established a dedicated Personal Loan vertical at the Head Office to cater to this growing segment and offer tailored loan schemes for targeted segment of customer like salaried, professionals and business owners.



IV. ऋण को सरल और त्वरित बनाना:

ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के हमारे प्रयासों के केंद्र में नवाचार और प्रक्रिया में सुधार है। हम ऋण लेना कैसे आसान बना रहे हैं, यह हम आपको बताते हैं:

क. आकर्षक ब्याज दरें:

हम सभी रिटेल ऋण उत्पादों पर प्रतिस्पर्धी दरें प्रदान करते हैं, जिससे वे हमारे ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाते हैं।

ख. सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए डिजिटलीकरण:

विभिन्न ऋण श्रेणियों में डिजिटल ऋण प्रोसेसिंग और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) को अपनाकर, हमने समय (टीएटी) के साथ-साथ कागजी कार्रवाई को भी कम कर दिया है और अनुमोदन में तेजी लाकर अधिक कुशल बैंकिंग अनुभव प्रदान किया है।

ग. मौजूदा ग्राहकों हेतु पूर्व-स्वीकृत ऋण:

सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है। मौजूदा ग्राहकों हेतु हमारी पूर्व-स्वीकृत वैयक्तिक ऋण योजना में पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया है, जिससे ऋण की राशि 60 सेकंड के भीतर बचत खातों में जमा हो जाती है, जिससे लंबी मैन्युअल प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलता है।

घ. डिजिटल ऋण प्रस्तावों का विस्तार:

हम कार ऋण (डीलर टाई-अप के माध्यम से), प्रमुख संस्थानों हेतु शिक्षा ऋण और आवास ऋण को डिजिटल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे ग्राहक न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ अपने घर बैठे आराम से आवेदन कर सकें।

ङ. त्वरित प्रोसेसिंग के लिए रणनीतिक साझेदारियां:

मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से, हमने कार ऋण की लीड्स को सीधे हमारे ऋण प्रबंधन व्यवस्था में सहजता से स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल सिस्टम को एकीकृत किया है। इससे स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी आई है।

V. पर्यावरणीय स्थिरता को सहयोग

भारत सरकार की हरित पहल और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने निम्नलिखित पर्यावरण अनुकूल रिटेल उत्पाद पेश किए हैं:

क. हरित वाहन ऋण:

"महाबैंक ग्रीन व्हीकल लोन स्कीम" इलेक्ट्रिक कारों की खरीद का समर्थन करती है, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देती है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है।

ख. हरित आवास ऋण:

हमारी "महाबैंक ग्रीन हाउसिंग लोन" योजना पर्यावरण अनुकूल आवास परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे धारणीय जीवन अधिक सुलभ हो जाता है।

ग. पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना:

इस पहल के अंतर्गत, हम छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए कम लागत पर वित्तपोषण प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और बिजली की लागत कम कर सकते हैं।

IV. Making Loans Simpler and Faster:

Innovation and process enhancement are at the heart of our efforts to provide a delightful customer experience. Here's how we're making loans easier:

a. Attractive Interest Rates:

We offer competitive rates across all retail loan products, making them an appealing choice for our customers.

b. Digitalization for Streamlined Processes:

By adopting digital loan processing and Straight Through Processing (STP) across various loan categories, we have reduced time (TAT) as well as the paperwork and expedited approvals, delivering a more efficient banking experience.

c. Pre-Approved Loans for Existing Customers:

Convenience is key. Our pre-approved personal loan scheme for existing customers features a fully digital process, enabling loan proceeds to be credited into savings accounts within 60 seconds, eliminating lengthy manual procedures.

d. Expanding suite of Digital Loan Offerings:

We are working to digitalize car loans (through dealer tie-ups), education loans for premier institutes, and housing loans, allowing customers to apply from the comfort of their homes with minimal paperwork.

e. Strategic Partnerships for Faster Processing:

Through our partnership with Maruti Suzuki India Pvt. Ltd., we have integrated digital systems to enable seamless transfer of car loan leads directly into our loan management system. This has speed up the process of approval.

V. Supporting Environmental Sustainability

In alignment with the Government of India's Green Initiatives and our commitment to protecting the environment, we have introduced the following eco-friendly retail products:

a. Green Vehicle Loans:

The "Maha Bank Green Vehicle Loan Scheme" supports the purchase of electric cars, promoting cleaner transportation and reducing environmental impact.

b. Green Housing Loans:

Our "Maha Bank Green Housing Loan" scheme encourages investment in eco-friendly housing projects, making sustainable living more attainable.

c. PM Surya Ghar-Muft Bijli Yojana:

Under this initiative, we provide low-cost financing for rooftop solar panel installations, enabling customers to generate clean energy and lower electricity costs.



VI. रिटेल ऋण योजनाओं के अंतर्गत नई पहल:

बैंक ने आकर्षक और प्रतिस्पर्धी उत्पाद लांच किए हैं तथा संभावित रिटेल कारोबार का लाभ उठाने के लिए बाजार प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु मौजूदा उत्पादों की समय-समय पर समीक्षा करता रहता है।

क. बैंक ने उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों हेतु 'एलीट प्लस स्कीम' नाम से एक विशेष रिटेल ऋण योजना शुरू की है, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं।

- आवास ऋण: ब्याज दर 7.85% प्रति वर्ष से शुरू होती है।
- कार ऋण: 8.20% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 100% तक वित्त पोषण।
- वैयक्तिक ऋण: ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष से शुरू होती है।
- शैक्षिक ऋण: ब्याज दर 7.60% प्रति वर्ष से शुरू होती है, जिसमें कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है।

ख. बैंक एए, एए, ए और बी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत 860 गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 7.60% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना का विस्तार कर रहा है, जिसमें अन्य के अलावा सभी टॉप रेटेड आईआईएम, आईआईटी और मेडिकल संस्थान शामिल हैं।

ग. बैंक ने अपनी वाहन ऋण योजना को नया रूप दिया है, जिसमें 4 पहिया, 2 पहिया, हाई एंड बाइक और पूर्व स्वामित्व वाली कारें शामिल हैं, जिनकी ऋण उपलब्धता को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं।

- मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ताओं को नए 4-पहिया वाहन की खरीद हेतु शून्य मार्जिन।
- नये 4-पहिया वाहन हेतु मार्जिन 15% से घटाकर 10% किया गया।
- एचएनआई ग्राहकों हेतु कटौती मानदंड 80% तक बढ़ाए गए।
- कोई संपार्श्विक सुरक्षा नहीं।

घ. बैंक भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम रूफ टॉप सोलर - पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा दे रहा है, ताकि लाभार्थियों को ग्रिड से जुड़े मॉडल पर रूफ टॉप सौर इकाई स्थापित करने और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

ड. एक अच्छे रिटेल ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखने के हमारे प्रयास में, बैंक ने रिटेल ऋण के सभी खंडों में नए ग्राहकों को शामिल करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) कट-ऑफ सत्यापन शुरू किया है, अर्थात् न्यूनतम सीआईसी कट-ऑफ 681 और उससे अधिक है। रिटेल ऋण पर हमारा लगातार ध्यान हमें निरंतर नवाचार करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ग्राहक-केंद्रित समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। आवास, वैयक्तिक और स्वर्ण ऋण तक पहुंच का विस्तार करने, प्रतिस्पर्धी दरों का प्रस्ताव करने और डिजिटलीकरण को अपनाने के साथ, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इन प्रयासों के माध्यम से, हम व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाने, वित्तीय कल्याण को बढ़ावा देने और रिटेल ऋण उत्कृष्टता में मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

VI. Initiatives under retail loans

Bank has launched lucrative as well as competitive products and periodically reviewing the existing ones in order to match with the market peers to tap the potential retail business.

a. Bank has launched a tailor made Retail Loan scheme named 'Elite Plus Scheme' for High Ranking Government Officials with the following offerings.

- Home Loan: Rate of Interest starts at 7.85% p.a.
- Car Loan: Upto 100% finance at 8.20% p.a. of Rate of Interest.
- Personal Loan: Rate of Interest starts at 9.50% p.a.
- Education Loan: Rate of Interest starts at 7.60% p.a. with NIL processing charges.

b. Bank is extending PM Vidyalaxmi Education Loan scheme at competitive rate of interest starting from 7.60% p.a. for students taking admission in 860 Quality Higher Education Institutes (QHEIs) classified under AAA, AA, A & B category which includes all top-rated IIMs, IITs, and medical institutions among others.

c. Bank has revamped its Vehicle Loan scheme which includes 4-wheelers, 2-wheelers, High end Bikes and Pre-Owned Cars with following parameters to maximize their loan availability.

- Nil Margin to existing Housing Loan borrowers for purchase of new 4-wheeler.
- Margin reduction to 10% from 15% for new 4-wheeler.
- Enhanced deduction norms up to 80% to HNI customers.
- No collateral security.

d. Bank is promoting flagship programme of Govt. of India named Roof Top Solar – PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, in order to encourage beneficiaries to install Roof Top solar unit on Grid connected model and avail the benefit of subsidy.

e. In our endeavor to maintain a healthy retail loan portfolio, Bank has introduced minimum credit information company (CIC) cut-off validation for on-boarding new customers in all the segments of retail loan i.e minimum CIC Cut-off of 681 & above. Our constant focus on retail lending drives us to continuously innovate, streamline processes, and introduce customer-centric solutions. By expanding access to housing, personal, and gold loans, alongside offering competitive rates and embracing digitalization, we aim to meet the diverse financial needs of our customers. Through these efforts, we remain committed to empowering individuals and families, fostering financial well-being, and setting benchmarks in retail lending excellence.



4

समुदायों को सशक्त बनाना: वित्तीय समावेशन हेतु बैंक का अभियान

वित्तीय समावेशन सशक्तिकरण की नींव है और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी स्थान या सामाजिक-आर्थिक स्थिति का हो, को आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।

4.1 बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच का विस्तार

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। 7.07 लाख नए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते खोलकर, हमने दस लाख से अधिक ऐसे लोगों को बचत खाते, डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सुरक्षा जैसी आवश्यक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की हैं, जो पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे।

वित्तीय समावेशन में बैंक का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

4

Empowering Communities: The Bank's Drive for Financial Inclusion

Financial inclusion is the foundation of empowerment and a catalyst for national economic growth. Committed to the vision of inclusive development, the Bank strives to ensure that every Indian, irrespective of their location or socioeconomic status, has access to essential banking services.

4.1 Expanding Access to Banking Services

In the financial year 2024-25, the Bank achieved remarkable progress in advancing financial inclusion. By opening an impressive 7.07 lakh new Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts, we extended essential banking facilities such as savings accounts, debit cards, and overdraft protection to over a million previously unbanked individuals.

Banks Performance in Financial Inclusion are as below:

	विवरण Particular	2023-24	2024-25
एफआई योजना FI Plan	बीसीए द्वारा किए गए संव्यवहार (लाख में) No of Transactions by BCA (in lakhs)	232.52	193.20
पीएमजेडीवाई PMJDY	संव्यवहार की राशि (करोड़ में) Amt. of Transactions (in Cr)	18322.73	15480
	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (लाख में) No. of PMJDY accounts (in lakhs)	78.08	80.61
	उसमें से आधार सीडिंग किए गए (लाख में) Of which Aadhar Seeded (in Lakhs)	74.25	77.30
	आधार सीडिंग का % % of Aadhar Seeding	95.09%	95.89%
	उसमें से मोबाइल सीडिंग (लाख में) Of which Mobile Seeding (in Lakhs)	64.76	68.75
	मोबाइल सीडिंग का % % of Mobile Seeding	82.94%	85.29%
	उसमें से जारी रूपे कार्ड (लाख में) Of which Ru-pay card issued (in Lakhs)	39.88	44.92
	जारी रूपे कार्ड का % % of Ru-pay card issued	51.08%	55.73%
	पीएमजेडीवाई खाते में शेष (करोड़ में) Balance in PMJDY A/c (in Cr)	3818.35	4538.87
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक) Average Bal.per account (actual)	4890.00	5631
	पीएमजेडीवाई – ओडी संख्या (लाख में) PMJDY-OD count (in lakhs)	1.14	0.81
	पीएमजेडीवाई – ओडी राशि (लाख में) PMJDY-OD Amount (in lakhs)	1209.68	876
	शून्य शेष पीएमजेडीवाई खाते (लाख में) Zero Bal.PMJDY A/cs (in lakhs)	4.68	4.34



	विवरण Particular	2023-24	2024-25
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं Social Security Schemes	पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में) Enrolment under PMJJBY (in lakh)	32.90	35.98
	पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में) Enrolment under PMSBY (in lakh)	65.22	70.94
	एपीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में) Enrolment under APY (in lakh)	7.94	9.86
बीएसबीडी खाते BSBD Accounts	कुल बीएसबीडी खाते (लाख में) Total BSBD Accounts (in lakhs)	93.38	94.12
	बीएसबीडी खाते में बकाया शेष (करोड़ में) O/S Balance in BSBD A/c (in Cr)	4586	5358
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक) Average Bal.per account (actual)	4911	5693
	बीसी सेवाओं के लिए दिया गया कमीशन (करोड़ में) Commission paid towards BC Services (in Crore)	52	30

5

आस्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

5

Asset Quality and NPA Management

5.1 आस्ति गुणवत्ता बढ़ाने हेतु बैंक की प्रतिबद्धता:

हमारे बैंक में, एक बेहतर और मजबूत पोर्टफोलियो बनाए रखना एक मुख्य प्रतिबद्धता है। इसमें समय पर ऋण चुकौती सुनिश्चित करना, खराब ऋणों के जोखिम को कम करना और बैंक और उसके ग्राहकों दोनों के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार को प्रोत्साहन देना शामिल है।

5.1 The Bank's Commitment for Enhancing Asset Quality:

At our Bank, maintaining a healthy and robust portfolio is a core commitment. This involves ensuring timely loan repayments, mitigating the risk of bad debts, and fostering a strong financial foundation for both the Bank and its customers.

5.2 आस्ति गुणवत्ता में निरंतर प्रगति

आस्ति गुणवत्ता में सुधार के प्रति हमारे समर्पण ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं, जो प्रमुख प्रदर्शन मीट्रिक्स में परिलक्षित होते हैं:

- सकल एनपीए में कमी: 31 मार्च, 2024 के 1.88% से घटकर 31 मार्च, 2025 को 1.74% रह गई।
- निवल एनपीए में कमी: 31 मार्च, 2024 के 0.20% से घटकर 31 मार्च, 2025 को 0.18% रह गई।
- बेहतर प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर): 31 मार्च 2025 तक 98.26% की मजबूत उपलब्धि प्राप्त की गई।

5.2 Sustained Progress in Asset Quality

Our dedication to improving asset quality has yielded remarkable results, reflected in key performance metrics:

- Gross NPA Reduction: Declined from 1.88% as of March 31, 2024, to 1.74% as of March 31, 2025.
- Net NPA Reduction: Declined from 0.20% as of March 31, 2024, to 0.18% as of March 31, 2025.
- Provision Coverage Ratio (PCR): Achieved a strong 98.26% PCR as of March 31, 2025.

5.3 आस्ति गुणवत्ता सुधार के लिए नवीन पहल

स्थायी आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, हमने परिवर्तनकारी उपाय किए हैं:

5.3 Strategic Initiatives for Asset Quality Improvement

To ensure sustainable asset quality, we have undertaken transformative measures:



- I. **एआई-संचालित सहभागिता:** संग्रहण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एआई-संचालित कॉलिंग और भावना विश्लेषण का लाभ उठाना।
- II. **24/7 जोखिम निगरानी:** विलंब और अनुपालन जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए डीसीआरआई डैशबोर्ड का उपयोग करना, वाहन पोर्टल पर रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन के माध्यम से 93.69% वाहन ऋण पोर्टफोलियो को सत्यापित करना।
- III. **रणनीतिक साझेदारियां:** दबाव आस्ति प्रबंधन के लिए डेटा एनालिटिक्स, बीओटी कॉलिंग, एआई/एमएल टूल्स और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) को बढ़ाने के लिए फिनटेक के साथ साझेदारी करना।
- IV. **ग्राहक सुविधा:** ऋण समाप्ति के बाद उधारकर्ताओं के साथ संचार को स्वचालित करना ताकि प्रतिभूति दस्तावेजों को बाधारहित रूप से एकत्रित किया जा सके।
- V. **जियोटैगिंग और दबावग्रस्त आस्तियों की निगरानी के लिए ऑटोमेटेड रिमोट जंक्शन (अर्जुन) एप्लीकेशन:** बैंक के अधिकारियों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के दौरे के क्रियाशील अनुकूलन को सक्षम करना। अर्जुन बैंक द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन, कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे वे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे प्रभावी ऋण निगरानी और संग्रहण तंत्र को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे दबावग्रस्त आस्तियों के दौरे का क्रियाशील अनुकूलन संभव हो पाता है।

5.4 व्यापक एनपीए वसूली रणनीति

गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) वसूली के लिए हमारे बहुमुखी दृष्टिकोण में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

- I. **समर्पित वसूली दल:** सभी अंचल कार्यालयों में आस्ति वसूली प्रकोष्ठ (एआरसी) तथा 13 समर्पित आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी) स्थापित करना, ताकि बड़े एनपीए पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, विशेष रूप से उन पर जो कानूनी कार्यवाही में शामिल हैं।
- II. **विशिष्ट दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम):** प्रधान कार्यालय में एक समर्पित विभाग चार एसएएम शाखाओं की देखरेख करता है, तथा 5 करोड़ रुपये से अधिक बकाया शेष वाले खातों का प्रबंधन करता है।
- III. **एंड-टू-एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग:** बैंक बेहतर संग्रहण, कम प्रोसेसिंग समय और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए एक एआई/एमएल-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म संभावित समस्याओं की भविष्यवाणी करने और सक्रिय हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए ग्राहक व्यवहार और ऐतिहासिक डेटा का लाभ उठाएगा।
- IV. **एआई-संचालित संचार:** दबावग्रस्त खातों वाले ग्राहकों और हमारे संपर्क केंद्र के लिए आउटबाउंड कॉल के लिए एक एआई-आधारित इंटरैक्टिव वॉयस असिस्टेंट समाधान विकसित किया गया है। यह एआई-संचालित समाधान ग्राहकों के साथ उनकी पसंदीदा भाषा में संवाद करता है, जिससे बेहतर संचार और समझ को बढ़ावा मिलता है।

- I. **AI-Driven Engagement:** Leveraging AI-powered calling and sentiment analysis to revolutionize collections.
- II. **24/7 Risk Monitoring:** Utilizing a DCRI dashboard to proactively manage delinquency and compliance risks, with 93.69% of the vehicle loan portfolio verified through Robotic Process Automation on the Vahan portal.
- III. **Strategic Partnerships:** Partnering with fintechs to enhance data analytics, BOT calling, AI/ML tools, and Early Warning Signals (EWS) for stress asset management
- IV. **Customer Convenience:** Automating communication with borrower's post-loan closure to collect security documents seamlessly.
- V. **Geotagging and Automated Remote Junction for Monitoring of Assets Under Stress (ARJUN) Application:** ARJUN Bank's in house developed Mobile application serves the purpose of a handy tool to the staff members for effective credit monitoring and optimise collection mechanism directly through their mobile phone enabling dynamic optimization of stress asset visits.

5.4 Comprehensive NPA Recovery Strategy

Our multifaceted approach to non-performing asset (NPA) recovery includes the following measures:

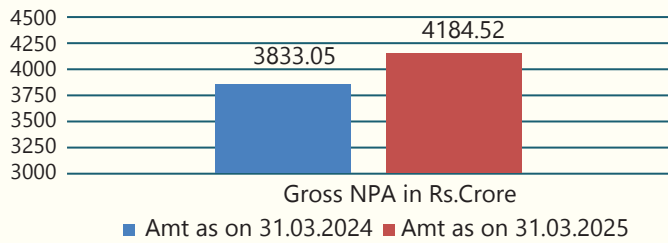
- I. **Dedicated Recovery Teams:** Establishing Asset Recovery Cells (ARC) at all Zonal offices and 13 dedicated Asset Recovery Branches (ARB) to focus on large NPAs, particularly those which are involved in legal proceedings.
- II. **Specialized Stressed Asset Management (SAM):** 4 SAM branches has been established for, managing accounts with outstanding balances exceeding ₹5 crore.
- III. **End-to-End Credit Monitoring:** Bank is developing an AI/ML-based platform for improved collections, reduced processing time, and enhanced customer experience. This platform will leverage customer behavior and historical data to predict potential issues and enable proactive intervention.
- IV. **AI-Powered Communication:** An AI-based Interactive Voice Assistant solution has been developed for outbound calls to customers with stressed accounts and for our contact center. This AI-powered solution communicates with customers in their preferred language, promoting better communication and understanding.



- V. सक्रिय ऋण ट्रैकिंग:** समय पर वसूली और एनपीए उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए दबावग्रस्त खातों का फोन पर दैनिक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु ऋण ट्रैकिंग सेल का संचालन करना।
- VI. इरादतन ऋण न चुकाने वालों की पहचान:** मुख्यालय प्रकोष्ठ इरादतन ऋण न चुकाने वालों की पहचान करते हैं और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफआईएसआई) अधिनियमों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं।
- VII. एकमुश्त निपटान योजनाएं:** बैंक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं हेतु ऋण समाधान की सुविधा के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी विशेष रूप से डिजाइन की गई एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजनाएं प्रदान करता है।
- VIII. ई-ओटीएस:** डिजिटल समाधान को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने सुव्यवस्थित, कुशल और बाधा रहित निपटान प्रक्रिया के लिए डिजिटल ओटीएस प्लेटफॉर्म (ई-ओटीएस) लॉन्च किया।
- IX. ऋण वसूली के प्रयास:** बैंक भेंट, अधिसूचनाओं, कानूनी कार्यवाही, वसूली शिविरों, लोक अदालतों (लोगों की अदालतों), महाबैंक अदालतों (बैंक-विशिष्ट अदालतों) और सरफेसी/डीआरटी अधिनियमों के अंतर्गत समय पर कार्रवाई के माध्यम से ऋण वसूली में सक्रिय रूप से शामिल है। बैंक वसूली में तेजी लाने के लिए वसूली एजेंटों और समाधान एजेंटों की सेवाओं का भी लाभ उठा रहा है।
- X. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का उपयोग:** बैंक ने बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के खिलाफ आईबीसी के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की है। इसमें उधारकर्ताओं के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) और गारंटर्स के खिलाफ वैयक्तिक दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीआईआरपी) शामिल है, जिससे ऋण वसूली के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।
- XI. रणनीतिक एनपीए बिक्री:** अपनी बैलेंस शीट को सुव्यवस्थित करने और मुख्य उधार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, वसूली में कठिन एनपीए को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) को बेचना।
- V. Active Loan Tracking:** Operating a Loan Tracking Cell for daily follow-ups over phone on stressed accounts to ensure timely recovery and NPA upgrades.
- VI. Wilful Defaulter Identification:** Bank has also set up separate Cells at its Head Office for identification of Wilful Defaulters.
- VII. One-Time Settlement Schemes:** Bank offers fair and transparent specially designed One-Time Settlement (OTS) schemes to facilitate debt resolution for eligible borrowers under various categories.
- VIII.e-OTS:** Adding fillip to digital resolution Bank launched a digital OTS platform (e-OTS) for a streamlined, efficient and hassle-free settlement process.
- IX. Debt Recovery Efforts:** Bank actively engages in debt recovery through visits, notifications, legal proceedings, Recovery Camps, Lok Adalats (people's courts), Mahabank Adalats (Bank-specific courts), and timely actions under SARFAESI/DRT Acts. Bank is also leveraging utilize the services of Recovery Agents and Resolution Agents to expedite recoveries.
- X. Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) Utilization:** Bank has initiated proceedings under the IBC against large NPA borrowers. This includes Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) against borrowers and Personal Insolvency Resolution Process (PIRP) against guarantors, ensuring a comprehensive approach to debt recovery.
- XI. Strategic NPA Sales:** Selling difficult-to-recover NPAs to Asset Reconstruction Companies (ARCs) and the National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) to streamline our balance sheet and focus on core lending activities



5.5 गैर-निष्पादित आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:



चित्र 1: वित्तीय वर्ष 2024 और वित्तीय वर्ष 2025 की सकल एनपीए राशि की तुलना

5.5 Position of Non-Performing Assets is as under:

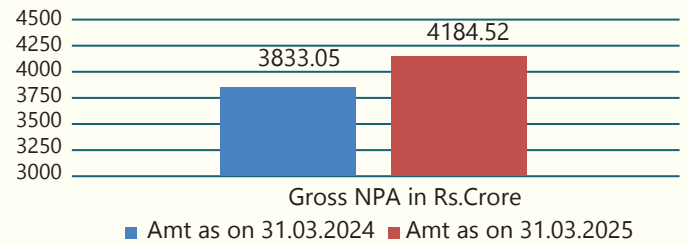
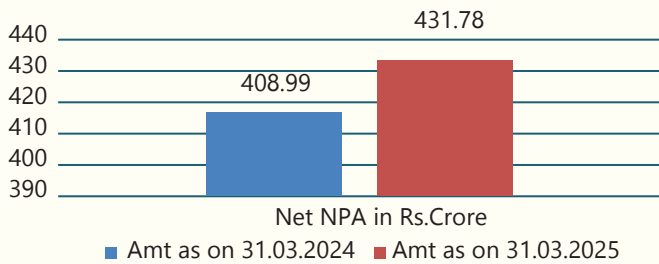


Figure 1: Comparison of Gross NPA amount of FY 2024 and FY 2025



चित्र 2: वित्तीय वर्ष 2024 और वित्तीय वर्ष 2025 की निवल एनपीए राशि की तुलना

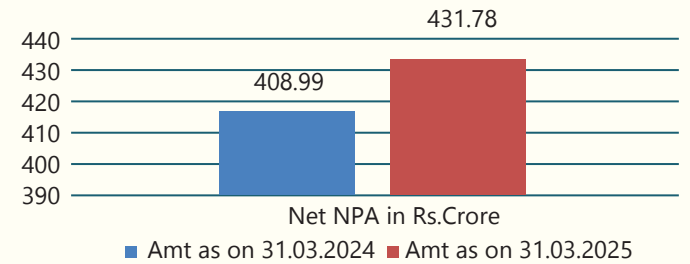
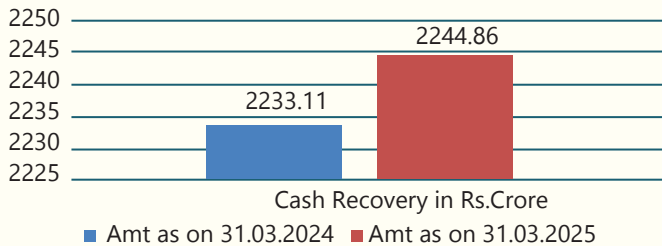


Figure 2: Comparison of Net NPA amount of FY 2024 and FY 2025



चित्र 3: वित्तीय वर्ष 2024 और वित्तीय वर्ष 2025 की नकद वसूली राशि की तुलना

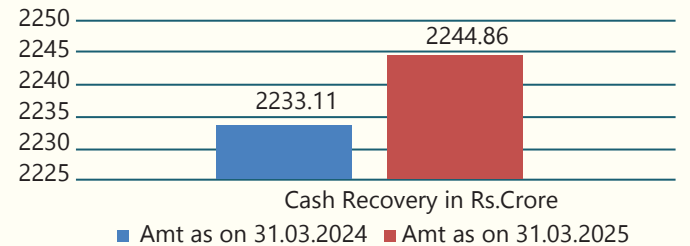
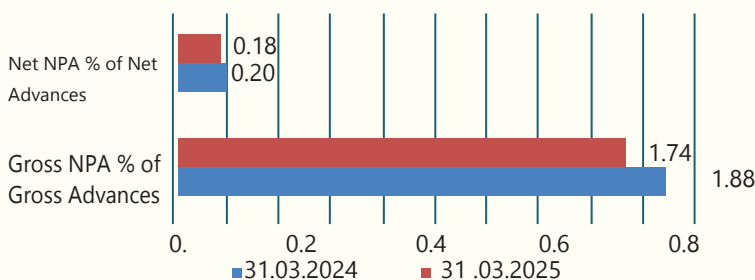


Figure 3: Comparison of Cash Recovery amount of FY 2024 and FY 2025



चित्र 4: वित्तीय वर्ष 2024 और वित्तीय वर्ष 2025 के सकल एनपीए प्रतिशत और निवल एनपीए प्रतिशत की तुलना

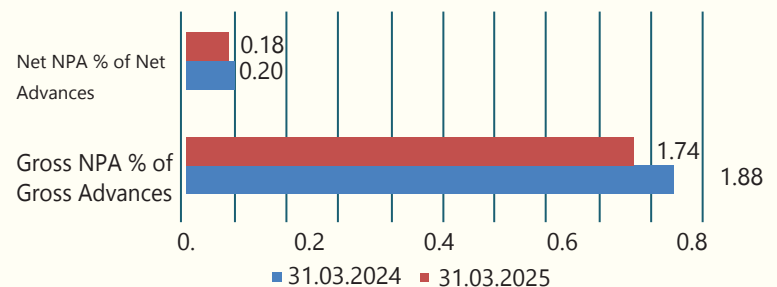


Figure 4: Comparison of Gross NPA Percentage and Net NPA percentage of FY 2024 and FY 2025



6

बैंक के विदेशी मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देना

विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बैंक पूरे भारत में रणनीतिक रूप से स्थित ख श्रेणी शाखाओं का एक मजबूत नेटवर्क संचालित करता है। ये शाखाएँ विदेशी मुद्रा समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं, जो व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए समान रूप से निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सुनिश्चित करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की मुख्य विशेषताएँ:

- I. **कुल टर्नओवर:** बैंक ने विदेशी मुद्रा लेनदेन में ₹7,28,078 करोड़ का उल्लेखनीय कुल कारोबार हासिल किया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा सेवाओं की बढ़ती मांग को रेखांकित करता है।
- II. **व्यापारी व्यवसाय विस्तार:** वर्ष के दौरान व्यापारिक कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ₹41,325 करोड़ का कारोबार हुआ। यह वैश्विक व्यापार में लगे व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- III. **लाभप्रदता:** विदेशी मुद्रा प्रभाग ने ₹64 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिससे बैंक के समग्र वित्तीय प्रदर्शन को और मजबूती मिली।

7

रणनीतिक निवेश: वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना

बैंक एक अच्छी तरह से विविध निवेश पोर्टफोलियो को बनाए रखता है, जो सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, जबकि रणनीतिक रूप से गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में विस्तार करता है।

7.1 निवेश पोर्टफोलियो का विवरण (31 मार्च 2025 तक):

I. सकल निवेश: ₹82,342 करोड़

- क. ₹66,638 करोड़ (एसएलआर प्रतिभूतियाँ): ऐसे निवेश जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्य तरलता आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
- ख. ₹15,704 करोड़ (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ): एसएलआर आवश्यकता से परे किए गए निवेश, जो अधिक लचीलापन और उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं।
- ग. अधिशेष एसएलआर प्रतिभूतियाँ: ₹16,500 करोड़: यह अधिशेष बैंक की मजबूत तरलता स्थिति को दर्शाता है।

II. निवल निवेश: 31 मार्च 2025 तक ₹82,005 करोड़ (प्रावधानों के बाद निवल)।

6

Augmenting Bank's Foreign Exchange Business

To meet the rising demand for foreign exchange services, the Bank operates a robust network of 50 strategically positioned Category B branches across India. These branches provide a wide range of foreign exchange solutions, ensuring seamless international transactions for individuals and businesses alike.

Highlights for FY 2024-25:

- I. **Total Turnover:** The Bank achieved a remarkable total turnover of ₹7,28,078 crore in foreign exchange transactions, underscoring the growing demand for international trade and travel services.
- II. **Merchant Business Expansion:** A significant increase in merchant business was recorded, generating ₹41,325 crore during the year. This reflects the Bank's dedication to empowering businesses engaged in global trade.
- III. **Profitability:** The foreign exchange division earned a profit of ₹64 crore, contributing to the Bank's overall financial performance.

7

Strategic Investing: Securing Financial Stability

The Bank upholds a well-diversified investment portfolio, ensuring compliance with Statutory Liquidity Ratio (SLR) regulations while strategically expanding into non-SLR securities.

7.1 Investment Portfolio Breakdown (as of March 31, 2025):

I. Gross Investments: ₹82,342 Crore

- a. ₹66,638 Crore (SLR Securities): Investments that comply with the mandatory liquidity requirements set by the Reserve Bank of India.
- b. ₹15,704 Crore (Non-SLR Securities): Investments made beyond the SLR requirement, offering greater flexibility and potential for higher returns.
- c. Surplus SLR Securities: ₹16,500 Crore: This surplus demonstrates the Bank's strong liquidity position.

II. Net Investments: ₹82,005 Crore (net of provisions) as of March 31, 2025.



III. निवेश पोर्टफोलियो संरचना:

- क. 63.07% परिपक्वता तक धारित (एचटीएम): परिपक्वता तक धारित किये जाने वाले निवेश, जो आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं।
- ख. 36.55% बिक्री हेतु उपलब्ध (एफएस) तथा लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य: ऐसे निवेश जिन्हें अतिरिक्त आय उत्पन्न करने और पोर्टफोलियो जोखिम का प्रबंधन करने के लिए सक्रिय रूप से खरीदा और बेचा जा सकता है।

7.2 वित्तीय प्रदर्शन:

- क. **राजकोषीय लाभ वृद्धि:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹250.21 करोड़ से 13.23% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹283.31 करोड़ हो गया, जो हमारी निवेश रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- ख. **निवल ब्याज आय वृद्धि:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹4,461 करोड़ से 20.17% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹5360 करोड़ हो गया, जो बैंक की अपने निवेश पोर्टफोलियो से लगातार रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है।

III. Investment Portfolio Composition:

- a. 63.07% Held-to-Maturity (HTM): Investments intended to be held until maturity, providing a stable source of income.
- b. 36.55% Available-for-Sale (AFS) & Fair Value Through Profit & Loss: Investments that can be actively bought and sold to generate additional income and manage portfolio risk.

7.2 Financial Performance:

- a. **Treasury Profit Growth:** Increased by 13.23% from ₹250.21 Crore in FY 2023-24 to ₹283.31 Crore in FY 2024-25, demonstrating the effectiveness of our investment strategies.
- b. **Net Interest Income Growth:** Increased by 20.17% from ₹4,461 Crore in FY 2023-24 to ₹5360 Crore in FY 2024-25, highlighting the Bank's ability to generate consistent returns from its investment portfolio

(राशि आईएनआर करोड़ में)/(Amount in INR Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वि.व. 2024-25 FY 2024-25	% परिवर्तन % Change
राजकोषीय लाभ Treasury Profit	250.21	283.31	+ 13.23
निवेश पर ब्याज (निवल) Interest on Investment (Net)	4460.76	5360.43	+ 20.17

8

मर्चेन्ट बैंकिंग

वर्ष के दौरान, बैंक ने जारीकर्ता एवं भुगतान एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए ₹67,700 करोड़ मूल्य के वाणिज्यिक पत्रों के 29 निर्गमों का संचालन किया।

8

Merchant Banking

During the year, Bank handled 29 issues of Commercial Papers amounting to ₹67,700 crore for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA).

9

उधारी

31 मार्च, 2025 को बैंक की उधारी ₹23853 करोड़ थी, जिसमें निम्नानुसार पुनर्वित्त शामिल है:

9

Borrowings

The borrowing of the Bank as on March 31, 2025 stood at Rs. 23853 Crore including re-finance as under:

विवरण Particulars	31.03.2025 को राशि Amount as on 31.03.2025	31.03.2024 को राशि Amount as on 31.03.2024
कुल उधारियां Total Borrowing	23853	7,719
जिनमें से एलएएफ के अंतर्गत भारिबैं उधारियां of which Borrowing RBI under LAF	0.00	500.00
जिनमें से बाजार उधारियां रेपो of which Borrowing Market REPO	0.00	0.00
जिनमें से टीआरईपीएस उधारियां (जी-सेक) Of which Borrowing TRePS (G-Sec)	0.00	3997.76
जिसमें से नाबार्ड से Of which Refinance from NABARD	3425	0.00
एक्विम बैंक EXIM BANK	0.00	0.00
एनएचबी NHB	0.00	0.00



विवरण Particulars	31.03.2025 को राशि Amount as on 31.03.2025	31.03.2024 को राशि Amount as on 31.03.2024
सिडबी SIDBI	11928	1959
Mudra मुद्रा	69	152
जिनमें से बॉण्ड्स और डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां Borrowings in the form of Bonds & debentures capital instruments	8431	5608
भारत से बाहर उधारियां Borrowings outside India	-	-
अन्य Others	0.00	0.05

10

डिपॉजिटरी सेवाएं

- बैंक सितम्बर 1999 से सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) का डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) है।
- बैंक ने बेसिक सर्विसेज डीमैट खाता सुविधा भी शुरू की है।
- बैंक ने नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से एसबीआई की शुरुआत की है।

10

Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank has been providing Services DEMAT Account Facility.
- Bank has introduced ASBA through net banking and UPI.

11

बैंकश्योरेंस

- व्यापक बीमा प्रस्ताव:** बैंक जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा सहित बैंकश्योरेंस उत्पादों के व्यापक चयन के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है। हम ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विविध प्रकार के बीमा समाधान 8 बीमा कम्पनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से, प्रत्येक खंड में, प्रदान करते हैं।
- डिजिटल अनुभव को बढ़ाना:** निर्बाध डिजिटल यात्रा प्रदान करने के लिए समर्पित, बैंक ने एक प्रमुख फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर एक निर्बाध डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म बनाया है। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को बैंक के डिजिटल चैनलों के माध्यम से बीमा उत्पादों को आसानी से तलाशने, तुलना करने और खरीदने में सक्षम बनाता है।

11

Bancassurance

- Comprehensive Insurance Offerings:** The Bank serves as a corporate agent for an extensive selection of bancassurance products, encompassing Life, General, and Health Insurance. Through strategic partnerships with 8 insurance companies, we provide customers with a diverse range of insurance solutions tailored to their unique needs.
- Enhancing Digital Experience:** Dedicated to delivering a seamless digital journey, the Bank has collaborated with a prominent Fintech company to create an intuitive digital insurance platform. This platform enables customers to effortlessly explore, compare, and purchase insurance products through the Bank's digital channels.



वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यनिष्पादन
Performance during FY 2024-25

बीमा Insurance	पॉलिसियों की संख्या No of Policies	प्रीमियम करोड़ में Premium in Cr.	कमीशन करोड़ में Commission in Cr.
जीवन Life	18021	135	33
सामान्य General	269321	67	10
स्वास्थ्य Health	41604	60	8
कुल Total	328946	261	51

12

सरकारी व्यवसाय

12.1 सुविधाजनक डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ

बैंक मेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, जो 869 शाखाओं के माध्यम से 1,000 शहरों में रिटेल ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है। इन सेवाओं में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह की सहायता शामिल हैः

- वित्तीय सेवाएँ:** नकद निकासी और धन हस्तांतरण।
- गैर-वित्तीय सेवाएँ:**

- डिलीवरी सेवाएँ: खाता विवरण, टीडीएस प्रमाणपत्र/फॉर्म 16
- पिकअप सेवाएँ: चेक/डीडी, फॉर्म 15जी/15एच, स्थायी निर्देश, चेक बुक मांग पर्ची, चेक के साथ जीएसटी चालान और नामांकन फॉर्म एकत्र करना इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी अपने घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

12.2 कुशल कर संग्रह

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने 7,24,062 प्रत्यक्ष कर चालान और 3,31,786 अप्रत्यक्ष कर चालान एकत्र किए, जिससे कुल ₹2.12 करोड़ का कमीशन अर्जित हुआ।

12.3 व्यापक पेंशन सेवाएँ

बैंक पुणे में वरिष्ठ नागरिकों की समर्पित सेवा करते हुए, अपने केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेल (CPPC) के माध्यम से केंद्र सरकार, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए मासिक पेंशन संसाधित करता है और जमा करता है। इस सेवा से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹5.15 करोड़ का सरकारी व्यवसाय कमीशन उत्पन्न हुआ।

12

Government Business

12.1 Convenient Doorstep Banking Services

The Bank offers Doorstep Banking Services through M/s PSB Alliance Pvt. Ltd., catering to retail customers across 1,000 cities via 869 branches. These services encompass both financial and non-financial assistance:

- Financial Services:** Cash withdrawal and fund transfer.
- Non-Financial Services:**

- Delivery Services: Account statements, TDS certificates/Form 16.
- Pickup Services: Collection of cheques/DD, Form 15G/15H, standing instructions, cheque book requisition slips, GST challans with cheques, and nomination forms. Additionally, pensioners can submit digital life certificates from the comfort of their homes

12.2 Efficient Tax Collection

In FY 2024-25, the Bank collected 7,24,062 challans of Direct Taxes and 3,31,786 challans of Indirect Taxes, earning a total commission of Rs 2.12 crore.

12.3 Comprehensive Pension Services

Serving senior citizens with dedication, the Bank processes and credits monthly pensions for Central Government, Defense, Railway, and Telecom pensioners through its Central Pension Processing Cell (CPPC) in Pune. This service generated a Government Business commission of Rs 5.15 crore for FY 2024-25.



12.4 लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत अनेक खाते खोले:

- I. 1,47,477 नये पीपीएफ खाते खोले गये।
- II. 16,988 नए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाते खोले गए।
- III. 10,881 नए सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गये।
- IV. 8,804 नये महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना खाते खोले गये।

वर्ष के दौरान बैंक को इन योजनाओं से ₹6.73 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।

12.4 Promoting Small Savings Schemes

The Bank opened numerous accounts under various small savings schemes during FY 2024-25:

- I. 1,47,477 new PPF accounts.
- II. 16,988 new Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) accounts.
- III. 10,881 new Sukanya Samriddhi Scheme accounts.
- IV. 8,804 new Mahila Samman Savings Certificate Scheme accounts.

The Bank earned a commission of Rs 6.73 crore from these schemes during the year.

13

लीड बैंक योजना

13.1 लीड बैंक की जिम्मेदारी

हम सात जिलों में लीड बैंक की जिम्मेदारी संभालते हैं: छत्रपति संभाजी नगर, जालना, नासिक, पालघर, पुणे, सतारा और ठाणे। इन जिलों के लीड जिला प्रबंधक अन्य बैंकों और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर जिला ऋण योजना (डीसीपी) तैयार करते हैं और उसे लागू करते हैं। ये योजनाएं प्रत्येक जिले के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्षित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती हैं।

13

Lead Bank Scheme

13.1 Lead Bank Responsibility

We hold Lead Bank responsibility in seven districts: Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Nashik, Palghar, Pune, Satara, and Thane. The Lead District Managers of these districts work collaboratively with other banks and district authorities to prepare and implement District Credit Plans (DCPs) annually. These plans ensure targeted financial support for various sectors within each district.

13.2 राज्य स्तरीय समन्वय:

- I. **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक:** महाराष्ट्र के लिए एसएलबीसी के संयोजक के रूप में, बैंक राज्य भर में वित्तीय पहलों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- II. **राज्य वार्षिक ऋण योजना:** हमारे नेतृत्व में, एसएलबीसी विभिन्न हितधारकों, जिसमें प्रमुख जिला प्रबंधक, सदस्य बैंक, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक शामिल हैं, के परामर्श से वार्षिक ऋण योजना तैयार करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र योजना, जिसका मूल्य ₹7,25,190 करोड़ है, देश में सबसे अधिक ऋण योजनाओं में से एक है, जो महाराष्ट्र में वित्तीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- III. **नियमित समीक्षा और बैठकें:** एसएलबीसी राज्य वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की निगरानी करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण देने को प्राथमिकता देने और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए तिमाही बैठकें आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, एसएलबीसी सदस्य बैंकों, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और आरबीआई और नाबार्ड जैसी केंद्रीय संस्थाओं के बीच संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- IV. **सरकारी पहलों का समर्थन:** एसएलबीसी सदस्य बैंकों के माध्यम से प्रमुख कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आबादी के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना है, जिनमें शामिल हैं:

13.2 State-Level Coordination:

- I. **State Level Bankers' Committee (SLBC) Convener:** As the convener of the SLBC for Maharashtra, the Bank plays a central role in coordinating financial initiatives across the state.
- II. **State Annual Credit Plan:** Under our leadership, the SLBC prepares the annual credit plan in consultation with various stakeholders, including Lead District Managers, Member Banks, NABARD, and the Reserve Bank of India. The Priority Sector Plan for FY 2024-25, valued at ₹7,25,190 crore, ranks as one of the highest credit plans in the country, underscoring our commitment to fostering financial growth in Maharashtra.
- III. **Regular Reviews and Meetings:** The SLBC convenes quarterly meetings to monitor progress on the State Annual Credit Plan, prioritize lending to critical sectors, and oversee the implementation of government-sponsored schemes. Additionally, the SLBC facilitates communication and collaboration between Member Banks, Central & State Government agencies, and central institutions like RBI and NABARD.
- IV. **Supporting Government Initiatives:** The SLBC works closely with various government departments to ensure the successful implementation of key programs through member banks. These programs aim to empower different segments of the population, including:



- क. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को समर्थन: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन तथा पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए केसीसी संतृप्ति जैसी पहल।
- ख. छोटे उद्यमियों हेतु सहायता: स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि, स्वनिधि से समृद्धि तथा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजनाओं का कार्यान्वयन।
- ग. लक्षित हस्तक्षेप: आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (टीएफआईआईपी) को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ समन्वय करना।
- घ. मिशन उत्कर्ष कार्यक्रम: देश के 10 नामित आकांक्षी जिलों में से एक नंदुरबार जिले में वित्तीय समावेशन और विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- a. Supporting Agriculture and Allied Sectors: Initiatives such as KCC Saturation for Animal Husbandry, Dairy & Fisheries, and PM-Kisan beneficiaries.
- b. Support for Small Entrepreneurs: Implementation of PMSVANidhi, Svanidhi se Samruddhi for street vendors, and PM Vishwakarma schemes for traditional artisans and craftspeople.
- c. Targeted Interventions: Coordination with NITI Aayog to implement the Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) in aspirational districts and blocks.
- d. Mission Utkarsh Programme: Focus on fostering financial inclusion and development in Nandurbar district, one of the 10 designated aspirational districts in the country.

13.3 वित्तीय समावेशन के माध्यम से सभी के लिए औपचारिक बैंकिंग के द्वार खोलना:

- एसएलबीसी संयोजक के रूप में, बैंक ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31 मार्च, 2025 तक, राज्य में 3.64 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोले जा चुके हैं, जो पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

13.3 Opening Doors of Formal Banking to Everyone through Financial Inclusion:

- As the SLBC convener, the Bank has been instrumental in driving the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in Maharashtra. As of March 31, 2025, over 3.64 crore PMJDY accounts have been opened in the state, providing essential banking services to a previously unbanked population.

14

सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थान:

14.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन (महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक)

I. प्रदर्शन के प्रमुख बिन्दु

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी), बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जो पूरे महाराष्ट्र में ग्रामीण समुदायों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उनके प्रदर्शन पर एक नज़र डालें:

14

Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions:

14.1 Performance of Regional Rural Banks (Maharashtra Gramin Bank)

I. Performance Highlights

Maharashtra Gramin Bank (MGB), a regional rural bank sponsored by the Bank of Maharashtra, plays a pivotal role in bringing financial services to rural communities across Maharashtra. Here's a look at their performance for FY 2024-25:



क्र. S.N.	कार्य निष्पादन मानदंड Percentage of total O/s	31/03/2024 तक वास्तविक उपलब्धि Actual as on 31/03/2024	31/03/2025 डीवीपी/एमओयू लक्ष्य DVP/MoU Target 31/03/2025	31/03/2025 तक वास्तविक उपलब्धि Actual as on 31/03/2025	% प्राप्त % Achieved	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि(%) Y-o-Y Growth (%)
1	कुल जमा Total Deposits	17037	18200	19749	108.51	15.92
2	कासा जमा CASA deposits	9525	9600	10777	112.26	13.15
3	कासा जमा का प्रतिशत % of CASA Deposits	56	53	55	103.45	-2.40
4	कुल अग्रिम Total Advances	11414	13500	11866	87.90	3.97
5	कुल व्यवसाय Total Business	28450	31700	31615	99.73	11.12
6	ब्याज आय Interest Income	1291	1440	1423	98.80	10.23
7	गैर-ब्याज आय Non-Interest Income	200	220	270	122.89	35
8	परिचालन लाभ Operating Profit	213	230	246	107.14	15.49
9	राइट ऑफ में वसूली Recovery in Write Off	3	5	4	81.80	33.33

II. शाखा नेटवर्क विस्तार:

- 31 मार्च 2025 तक, एमजीबी के पास महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 17 जिलों में 427 शाखाओं का नेटवर्क है।
- बेहतर कार्यकुशलता के लिए सभी शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय अब कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के अंतर्गत हैं।

III. वित्तीय प्रदर्शन:

- एमजीबी ने 54.57% के स्वस्थ कासा (चालू और बचत खाता) अनुपात के साथ ₹19749 करोड़ का कुल जमा स्तर हासिल किया।
- बैंक का कुल कारोबार वर्ष-दर-वर्ष 11.12% बढ़कर ₹31615 करोड़ तक पहुंच गया।
- एमजीबी ने वित्तीय स्थिरता दर्शाते हुए ₹246 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया।

IV. सरकारी पहलों का समर्थन:

- एमजीबी प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी सरकारी योजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, उन्होंने 2.30 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले, जिससे 31 मार्च, 2025 तक कुल खातों की संख्या 29.57 लाख हो गई। इसके अतिरिक्त, पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 11.42 लाख डेबिट कार्ड जारी किए गए।
- बैंक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें पीएमजेबीवाई (जीवन बीमा) के अंतर्गत 8.73 लाख ग्राहक, पीएमएसबीवाई (दुर्घटना बीमा) के अंतर्गत 24.27 लाख ग्राहक तथा एपीवाई (पेंशन योजना) के अंतर्गत 2.95 लाख ग्राहक शामिल हैं।
- एमजीबी सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए पीएमएमवाई (माइक्रो यूनिट्स मुद्रा योजना) योजना का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।

II. Branch Network Expansion:

- As of March 31, 2025, MGB has a network of 427 branches covering 17 out of 36 districts in Maharashtra.
- All branches and controlling offices are now under Core Banking Solution (CBS) for enhanced efficiency.

III. Financial Performance:

- MGB achieved a total deposit level of ₹19749 Crore, with a healthy CASA (Current and Savings Account) ratio of 54.57%.
- The bank's total business grew by 11.12% year-on-year to reach ₹31615 Crore.
- MGB generated an operating profit of ₹246 Crore, demonstrating financial stability.

IV. Supporting Government Initiatives:

- MGB actively promotes government schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). During FY 2024-25, they opened 2.30 lakh PMJDY accounts, bringing the total to 29.57 lakh accounts as of March 31, 2025. Additionally, 11.42 lakh debit cards were issued to PMJDY account holders.
- The bank plays a key role in social security schemes, covering 8.73 lakh customers under PMJJBY (life insurance), 24.27 lakh under PMSBY (accident insurance), and 2.95 lakh under APY (pension scheme).
- MGB actively supports the PMMY (Micro Units Mudra Yojana) scheme, empowering micro-entrepreneurs.



V. शाखा नेटवर्क विस्तार:

एमजीबी ने सभी डेटा सेंटर अर्थात डेटा सेंटर (डीसी) डिजास्टर रिकवरी (डीआर) और डिजास्टर रिकवरी के निकट यानी एनडीआर से विरासत क्षेत्र पुणे और हैदराबाद डेटा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया है।

- क. नेट-आधारित सीबीएस की विरासत से आधुनिक जावा-आधारित सीबीएस में सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया।
- ख. एमजीबी ने जन सुरक्षा पोर्टल को सफलतापूर्वक एकीकृत और लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के डिजिटलीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें नामांकन से लेकर दावा प्रोसेसिंग और निपटान तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है।
- ग. एमजीबी ने ऋण आवेदन की स्वचालित प्रक्रिया के लिए ऋण उद्गम प्रणाली (लोटस) शुरू की है। यह स्वीकृति पत्र और मूल्यांकन नोट का कार्यान्वयन स्वचालित रूप से उत्पन्न करता है। लोटस अब कार ऋण, जीएसटी एमएसएमई योजना, आवास ऋण और वैयक्तिक ऋण के लिए उपलब्ध है।
- घ. एमजीबी ने एसएमए और एनपीए मॉनिटरिंग के लिए समर्पित टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट (स्पेशल मेंशन अकाउंट्स एंड एनपीए रिकवरी टूल), जो एसएमए और एनपीए अकाउंट्स की निगरानी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बैंक ने स्मार्ट पोर्टल का मोबाइल वर्जन भी लॉन्च किया है। एमजीबी ने निर्बाध डिजिटल लेनदेन के लिए भारत ई-कॉमर्स पेमेंट गेटवे को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- ङ. एमजीबी ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है।
- छ. एमजीबी ने खाताधारकों के लिए यूपीआई आधारित स्कैन साउंड बॉक्स सेवा शुरू की है। साउंड बॉक्स सेवा ग्राहकों को ऑडियो संदेशों के माध्यम से अपने खातों के बारे में वास्तविक समय के लेनदेन अपडेट और सूचनाएं प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे बैंकिंग अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाती है।
- ज. एमजीबी ने एनपीसीआई की मदद से यूपीआई लाइट की सेवाएं शुरू की हैं जिससे छोटे टोकन लेनदेन की सेवाओं में वृद्धि हुई है।
- झ. एमजीबी एटीएम कार्ड के बजाय आधार पर आधारित यूपीआई आईडी बनाने की प्रक्रिया को लागू करने वाले पहले आरआरबी में से एक है।
- ञ. एमजीबी ने 10 वर्ष से अधिक अवधि के दावा न किए गए जमा को जमा करने की प्रणाली-जनरेटेड प्रक्रिया को मुख्यालय स्तर पर केंद्रीकृत कर दिया है, तथा बैंक ने प्रणाली के माध्यम से डीईएफ दावों की निगरानी और प्रोसेसिंग हेतु आंतरिक डीईएफ पोर्टल भी विकसित किया है।

V. Technological Advancements:

MGB has shifted all the Data Centres i.e. Data Centres (DC), Disaster Recovery (DR) and Near Disaster Recovery i.e. NDR from legacy area to the state of art data centers in Pune and Hyderabad.

- a. Successfully migrated from the legacy .NET-based CBS to a modern Java-based CBS.
- b. MGB has successfully integrated and launched the Jan Suraksha Portal. This portal facilitates the digitization of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), covering the entire process from enrolment to claim processing and settlement.
- c. MGB has launched Loan Originating System (LOTUS) for automatic processing of loan application. It auto generates implementation of the sanction letter and appraisal note. LOTUS is now available for Car Loan, GST MSME Scheme. Housing Loan & Personal Loan.
- d. MGB has launched the dedicated tool for SMA and NPA Monitoring named SMAART (Special Mention Accounts and NPA Recovery Tool), which is one stop solution for monitoring of SMA and NPA Accounts. Bank has also launched the mobile version of SMAART portal.
- e. MGB has successfully implemented Bharat E-commerce Payment Gateway for seamless digital transactions.
- f. MGB has introduced Video KYC facility for saving account opening.
- g. MGB has introduced UPI based scanned sound box service for account holders. The sound box service allows customers to receive real-time transaction updates and notifications regarding their accounts through audio messages, making banking more accessible and user-friendly.
- h. MGB has introduced the services of UPI LITE with the help of NPCI which has increased the services of small token transaction.
- i. MGB is one of the first RRBs to implement generation of UPI IDs based on Aadhaar instead of ATM cards.
- j. MGB has centralized the system generated process of deposit of unclaimed deposit for more than 10 year at Head office level and also bank has developed in-house DEAF portal for monitoring and processing of DEAF claims through system.



VI. डोर-स्टेप बैंकिंग:

क. एमजीबी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1,256 बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (बीसी) के नेटवर्क का लाभ उठाता है।

VII. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का समामेलन।

भारत सरकार (जीओआई) के अनुसार राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 7 अप्रैल 2025 के अंतर्गत 1 मई 2025 से 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरआरबी के एकीकरण के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में क्रमशः बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन प्रक्रियाधीन है, जिसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक कहा जाएगा और इसका प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रायोजन के अंतर्गत छत्रपति संभाजीनगर में होगा।

VIII. मार्डिफ की उपलब्धियां:

क. महाबैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एमआरएसईटीआई): ये संस्थान स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित प्रतिभागियों द्वारा शुरू किए गए नए व्यवसाय उद्यमों हेतु नियोजन दर 73.08% है। मात्र 2024-25 में ही 8600 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 3425 प्रशिक्षुओं ने अपने व्यवसायों के लिए ऋण लिंकेज हासिल किए।

ख. वित्तीय समावेशन: एमआरएसईटीआई सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और बचत खाते खोलने तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में अंतिम व्यक्ति तक नामांकन की सुविधा प्रदान करके वित्तीय समावेशन और साक्षरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

IX. मेटको का कार्य-निष्पादन

क. महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी (मेटको) के साथ आपकी विरासत की सुरक्षा करना: पीढ़ियों से एक विश्वसनीय भागीदार

महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी (मेटको), बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो 79 वर्षों से अधिक समय से एक विश्वसनीय संस्था रही है। 1946 में स्थापित, मेटको आपकी संपत्तियों का प्रबंधन करने और आपकी इच्छाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है।

VI. Door-Step Banking:

a. MGB leverages a network of 1,256 Business Correspondents (BCs) to provide convenient doorstep banking services to customers in rural areas.

VII. Amalgamation of Vidarbha Konkan Gramin Bank and Maharashtra Gramin bank.

The Government of India (GoI) vide Gazette Notification CG-DL-E-07042025-262329 dated 7th April 2025 has notified the implementation of amalgamation of RRBs in 11 States/UTs from 1st May 2025.

Maharashtra Gramin Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank sponsored by Bank of Maharashtra and Bank of India respectively in the State of Maharashtra are in process of amalgamation into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Maharashtra Gramin Bank having its head office at Chhatrapati Sambhajinagar under the sponsorship of Bank of Maharashtra.

VII. MARDEF's Achievements:

a. **Mahabank Rural Self Employment Training Institutes (MRSETIs):** These institutes train individual youth for self-employment, with a settlement rate of 73.08% for new business ventures initiated by trained participants. In 2024-25 alone 8600 individuals received training, and 3425 trainees secured credit linkages for their businesses.

b. **Financial Inclusion:** MRSETIs actively promote financial inclusion and literacy by raising awareness about government schemes and facilitating the opening of savings accounts and enrollment in social security programs to the last mile.

IX. Performance of METCO

a. **Safeguarding Your Legacy with Maharashtra Executor & Trustee Company (METCO): A Trusted Partner for Generations**

The Maharashtra Executor & Trustee Company (METCO), a wholly-owned subsidiary of the Bank of Maharashtra, has been a trusted institution for over 79 years. Established in 1946, METCO offers a comprehensive range of services to manage your assets and ensure your wishes are honored.



ख. मेटको द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएँ:

- वसीयत प्रबंधन सेवाएँ:** मेटको वसीयत का मसौदा तैयार करने, उसे सुरक्षित रखने और उसे निष्पादित करने में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करता है। एकजीक्यूटर के रूप में कार्य करते हुए, यह आपकी इच्छाओं के अनुसार संपत्ति की बिक्री या अंतरण सहित संपत्तियों के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करता है।
- ट्रस्ट निर्माण और प्रशासन:** मेटको निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के ट्रस्टों की स्थापना और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। एक प्रबंध ट्रस्टी के रूप में, यह ट्रस्ट प्रशासन के सभी पहलुओं का प्रबंधन करता है, जिसमें परिसंपत्ति प्रबंधन, विनियामक अनुपालन और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति शामिल है।
- पावर ऑफ अटॉर्नी:** मेटको आपके द्वारा नियुक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में कार्य कर सकता है, आपकी ओर से निवेशों और अचल संपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है। इन सेवाओं में संपत्ति का किराया, बिक्री और अंतरण शामिल हैं।
- संरक्षकता सेवाएँ:** अदालत द्वारा नियुक्त संरक्षकता के मामलों में, मेटको कानूनी अभिभावक की भूमिका निभाता है, नाबालिगों या विशेष ज़रूरतों वाले व्यक्तियों की संपत्तियों का प्रबंधन करता है।

ग. मेटको के बढ़ते पदचिह्न और योगदान:

- व्यापक पहुँच:** पुणे में मुख्यालय वाला मेटको पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में शाखाओं के माध्यम से काम करता है, जो पूरे महाराष्ट्र में ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं।
- ट्रस्ट प्रबंधन उत्कृष्टता:** वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, मेटको ने 1,030 से अधिक सार्वजनिक और निजी ट्रस्टों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया।
- व्यापक वसीयत निष्पादन:** मेटको ने वर्ष के दौरान 93 नई वसीयतें जोड़ीं, जिससे उनके निष्पादन पोर्टफोलियो के अंतर्गत कुल 754 वसीयतें हो गईं।
- पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से संपत्ति प्रबंधन:** मेटको पावर ऑफ अटॉर्नी समझौतों के अंतर्गत 46 ग्राहकों की चल और अचल संपत्तियों का प्रबंधन करता है।
- समर्पित संरक्षकता सेवाएँ:** मेटको अपने संरक्षकता उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में एक विशेष बच्चे की संपत्ति का प्रबंधन करता है।
- सामाजिक उत्तरदायित्व पहलें** 1,030 ट्रस्टों के प्रबंध ट्रस्टी के रूप में, मेटको शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, सांस्कृतिक प्रयासों, धार्मिक गतिविधियों और कलाओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, मेटको के ट्रस्टों ने 843 लाभार्थियों को रु.201 लाख दान किए, जिससे वंचित समुदायों को काफी लाभ हुआ।

घ. वित्तीय कार्यनिष्पादन:

मेटको ने सुदृढ़ वित्तीय प्रथाओं को जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, इसने रु.1.08 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया, जो सतत विकास और कुशल प्रबंधन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

b. Core Services offered by METCO:

- Will Management Services:** METCO provides expert assistance in drafting, safekeeping, and executing wills. Acting as an executor, they ensure the smooth distribution of assets, including the sale or transfer of property according to your wishes.
- Trust Creation and Administration:** METCO facilitates the establishment and management of both private and public trusts. As a managing trustee, they oversee all aspects of trust administration, including asset management, regulatory compliance, and the fulfillment of charitable objectives.
- Power of Attorney:** METCO can act as your appointed Power of Attorney, managing investments and immovable properties on your behalf. Their services cover property rentals, sales, and transfers.
- Guardianship Services:** In cases of court-appointed guardianship, METCO assumes the role of legal guardian, managing the properties of minors or individuals with special needs.

c. METCO's Expanding Footprint and Contributions:

- Extensive Reach:** Headquartered in Pune, METCO operates through branches in Pune, Mumbai, Thane, and Nagpur, serving clients across Maharashtra.
- Trust Management Excellence:** By FY 2024-25, METCO successfully managed over 1,030 public and private trusts.
- Comprehensive Will Execution** METCO added 93 new wills during the year, taking the total to 754 live wills under their execution portfolio.
- Asset Management Through Power of Attorney** METCO oversees movable and immovable properties for 46 clients under Power of Attorney agreements.
- Dedicated Guardianship Services** METCO manages the property of a special child as part of its guardianship responsibilities.
- Social Responsibility Initiatives** As a managing trustee of 1,030 trusts, METCO extends financial assistance to support education, medical care, cultural endeavors, religious activities, and the arts. In FY 2024-25, METCO's trusts donated Rs. 201 lakhs to 843 beneficiaries, significantly benefiting underserved communities.

d. Financial performance:

METCO continues to uphold sound financial practices. For FY 2024-25, it reported a net profit of Rs. 1.08 crore, showcasing its commitment to sustainable growth and efficient management.



15.1 पहुँच का विस्तार: बैंकिंग आउटलेट, एटीएम और पासबुक कियोस्क

हमारा बैंक लगातार अपने राष्ट्रीय पदचिह्नों का विस्तार कर रहा है तथा 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान कर रहा है। 31 मार्च, 2025 को, हमारा नेटवर्क 2,761 बैंकिंग आउटलेट तक बढ़ गया है, जो 31 मार्च, 2024 को 2,556 आउटलेट से उल्लेखनीय रूप से वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि देश भर में सुविधाजनक और सुलभ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के हमारे समर्पण को रेखांकित करती है।

क. हर ज़रूरत के लिए विविधतापूर्ण नेटवर्क:

हमारा मज़बूत नेटवर्क ग्राहकों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

- शाखाएँ (कुल 2603):** रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से व्यापक बैंकिंग सेवाएँ।
- डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (कुल 3):** अत्याधुनिक तकनीक जो सहज डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है।
- ग्राहक सेवा केंद्र (कुल 155):** बैंक मित्रों द्वारा संचालित, ये केंद्र आसानी से सुलभ स्थानों पर आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।

ख. रणनीतिक विस्तार: बैंकिंग को आपके और करीब लाना

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमारे नेटवर्क विस्तार ने रणनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित किया:

- नई शाखाएँ:** बैंक ने 120 नई शाखाएँ खोलकर अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार किया है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक समुदायों तक हमारी सेवाएँ पहुँच सकेंगी।
- उन्नत सीएसपी नेटवर्क:** नए ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) जोड़े गए और निरंतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 2 मौजूदा शाखाओं को सीएसपी में परिवर्तित किया गया। इन बदलावों के दौरान असुविधा को कम करने के भी प्रयास किए गए।

ग. विशिष्ट शाखाएँ: अनुकूलित वित्तीय समाधान

हमारे नेटवर्क में विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शाखाएँ शामिल हैं:

- विदेशी मुद्रा
- सरकारी व्यवसाय
- ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
- औद्योगिक/कॉर्पोरेट वित्त
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)
- हाई-टेक कृषि
- मध्यम कॉर्पोरेट
- आवास वित्त

15.1 Expanding Access: Banking Outlets, ATMs and Passbook Kiosks

Our Bank is steadily expanding its national footprint, serving customers across 28 states and 7 union territories. As of March 31, 2025, our network has grown to 2,761 banking outlets, a notable rise from 2,556 outlets as of March 31, 2024. This growth underscores our dedication to delivering convenient and accessible banking services nationwide.

A. Diverse Network for Every Need:

Our robust network is designed to meet a variety of customer requirements:

- Branches (2603 nos.):** Comprehensive banking services tailored to everyday needs.
- Digital Banking Units (3 nos.):** Cutting-edge technology delivering a seamless digital banking experience.
- Customer Service Points (155 nos.):** Operated by Bank Mitras, these points offer essential banking services in easily accessible locations.

B. Strategic Expansion: Bringing Banking Closer to You

During FY 2024-25, our network expansion focused on strategic initiatives:

- New Branches:** Bank has extended its branch network by opening 120 new branches, facilitating our services to more communities across diverse regions of the country.
- Enhanced CSP Network:** Added new Customer Service Points (CSPs) and converted 2 existing branches into CSPs to ensure continued accessibility. Efforts were made to minimize inconvenience during these transitions.

C. Specialized Branches: Tailored Financial Solutions

Our network includes specialized branches to address specific financial needs:

- Foreign Exchange
- Government Business
- Treasury and International Banking
- Industrial/Corporate Finance
- Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)
- Hi-tech Agriculture
- Mid Corporate
- Housing Finance



31.03.2024 की तुलना में 31.03.2025 को प्रकार के अनुसार बैंकिंग आउटलेट शाखाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

Banking Outlet type wise classification of branches as on 31.03.2025, vis-à-vis 31.03.2024 is as under:

31.03.2025 तक बैंकिंग आउटलेट विवरण		Banking Outlets Details As of 31.03.2025			
बैंकिंग आउटलेट का प्रकार Type of Banking Outlets	महानगरीय Metro	शहरी Urban	अर्ध-शहरी Semi-Urban	ग्रामीण Rural	कुल Total
Branch शाखा	643	577	770	613	2603
Digital Banking Unit डिजिटल बैंकिंग यूनिट	2	1	0	0	3
Customer Service Point ग्राहक सेवा केंद्र	0	0	2	153	155
Grand Total कुल योग	645	578	772	766	2761

15.2 एटीएम/ सीआरएम नेटवर्क

15.2 ATM / CRM Network

	एटीएम ATM			रिसाइकलर Recycler			कुल Total	पासबुक Passbook	एमएफके* MFK*
वर्ष Year	ऑनसाइट Onsite	ऑफसाइट offsite	कुल - क Total - A	ऑनसाइट Onsite	ऑफसाइट Offsite	कुल - ख Total-B	क + ख A + B	ऑनसाइट Onsite	ऑनसाइट Onsite
मार्च-24 Mar-24	755	32	787	1109	5	1114	1901	1053	4
मार्च-25 Mar-25	814	246	1060	1339	3	1342	2402	1353	5

*मल्टीफंक्शन कियोस्क

*Multifunction Kiosks

16

रणनीतिक डाटा प्रबंधन: अनुकूलतम और भविष्य हेतु तैयार इको सिस्टम का निर्माण:

डाटा प्रबंधन और अभिशासन बैंकिंग प्रणाली की तंत्रिका प्रणाली है। इस महत्वपूर्ण पहलू को समझते हुए और डाटा संचालित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बैंक को अनुकूलतम बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, बैंक ने रणनीतिक डाटा प्रबंधन वर्टिकल बनाया है। विभाग द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं-

16.1 डाटा गुणवत्ता

बैंक ने एमआईएस, विनियामक रिटर्न, ईज़, क्रेडिट आसूचना कंपनियों (CIC), व्यावसायिक आवश्यकताओं, ग्राहक वैयक्तिक पहचान आसूचना (PII) डाटा और विभिन्न डाटा आपूर्ति आवश्यकताओं में बेहतर डाटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डाटा गुणवत्ता पोर्टल लागू किया है। पोर्टल वर्तमान में डाटा शुद्धिकरण के लिए फील्ड स्टाफ को 106 डाटा गैप रिपोर्ट प्रदर्शित करता है, जिसमें ईज़ 7.0 के माध्यम से ट्रिगर की गई 52 रिपोर्टें शामिल हैं। डाटा गुणवत्ता सूचकांक (DQI) स्कोर स्वचालित रूप से प्राप्त होता है और निर्बाध उपयोग के लिए सभी स्थानों पर दैनिक आधार पर प्रदर्शित किया जाता है।

बैंक ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं जिसमें डाटा कैप्चरिंग स्तर, डाटा मैपिंग स्तर, डाटा निष्कर्षण स्तर और सीबीएस में विरासत त्रुटियों का डाटा शुद्धिकरण में नियंत्रण कार्यान्वयन शामिल है।

16

Strategic Data Management: Building a resilient and future ready ecosystem:

Data management and governance is the nerve system of Banking system. Realizing this critical aspect and to make the bank resilient and future ready with a data driven scientific approach, Bank has created Strategic Data Management vertical. Following are the important aspect undertaken by the department.

16.1 Data Quality

Bank has implemented Data Quality Portal to ensure better data quality in MIS, regulatory returns, EASE, Credit information Companies (CICs), Business Requirements, Customer Personal Identification Information (PII) data and various data supplying requirements. The portal currently displays 106 data gap reports to field staffs, for data cleaning, which includes 52 reports triggered through EASE 7.0. Data Quality Index (DQI) Score is auto derived and are displayed daily basis to all locations for a seamless usage.

Bank has taken significant efforts which includes control implementation in data capturing level, data mapping level, data extraction level and data cleaning of legacy errors in CBS.



16.2 डाटा गवर्नेंस

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित डाटा गवर्नेंस नीति है, साथ ही डीक्यूआई फ्रेमवर्क, डीक्यूआई स्कोर और एसओपी भी है, जिसे इसके प्रभावी उपयोग के लिए प्रसारित किया गया है। ईज़ 7.0 सुधार एजेंडे के अनुरूप, बैंक विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों के समन्वय में, नए डाटा अंतराल को रोकने के लिए विभिन्न स्रोत प्रणालियों में नियंत्रण सत्यापन को बढ़ाने हेतु इसे लागू करने की प्रक्रियाधीन है। डीक्यूआई स्कोर को कर्मचारियों के केआरए, व्यावसायिक मेट्रिक्स, आंतरिक लेखापरीक्षा से जोड़ने का काम प्रगति पर है।

सभी कर्मचारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सभी स्टाफ सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ डाटा गुणवत्ता और डाटा गवर्नेंस पर फील्ड स्टाफ को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

आईबीए और ईज़ दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए **1 जून, 2024 को डाटा गवर्नेंस दिवस मनाया**। कर्मचारियों ने बैंकिंग परिचालन के सभी क्षेत्रों में डाटा गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की शपथ ली।

16.3 केंद्रीय डाटा रिपोजिटरी

बैंक का केंद्रीय डाटा रिपोजिटरी, एमआईएस-गंगा, विभिन्न स्रोत प्रणालियों के साथ सहज रूप से जुड़ा हुआ है। डाटा को प्रतिदिन रिफ्रेश किया जाता है और ओएफएसए, एएमसी, एआई/एमएल प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऋण प्रणाली और आरबीआई सीआईएमएस, आंतरिक एमआईएस जैसे विनियामक रिपोर्टिंग ढाँचों सहित विभिन्न हितधारकों को इसकी आपूर्ति की जाती है।

16.4 रिपोर्टों का स्वचालन

- दक्षता संवर्धन के हमारे निरंतर प्रयास में, बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त 13 आरबीआई रिटर्न को स्वचालित किया, है। जिससे कुल संख्या बढ़कर 45 स्वचालित विनियामक।
- इसके अलावा, 55 अतिरिक्त एमआईएस रिपोर्ट को स्वचालित किया गया है, जो कुल 135 हो गई हैं, जिससे कार्यस्थल की दक्षता और स्वचालन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

16.5 सीआईसी डाटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई):

बैंक ने सीआईसी के साथ साझा किए गए उधारकर्ता डाटा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है, जिससे महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं:

- पुरस्कार:** 12 फरवरी, 2025 को "कमर्शियल एक्सेप्टेंस इम्प्रूवमेंट पर आईबीए और सीआईसी पुरस्कार" प्राप्त किया।
- संवर्धित डाटा गुणवत्ता:** सीआईसी डाटा की स्वीकृति दर और गुणवत्ता में सुधार, समकक्ष बेंचमार्क तक पहुँचना।
- प्रमुख डाटा संवर्द्धन:** अतिरिक्त ओवीडी डाटा, पैन प्रविष्टि, चेक अनादरण डाटा, संबंधित पक्ष की जानकारी, संपार्श्विक विवरण और सीकेवाईसी डाटा शामिल किए गए।

बेहतर डाटा कैप्चर, मैपिंग और परंपरागत त्रुटि सुधारों के माध्यम से उच्च डीक्यूआई और स्वीकृति दर प्राप्त करने के लिए आगे भी प्रयास जारी हैं।

16.2 Data Governance

The Bank has a Board approved Data Governance Policy in place along with DQI framework, DQI Score and SOP which have been circulated for its effective utilization. In line with EASE 7.0 reform agenda, Bank is in the process of implementing the same, for enhancing control validations in various source systems to prevent new data gaps, in coordination with various user departments. Linking of DQI score with staff's KRA, Business metrics, internal audit are in progress.

Training to field staffs on data quality & data governance is done periodically along with quiz programs for all staff members to generate awareness among all.

In line with IBA and EASE guidelines, Bank celebrated Data Governance Day on June 1, 2024, to enhance employee awareness. Staff took a pledge to uphold the highest standards of data governance in all areas of banking operations.

16.3 Central Data Repository

The Bank's central data repository, MIS-GANGA, is seamlessly interfaced with various source systems. Data is refreshed daily and supplied to various stakeholders, including OFSAA, AMC, AI/ML platforms, digital lending systems, and regulatory reporting frameworks like RBI CIMS internal MIS.

16.4 Automation Of Reports

- In our constant bid to enhance efficiency, Bank during the financial year automated additional 13 RBI returns, increasing the total count to 45 automated regulatory compliance.
- Further, 55 additional MIS reports are automated totaling to 135 which has significantly enhanced workplace efficiency and automation.

16.5 CIC Data Quality Index (DQI):

The Bank has prioritized the quality of borrower data shared with CICs, achieving significant milestones:

- Recognition:** Won the "IBA & CIC Award on Commercial Acceptance Improvement" on February 12, 2025.
- Enhanced Data Quality:** Improved acceptance rates and quality of CIC data, reaching peer benchmarks.
- Key Data Enhancements:** Included additional OVD data, PAN penetration, cheque dishonor data, related party information, collateral details, and CKYC data.

Further efforts are ongoing to achieve higher DQI and acceptance rates through improved data capture, mapping, and legacy error corrections.



16.6 सीआईसी नीति

बैंक ने सीआईसी डाटा साझा करने, सीआईसी शिकायतों का निपटान करने और बेहतर सीआईसी डीक्यूआई प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने की प्रक्रिया में वृद्धि के लिए आरबीआई के परिपत्रों के अनुसार एसओपी और सीआईसी नीति को संशोधित किया है।

16.7 सीआईसी उत्पाद और सेवाएँ

- I. **उधारकर्ता डाटा के लिए जोखिम अलर्ट:** बैंक ने उधारकर्ता डाटा पर जोखिम अलर्ट लागू किया है, जिसमें अन्य बैंकों के पास रखे गए ऋण खाते शामिल हैं। ये अलर्ट तब ट्रिगर होते हैं जब हमारे किसी मौजूदा ग्राहक ने किसी अन्य बैंक के साथ देनदारी की हो, यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के रूप में कार्य करता है। इन अलर्ट के आधार पर, ग्राहक पोर्टफोलियो को चार जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: अच्छा-अच्छा, अच्छा-बुरा, बुरा-अच्छा और बुरा-बुरा ग्राहक।
- II. **बाजार और व्यापार अंतर्दृष्टि:** बैंक सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए बाजार और व्यापार अंतर्दृष्टि डाटा का उपयोग रणनीतिक निर्णयों जैसे कि शाखा खोलना, लक्ष्य निर्धारण, व्यापार समीक्षा और विशिष्ट पिन कोड क्षेत्रों में समकक्ष बैंकों के साथ बेंचमार्किंग का समर्थन करने के लिए करता है।
- III. **पूछताछ अलर्ट डाटा (बिज ट्रिगर्स):** बैंक ने एक्सपेरियन के साथ भागीदारी की है, जो हमारे मौजूदा उधारकर्ताओं द्वारा अन्य बैंकों से ऋण पूछताछ करने पर दैनिक पूछताछ अलर्ट डाटा प्रदान करता है। इन अलर्ट्स को प्राप्त करने पर, बैंक उधारकर्ताओं को लक्षित ई-मेल और एसएमएस संदेश भेजता है, जो समान ऋण उत्पादों की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई उधारकर्ता किसी अन्य बैंक से वैयक्तिक ऋण के बारे में पूछताछ करता है, तो उन्हें हमारे वैयक्तिक ऋण प्रस्तावों के बारे में बैंक से एक संप्रेषण प्राप्त होगा।
- IV. **उधारकर्ता ट्रैकर (स्किप ट्रेसिंग):** स्किप ट्रेसिंग कार्यक्षमता चयनित उधारकर्ताओं के लिए वृद्धिशील संपर्क जानकारी प्रदान करती है, जो अतिदेय या एनपीए खातों के लिए वसूली और संग्रह में सहायता करती है। बैंक इन उधारकर्ताओं के साथ संप्रेषण स्थापित करने के लिए ब्यूरो डाटाबेस में उपलब्ध ऐतिहासिक संपर्क डाटा को तदर्थ आधार पर एक्सेस करता है।
- V. **धोखाधड़ी रोकथाम मंच - हंटर:** बैंक ने गोल्ड ऋणों, ई-जीएसटी ऋणों, मुद्रा ऋणों और प्री-अप्रूव्ड पर्सनल ऋणों (पीएपीएल) जैसे उत्पादों के लिए अपनी डिजिटल ऋण यात्रा के दौरान हंटर धोखाधड़ी रोकथाम मंच को लागू किया है।

16.8 ग्राहक जागरूकता

बैंक ने क्रेडिट आसूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट की गई किसी भी अतिदेय राशि के लिए ग्राहकों को ई-मेल और एसएमएस सूचनाएं भेजने की प्रवृत्ति शुरू की है। जागरूकता बढ़ाने के लिए, बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनात्मक आर्टवर्क प्रदर्शित किए हैं, जिसमें ग्राहक खातों में ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करने के महत्व पर जोर दिया गया है। साथ ही, परंपरागत डाटा को स्वच्छ करने के प्रयास, जहां अमान्य मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी की पहचान की गई है, फील्ड स्टाफ के माध्यम से किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल को अपनाने का समर्थन करना और डाटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) में सुधार करना है।

16.6 CIC Policy

Bank has revised SOP and CIC Policy as per RBI's Circulars, for enhancements in the process of CIC data sharing, CIC complaints handling, & steps towards achieving better CIC DQI.

16.7 CIC Products & Services

- I. **Risk Alerts for Borrower Data:** The bank has implemented risk alerts on borrower data, covering lending accounts held with other banks. These alerts are triggered when any of our existing customers become delinquent with another bank, serving as an Early Warning System (EWS). Based on these alerts, the customer portfolio is categorized into four risk quadrants: Good-Good, Good-Bad, Bad-Good, and Bad-Bad customers.
- II. **Market and Business Insights:** The bank utilizes market and business insight data provided by CIC to support strategic decisions such as branch openings, target setting, business reviews, and benchmarking with peer banks within specific pin code areas.
- III. **Enquiry Alert Data (Biz Triggers):** Bank has partnered with Experian which provides daily enquiry alert data whenever our existing borrowers make loan inquiries with other banks. Upon receiving these alerts, the bank sends targeted emails and SMS messages to the borrowers, offering similar loan products. For instance, if a borrower enquires about a personal loan with another bank, they will receive a communication from the bank regarding our personal loan offerings.
- IV. **Borrower Tracker (Skip Tracing):** The Skip Tracing functionality provides incremental contact information for selected borrowers, aiding in recovery and collections for overdue or NPA accounts. The bank accesses the historical contact data available in the Bureau database on an ad-hoc basis to establish communication with these borrowers.
- V. **Fraud Prevention Platform – HUNTER:** The bank has implemented the HUNTER fraud prevention platform within its digital lending journey for products such as Gold Loans, e-GST loans, Mudra loans, and Pre-Approved Personal Loans (PAPL).

16.8 Customer Awareness

The Bank has initiated the practice of sending e-mail and SMS notifications to customers for any overdue amounts reported to Credit Information Companies (CICs). To enhance awareness, the Bank has placed informative artwork on its corporate website and social media platforms, emphasizing the importance of updating e-mail IDs and mobile numbers in customer accounts. Simultaneously, efforts to clean legacy data, where invalid mobile numbers or email IDs are identified, are being carried out through field staff. This initiative aims to support digital adoption and improve Data Quality Index (DQI).



16.9 सीआईसी शिकायत निवारण

बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के अनुपालन में सीआईसी डाटा या रिपोर्ट से संबंधित ग्राहक शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करता है। समाधान दरें इस प्रकार हैं:

- I. 26% शिकायतों का उसी दिन समाधान किया जाता है,
- II. 63% 2 से 7 दिनों के भीतर,
- III. 8% 8 से 15 दिनों के भीतर,
- IV. 2% 15 से 30 दिनों के भीतर, और
- V. सीआईसी की ओर से तकनीकी समस्याओं के कारण 30 दिनों से अधिक समय में 1%।

16.10 एसएस वीआईवायए प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण

बैंक ने एसएस वीआईवायए प्लेटफॉर्म पर प्रधान कार्यालय के विभागों के चुनिंदा कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह प्रशिक्षण कर्मचारियों को आईटी सहायता की आवश्यकता के बिना डाटा से स्वतंत्र रूप से डैशबोर्ड बनाने के कौशल से लैस करता है, जिससे उनकी डाटा-हैंडलिंग क्षमताओं में वृद्धि होती है।

इन पहलों के माध्यम से बैंक ग्राहक सेवा संवर्धन, डाटा की गुणवत्ता में सुधार करने और ग्राहक जागरूकता अभियानों, कुशल सीआईसी शिकायत समाधान और उन्नत कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डाटा-संचालित संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये पहलें विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करती हैं और एक आधुनिक, ग्राहक-केंद्रित संस्थान के रूप में बैंक की स्थिति को मजबूत करती हैं।

16.9 CIC Complaints Redressal

The Bank ensures timely resolution of customer complaints related to CIC data or reports in compliance with the RBI-stipulated Turnaround Time (TAT). The resolution rates are as follows:

- I. 26% of complaints are resolved on the same day,
- II. 63% within 2 to 7 days,
- III. 8% within 8 to 15 days,
- IV. 2% within 15 to 30 days, and
- V. 1% beyond 30 days due to technical issues on the CIC's end.

16.10 Training on SAS VIYA platform

The Bank conducted a specialized training program for select employees from Head Office departments on the SAS VIYA platform. This training equips employees with the skills to independently generate dashboards from data without requiring IT support, thereby enhancing their data-handling capabilities.

Through these initiatives Bank focuses on enhancing customer service, improving data quality, and fostering a data-driven culture through customer awareness campaigns, efficient CIC complaint resolution, and advanced employee training programs. These initiatives ensure regulatory compliance and strengthen the Bank's position as a modern, customer-centric institution.

17

व्यवसाय विकास:

हमारा बैंक अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यवसाय विकास पहलों को सक्रिय रूप से संवर्धित करता है। ये प्रयास पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में निहित हैं, जो एक स्थायी और समावेशी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाते हैं।

एक चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण का सामना करते हुए, हम अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को कार्यान्वित करने में दृढ़ बने हुए हैं। नवाचार को अपनाने और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को बनाए रखने के द्वारा, हम अपने हितधारकों, ग्राहकों और समुदायों को असाधारण मान्यता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

17.1 रणनीतिक साझेदारी:

सहयोग हमारी विकास रणनीति की कुंजी है। बैंक ने अपनी सेवाओं को बढ़ाने और नए ग्राहक वर्गों तक पहुँचने के लिए अग्रणी फिनटेक कंपनियों और अन्य संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इन साझेदारियों के परिणामस्वरूप पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम सामने आए हैं और बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत हुई है।

17

Business Development:

Our bank actively pursues business development initiatives aimed at expanding our customer base, enhancing services, and driving revenue growth. These efforts are rooted in our commitment to environmental, social, and governance (ESG) principles, reflecting our dedication to fostering a sustainable and inclusive future.

In the face of a challenging external environment, we remain steadfast in executing our strategic priorities. By embracing innovation and maintaining a customer-centric approach, we are committed to delivering exceptional value to our stakeholders, customers, and communities.

17.1 Strategic Partnerships:

Collaboration is the key to our growth strategy. Bank forged strategic partnerships with leading Fintech companies and other institutions to enhance our service offerings and reach new customer segments. These partnerships have resulted in mutually beneficial outcomes and strengthened our competitive position in the market.



महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (एमएचसीईटी) Maharashtra Common Entrance Exam (MHCET)	महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) सेल की स्थापना की है। हमने निर्बाध सेवा की सुविधा के लिए “एमएचसीईटी: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम” को पेमेंट गेटवे प्रदान किया है। The Government of Maharashtra has established State Common Entrance Test (CET) Cell. We have provided Payment Gateway to “MHCET: Maharashtra Common Entrance Exam to facilitate a seamless service
वधावन पोर्ट परियोजना Vadhvan Port project	हमारा बैंक वधावन पोर्ट परियोजना से जुड़ा है। हमने परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर और तकनीकी समाधान प्रदान किया है। Our Bank got associated with the Vadhvan Port project. We have provided software and technical solution for the project.
दमन जिले के लिए संपत्ति कर संग्रहण Property Tax Collection for Daman District	दमन की 14 ग्राम पंचायतों के लिए पेमेंट गेटवे का एकीकरण पूरा हो गया है। Integration of Payment Gateway for 14 Gram Panchayats of Daman has been completed.

17.2 सरकारी साझेदारी और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करना:

बैंक ने अपनी पहुंच बढ़ाने और विभिन्न सरकारी विभागों को उनकी जरूरतों के अनुसार अपनी अनुरूप सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर के विभागों के साथ सहयोग किया है। कुछ महत्वपूर्ण साझेदारियां इस प्रकार हैं:

- I. **राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसायटी महात्मा ज्योतिराव फुले-जन आरोग्य योजना:** महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। बैंक ने मुंबई में इस योजना को ऑनबोर्ड किया है।
- II. **महाराष्ट्र चिकित्सा सामान खरीद प्राधिकरण:** महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के लिए चिकित्सा सामान खरीदने हेतु खरीद प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- III. **विशेष सहायता के लिए योजना भाग-1 के अंतर्गत 2024-25 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को ऋण:** व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 राज्यों में पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैंक द्वारा पटना, बिहार में इस योजना को शुरू किया गया।
- IV. **पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा-** बैंक को शहरी विकास मंत्रालय की “पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा” योजना को मुंबई में कार्यान्वित करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ है।
- V. **भारत सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालय- स्माइल योजना:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक व्यापक आयोजना “स्माइल - आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता” शुरू की है। “स्माइल योजना के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय” के लिए एकल नोडल खाता (एसएनए) खोला गया।
- VI. **सीएएमपीए (प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण):** सीएएमपीए का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि प्रतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) और वन भूमि के ब्याज और अन्य वन-संबंधी उद्देश्यों के लिए एकत्रित धन का प्रभावी ढंग से वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की बहाली और विकास के लिए उपयोग किया जाए। हमने सीएएमपीए के अंतर्गत खाते खोलने की प्रक्रिया आरंभ की है।

17.2 Government Partnership and rendering value added services:

The Bank has collaborated with various government departments across the country to enhance its reach and provide its tailored services according to their needs. Some of the important partnerships are as follows:

- I. **State Health Assurance Society Mahatma Jyotirao Phule-Jan Arogya Yojana:** Mahatma Jyotirao Pule Jan Arogya Yojana is the flagship health insurance scheme of the Government of Maharashtra. Bank has onboarded the scheme in Mumbai.
- II. **Maharashtra Medical Goods Procurement Authority:** The procurement authority has been formed for procuring medical goods for the Public Health Department, the Medical Education & Drug Administration Department of Government of Maharashtra.
- III. **Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-1:** The Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, has approved capital investment proposals in 16 States. The scheme got onboarded by the Bank in Patna, Bihar.
- IV. **PM Electric Bus Service:** Bank has received letter for implementation of “PM Electric Bus Service” scheme of Urban Development Ministry in Mumbai.
- V. **GOI Social Justice Ministry- SMILE scheme:** The Ministry of Social Justice and Empowerment has launched an umbrella scheme “SMILE - Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise”. Single Nodal Account (SNA) for “GOI Social Justice Ministry for SMILE scheme” was opened.
- VI. **CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority):** CAMPA was created to ensure that funds collected for compensatory afforestation, net present value (NPV) and interest of forest land, and other forest-related purposes are effectively utilized for the restoration and development of forest ecosystems. We initiated the process of account opening under CAMPA.



VII. बिहार आयोजना एवं विकास विभाग - बिहार योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत, हमने बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास एजेंसी (सीईओ ब्लैडा) के लिए खाता खोला है।

VIII. पीसीएमसी (पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम): हमने पीसीएमसी करों के भुगतान गेटवे और रखरखाव प्रदान करने और बनाए रखने के लिए "पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी)" के साथ सफलतापूर्वक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। हमें पीसीएमसी के 48 खाते खोलने का अधिदेश मिला।

IX. रेलवे विभाग के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन- बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सोलापुर अंचल और सेंट्रल रेलवे सोलापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जलगांव अंचल और सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीजन के बीच भी एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

X. जनजातीय विभाग एकल नोडल खाता (एसएनए) खाता- हमने नासिक में जनजातीय विभाग का नया एसएनए खाता खोला है जिसका नाम "एसएनए जीआईए अनुच्छेद 275 (1) भारत का संविधान" है।

XI. हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड - हमें हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एशियाई विकास बैंक के सहयोग से उनकी नई परियोजना के लिए पात्र व्यय के भुगतान और आय संवितरण के लिए पत्र प्राप्त हुआ है।

XII. शीर्ष बी स्कूलों और प्रतिष्ठित कॉलेजों के साथ रणनीतिक सहयोग - बैंक ने विभिन्न शीर्ष बिजनेस स्कूलों के साथ गठजोड़ किया है। इस रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत, छात्र पोर्टल/कॉलेज की वेबसाइट पर हमारी एक पृष्ठ की मार्केटिंग सामग्री प्रदर्शित की गई।

VII. Bihar Planning and Development Department- Under Bihar Planning and Development Department, we have opened account for Bihar Local Area Development Agency (CEO BLADA).

VIII. PCMC (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation): We have executed MOU with "Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC)" for providing and maintaining payment gateway and collection of PCMC taxes. We received the mandate to open 48 accounts of PCMC.

IX. Strategic MoUs with Railway Dept- MOUs have been signed between Bank of Maharashtra, Solapur Zone, and Central Railway Solapur. Another MOU was signed between Bank of Maharashtra, Jalgaon Zone and Central Railway Bhusaval Division as well.

X. Tribal Department Single Nodal Account (SNA) Account- We have opened new SNA Account of Tribal Department at Nashik with the name "SNA GIA article 275 (1) of Constitution of India".

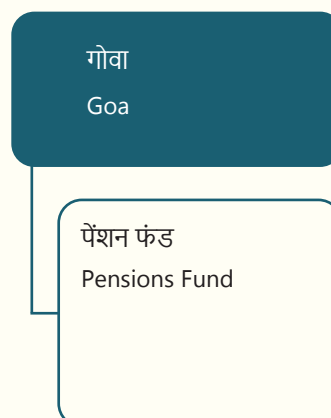
XI. Himachal Pradesh Power Corporation Ltd- We have received the letter from Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. for receiving the proceeds of disbursements and payment of eligible expenses for their new project in association with Asian Development Bank.

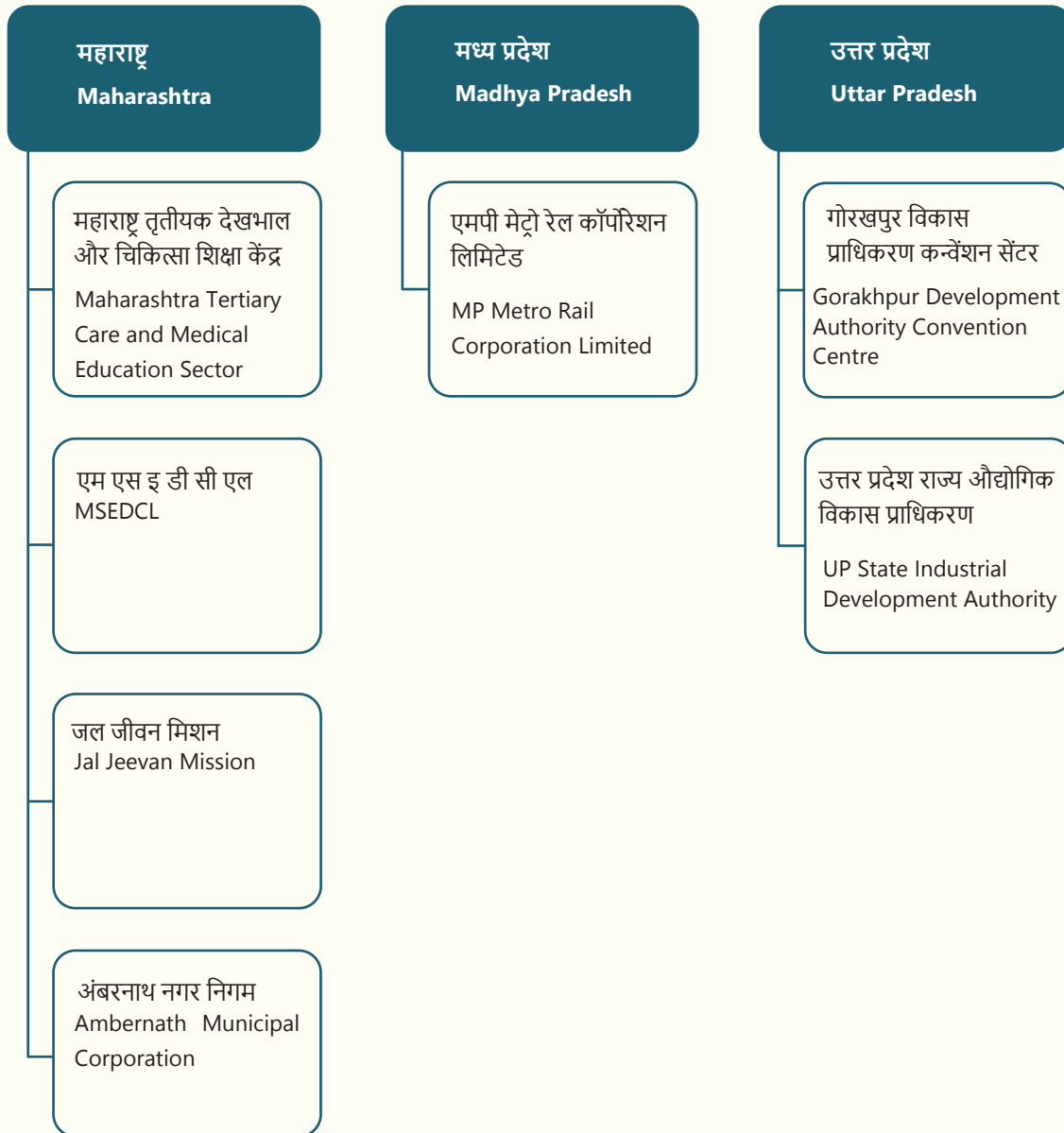
XII. Strategic Engagement with Top B Schools and Prestigious Colleges- Bank has made tie-up with various Top Business Schools. Under this Strategic Partnership, our one pager marketing material was displayed on the student portal/college website.

17.3 कुछ नए खाते/योजनाएं शामिल की गईं



17.2 Few New Accounts/Schemes onboarded:





17.4 अभिनव उत्पादों और सेवाओं की शुरूआत:

बैंक नवाचार और ग्राहक-केंद्रितता के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ने अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नए अनुरूप वित्तीय उत्पाद और सेवाएं शुरू की हैं। बैंक महापे के साथ क्यूआर कोड, पेमेंट गेटवे, यूपीआई, ई-रुपी जैसी नई सेवाओं का समग्र रूप (बंडल) दे रहा है। भोपाल में, हमने ई-रुपी की सुविधा प्रदान करके किसान कल्याण और कृषि विभाग को शामिल किया है।

17.5 डिजिटल रूपांतरण:

बैंकने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, संचालन को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों में निवेश करना जारी रखा है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की दैनिक भुगतान प्रक्रियाओं के स्वचालन के बैंक के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिससे हमारे ग्राहकों के बीच महापे को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, हम अब महापे के अंतर्गत होस्ट-टू-होस्ट एकीकरण के लिए ग्राहकों को शामिल कर रहे हैं।

17.4 Introduction of Innovative Products and Services:

Bank is committed to innovation and customer-centricity. In line with this commitment, bank launched several new tailored financial products and services to meet the evolving needs of our customers. Bank is giving bundle of new services with MAHAPAY like QR code, Payment gateway, UPI, e- Rupee. In Bhopal, we have on boarded the Farmer Welfare and Agriculture Department by providing e- Rupee facility

17.5 Digital Transformation:

Bank continues to invest in digital technologies and platforms to enhance the customer experience, streamline operations and drive efficiency. Bank's efforts of automation of Cotton Corporation of India daily payment processes have yielded positive results, with a significant increase in Mahapay adoption among our customers. Further, we are now on-boarding customers for Host-to-Host Integration under Mahapay.



17.6 ग्राहक अनुभव को समृद्ध बनाने पर ध्यान:

बैंक हर टचपॉइंट पर असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित है। निरंतर प्रतिक्रिया, संग्रह और प्रक्रिया सुधारों के माध्यम से, बैंक ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से अपने सेवा वितरण चैनलों को अनुकूलित किया है। बैंक ग्राहकों की सुविधा, विश्वसनीयता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं।

17.6 Focus on enriching Customer Experience:

Bank remains dedicated to deliver exceptional customer experiences at every touchpoint. Through continuous feedback, collection and process improvements, bank have optimized its service delivery channels through Public Financial Management System (PFMS). Bank is committed to customer convenience, reliability, and responsiveness as we excel forward.

18

मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, हम व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक सक्षम और भावनात्मक कार्यबल को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं। बैंक के मानव संसाधन मिशन "व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए क्षमता और जुनून पैदा करना" के साथ संरेखित, बैंक निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- प्रतिभा अधिग्रहण और भर्ती
- कर्मचारी विकास और प्रशिक्षण
- प्रदर्शन प्रबंधन
- नीति निर्माण और अनुपालन
- कर्मचारी संबंध और कल्याण

18

Human Resources Management

At Bank of Maharashtra, we believe in fostering a competent and passionate workforce to achieve business excellence. Aligned with the bank's HR mission of "Creating Competence and Passion for Business Excellence," the Bank focusses on the following key areas.

- Talent Acquisition and Recruitment
- Employee Development and Training
- Performance Management
- Policy Formulation and Compliance
- Employee Relations and Welfare

18.1 मानवबल संख्या:

31 मार्च 2025 को बैंक की कुल मानवबल संख्या 14591 थी। कर्मचारियों की श्रेणी का विवरण निम्नलिखित है।

18.1 Manpower Strength:

The total Manpower of the Bank as on 31st March 2025 stood at 14591. The following are the details of category of employees.

संवर्ग CADRE	अधिकारी OFFICERS	लिपिक CLERK	सब स्टाफ SUBSTAFF	कुल TOTAL
संख्या COUNT	9218	3686	1687	14591

बैंक विभिन्न संवर्गों में स्टाफ सदस्यों की आवश्यकताओं की व्यापक वार्षिक समीक्षा करता है, व्यवसाय वृद्धि, भविष्य की शाखा विस्तार और युक्तिकरण योजनाओं तथा त्यागपत्रों, सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित कमी के मद्देनजर रिक्तियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है, जिससे एक सुव्यवस्थित और दूरदर्शी मानव संसाधन रणनीति सुनिश्चित होती है।

The Bank undertakes a comprehensive annual review of staffing needs across various cadres, meticulously analyzing vacancies in light of the business growth, future branch expansion and rationalization plans, and anticipated attrition due to resignations, superannuation, and voluntary retirements, ensuring a well-aligned and forward-looking human resource strategy.

18.2 लैंगिक विविधता (जेंडर डाइवर्सिटी):

जेंडर संवेदनशीलता, समावेशिता और जेंडर-अनुकूल कार्यस्थलों का निर्माण लगातार हमारे बैंक की मानव संसाधन नीति के मूलभूत सिद्धांत रहे हैं। हमारे कुल कार्यबल में महिलाओं की संख्या 28.02% है, जिसका प्रतिनिधित्व संगठनात्मक पदानुक्रम के सभी क्षेत्रों और स्तरों में है। हमारे कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है।

18.2 Gender Diversity:

Gender sensitivity, inclusivity, and the creation of gender-friendly workspaces have consistently been fundamental principles of our Bank's HR policy. Women comprise 28.02% of our total workforce, with representation across all regions and levels of the organizational hierarchy. The average age of our employees is 37 years.



श्रेणी Category	पुरुष Male	%	महिला Female	%	कुल Total
अधिकारी Officers	6642	72.05	2576	27.95	9218
लिपिक Clerks	2373	64.38	1313	35.62	3686
सब-स्टाफ Sub-staff	1488	88.20	199	11.80	1687
कुल Total	10503	71.98	4088	28.02	14591

18.3 आरक्षण प्रकोष्ठ:

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, बैंक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण सुनिश्चित करता है, जबकि एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति आरक्षण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार बढ़ा कर दिया जाता है। समानता और समावेशन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने और एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और पूर्व सैनिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रधान कार्यालय और सभी अंचल कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं और प्रत्येक अंचल कार्यालय में समर्पित एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

18.3 Reservation Cell:

In line with the directives of the Government of India, the Bank ensures reservation in direct recruitment for candidates belonging to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs), while promotional reservations for SC/ST employees are extended in accordance with the prescribed guidelines. To uphold the principles of equity and inclusion, Special Cells are operational at the Head Office and all Zonal Offices to oversee the effective implementation of reservation policies and to address the grievances of SC/ST/OBC employees, persons with benchmark disabilities (PwBDs), and Ex-Servicemen. Additionally, the Bank has appointed Chief Liaison Officers at the Head Office and established dedicated SC/ST/OBC/PwBD Cells in every Zonal Office to reinforce its commitment to social justice and inclusive growth.

जाति/ संवर्ग CASTE/CADRE	सामान्य GEN	ओबीसी OBC	एससी SC	एसटी ST	ईडब्ल्यूएस EWS	पीडब्ल्यूबीडी PwBD	ईएसएम ESM	कुल TOTAL
अधिकारी OFFICERS	4195	2734	1412	632	245	232	52	9218
लिपिक CLERKS	1686	962	622	340	76	120	189	3686
सब-स्टाफ SUBSTAFF	525	428	550	184	-	21	101	1687
कुल TOTAL	6406	4124	2584	1156	321	373	342	14591

पीडब्ल्यूबीडी: बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक द्वारा आरक्षित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने, सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाने और उनके करियर की प्रगति में सहायता करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। बैंक ने एससी/ एसटी कर्मचारियों और कल्याण संघों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें आरक्षण नीति, पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण और संबंधित विषयों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य उन्हें भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए सशक्त बनाना और तैयार करना है।

PwBD: Persons with Benchmark Disabilities

In alignment with the Government of India's guidelines, continuous efforts have been made by the Bank to address and resolve grievances of employees belonging to reserved categories, fostering cordial relations and assisting in their career progression.

The Bank has also organized various training programs for SC/ST employees and Welfare Associations, covering important areas such as the reservation policy, pre-promotion training, and related topics aimed at empowering and preparing them for future responsibilities.



18.4 मानव संसाधन प्रशासन और नीतियाँ:

संगठन को निरंतर सफलता की ओर ले जाने में मानव पूंजी का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील कार्यों में से एक है। बैंक के संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता इसके कर्मचारियों के प्रदर्शन और जुड़ाव के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इसे पहचानते हुए, बैंक ने अपने प्रशासनिक आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से कई मानव संसाधन पहलों को लागू किया है।

वर्ष के दौरान प्रमुख विकास में शामिल हैं:

- एक एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का कार्यान्वयन, जो प्रवेश से लेकर निकास तक कर्मचारी के पूरे जीवनचक्र को कवर करता है।
- कर्मचारी डाटा और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए विभिन्न आईटी-सक्षम प्लेटफॉर्म को अपनाना।
- उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानव संसाधन नीतियों की आवधिक समीक्षा और नवीनीकरण करना।
- सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए टीम के नेताओं, संघ के प्रतिनिधियों और अन्य क्षेत्र पदाधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।
- ऐसी नीतियाँ बनाना जो अनुशासन, प्रतिबद्धता और कर्तव्य के प्रति समर्पण पर जोर देती हैं, जिससे कर्मचारी उत्पादकता और संगठनात्मक दक्षता में वृद्धि होती है।
- भर्ती प्रक्रिया का अनुकूलन करना।

18.5 कार्यबल का समग्र शिक्षण और विकास

वित्तीय वर्ष 2024-25 बैंक के कर्मचारियों के समग्र शिक्षण और विकास (एल एंड डी) के लिए एक ऐतिहासिक अवधि रही है। कौशल अंतराल को पाटने, नवाचार को बढ़ावा देने और संगठन के सभी स्तरों पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारी पहलों को सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है। यह रिपोर्ट हमारे कर्मचारियों की पेशेवर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किए गए प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों पर प्रकाश डालती है, जिससे भविष्य के लिए तैयार कार्यबल सुनिश्चित होता है।

18.6 रणनीतिक शिक्षण पहल

- निदेशक विकास कार्यक्रम (डीडीपी) 2025:** इसका उद्देश्य बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को स्व-गतिशील, वैयक्तिक शिक्षण अनुभव प्रदान करना है। इस कार्यक्रम ने नेतृत्व की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीले, अवधारणात्मक और आकर्षक शिक्षण अनुभव प्रदान किए।
- विदेशी प्रशिक्षण और अध्ययन दौरे:** कुल 17 कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण, विदेशी अध्ययन दौरे और प्रमुख वैश्विक संस्थानों में कार्यपालक शिक्षण के लिए नामित किया गया था।
- वन-ऑन-वन कोचिंग सत्र:** ईज़ दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक द्वारा नेतृत्व क्षमताओं और निर्णय कौशल के संवर्धन हेतु प्रमाणित बाहरी पेशेवर प्रशिक्षकों की मदद से पात्र कार्यपालकों के लिए वन-ऑन-वन कोचिंग सत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- एजीएम के लिए व्यक्तिगत विकास योजना (आईडीपी):** करियर विकास और योग्यता संवृद्धि हेतु नव पदोन्नत सहायक महाप्रबंधकों (एजीएम) के लिए एक संरचित व्यक्तिगत विकास

18.4 HR Administration & Policies:

Managing human capital remains one of the most vital and dynamic functions in steering the organization towards sustained success. The efficiency and effectiveness of the Bank's operations are deeply interconnected with the performance and engagement of its employees. Recognizing this, the Bank has implemented a range of HR initiatives aimed at strengthening its administrative foundation.

Key developments during the year include:

- Implementation of an integrated Human Resource Management System (HRMS), covering the full employee lifecycle — from entry to exit.
- Adoption of various IT-enabled platforms for maintaining employee data and records.
- Periodic review and renewal of HR policies in line with industry best practices and regulatory guidelines.
- Active promotion of dialogue with key stakeholders, including team leaders, union representatives, and other field functionaries to foster collaborative development.
- Framing policies that emphasize discipline, commitment, and devotion to duty, thereby enhancing employee productivity and organizational efficiency.
- Optimizing Recruitment process

18.5 Holistic Learning & Development of workforce

The financial year 2024-25 has been a landmark period for the holistic Learning and Development (L&D) of Bank's staff. Our initiatives have been meticulously designed to bridge skill gaps, foster innovation, and enhance productivity across all levels of the organization. This report highlights key programs and initiatives undertaken to strengthen the professional capabilities of our employees, ensuring a future-ready workforce.

18.6 Strategic Learning Initiatives

- Directors Development Program (DDP) 2025:** Aimed at providing a self-paced, personalized learning experience to the whole time Directors of the Bank. The program offered flexible, conceptualized, and engaging learning experiences tailored to leadership needs.
- Overseas Training & Study Tours:** A total of 17 employees were nominated for overseas training, foreign study tours, and executive education at premier global institutions.
- One-on-One Coaching Sessions:** In line with EASE guidelines, Bank extended one-on-one coaching sessions for eligible executives with the help of certified external professional coaches to enhance leadership capabilities and decision-making skills.
- Individual Development Plans (IDP) for AGMs:** A structured Individual Development Plan was implemented for newly promoted Assistant General Managers (AGMs) to facilitate career growth and



योजना कार्यान्वित की गई थी। एक बाहरी प्रमाणित एजेंसी ने 49 कार्यपालकों का विश्लेषण और योग्यता मूल्यांकन किया, उन्होंने उसके बाद आईआईएम कोझीकोड में पूर्वनिर्धारित आईडीपी मापदंडों के आधार पर व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया।

- V. **मुख्य प्रबंधकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम:** संगठनात्मक विकास और नेतृत्व कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए 57 नव पदोन्नत मुख्य प्रबंधकों के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम तैयार किया गया।
- VI. **उच्च-संभावित (हाई-पो) और उच्च-प्रदर्शन (हाई-पर) विश्लेषण:** पिछले नेतृत्व पहलों के आधार पर, सभी स्तरों पर कार्यपालकों के लिए एक व्यापक हाई-पो और हाई-पर विश्लेषण किया गया।
- VII. **उत्तराधिकार नियोजन रणनीति:** एक निर्बाध नेतृत्व पाइपलाइन सुनिश्चित करने के लिए, एक संरचित उत्तराधिकार नियोजन ढांचा विकसित किया गया।
- VIII. **मेंटर आवंटन कार्यक्रम (एमएपी):** नए भर्तियों को उनके करियर की प्रगति में सहायता करने के लिए चरणों में एक संरचित मेंटर-मेंटी पहल शुरू की गई।
 1. चरण 1 और 2 में: अभिनिर्धारित 433:929 मेंटर: मेंटीज़
 2. कार्यक्रम की पहुँच और प्रभावशीलता का विस्तार करने के लिए मेंटरों के लिए ऑनलाइन वेबएक्स प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- IX. **कर्मचारी कल्याण:** "मानसिक स्वास्थ्य" और "प्रसवोत्तर अवसाद" पर विशेष वेबएक्स सत्र आयोजित किए गए, जिससे लगभग 1600+ कर्मचारियों को जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद मिली। कार्यबल में निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिपूर्ति की संशोधित योजना के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम भी जोड़े गए।
- X. **व्यवसाय विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशिक्षण:** बीडीओ और सीएआर अभियान के अंतर्गत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बिक्री कौशल, संबंध प्रबंधन और रणनीतिक व्यवसाय विकास में व्यवसाय विकास अधिकारियों के कौशल को बढ़ाना है।
- XI. **प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षण समाधान:** प्रौद्योगिकी को प्रशिक्षण पद्धतियों में निम्नलिखित के माध्यम से सहजता से एकीकृत किया गया:
 - i. वर्चुअल प्रशिक्षक द्वारा सत्र
 - ii. स्निपेट, पॉडकास्ट, सेमिनार
 - iii. एचआरएमएस पर ई-लर्निंग मॉड्यूल
 - iv. कर्मचारियों के जुड़ाव में संवर्धन हेतु प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
- XII. **प्रशिक्षण भागीदारों को ऑनबोर्ड करना:** रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रक्रिया के माध्यम से, बैंक ने बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने और अत्यधिक कुशल कार्यबल का निर्माण करने के लिए नए प्रशिक्षण भागीदारों को ऑनबोर्ड किया।

competency enhancement. An external certified agency conducted an analysis and competency assessment for 49 executives, who then underwent personalized development training based on predefined IDP parameters at IIM Kozhikode.

- V. **Leadership Development Program for Chief Managers:** A Leadership Development Program was designed for 57 newly promoted Chief Managers, focusing on organizational growth and leadership skills.
- VI. **Hi-Potential (Hi-Po) and Hi-Performance (Hi-Per) Analysis:** Building on previous leadership initiatives, an extensive Hi-Po and Hi-Per analysis was carried out for executives across levels.
- VII. **Succession Planning Strategy:** To ensure a seamless leadership pipeline, a structured succession planning framework has been developed.
- VIII. **Mentor Allotment Program (MAP):** A structured mentor-mentee initiative was launched in phases to support new recruits in their career progression.
 1. Phase 1 & 2: 433:929 identified mentors: mentees
 2. Online Webex training was conducted for mentors to expand the reach and effectiveness of the program.
- IX. **Employee Well-being:** Specialized Webex sessions on "Mental Health" and "Postpartum Blues" were conducted, benefiting approximately 1600+ employees by addressing key well-being issues and work-life balance strategies. New courses were also added under the revised Scheme of Reimbursement to promote a culture of continuous learning within the workforce.
- X. **Business Development Officers (BDO) Training:** A dedicated training initiative for performing employees under BDO & CAR campaign, was launched to enhance the skills of Business Development Officers in sales acumen, relationship management, and strategic business growth.
- XI. **Technology-Driven Learning Solutions:** Technology was seamlessly integrated into training methodologies through:
 - i. Virtual instructor-led sessions
 - ii. Snippets, Podcasts, Seminars
 - iii. E-Learning Modules on HRMS
 - iv. Quiz Competitions to Enhance Employee Engagement
- XII. **Onboarding of Training Partners:** Through the Expression of Interest (EoI) process, Bank has onboarded new training partners to scale up training programs in large numbers and create a highly skilled workforce.

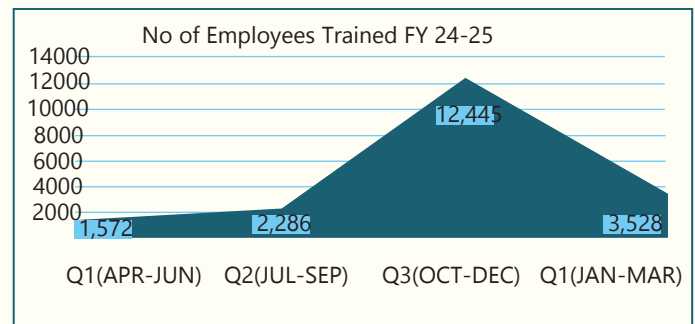
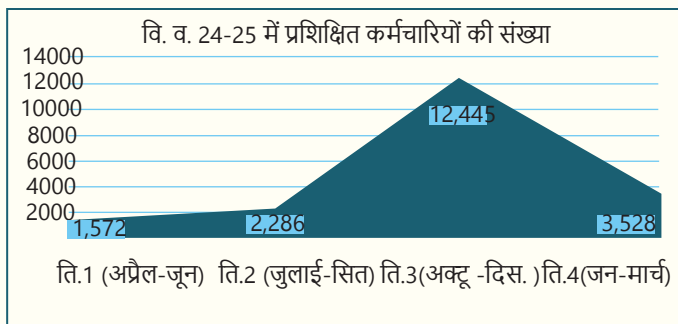
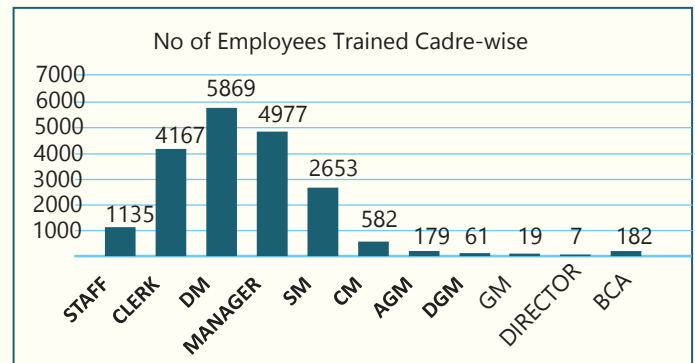
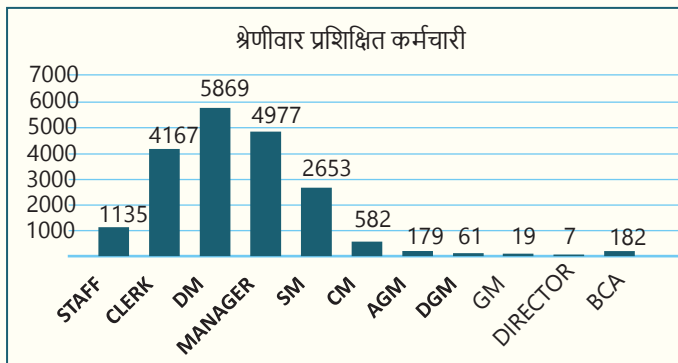


XIII. उद्योग के साथ सहयोग और बाहरी प्रशिक्षण: कई कार्यपालकों ने उद्योग-अग्रणी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विभिन्न संस्थानों में क्रॉस बैंक प्रशिक्षण
- आईएसबी में सीएक्सओ और डिप्टी सीएक्सओ के लिए प्रशिक्षण
- केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्रों और एमएसएमई हब के लिए कार्यशाला (आरबीआई- एनएएमसीएबीएस के माध्यम से)
- क्रिसिल द्वारा क्रेडिट विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षणएनआईबीएम में सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन कार्यशाला
- आरबीआईसीएबी में कृषि एमएसएमई वित्तपोषण कार्यक्रम अध्ययन के मापदंडों के संदर्भ में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

XIII. Industry Collaborations & External Training: Several executives participated in industry-leading training programs, including:

- Cross Bank Trainings at Various Institutes
 - Training for CxOs & Deputy CxOs at ISB
 - Workshop for Central Processing Centres & MSME Hubs (via RBI-NAMCABS)
 - Credit Analysis & Risk Management Training by CRISIL Security & Risk Management Workshop at NIBM
 - Agro MSME Financing Program at RBICAB
- The performance of the Bank in terms of learning parameters are as under.



प्रमुख मानदंड Key Parameters	मार्च 25 (वास्तविक) Mar 25 (Actual)
यूनिक लर्निंग इंटरवेंशन Unique Learning Interventions	11,169
समुद्रपारीय/विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम Overseas/ Foreign Training Programs	5
कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक) Classroom Training Program (Internal)	374
कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (बाह्य) Classroom Training Program (External)	118
वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक) Virtual Training Program (Internal)	42
वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम (बाह्य) Virtual Training Program (External)	8
आईसीटी का उपयोग- वेबिनार Use of ICT- Webinars	22
आईसीटी का उपयोग- पॉडकास्ट Use of ICT- Podcast	16
क्रॉस बैंक प्रशिक्षण Cross Bank Training	7
एलएमएस और कौशल अंतर विश्लेषण पर प्रश्नोत्तरी Quiz on LMS and Skill Gap Analysis	36+



बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अध्ययन और विकास उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। निरंतर सीखना न केवल एक पहल है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जो व्यक्तिगत और संगठनात्मक सफलता दोनों को आगे बढ़ाता है।

18.7 कर्मचारी सहभागिता पहले:

बैंक कार्य वातावरण और संस्कृति को बेहतर बनाने और कर्मचारियों को कॉर्पोरेट लक्ष्यों के प्रति प्रभावी रूप से संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कर्मचारी सहभागिता पहले करता है। कुछ पहले इस प्रकार हैं।

- मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच
- केस स्टडी लेखन प्रतियोगिता
- पारंपरिक दिवस समारोह
- क्रिसमस समारोह
- डांडिया संध्या
- मानसिक स्वास्थ्य, मेंटरशिप, पेरेंटिंग आदि पर सत्र।

18.8 भर्ती:

- बैंक ने कुछ मापदंडों जैसे कि पलायन, व्यावसायिक स्थिति, न्यूनतम स्टाफिंग पैटर्न आदि के आधार पर मैनपावर आयोजना के अनुसार विभिन्न स्केल में 1895 अधिकारियों और 600 लिपिकों की रिक्तियां अभिनिर्धारित की है, जिनमें से 1248 अधिकारी (स्केल I - 936, स्केल II - 220, स्केल III - 75, स्केल IV - 15, स्केल V - 1 और स्केल VI - 1) और 499 लिपिकों ने कार्यग्रहण किया।
- मेधावी महिला खिलाड़ियों की सीधी भर्ती:** खेल मानव गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जो युवाओं को राष्ट्र के लिए ख्याति प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। बैंक भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करता है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार और सराहना प्राप्त करने में खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह हमारे संरक्षकों के लिए हमारे ब्रांड मूल्य को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है।
- भारत की पहली महिला वॉलीबॉल टीम की भर्ती करके बैंक ने खेलों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। इस टीम में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया और विश्व टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यह एक ऐसा कदम है जो युवाओं को सशक्त बनाने और खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- बैंक ने आवेदन प्रबंधन के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) पर निर्भर रहने की पिछली प्रथा में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह से इन-हाउस, ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया है। अपने स्वयं के भर्ती पोर्टल को विकसित करने के साथ ही, बैंक अब स्वतंत्र रूप से संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया को संभालता है, जिससे अधिक दक्षता, पारदर्शिता और प्रतिभा अधिग्रहण पर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सका है।
- बैंक ने भारत सरकार/आईबीए दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति योजना की समीक्षा की है, जिसका उद्देश्य मृतक कर्मचारियों के जरूरतमंद परिवार को वित्तीय राहत प्रदान करना है। बैंक ने लिपिक संवर्ग में 27 उम्मीदवारों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

Learning & Development at Bank of Maharashtra stands as a testament to our commitment for nurturing a culture of excellence. Continuous learning is not just an initiative but a way of life, driving both individual and organizational success.

18.7 Employee Engagement Initiatives:

Bank undertakes various employee engagement initiatives to improve the work environment and culture and to encourage staff to be effectively aligned towards corporate goals. Some of the initiatives are as under.

- Friendly Volleyball Match
- Case Study Writing Competition
- Traditional Day celebrations
- Christmas Celebrations
- Dandiya Evening
- Session on Mental Health, Mentorship, Parenting etc.

18.8 Recruitment:

- Bank has identified vacancy of 1895 officers in various scales & 600 Clerks, as per Manpower planning based on certain parameters like attritions, business position, minimum staffing pattern etc. Out of which 1248 officers (Scale I - 936, Scale II - 220, Scale III - 75, Scale IV - 15, Scale V - 1 & Scale VI - 1) & 499 Clerks have joined.
- Direct Recruitment of Meritorious Female Sportspersons:** Sports is one of the eminent areas for human activities which builds youth to become face of the nation. The bank admires excellent performances of Indian Sportspersons in achieving different awards and accolades at the International as well as National level in the recent years. It is the most influential medium for promoting our brand value to our patrons.
- Bank is making waves in sports by recruiting India's first all-women volleyball team constituting exceptionally talented players who played at National/ International level and represented India in the world tournaments, a move that aligns with the government's vision of empowering youth and promoting gender equality in sports.
- The Bank has transitioned to a fully in-house, online recruitment process, marking a significant shift from the earlier practice of relying on the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) for application management. With the development of our own recruitment portal, the Bank now independently handles the entire application process, ensuring greater efficiency, transparency, and control over talent acquisition.
- Bank has reviewed the scheme of Compassionate Appointment scheme in line with Govt. of India / IBA guidelines, which is aimed at providing financial relief to the indigent family of deceased employees. Bank has offered compassionate appointments to 27 candidates in clerical cadre.



18.9 करियर प्रगति (पदोन्नति):

पदोन्नति कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें अधिक जिम्मेदारियाँ, वित्तीय पुरस्कार और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। बैंक भारत सरकार और नियामक दिशानिर्देशों के साथ संरक्षित बोर्ड द्वारा अनुमोदित पदोन्नति नीति के अनुसार हर वर्ष पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित करता है। यह नीति बैंक के व्यवसाय विकास में सहयोग करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त कार्यबल सुनिश्चित करती है, वहीं उच्च जिम्मेदारियाँ लेने के लिए सक्षम कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करती है।

बैंक ने करियर प्रगति को बढ़ावा देने, कर्मचारी के कार्यनिष्पादन का अभिनिर्धारण करने, पुरस्कृत करने तथा प्रेरित करने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं। व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए, अधिकारियों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्य करने और विदेशी प्लेसमेंट के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न संवर्ग में पदोन्नतियों की संख्या निम्नानुसार है:

जेएमजीएस-I से एमएमजीएस-II JMGS-I TO MMGS-II	एमएमजीएस- II से एमएमजीएस- III MMGS-II to MMGS-III	एमएमजीएस- III से एसएमजीएस- IV MMGS-III TO SMGS-IV	एसएमजीएस- IV से एसएमजीएस- V SMGS-IV TO SMGS-V	एसएमजीएस- V से एसएमजीएस- VI SMGS-V TO SMGS-VI	टीईजीएस-VI से टीईजीएस-VII TEGS-VI TO TEGS-VII	टीईजीएस-VII से टीईजीएस-VIII TEGS-VII TO TEGS-VIII	लिपिक से जेएमजीएस-I Clerical to JMGS - I
194	200	65	27	09	03	03	218

18.10 कर्मचारी लाभ और कल्याण गतिविधियों में सुधार:

बैंक का मानना है कि कर्मचारी संस्थान की रीढ़ होते हैं, और वे इसके विकास और प्रगति के निर्माता हैं। कर्मचारियों के प्रयासों को पहचानने और उन्हें प्रेरित करने के लिए बैंक ने कई पहल की हैं।

- I. **महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा:** महिला कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए, बैंक ने विशेष खंड का शुभारंभ किया है, अर्थात "महिला अधिकारियों को अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण से छूट दी जा सकती है और निम्नलिखित मामलों में, उन्हें मौजूदा क्षेत्र/ तैनाती के स्थान पर ही रखा जाएगा,
 - क. यदि वे गर्भावस्था में हैं, तो छूट दो वर्ष की अवधि के लिए होगी (गर्भावस्था के 9 महीने को छोड़कर) अथवा
 - ख. छूट उस अवधि तक होगी जब तक बच्चा 2 वर्ष का नहीं होता।"
- II. **8वें संयुक्त नोट और XI-द्विपक्षीय समझौते के अनुसार कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) का भुगतान:** वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों के आधार पर, परिचालन लाभ में 19.10% और निवल लाभ में 44.95% वर्ष दर वर्ष की वृद्धि के फलस्वरूप, बैंक ने सभी कर्मचारियों को 15 दिनों का कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान किया।
- III. **स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती अभियान:** भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और एक स्थायी जीवन शैली को अपनाने के लिए 21 जून 2024 को सभी कार्यालयों में "स्वयं और समाज के लिए योग" थीम के साथ 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया।

18.9 Career Progression (Promotion):

Promotion serves as a key motivator for employees, offering greater responsibilities, financial rewards, and enhanced status. The Bank conducts the promotion process annually in accordance with a Board-approved Promotion Policy, aligned with Government of India and regulatory guidelines. This policy ensures an adequate workforce at each level to support the Bank's business growth while meeting the need for capable employees to take on higher responsibilities.

The Bank has made dedicated efforts to promote career progression, recognizing and rewarding employee performance and fostering motivation. To provide broader exposure, opportunities for horizontal movement across various functions and overseas trainings are also offered to officers.

The number of promotees in various cadre in FY-2024-25 are as under.

18.10 Improvisation of Staff Benefits and Welfare Activities:

The Bank believes that the staff are the backbone of the institution, and they are the architect of its growth and progress. To recognize the efforts of employees and to motivate them the Bank has taken several initiatives.

- I. **Special consideration for female employees:** Having a sensitive view towards female staff, Bank has introduced special clause i.e. "Female officers may be exempted from inter-zonal transfer and will be retained in the existing zone / place of posting in the cases,
 - a. If they are in a family way, the exemption will be for a period of two years (excluding 9 months of family way) OR
 - b. the exemption will be till the period the child turns 2 years of age."
- II. **Payment of Performance Linked Incentive (PLI) as per 8th Joint note & XI-Bipartite Settlement:** Based upon Banks financial results for the year 2023-24 wherein the YOY operating profit soared to 19.10% & net profit 44.95%, bank has paid 15 days Performance Linked Incentive to all the employees.
- III. **Wellness & Fitness Drive:** In line with GOI directions, Bank has organized 10th International Yoga Day with a theme "Yoga for Self & Society" on 21st June 2024 in all the offices for maintaining good health & enduring a sustainable life style.



- IV. शोक अवकाश की शुरूआत:** कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर शोक अवकाश की शुरूआत की गई। शोक अवकाश एक सवेतन अवकाश होगा जो परिवार के सदस्य की मृत्यु पर कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा।
- V. वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक के उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन पर सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रु.1,000/- का भुगतान:** वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक के परिवर्तनकारी कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर खुशियां मनाने और बैंक के प्रति उनकी सेवा के लिए सराहना के प्रतीक के रूप में उपहार, मिठाई, सूखे मेवे आदि खरीदने के लिए बैंक ने सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रु.1,000/- का भुगतान किया।
- VI. अधिकारियों के लिए बैंक की आवासीय सुविधा:** जीवन को सुगम बनाने के लिए, बाजार दरों और उद्योग प्रथाओं के अनुरूप अधिकारियों के लिए मौजूदा किराये की सीमा बढ़ा दी गई।
- VII. परिवहन व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने स्थानीय स्थानांतरण/परिवहन प्रभार की प्रतिपूर्ति को रु.12,000/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक बढ़ा दिया है।**
- VIII. अधिकारियों को आवास व्यय की प्रतिपूर्ति की दरों में वृद्धि:** आवास व्यय की वर्तमान बाजार दरों और द्विपक्षीय समझौते में अधिनिर्णयाधीन कर्मचारियों के आवास भत्ते के संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने अधिकारियों को आवास व्यय की प्रतिपूर्ति में वृद्धि की है।
- IX. अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति:** कर्मचारियों में बेहतर स्वास्थ्य की भावना को बढ़ावा देने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए (योग/ध्यान/स्वास्थ्य क्लब आदि में शामिल होना) बैंक ने विशेष एकमुश्त पहल के रूप में प्रति कर्मचारी रु. 6,000/- की प्रतिपूर्ति की घोषणा की थी।

- IV. Introduction of Bereavement Leave:** Introduction of bereavement leave on demise of family members of Employees. Bereavement Leave will be a paid leave granted to an employee on loss of family member.
- V. Payment of Rs. 1,000 /- to all employees & retirees in view of Banks outstanding performance in FY 2024-25:** Taking into consideration of Bank's transformative performance in FY2024-25 & to celebrate the occasion, bank has paid Rs. 1,000 /- to all employees & retirees towards purchase of gifts, sweets, dry fruits etc. as a token of appreciation for their service to the Bank.
- VI. Bank's Residential Accommodation Facility for Officers:** To enhance the ease of living, the existing rental ceiling has been enhanced for officers as per market rates & industry practices.
- VII. Considering the rise in transportation expenses,** Bank has enhanced the reimbursement of local shifting / transportation charges upto Rs.12,000/- or the actual expenses incurred, whichever is lower.
- VIII. Enhancement in rates for reimbursement of lodging expenses to officers:** In view of the present market rates of lodging expenses and revision of lodging allowance to award staffs in Bipartite Settlement, Bank has enhanced the reimbursement of lodging expenses to officers.
- IX. Reimbursement towards expenses for Maintenance of Good Health:** With a motive to promote well-being amongst the staff members, the Bank had announced a reimbursement of Rs. 6,000/- per employee, as a special one-time gesture towards Maintenance of Good Health (Joining Yoga / Meditation / Health Club etc.)

19 ईएएसई पहल

- I. संवर्धित एक्सेस और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) जनवरी, 2018 में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सुधार पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर दक्षता, पारदर्शिता, गवर्नेंस और ग्राहक-केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कार्यनिष्पादन को बढ़ाना है।
- II. नवीनतम चरण, ईएएसई 7.0, 25 अप्रैल 2024 को सचिव, डीएफएस द्वारा शुभारंभ किया गया था। यह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग को डिजिटल रूप से अधिक सशक्त, आधुनिक और ग्राहक-प्रथम इको-सिस्टम में बदलने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह चरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भीतर नवाचार और लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ बैंकिंग परिचालन को संरक्षित करने पर केंद्रित है। ईएएसई 7.0 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

19 EASE Initiatives

- I. Enhanced Access and Service Excellence (EASE) is a flagship reform initiative launched in January 2018 by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. The program aims to enhance the performance of Public Sector Banks (PSBs) through improved efficiency, transparency, governance, and customer-centric service delivery.
- II. The latest phase, EASE 7.0, was launched on 25 April 2024 by the Secretary, DFS. It reaffirms the Government's commitment to transforming public sector banking into a more digitally empowered, modern, and customer-first ecosystem. This phase focuses on aligning banking operations with national priorities while fostering innovation and resilience within PSBs. Key Objectives of EASE 7.0:



- क. राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ बैंकिंग सेवाओं का संरेखण
ख. ग्राहक सेवा उत्कृष्टता को मजबूत करना
ग. जोखिम न्यूनीकरण और परिचालन लचीलापन।
घ. उन्नत प्रौद्योगिकियों और डिजिटल क्षमताओं को अपनाना
ड. भविष्य के लिए तैयार बैंकिंग के लिए कर्मचारी विकास

III. ईएएसई 7.0 समावेशी और एकीकृत बैंकिंग पर जोर देता है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और कृषि क्षेत्र की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है। रूपरेखा 21 कार्य बिंदुओं के आसपास संरचित है, जिन्हें पाँच रणनीतिक विषयों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है:

- a. Alignment of banking services with national development goals
b. Strengthening of customer service excellence
c. Risk mitigation and operational resilience.
d. Adoption of advanced technologies and digital capabilities
e. Employee development for future-ready banking

III. EASE 7.0 emphasizes inclusive and integrated banking, with a particular focus on the needs of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) and the agricultural sector, contributing to the overarching vision of a Viksit Bharat (Developed India). The framework is structured around 21 Action Points, grouped under five strategic themes:

1. 'विकसित' भारत की ओर बैंकिंग Banking towards 'Viksit' Bharat	2. ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता Excellence in customer service
3. नए जमाने की तकनीक और अन्य उन्नत क्षमताओं को अपनाना Adoption of new-age technology and other advanced capabilities	4. प्रभावी जोखिम/धोखाधड़ी प्रबंधन, संग्रहण और वसूली Effective risk/ fraud Management, collections and recovery
5. उभरती बैंकिंग प्राथमिकताओं के लिए कर्मचारियों को विकसित करना Developing employees for emerging banking priorities	

III. ईएएसई 7.0 की पहली और दूसरी तिमाही में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8वें स्थान पर था, जो मार्च 2024 के 7वें स्थान से थोड़ा नीचे था। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के परिणाम को 17/03/2025 को संचालन समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, जिसमें रैंकिंग 8वें से सुधरकर 7वें स्थान पर आ गई है। बैंक शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में उभरा, जिसने तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 68.5 अंक (क्यू3 बनाम क्यू2) प्राप्त किए, और बेसलाइन तुलना यानी; मार्च 2024 बनाम दिसंबर 2024 के आधार पर शीर्ष तीन सुधारकर्ताओं में स्थान प्राप्त किया।

विस्तृत परिणाम निम्नानुसार हैं:

III. In the first and second quarters of EASE 7.0, Bank of Maharashtra was ranked 8th, a slight drop from its 7th position in March 2024. The result of Q3, FY 2024-25, was approved in the Steering Committee Meeting on 17/03/2025, showed an improvement in ranking from 8th to 7th. The Bank emerged as the top improver, gaining 68.5 marks (Q3 Vs Q2) quarter-on-quarter basis, and ranked among the top three improver i.e. March 2024 vs December 2024 based on baseline comparison.

Detailed Results is as below:

बैंक की स्थिति Position of the Bank	दिनांक को - As on		
	30.09.2024 Q2 FY 24-25	31.12.2024 Q3 FY 24-25	सुधार Improvement
कुल प्राप्त अंक Total marks obtained	47.0	68.5	68.30%
12 बैंकों में से बैंक की स्थिति Position of Bank out of 12 Banks	8th	7th	1



20.1 प्रक्रिया केंद्रित पहल:

बैंक ने अपने सीबीएस हार्डवेयर और कोर नेटवर्क को उच्च-स्तरीय उपकरणों से अपग्रेड किया है। इस रिफ्रेश हार्डवेयर ने संव्यवहारों की प्रोसेसिंग गति में बहुत सुधार किया है, समग्र प्रणाली दक्षता को बेहतर किया है तथा विश्वसनीयता और मापनीयता दोनों को बढ़ाया है, जिससे बड़ी संख्या में संव्यवहारों और ग्रोथ पीरियड्स के दौरान भी निर्बाध शाखा परिचालन सुनिश्चित हुआ है।

बैंक ने आपदा रिकवरी पूर्व अभ्यासों को स्वचालित करने के लिए डीआर ऑटोमेशन टूल को सफलतापूर्वक स्थापित किया है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम हुआ है, रिकवरी समय में सुधार हुआ है, और मजबूत परिचालन अनुकूलन सुनिश्चित हुआ है।

बैंक ने एपीआई प्रबंधन के लिए एपीजी प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लागू किया है जो आंतरिक और बाहरी एपीआई के लिए एपीआई एकीकरण के अनुपालन, सुरक्षा और अभिशासन को बढ़ाएगा।

बैंक ने मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सीबीएस, यूपीआई और ईपीएस के अलावा ईएफटी स्विच में भी ईएफआरएमएस एकीकरण को शामिल किया है। इससे सभी डिजिटल चैनलों पर वास्तविक समय में धोखाधड़ी की निगरानी सुनिश्चित होती है, जिससे सुरक्षा और ग्राहक विश्वास मजबूत बनता है।

बैंक ने O365 ई-मेल समाधान लागू किया है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल है और सभी ई-मेल क्लाइंट के साथ आसानी से काम करता है, जहाँ बैंक कर्मचारी कार्यालय में एक ही समय में पाँच अलग-अलग डिवाइस पर साइन-इन कर सकते हैं। इसमें एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन और एडवांस फ़िशिंग प्रोटेक्शन मौजूद है।

बैंक ने नए उपकरणों के साथ एप्लीकेशन सेंट्रिक इंटरफेस (एसीआई) कंट्रोलर, एसीआई लीफ और एफईएक्स स्विचेस को शामिल किया है, जो बेहतर प्रदर्शन, अतिरिक्त सुरक्षा, बेहतर स्केलेबिलिटी, कम डाउनटाइम, कम रखरखाव और बेहतर अनुपालन सुविधा युक्त है।

बैंक ने व्यवसाय प्रतिनिधियों वाले केंद्रों में ऑफ-अस और ऑन-अस कैश डिपॉजिट सुविधा सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन गेटवे के अंतर्गत कई अन्य सेवाएँ भी स्थापित की गई हैं।

20.2 ग्राहकों की सुविधा के लिए सीधे प्रसंस्करण (एसटीपी) यात्राएँ:

कई ग्राहक-केंद्रित स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) यात्राएँ कार्यान्वित की गई हैं, जिससे तेज़ और अधिक कुशल लेनदेन संभव हो सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- I. **कार्यशील पूंजी का स्वतः नवीनीकरण:** ₹10 लाख तक के कार्यशील पूंजी ऋणों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वतः नवीनीकरण, जिससे शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- II. **मुद्रा सीसी ऋण योजना:** बैंक मुद्रा सीसी ऋण योजना के लिए एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है।

20.1 Process Centric Initiatives

Bank has upgraded its CBS hardware and core network with high-end equipment. This hardware refresh has greatly improved transaction processing speed, enhanced overall system efficiency, and increased both reliability and scalability, ensuring seamless branch operations even during peak loads and growth periods

Bank has successfully deployed the DR Automation Tool to automate disaster recovery drills reducing manual intervention, improved recovery time, and ensures robust operational resilience.

Bank has successfully implemented Apigee platform for API management which will enhance compliance, security, and governance of API integrations for internal & external APIs

Bank has extended EFRMS integration to EFT Switch, in addition to Mobile Banking, Internet Banking, CBS, UPI, and AePS. This ensures real-time fraud monitoring across all digital channels, enhancing security and customer trust.

Bank has implemented O365 email solution which is user friendly and work smoothly with all email clients where in bank staff can sign into the office on five different devices at the same time. This comes with Advance Threat Protection, and advance Phishing protection.

Bank has undergone, Application Centric Interface (ACI) Controllers, ACI Leaf and Fex Switches with new devices which comes with improved performance, enhanced security, better scalability, reduced downtime, lower maintenance and improved compliance.

Bank has successfully deployed Offus and Onus Cash deposit at Business Correspondent locations. In addition, many other services are deployed under Financial Inclusion Gateway.

20.2 Straight-Through Processing (STP) Journeys for Customer Convenience:

Several customer centric Straight Through Processing (STP) journeys have been implemented, allowing for faster and more efficient transactions. These include:

- I. **Working Capital Auto Renewal:** Auto renewal of working capital loans up to ₹10 lakh electronically, eliminating the need for branch visits.
- II. **Mudra CC Loan Scheme:** The Bank offers a streamlined online application process for the Mudra CC loan scheme.



III. **ऑनलाइन खाता खोलना :** वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन बचत खाता खोलना: बैंक ने अपने सुरक्षित और पूरी तरह से अनुपालित वीडियो केवाईसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 35,000 से अधिक बचत खाते खोलने में सफलता प्राप्त की है, इस प्रकार ग्राहकों को भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत की आवश्यकता के बिना दूर से ही खाते खोलने में सक्षम बनाया गया है।

ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को स्टीमलाइन करने के लिए, बैंक ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए रविवार और छुट्टियों के दिनों में भी बचत खाते खोलने की सुविधा प्रदान की है। 31 मार्च, 2025 तक इन अतिरिक्त दिनों में 1,400 से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं।

वर्तमान में, बैंक पांच अलग-अलग प्रकार के बचत खाते की सुविधा प्रदान करता है जिन्हें वीडियो केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से खोला जा सकता है, जिससे ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और अनुकूलता में वृद्धि हुई है।

IV. **मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ईएफडी आरडी:** ग्राहक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से आसानी से सावधि जमा (एफडी) और आवर्ती जमा (आरडी) खातों में निवेश कर सकते हैं। इस डिजिटल चैनल ने 31 मार्च 2025 तक ₹770 करोड़ से अधिक राशि संग्रहीत की है।

V. **डिजिटल स्वर्ण ऋण जर्नी:** बैंक ने ग्राहकों को ₹10 लाख तक के ऋण का लाभ उठाने के लिए स्वर्ण ऋण डिजिटल जर्नी की शुरुआत की है, जिसमें मूल्यांकनकर्ता के साथ अपॉइंटमेंट बुक करने का विकल्प है, इससे शाखा में ऋण प्रक्रिया में तेजी और अधिक कुशलता सुनिश्चित हुई है।

VI. **ई-जीएसटी क्रेडिट योजना:** बैंक ने व्यवसाय मालिकों के लिए ₹10 लाख से ₹25 लाख तक के जीएसटी-आधारित ऋण के लिए आवेदन करने की डिजिटल जर्नी कार्यान्वित की है, जिससे न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ कार्यशील पूंजी तक पहुंच आसान हो गई है।

VII. **डिजिटल कार ऋण:** ग्राहक ₹10 लाख तक के कार ऋण के लिए डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप खत्म हो गया है, साथ ही, त्वरित ऋण स्वीकृति के लिए डीलर भी उनकी ओर से आवेदन कर सकते हैं।

VIII. **पीएम विश्वकर्मा योजना:** बैंक ने 18 ट्रेडों में कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, डिजिटल प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करने की सरकारी पहल के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) डिजिटल ऋण लागू किया है।

बैंक निरंतर नवाचार और अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार हेतु समर्पित है ताकि ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। डिजिटल कॉर्पोरेट वेतन खाता खोलना, अर्जित वेतन अग्रिम, एटीएल डेयरी ऋण और किसान तत्काल जैसे नए प्रस्तावों की श्रृंखला, सुविधा को बेहतर करने और हमारे ग्राहकों की बदलती वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

III. **Online Account Opening:** Online Savings Account Opening via Video KYC: The Bank has successfully facilitated the opening of over 35,000 savings accounts through its secure and fully compliant Video KYC platform, enabling customers to open accounts remotely without the need for physical documentation.

To enhance customer convenience and streamline the onboarding process, the Bank extended its services to include savings account openings on Sundays and Holidays. As of March 31, 2025, more than 1,400 accounts have been opened on these additional days.

Currently, the Bank offers five distinct types of savings accounts that can be opened through the Video KYC process, further expanding access and flexibility for customers.

IV. **eFD RD through Mobile Banking & Internet Banking:** Customers can invest in fixed deposit (FD) and recurring deposit (RD) accounts conveniently through mobile banking and internet banking applications. This digital channel has mobilized over ₹770 Crore as on 31st March 2025.

V. **Digital Gold Loan Journey:** Bank has introduced Gold Loan Digital Journey for customers to avail loans up to ₹10 lakh with an option to book an appointment with an appraiser, ensuring a quicker and more efficient in-branch loan process.

VI. **e-GST Credit Scheme:** Bank has implemented digital journey for business owners to apply for GST-based loans ranging from ₹10 lakh to ₹25 lakh, simplifying access to working capital with minimal paperwork.

VII. **Digital Car Loan:** Customers can apply for car loans up to ₹10 lakh digitally, eliminating manual intervention, with dealers also able to apply on their behalf for faster loan approval.

VIII. **PM Vishwakarma Scheme:** Bank has implemented a Straight Through Process (STP) digital loan for a government initiative to support artisans and craftspeople in 18 trades, providing skill training, financial aid, digital incentives, and marketing support.

The Bank is dedicated to continuous innovation and expanding its product portfolio to better meet the needs of our customers. Our robust pipeline of new offerings, such as Digital Corporate Salary Account Opening, Earned Salary Advance, ATL Dairy Loan, and Kisan Tatkāl, is designed to enhance convenience and address the evolving financial requirements

20.3 एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण:

बेहतर पहुँच: पहुँच और सुविधा बढ़ाने के लिए, हमने अपने एटीएम नेटवर्क को नवीनतम तकनीक के साथ अपग्रेड किया है। इसमें दिव्यांगों के अनुकूल सुविधायुक्त एटीएम और केश रिसाइकलर, साथ ही सेल्फ-अपडेट पासबुक शामिल हैं। प्रमुख स्थानों पर कियोस्क और मल्टीफंक्शन कियोस्क स्थापित किए गए हैं।

20.3 Modernizing ATM Infrastructure:

Enhanced Accessibility: To enhance accessibility and convenience, we have upgraded our ATM network with the latest technology. This includes ATMs and Cash Recyclers equipped with disability-friendly features, along with Self-update Passbook Kiosks and Multifunction Kiosks deployed at strategic locations.



वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने 500 से अधिक नए एटीएम और कैश रिसाइक्लर स्थापित किए, जिससे हमारे नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ और नकद निकासी, जमा जैसी आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ।

During FY 2024-25, we installed over 500 new ATMs and Cash Recyclers, significantly expanding our network and improving access to essential banking services such as cash withdrawals, deposits, and more.

20.4 दक्षता का अनुकूलन:

- I. **एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित:** वित्तीय वर्ष 2024-25 में, हमने सभी नई खोली गई शाखाओं में उनके शुभारंभ से ही कैश रिसाइक्लर मशीनें उपलब्ध करके परिचालन दक्षता में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। ग्राहकों को शुरू से ही निर्बाध नकद जमा और निकासी सेवाओं के लिए इन मशीनों के उपयोग की जानकारी दी गई थी। इस सक्रिय दृष्टिकोण के कारण एटीएम/ रिसाइक्लर के उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई, नकद निकासी के लिए 60% ग्राहकों की यह पहली पसंद है और 20% नकद जमा के लिए इन मशीनों उपयोग करते हैं।
- II. **समग्र प्रक्रिया से संबंधित:**
 - i. बैंक ने अपने सीबीएस हार्डवेयर और कोर नेटवर्क को उच्च-स्तरीय उपकरणों से अपग्रेड किया है। इस हार्डवेयर रिक्रेश ने लेन-देन प्रसंस्करण गति में बहुत सुधार किया है, समग्र प्रणाली दक्षता के साथ-साथ विश्वसनीयता और मापनीयता दोनों को बढ़ाया है, जिससे पीक लोड और विकास अवधि के दौरान भी शाखा का निर्बाध संचालन सुनिश्चित हुआ है। बैंक ने आपदा रिकवरी अभ्यासों को स्वचालित करने के लिए डीआर ऑटोमेशन टूल को सफलतापूर्वक स्थापित किया है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम हुआ है, रिकवरी का समय बेहतर हुआ है और मजबूत परिचालन लचीलापन सुनिश्चित हुआ है।
 - ii. बैंक ने ऑफिस 365 ईमेल समाधान कार्यान्वित किया है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल है और सभी ईमेल क्लाइंट के साथ आसानी से काम करता है, इसमें बैंक कर्मचारी कार्यालय में एक ही समय में पाँच अलग-अलग डिवाइस पर साइन इन कर सकते हैं। यह एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन और एडवांस फिशिंग प्रोटेक्शन के साथ आता है।
 - iii. बैंक ने नए उपकरणों के साथ एप्लिकेशन सेंट्रिक इंटरफ़ेस (एसीआई) कंट्रोलर, एसीआई लीफ और एफईएक्स स्विच को अपनाया है जो बेहतर कार्यनिष्पादन, संवर्धित सुरक्षा, बेहतर मापनीयता, कम डाउनटाइम, कम रखरखाव और बेहतर अनुपालन के साथ आता है।
 - iv. बैंक ने व्यवसाय प्रतिनिधि स्थलों पर ऑफ़स और ऑनस कैश डिपॉज़िट को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन गेटवे के अंतर्गत अन्य सेवाएँ नियोजित की गई हैं।

20.4 Optimizing Efficiency:

- I. **ATM Infrastructure related:** In FY 2024-25, we achieved a milestone in operational efficiency by equipping all newly established branches with Cash Recycler Machines from their opening day. Customers were introduced to these machines for seamless cash deposit and withdrawal services right from the start. This proactive approach led to a substantial increase in ATM/Recycler usage, with 60% of customers preferring these machines for cash withdrawals and 20% utilizing them for cash deposits.
- II. **Overall Process related:**
 - i. Bank has upgraded its CBS hardware and core network with high-end equipment. This hardware refresh has greatly improved transaction processing speed, enhanced overall system efficiency, and increased both reliability and scalability, ensuring seamless branch operations even during peak loads and growth periods. Bank has successfully deployed the DR Automation Tool to automate disaster recovery drills reducing manual intervention, improved recovery time, and ensures robust operational resilience.
 - ii. Bank has implemented Office 365 email solution which is user friendly and work smoothly with all email clients where in bank staff can sign into the office on five different devices at the same time. This comes with Advance Threat Protection, and advance Phishing protection.
 - iii. Bank has undergone, Application Centric Interface (ACI) Controllers, ACI Leaf and Fex Switches with new devices which comes with improved performance, enhanced security, better scalability, reduced downtime, lower maintenance and improved compliance.
 - iv. Bank has successfully deployed Offus and Onus Cash deposit at Business Correspondent locations. In addition, many other services are deployed under Financial Inclusion Gateway.

20.5 समग्र बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म की परिकल्पना:

- एकीकृत ग्राहक अनुभव: बैंक ने लाइफ़स्टाइल बैंकिंग एप्लिकेशन विकसित की है जो दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सेवाओं के साथ जोड़ता है। इसकी सहायता से यह उपयोगकर्ताओं खातों का प्रबंधन करने, खर्चों को ट्रैक करने और ऑनलाइन, इन-स्टोर या पीयर-टू-पीयर भुगतान कर सकते हैं।

20.5 Envisioning a Holistic Banking Platform:

- Integrated Customer Experience: Bank has undertaken development of lifestyle banking application that combines financial services with features tailored to enhance daily life. It allows users to manage accounts, track expenses, and make seamless payments, whether online, in-store, or peer-to-peer.



20.6 फिनटेक भागीदारी का लाभ उठाना:

I. त्वरित डिजिटल परिवर्तन:

बैंक ने रणनीतिक रूप से 139 फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) कंपनियों को सूचीबद्ध किया है और विभिन्न तकनीकी पहलों के विकास के लिए 15+ फिनटेक के साथ कार्य जारी है।

20.7 वित्तीय वर्ष 2024-25 में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

- उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म:** वित्तीय वर्ष 2024-25 में, हमने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग (एमबी), इंटरनेट बैंकिंग (आईबी) और व्हाट्सएप बैंकिंग प्लेटफॉर्म में नई विशेषताओं को जोड़कर अपग्रेड किया। मोबाइल बैंकिंग अब 30 अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करती है, इंटरनेट बैंकिंग को 6 नई सेवाओं से समृद्ध किया गया है, और व्हाट्सएप बैंकिंग में 19 नई सुविधाएँ शामिल हैं, जो सहज और सुविधाजनक वित्तीय प्रबंधन को सक्षम बनाती हैं।
- नवाचार यूपीआई समाधान:** बैंक ने वर्ष के दौरान अपने यूपीआई ऑफरिंग में अभूतपूर्व संवृद्धि का शुभारंभ किया है। ग्राहकों की सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए पिन की आवश्यकता के बिना, कम-मूल्य वाले लेन-देन की सुविधा के लिए यूपीआई लाइट का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) सुविधा को एकीकृत किया गया, जिससे यूपीआई का उपयोग करके एटीएम से सुरक्षित और पिन-मुक्त नकदी निकासी की सुविधा मिली, जिससे पहुँच और सुरक्षा में वृद्धि हुई।

20.8 साइबर सुरक्षा

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने सिस्टम, डेटा और हितधारकों की सुरक्षा के लिए अपने साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे के संवर्धन हेतु अटूट प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। यह प्रतिबद्धता बढ़ते साइबर खतरों के विरुद्ध बैंक की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए विकास और पहलों की एक श्रृंखला से परिलक्षित होती है।

- साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना:** बैंक ने 25 से अधिक उन्नत तकनीकों से युक्त एक व्यापक "सुरक्षा समाधान सुइट" स्थापित किया है। ये समाधान साइबर सुरक्षा के कई पहलुओं का निराकरण करते हैं, जिसमें प्रमाणीकरण, खतरे का पता लगाना और नेटवर्क सुरक्षा शामिल है, जो एक मजबूत रक्षा तंत्र सुनिश्चित करता है।

क. प्रोजेक्ट कवच 2.0: साइबर सुदृढता में एक माइलस्टोन : साइबर सुदृढता पहल के अंतर्गत, प्रोजेक्ट कवच 2.0 को 2024-25 में उभरती साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया था। प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

20.6 HARNESSING FINTECH PARTNERSHIPS:

I. Accelerated Digital Transformation:

The Bank has strategically empaneled 139 FinTech (Financial Technology) companies and is working with 15+fintechs for development of various technological initiatives.

20.7 EXPANSION OF DIGITAL BANKING SERVICES IN FY 2024-25

- Enhanced Digital Platforms:** In FY 2024-25, we significantly upgraded our Mobile Banking (MB), Internet Banking (IB), and WhatsApp Banking platforms, adding new features to enhance customer experience. Mobile Banking now offers 30 additional services, Internet Banking has been enriched with 6 new services, and WhatsApp Banking features 19 new offerings, enabling seamless and convenient financial management.
- Innovative UPI Solutions:** The Bank introduced groundbreaking enhancements to its UPI offerings during the year. UPI Lite was launched to facilitate faster, low-value transactions without requiring a PIN, streamlining customer convenience. Furthermore, the Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) feature was integrated, allowing secure and PIN-free cash withdrawals from ATMs using UPI, combining accessibility with enhanced security.

20.8 Cyber Security

In the FY 2024-25, the Bank of Maharashtra has demonstrated an unwavering commitment to enhancing its cybersecurity infrastructure to protect its systems, data, and stakeholders. This commitment is reflected in a series of initiatives and advancements aimed at fortifying the Bank's defenses against evolving cyber threats

- Strengthening Cybersecurity Framework:** The Bank has deployed a comprehensive "suite of security solutions" comprising over 25 advanced technologies. These solutions address multiple aspects of cybersecurity, including authentication, threat detection, and network security, ensuring a robust defense mechanism.

a. Project KAVACH 2.0: A Milestone in Cyber Resilience : Under the Cyber Resilience initiative, Project KAVACH 2.0 was implemented in 2024-25 to tackle evolving cyber challenges. Key features include:



i. साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) रिफ्रेश: सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन (एसआईईएम) प्रणाली को आईबीएम क्यू-रडार के एंटरप्राइज़ वर्जन में अपग्रेड किया गया और उन्नत नेटवर्क पहचान और प्रतिक्रिया के लिए क्यू-रडार नेटवर्क इनसाइट्स (क्यूएनआई) का शुभारंभ किया गया।

ii. एंटी-एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी) उपकरण: किसी भी फ़िशिंग या ब्रांड दुरुपयोग गतिविधियों का पता लगाने तथा रोकने और किसी भी उन्नत सुरक्षा संवर्धन की निगरानी के लिए नेटवर्क निगरानी क्षमता और सेवा सुदृढ़ तंत्र के संवर्धन हेतु स्थापित किया गया।

iii. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी): एनसीसीसी परियोजना के चरण 2 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसमें साइबर खतरे की खुफिया जानकारी के लिए हनीपोट उपकरणों की स्थापना शामिल थी।

iv. एंटी-डीडीओएस समाधान: दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करके वितरित डिनायल ऑफ़ सर्विस (डीडीओएस) हमलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

v. एसएसटी और डीएसटी समाधान: निरंतर सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए एकीकृत स्टेटिक और डायनेमिक एप्लिकेशन सुरक्षा परीक्षण।

vi. विशेषाधिकार एक्सेस प्रबंधन (पीएएम) अपग्रेड: नवीनतम यू 16 वर्जन में रूपांतरण, जो डेटा केंद्रों और आपदा पुनर्प्राप्ति साइटों पर एक्सेस नियंत्रण को संवर्धित करता है।

vii. एंडपॉइंट डिटेक्शन और रिसपॉन्स (ईडीआर): खतरे का पता लगाने और प्रतिक्रिया के लिए उन्नत एंडपॉइंट सुरक्षा समाधान कार्यान्वित किए गए।

ख. वैश्विक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता :

बैंक ने मेसर्स डेलोइट के मार्गदर्शन में आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह प्रमाणन वैश्विक साइबर सुरक्षा मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, पीसीआई डीएसएस 4.0 प्रमाणन पहल उन्नत चरणों में है, जो वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाती है।

ग. साइबर जागरूकता अभियान :

साइबर धोखाधड़ी को रोकने में जागरूकता के महत्व को समझते हुए, बैंक ने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए व्यापक अभियानों का आयोजन किया है:

- मासिक फ़िशिंग सिमुलेशन:** फ़िशिंग हमलों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण।
- जागरूकता परिपत्र:** घोटाले की कार्यप्रणालियों और निवारक उपायों पर अपडेट प्रसारित किए गए।
- सोशल मीडिया आउटरीच:** "सयाने साइबर टिप्स" वीडियो और नियमित अपडेट के माध्यम से साइबर टिप्स और सर्वोत्तम उपायों की जानकारी साझा की गई।
- एसएमएस और ईमेल अलर्ट:** साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम उपायों का सक्रिय रूप से संचरित करना।
- इंटरैक्टिव प्रशिक्षण कार्यक्रम:** साइबर स्वच्छता पर प्रश्नोत्तरी और विशेष प्रशिक्षण सत्रों में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई।

i. Cyber Security Operations Center (CSOC) Refresh: Upgraded the Security Information and Event Management (SIEM) system to IBM Q-Radar's Enterprise version and introduced Q-Radar Network Insights (QNI) for advanced network detection and response.

ii. Anti- Advanced Persistent Threat (APT) Appliance: Deployed to enhance network monitoring capabilities and services Strengthened mechanisms to detect and prevent any phishing or brand abuse activities and to monitor any Advanced Security Enhancements.

iii. National Cyber Coordination Centre (NCCC): Successfully completed Phase 2 of the NCCC project, which included the deployment of Honeypot Devices for Cyber Threat Intelligence.

iv. Anti-DDoS Solution: Provides protection against Distributed Denial of Service (DDoS) attacks by filtering malicious traffic.

v. SAST & DAST Solutions: Integrated Static and Dynamic Application Security Testing for continuous security auditing.

vi. Privilege Access Management (PAM) Upgrade: Transitioned to the latest U16 version, enhancing access control at data centers and disaster recovery sites.

vii. Endpoint Detection and Response (EDR): Implemented advanced endpoint security solutions for threat detection and response.

b. Commitment to Global Standards:

The Bank has made significant progress toward ISO 27001:2022 certification, with guidance from M/s Deloitte. This certification ensures alignment with global cybersecurity standards. Additionally, the PCI DSS 4.0 certification initiative is in advanced stages, enhancing the security of financial transactions

c. Cyber Awareness Campaigns :

Recognizing the importance of awareness in preventing cyber fraud, the Bank has conducted extensive campaigns targeting employees and customers:

- Monthly Phishing Simulations:** Regular training for staff to identify and mitigate phishing attacks.
- Awareness Circulars:** Disseminated updates on scam tactics and preventive measures.
- Social Media Outreach:** Cyber tips and best practices shared through "Sayane Cyber Tips" videos and regular updates.
- SMS and Email Alerts:** Proactive communication of cybersecurity best practices.
- Interactive Training Programs:** Engaged staff through quizzes and specialized training sessions on cyber hygiene



घ. साइबर सुरक्षा टेबलटॉप अभ्यास:

मेसर्स डेलोइट के साथ एक टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ कार्यपालकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए जागरूकता और प्रतिक्रिया रणनीतियों पर फोकस किया गया। इस पहल ने साइबर खतरों के विरुद्ध तैयारी और सतर्कता पर जोर दिया।

ङ. खतरे की खुफिया जानकारी के लिए सहयोगात्मक प्रयास:

बैंक नवीनतम कमजोरियों और खतरों से अवगत रहने के लिए सीईआरटी-इन, एनसीआईआईपीसी, आईडीआरबीटी और डीएससीआई सहित बाहरी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण मजबूत निवारक उपायों को सुनिश्चित करता है।

एक सुरक्षित इकोसिस्टम बनाने हेतु, बैंक ने विक्रेता कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा स्वच्छता पर वेबिनार आयोजित किए। ये प्रयास साइबर सुरक्षा बनाए रखने में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करते हैं।

च. संवर्धित साइबर सुदृढ़ता :

बैंक का श्रेणी "ए" में वर्गीकरण और साइबर अभ्यास में बेहतर प्रदर्शन इसकी संवर्धित लचीलेपन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बिटसाइट जैसे प्लेटफॉर्मों पर उच्च स्कोर इसके साइबर सुरक्षा उपायों की दृढ़ता को उजागर करते हैं।

ये पहल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अपने हितधारकों की सुरक्षा, स्थायी आईटी अनुपालन प्राप्त करने और एक सुरक्षित परिचालन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रति समर्पण की पुष्टि करती हैं।

बैंक ने एपीआई प्रबंधन के लिए एपिजी प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लागू किया है जो आंतरिक और बाहरी एपीआई के लिए एपीआई एकीकरण के अनुपालन, सुरक्षा और गवर्नेंस का संवर्धन करेगा। बैंक ने मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सीबीएस, यूपीआई और ईपीएस के अलावा ईएफटी स्विच में ईएफआरएमएस एकीकरण का विस्तार किया है। यह सभी डिजिटल चैनलों पर वास्तविक समय में धोखाधड़ी की निगरानी सुनिश्चित करता है, जिससे सुरक्षा और ग्राहक विश्वास बढ़ता है।

20.9 डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना: बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डिजिटल बिजनेस ज़ोन की सफलता

- I. डिजिटल बिजनेस ज़ोन, एक समर्पित क्रॉस-फ़ंक्शनल इकाई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में अग्रणी है। बैंक की डिजिटल पहलों को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए स्थापित, यह ग्राहक की डिजिटल यात्रा को एंड-टू-एंड नियंत्रित करता है, सभी डिजिटल चैनलों पर त्वरित, नवोन्मेष और ग्राहक-केंद्रित समाधान प्रदान करता है।
- II. डिजिटल विकास एजेंडा के एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हुए 31 मार्च 2025 तक बैंक के डिजिटल बिजनेस ज़ोन ने ₹6,700 करोड़ से अधिक का उल्लेखनीय व्यवसाय संग्रहित किया है।
- III. भविष्य को देखते हुए, बैंक नवोन्मेष और अपने डिजिटल ऑफ़रिंग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल वाहन ऋण और डिजिटल पीएम सूर्य घर योजना जैसे आगामी उत्पादों की एक मजबूत पाइपलाइन ग्राहकों की सुविधा के संवर्धन और उभरती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है।

d. Cybersecurity Tabletop Exercises:

A tabletop exercise was conducted with M/s Deloitte, focusing on awareness and response strategies for senior executives and top management. This initiative emphasized preparedness and vigilance against cyber threats.

e. Collaborative Efforts for Threat Intelligence :

The Bank collaborates with external agencies, including CERT-IN, NCIIIPC, IDRBT, and DSCI, to stay informed about the latest vulnerabilities and threats. This proactive approach ensures robust preventive measures.

To create a secure ecosystem, the Bank organized webinars on cybersecurity hygiene for vendor employees. These efforts underline the importance of collective responsibility in maintaining cybersecurity.

f. Enhanced Cyber Resilience:

The Bank's categorization into Category "A" and improved performance in cyber drills reflect its enhanced resilience. Additionally, higher scores on platforms like BitSight highlight the robustness of its cybersecurity measures.

These initiatives reaffirm the Bank of Maharashtra's dedication to leveraging technology to protect its stakeholders, achieve sustainable IT compliance, and ensure a secure operational environment.

Bank has successfully implemented Apigee platform for API management which will enhance compliance, security, and governance of API integrations for internal & external APIs. Bank has extended EFRMS integration to EFT Switch, in addition to Mobile Banking, Internet Banking, CBS, UPI, and AePS. This ensures real-time fraud monitoring across all digital channels, enhancing security and customer trust.

20.9 Driving Digital Transformation: The Success of Bank of Maharashtra's Digital Business Zone

- I. The Digital Business Zone, a dedicated cross-functional unit, is at the forefront of Bank of Maharashtra's digital transformation journey. Established to streamline and strengthen the Bank's digital initiatives, it takes end-to-end ownership of the customer's digital journey, delivering agile, innovative, and customer-focused solutions across all digital channels.
- II. As of 31st March 2025, the Digital Business Zone has mobilized a remarkable business of over ₹6,700 Crore, cementing its role as a pivotal enabler of the Bank's digital growth agenda.
- III. Looking ahead, the Bank remains committed to innovation and expanding its digital offerings. A robust pipeline of upcoming products—such as the Digital Vehicle Loan and Digital PM Surya Ghar Yojana Scheme—is poised to further enhance customer convenience and address evolving financial needs.



20.10 भविष्य में सुधार:

i कार्यबल क्षमता का निर्माण - आईटी और डिजिटल परिवर्तन इससे संबंधित लोगों जितना ही मजबूत होता है। बैंक का लक्ष्य भविष्य के लिए तैयार कौशल के माध्यम से कर्मचारियों को सशक्त बनाना है:

- क. संरचित शिक्षण कार्यक्रम:** प्रमाणन-आधारित और व्यावहारिक शिक्षण पद्धति का निर्माण करना।
- ख. लक्ष्य:** वित्तीय वर्ष 25-26 के अंत तक आईटी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या प्रशिक्षित और प्रमाणित की जाएगी।
- ग. नवाचार की संस्कृति:** कर्मचारियों को विचार निर्माण और डिजिटल नवोन्मेषी पहलों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना।

II. केंद्रीकृत निगरानी और नियंत्रण स्थापित करना: व्यापक पैमाने पर आईटी परिदृश्य के प्रबंधन के लिए परिचालन दृश्यता और नियंत्रण महत्वपूर्ण हैं। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने अत्याधुनिक निगरानी बुनियादी ढांचे को परिचालित किया है

- क. 24x7 आईटी कमांड सेंटर:** महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अनुप्रयोगों और नेटवर्क की वास्तविक समय में निगरानी के लिए सुसज्जित है।
- ख. 14 एचडी डैशबोर्ड:** सिस्टम हेल्थ, ट्रांजक्शन वोल्यूम, घटना की स्थिति और अपटाइम मेट्रिक्स का विजुअल प्रतिनिधित्व।
- ग. सक्रिय चेतावनी और प्रतिक्रिया:** सिस्टम विसंगतियों या कार्यप्रणाली में कमियों के लिए तत्काल हस्तक्षेप को सक्षम बनाना।

III. मुख्य कार्रवाई बिंदु - भविष्य के लक्ष्य: भविष्य को देखते हुए, बैंक रणनीतिक संवर्धन की अगले वेव को क्रियान्वित करने हेतु ध्यान केंद्रित कर रहा है:

- क. एआई/एमएल में उपयोग मामलों का कार्यान्वयन
- ख. इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा करना
- ग. डीआर ऑटोमेशन रोलआउट बैंक-वाइड,
- घ. समावेशी बैंकिंग सुविधाओं का रोलआउट
- ङ. डिजिटल एक्सेसिबिलिटी संवर्धन की शुरुआत
- च. कमांड सेंटर क्षमताओं का विस्तार
- छ. लक्षित साइबर सुरक्षा अभ्यास और थ्रेट सिमुलेशन

20.10 Future Enhancement:

I Building Workforce Capability - IT & Digital transformation is only as strong as the people behind it. Bank aims to empower employees through future-ready skills:

- a. Structured Learning Programs:** Creating certification-based and hands-on learning paths.
- b. Target:** A substantial percentage of IT staff trained and certified by the end of FY25-26.
- c. Culture of Innovation:** Encouraging employees to participate in idea generation and digital innovation initiatives.

II. Establishing Centralized Monitoring & Control - Operational visibility and control are critical to managing a large-scale IT landscape. To this end, the bank has operationalized a state-of-the-art monitoring infrastructure:

- a. 24x7 IT Command Centre:** Equipped to monitor mission-critical infrastructure, applications, and networks in real-time.
- b. 14 HD Dashboards:** Visual representations of system health, transaction volumes, incident status, and uptime metrics.
- c. Proactive Alerting & Response:** Enabling immediate intervention for system anomalies or performance degradation.

III. Key Action Points – Future Goals - Looking ahead, Bank is focused on executing the next wave of strategic enhancements:

- a. Implementation of Use Cases in AI/ML
- b. Completion of Infrastructure Modernization Projects
- c. DR Automation Rollout Bank-wide
- d. Rollout of Inclusive Banking Features
- e. Launching Digital Accessibility Enhancements
- f. Expansion of Command Centre Capabilities
- g. Targeted Cybersecurity Drills and Threat Simulation

21

उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता: बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण

21.1 उद्योग-अग्रणी प्रणाली को अपनाना:

- I. गोइपोरिया, डॉ. एस.एस. तारापोरे और दामोदरन जैसी प्रतिष्ठित समितियों की सिफारिशों को शामिल कर शीर्ष-स्तरीय ग्राहक सेवा मानकों का पालन सुनिश्चित करना।
- II. बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) में सक्रिय सदस्यता, नैतिक और पारदर्शी बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखने के लिए ग्राहकों और एमएसएमई के लिए बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता को क्रियान्वित करना।

21

Commitment to Excellence: Bank of Maharashtra'S Customer-Centric Approach

21.1 Adopting Industry-Leading Practices:

- I. Incorporation of recommendations from renowned committees like Goiporia, Dr. S.S. Tarapore, and Damodaran, ensuring adherence to top-tier customer service standards.
- II. Active membership in the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), implementing the Code of Banks' Commitment to Customers and MSMEs to uphold ethical and transparent banking practices.



21.2 ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता:

- I. ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन
- क. दामोदरन समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए, हमने ग्राहकों की समस्याओं का उचित और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय में एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है।
- ख. जमा, चेक संग्रहण, शिकायत निवारण, क्षतिपूर्ति, मृतक जमाकर्ता के दावे और ग्राहक अधिकार जैसे प्रमुख पहलुओं पर हमारी बोर्ड-अनुमोदित नीतियां ग्राहक संवाद के लिए एक पारदर्शी और सुसंगत ढांचा प्रदान करती हैं।

21.3 मजबूत ग्राहक सेवा संरचना

- I. **शाखा-स्तरीय समर्थन:** ग्राहक सेवा समितियाँ सभी शाखाओं में कार्यरत हैं, जो ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने और स्थानीय सेवा सुधारों को लागू करने के लिए मासिक बैठक करती हैं।
- II. **अंचल और प्रधान कार्यालय की निगरानी:** अंचल स्तर की ग्राहक सेवा समितियाँ और प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति सेवा संवर्धन के लिए व्यवस्थित समीक्षा और मार्गदर्शन सुनिश्चित करती है।
- III. **बोर्ड-स्तरीय निगरानी:** ग्राहक सेवा पर बोर्ड की समिति सेवा की गुणवत्ता, शिकायत निवारण प्रणाली और ग्राहक संतुष्टि की समीक्षा के लिए तिमाही बैठक आयोजित करती है।

21.4 व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली

- I. हमने ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक मानक जन शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) स्थापित की है।
- II. एसपीजीआरएस सोशल मीडिया, हमारी वेबसाइट, शाखाओं, अंचल कार्यालयों, कॉल सेंटर्स और प्रधान कार्यालय के विभागों सहित कई चैनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को एकीकृत करता है।
- III. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) का प्रयोग कर, एसपीजीआरएस शिकायतों को कुशलतापूर्वक ट्रैक और रिकॉर्ड करता है, हितधारकों को सूचित करता है, तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर अनिर्णीत शिकायतों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाता है।

21.5 सेवा गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता:

- I. ग्राहक सेवा हेतु स्थायी समिति में उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं जिनकी अंतर्दृष्टि निरंतर सेवा सुधारों को बढ़ावा देती है।
- II. शाखाओं में एक क्यूआर-आधारित फीडबैक प्रणाली सेवा की गुणवत्ता पर ग्राहकों की राय को वास्तविक समय में एकत्र करने की सुविधा प्रदान करती है। समाधान पश्चात प्रतिसूचना ईमेल और एसएमएस लिंक के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित की जाती है।

21.2 Adopting Industry-Leading Practices:

- I. Protecting and Promoting Customer Rights
 - a. Following the recommendations of the Damodaran Committee, we have appointed an Internal Ombudsman at our Head Office to ensure fair and timely resolution of customer concerns.
 - b. Our Board-approved policies on key aspects, such as deposits, cheque collections, grievance redressal, compensation, deceased depositor claims, and customer rights, provide a transparent and consistent framework for customer interactions.

21.3 Robust Customer Service Structure

- I. **Branch-Level Support:** Customer Service Committees are operational at all branches, meeting monthly to address customer concerns and implement localized service improvements.
- II. **Zonal and Head Office Oversight:** Zonal Level Customer Service Committees and a Standing Committee on Customer Service at the Head Office ensure systematic review and guidance for service enhancements.
- III. **Board-Level Monitoring:** The Committee of the Board on Customer Service meets quarterly to oversee service quality, grievance redressal mechanisms, and customer satisfaction.

21.4 Comprehensive Grievance Redressal System

- I. We have deployed a Standard Public Grievance Redressal System (SPGRS) to ensure swift and effective resolution of customer complaints.
- II. SPGRS integrates complaints received via multiple channels, including social media, our website, branches, zonal offices, call centers, and Head Office departments.
- III. By leveraging Robotic Process Automation (RPA), SPGRS efficiently tracks and records complaints, notifies stakeholders, and escalates unresolved grievances to higher authorities within defined timelines.

21.5 Commitment to Service Quality:

- I. The Standing Committee on Customer Service includes industry experts whose insights drive continuous service improvements.
- II. A QR-based feedback system at branches allows real-time collection of customer opinions on service quality. Post-resolution feedback is also sought through email and SMS links to ensure satisfaction.



21.6 ग्राहक सहायता की बेहतर पहुँच:

- I. हमने पुणे में एक नए इनबाउंड कॉल सेंटर और नोएडा में एक नए इनबाउंड/ आउटबाउंड कॉल सेंटर के साथ अपने ग्राहक सहायता नेटवर्क का विस्तार किया है।
- II. ये केंद्र हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ सात क्षेत्रीय भाषाओं—कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती में सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे विविध ग्राहक आधार के लिए सुगम शिकायत निवारण सुनिश्चित होता है।

21.7 साइबर सुरक्षा जागरूकता और शिक्षा:

- I. हम बड़े पैमाने पर अभियानों के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं, ग्राहकों को साइबर अपराध की रोकथाम और साइबर स्वच्छता बनाए रखने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में शिक्षित करते हैं।
- II. ये संदेश व्हाट्सएप, ईमेल, शाखा डिजिटल डिस्प्ले और “साइबर जागरूकता दिवस” जैसे मासिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं।
- III. उन्नत प्रौद्योगिकी, व्यापक नीतियों और ग्राहक-केंद्रित पहलों को एकीकृत कर, हम सेवा की गुणवत्ता का निरंतर संवर्धन करते हुए ग्राहक संतुष्टि और हमारे ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं।

21.6 Enhanced Customer Support Accessibility:

- I. We've expanded our customer support network with a revamped inbound call center in Pune and a new inbound/outbound call center in Noida.
- II. These centers provide services in seven regional languages—Kannada, Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati—alongside Hindi and English, ensuring accessible grievance redressal for a diverse customer base.

21.7 Cybersecurity Awareness and Education:

- I. We actively promote cybersecurity awareness through mass campaigns, educating customers about cybercrime prevention and best practices for maintaining cyber hygiene.
- II. These messages are disseminated via WhatsApp, email, branch digital displays, and monthly events like “Cyber Jaagrukta Diwas” (Cyber Awareness Day).
- III. By integrating advanced technology, comprehensive policies, and customer-focused initiatives, we continue to enhance service quality, ensure customer satisfaction, and uphold the trust our customers place in us.

22

आंतरिक लोकपाल: ग्राहक अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ग्राहकों के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) फ्रेमवर्क स्थापित किया है। यह पहल पारदर्शी और कुशल शिकायत समाधान प्रणाली प्रदान करने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

22.1 स्वतंत्र समीक्षा और उद्देश्यपरक अंतर्दृष्टि:

- I. बैंक द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त किए गए शिकायतों की आंतरिक लोकपाल (आईओ) तटस्थ और गहन पुनर्मूल्यांकन द्वारा समीक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- II. आईओ द्वारा तैयार की गई आवधिक रिपोर्ट बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रस्तुत की जाती है, जिसमें शिकायत पैटर्न पर प्रकाश डाला जाता है और प्रणालीगत सुधारों के लिए मूल कारणों को उजागर किया जाता है।

22.2 निरंतर सुधार को बढ़ावा देना:

- I. ग्राहक सेवा समिति आंतरिक प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को परिष्कृत करने के लिए आईओ की अंतर्दृष्टि और सिफारिशों का उपयोग करती है।
- II. इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य आवर्ती मामलों का समाधान करना, सेवा वितरण का संवर्धन और मूल कारणों का प्रभावी रूप से निकारण करते हुए भविष्य की शिकायतों पर अंकुश लगाना है।

22

Internal Ombudsman: Commitment to Uphold customer rights:

In adherence to Reserve Bank of India (RBI) guidelines, the Bank of Maharashtra has established an Internal Ombudsman (IO) framework to ensure fair and independent grievance redressal for its customers. This initiative reflects the Bank's dedication to providing transparent and efficient complaint resolution mechanisms.

22.1 Independent Review and Objective Insights:

- I. The Internal Ombudsman (IO) reviews complaints that have been either partially or fully rejected by the Bank, ensuring a neutral and thorough reassessment.
- II. Periodic reports prepared by the IO are submitted to the Customer Service Committee of the Board, highlighting complaint patterns and uncovering root causes for systemic improvements.

22.2 Driving Continuous Improvement:

- I. The Customer Service Committee leverages the IO's insights and recommendations to refine internal procedures and guidelines.
- II. This proactive approach aims to address recurring issues, enhance service delivery, and prevent future complaints by tackling root causes effectively.



22.3 नई नियुक्ति के साथ निगरानी को मजबूत करना:

- परिचालन निरंतरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले लोकपाल के कार्यकाल के समापन के बाद 30 नवंबर, 2022 को एक नया आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया।

ग्राहक शिकायत की स्थिति:

22.3 Strengthening Oversight with New Appointment:

- In alignment with its commitment to operational continuity, the Bank of Maharashtra appointed a new Internal Ombudsman on November 30, 2022, following the conclusion of the previous Ombudsman's term.

Customer complaint Status

क्र. सं. Sr.No	विवरण Particulars	वि.व.2024-25 FY 2024-25	वि.व.2023-24 FY2023-24
1	वर्ष की शुरुआत में ग्राहक शिकायतें Customer Complaints at the beginning of the year	64	37
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Complaints received during the year	14632	17235
3	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतें Complaints redressed during the year	14556	17208
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें Complaints pending at the end of the year	140	64

यह संरचित शिकायत निवारण प्रणाली ग्राहक संतुष्टि पर बैंक के अटूट फोकस और सेवा उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

This structured grievance redressal mechanism underlines the Bank's unwavering focus on customer satisfaction and its commitment to maintaining the highest standards of service excellence.

23

केवाईसी-एएमएल-सीएफटी अनुपालन: वित्तीय एकीकरण सुनिश्चित करना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र वित्तीय अखंडता को बनाए रखने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे दृष्टिकोण में मजबूत नीतियां, उन्नत तकनीक और वित्तीय अपराध को कम करने के लिए सक्रिय उपाय शामिल हैं।

23.1 व्यापक केवाईसी-एएमएल-सीएफटी फ्रेमवर्क:

हमने अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्यापक अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) नीति लागू की है। यह ढांचा विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय अपराध को रोकने के हमारे प्रयासों का आधार है।

23

KYC-AML-CFT Compliance: Ensuring Financial Integrity

The Bank of Maharashtra is committed to upholding financial integrity and combating money laundering and terrorist financing activities. Our approach includes robust policies, advanced technology, and proactive measures to mitigate financial crime.

23.1 Comprehensive KYC-AML-CFT Framework:

We have implemented a comprehensive Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), and Combating Financing of Terrorism (CFT) policy, approved by our Board of Directors. This framework is the foundation of our efforts to ensure regulatory compliance and prevent financial crime.



23.2 केवाईसी अनुपालन के प्रमुख तत्व:

I. ग्राहक जागरूकता:

- हम अपनी वेबसाइट पर पात्र केवाईसी दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची प्रदान करके ग्राहकों को सशक्त बनाते हैं, जिससे पारदर्शिता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित होती है।
- यह पहल केवाईसी प्रक्रिया में ग्राहक भागीदारी को बढ़ावा देती है।

II. कर्मचारी प्रशिक्षण:

- हमारे समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों में नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, ताकि कर्मचारियों को केवाईसी-एएमएल-सीएफटी दिशा-निर्देशों के बारे में नवीनतम जानकारी दी जा सके।
- कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और बैंक की वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

23.3 उद्यम धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ईएफआरएमएस):

• सक्रिय धोखाधड़ी का पता लगाना

- ईएफआरएमएस कोर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एडपीएस, आईएमपीएस, एटीएम, ई-कॉमर्स, पीओएस और सीएमएस सहित प्रमुख डिजिटल लेनदेन चैनलों पर निगरानी और निवारक मोड में संचालित होते हैं।
- यह प्रणाली आरबीआई के निर्देशानुसार प्रमुख जोखिम मापदंडों के व्यापक सेट की सुविधा प्रदान करती है। ये नियम वास्तविक समय में विसंगतियों का पता लगाने और संदिग्ध लेनदेन को स्वचालित रूप से ब्लॉक या चिह्नित करने के लिए लागू किए गए हैं, जिससे धोखाधड़ी की रोकथाम में वृद्धि हुई है।

23.4 इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस)

- रियल-टाइम में वास्तविक ग्राहक लेनदेन को सत्यापित करने के लिए एक स्वचालित आईवीआरएस समाधान लागू किया जा रहा है।
- यह प्रणाली वैध लेनदेन में व्यवधान को कम करती है और धोखाधड़ी के प्रयासों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाती है।

23.5 आंतरिक खातों में परिचालन जोखिम को कम करने के लिए ऑफ-साइट निगरानी:

- हमारी ऑफ-साइट निगरानी यूनिट (ओएमयू) आंतरिक खातों में संदिग्ध लेनदेन का सक्रिय रूप से पता लगाती है।
- प्रारंभिक पहचान से बैंक को अनियमितताओं को तुरंत दूर करने, संभावित जोखिमों को कम करने और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने में मदद मिलती है।

23.6 साइबर शिकायत निवारण तंत्र

- एक समर्पित टीम महत्वपूर्ण "गोल्डन ऑवर" के दौरान खाता प्रीज करने और विवादित राशियों के लिए होल्ड लगाने जैसे सक्रिय उपायों को लागू करके साइबर शिकायतों का समाधान करती है।

23.2 Key Elements of KYC Compliance:

I. Customer Awareness:

- We empower customers by providing a detailed list of eligible KYC documents on our website, ensuring transparency and ease of access.
- This initiative fosters informed customer participation in the KYC process.

II. Employee Training:

- Regular training sessions are conducted at our dedicated training centers to equip staff with up-to-date knowledge of KYC-AML-CFT guidelines.
- Employees are trained to identify suspicious activities and protect the Bank's financial systems

23.3 Enterprise Fraud and Risk Management System (EFRMS):

• Proactive Fraud Detection

- The EFRMS operates in monitoring and preventive modes across major digital transaction channels, including Core Banking, Internet Banking, Mobile Banking, UPI, AePS, IMPS, ATM, E-commerce, POS, and CMS.
- The system leverages a comprehensive set of key risk parameters as advised by RBI. These rules implemented in real time to detect anomalies & automatically block or flag suspicious transactions, thereby enhancing fraud prevention.

23.4 Interactive Voice Response System (IVRS)

- An automated IVRS solution is being implemented to verify genuine customer transactions in real-time.
- This system minimizes disruptions for legitimate transactions while effectively curbing fraudulent attempts.

23.5 Off-site Monitoring for mitigating operational risk in internal accounts:

- Our Off-site Monitoring Unit (OMU) proactively detects suspicious transactions in internal accounts.
- Early detection allows the Bank to address irregularities swiftly, mitigate potential risks, and strengthen internal controls.

23.6 Cyber Complaint Redressal Mechanism

- A dedicated team addresses cyber complaints by implementing proactive measures such as account freezes and creating holds for disputed amounts during the critical "golden hour."



- II. दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में हमने एनसीआरपी पोर्टल के साथ एकीकरण किया है, हम जांच में तेजी लाने के लिए साइबर पुलिस के साथ संदिग्ध खाता विवरण साझा करते हैं।

हम शिकायत समाधान में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें धन उपलब्ध होने पर धोखाधड़ी वाले खातों को डेबिट करने के लिए अदालती आदेशों को निष्पादित करना भी शामिल है।

23.7 कानून प्रवर्तन एजेंसी अनुपालन

- I. बैंक के पास एक समर्पित एकल-बिंदु संपर्क है जो विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डेटा प्रस्तुतीकरण के कार्य को संभालता है, जिससे निर्बाध और कुशल जांच सुनिश्चित होती है।
- II. हम साइबर पुलिस, सीबीआई, एसएफआईओ, ईडी, सेबी, पीएमएलए और अन्य कानूनी आदेशों के अंतर्गत एजेंसियों को खाता विवरण, केवाईसी दस्तावेज, आईपी लॉग और सीसीटीवी फुटेज जैसे डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।

- II. As the second public sector we have integrated with the NCRP Portal, we share suspicious account details with cyber police to expedite investigations.

We actively assist in grievance resolution, including executing court orders to debit fraudulent accounts when funds are available.

23.7 Law Enforcement Agency Compliance

- I. Bank has a dedicated single-point contact which handles data submissions to various law enforcement agencies, ensuring seamless and efficient investigations.
- II. We provide digital and physical records, such as account statements, KYC documents, IP logs, and CCTV footage, to agencies like Cyber Police, CBI, SFIO, ED, SEBI, PMLA and others under legal mandates.

24

ईएसजी पहलों के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन और सतत प्रथाओं को आगे बढ़ाना:

24.1 जोखिम प्रबंधन: मजबूत और लचीली जोखिम संस्कृति

- I. बैंक का जोखिम प्रबंधन कार्य जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे परिभाषित नियत स्तरों में रहें। एक स्वतंत्र एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) इन गतिविधियों की देखरेख करता है, जो बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। विभाग का नेतृत्व मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) करते हैं, जो प्रबंध निदेशक और सीईओ और आरएमसी को रिपोर्ट करते हैं। अंचल स्तर पर, जोखिम प्रबंधन की देखरेख अंचल जोखिम अधिकारियों द्वारा की जाती है।
- II. बैंक ने व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे और नीतियां स्थापित की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति

ख. परिचालन जोखिम प्रबंधन और जोखिम संस्कृति नीति

ग. परिसंपत्ति देयता और बाजार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

घ. ऋण जोखिम प्रबंधन और कोलैटरल प्रबंधन नीति

ङ. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति

24

Managing Risks and Advancing Sustainable Practices and ESG initiatives:

24.1 Risk Management: Strong and Resilient Risk Culture

- I. The Bank's Risk Management function is designed to identify, measure, monitor, and control risks to ensure that they remain within the defined tolerance levels. An independent Integrated Risk Management Department (IRMD) oversees these activities, operating under the guidance of the Risk Management Committee (RMC) of the Board. The department is led by the Chief Risk Officer (CRO), who reports to the Managing Director & CEO and the RMC. At the zonal level, risk management is overseen by Zonal Risk Officers.
- II. The Bank has established comprehensive risk management frameworks and policies, including:
- Enterprise-wide Risk Management Policy
 - Policy on Operational Risk Management and Risk Culture
 - Asset Liability and Market Risk Management Policy
 - Credit Risk Management and Collateral Management Policy
 - Fraud Risk Management Policy



- III. ऋण जोखिम प्रबंधन के संवर्धन हेतु, बैंक ने उधारकर्ता ऋण जोखिम रेटिंग के लिए क्रिसिल बीओएम आइकन मॉडल को अपनाया है। स्वचालित प्रणालियाँ विभिन्न विवेकपूर्ण जोखिमों, कॉर्पोरेट ऋण उपयोग और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और आउटसोर्स सेवाओं से जुड़े जोखिमों के अनुपालन की निगरानी डिजिटल रूप से की जाती है।
- IV. बैंक तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर), स्टॉक दृष्टिकोण अनुपात, ब्याज दर संवेदनशीलता का विवरण (आईआरएस), संरचनात्मक तरलता का विवरण (एसएलएस) आदि के माध्यम से अपनी तरलता और आस्ति-देयता अंतर स्थिति की निगरानी करता है। बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन और तरलता जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने और स्वचालन के लिए ओएफएसए सॉल्यूशन लागू किया है। बाजार जोखिम प्रबंधन का स्वचालन प्रक्रियाधीन है।
- V. बैंक ने जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है जैसे जलवायु जोखिम प्रबंधन पर नीति जारी करना, स्कोप 1/2 उत्सर्जन का प्रकटन, पर्यावरण अनुकूल तरीके से ई-कचरे का निपटान आदि। बैंक ने जलवायु जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीतियाँ भी बनाई हैं।
- VI. बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा तीन स्तंभों और तीन रक्षा पंक्तियों पर आधारित है। बैंक की सभी मौजूदा और साथ ही नई नीतियों/उत्पादों की जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा जांच की जाती है ताकि निहित और संभावित जोखिमों का आकलन और पहचान की जा सके और उपयुक्त नियंत्रण उपाय किए जा सकें। अंतर्निहित जोखिम की पहचान करने और नियंत्रणों की प्रभावशीलता को मापने के लिए विभिन्न उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यास भी किया जाता है।
- VII. बैंक द्वारा प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है और जोखिम प्रबंधन विभाग यह निगरानी करता है कि सभी विवेकपूर्ण सीमाएं और साथ ही आंतरिक सीमाएँ/ट्रिगर, सीमा के भीतर हैं और किसी भी उल्लंघन के मामले में, जोखिम को कम करने के लिए तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- VIII. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए, बैंक ने डिजिटल और अन्य लेन-देन संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए ईएफआरएमएस (एंटरप्राइज धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान) लागू किया है।
- IX. धोखाधड़ी की घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण किया जाता है और नियंत्रण अंतराल की पहचान करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया जाता है।
- III. To enhance credit risk management, the Bank has adopted the CRISIL BOM ICON Model for borrower credit risk ratings. Monitoring of compliance of Prudential Exposures, Corporate Credit Utilization and risk associated with Third-party vendors and Outsourced services are carried out digitally.
- IV. Bank monitors its liquidity and asset-liability mismatch position through Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Stock Approach Ratios, Statement of Interest Rate Sensitivity (IRS), Statement of Structural Liquidity (SLS) etc. Bank has implemented OFSAA solution for strengthening and automation of Asset Liability Management and Liquidity Risk Management. The automation of Market Risk Management is under process.
- V. Bank has taken various initiatives for Climate Risk Management such as issuance of Policy on Climate Risk Management, disclosure of Scope 1 / 2 emissions, Disposal of E-waste in an environment friendly manner etc. Bank has also put in place short term, medium term and long term strategies for mitigating the impact of Climate Risk.
- VI. Bank's Operational Risk management framework is based on three pillars and three lines of defense. All the existing as well as new policies / products of the bank are vetted by Risk management department to assess and identify the inherent and potential risks and taking suitable mitigation measures. The Risk Control and Self Assessment (RCSA) exercise of various products, processes and systems are also conducted for identifying the inherent risk and measuring the effectiveness of controls.
- VII. Key Risk Indicators (KRIs) based monitoring system have been put in place by Bank and Risk management department monitors that all prudential ceilings as well as internal limits / triggers are well within limit and in case of any breach, corrective actions are taken immediately to mitigate the risk.
- VIII. In order to strengthen the Fraud Risk Management System, Bank has implemented EFRMS (Enterprise fraud risk management solution) to prevent the digital and other transactional frauds.
- IX. Root Cause Analysis of fraud events are done, and modus operandi of these events are analyzed to identify the control gaps and framing suitable strategies to avoid the recurrences of such incidents.



24.2 पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) प्रतिबद्धता:

I. महा ग्रीन पहल: सतत बैंकिंग प्रणालियों का नेतृत्व करना:

"महा ग्रीन पहल" के बैनर तले, बैंक पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह पहल हमारी ईएसजी रणनीति की आधारशिला है, जिसमें हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सतत बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रम शामिल हैं।

• हमारे पर्यावरणीय स्थिरता प्रयासों की मुख्य विशेषताएं:

i. **कागज़ की खपत में कमी:** कागज़ की खपत को कम करने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। मुद्रित सामग्रियों पर निर्भरता कम करने के लिए वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देना।

ii. **एकल-उपयोग प्लास्टिक को खत्म करना:** सभी सुविधाओं में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध।

iii. **ऊर्जा दक्षता:** ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कंप्यूटर, प्रकाश व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग और अन्य प्रणालियों के लिए ऊर्जा-कुशल उपकरणों को प्राथमिकता देना।

iv. **हरित ऊर्जा को अपनाना:** नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए स्वामित्व वाले परिसरों में सौर पैनलों की स्थापना।

v. **हरित वित्तपोषण:** पर्यावरण के अनुकूल पहलों का समर्थन करने के लिए नवोन्मेष वित्तीय उत्पादों की शुरूआत जैसे:

01. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) वित्तपोषण।
02. सौर ऊर्जा परियोजनाएँ।
03. हरित आवास पहल।
04. नवीकरणीय ऊर्जा विकास।

vi. **ई-कचरा प्रबंधन:** इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए पर्यावरण के अनुकूल निपटान विधियों को अपनाना।

vii. **कार्बन फुटप्रिंट में कमी:** चयनित शाखाओं और कार्यालयों के लिए कार्बन प्रभाव का आकलन करना। हितधारकों के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्कोप 1 और स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को तिमाही आधार पर ट्रैक करना और उसका प्रकटन करना।

viii. **ग्रीन सेल पहल:** इसके अलावा इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक ने एक समर्पित ग्रीन सेल की स्थापना की है, जो एक कार्यपालक स्तरीय समिति है, जिसका कार्य है:

- पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ और रणनीतियाँ विकसित करना।
- हरित और जलवायु-अनुकूल उत्पादों को प्रोत्साहित करना।
- एक व्यापक हरित वित्त ढांचा तैयार करना।
- प्रगति की निगरानी करना और बैंक के पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करना।

इन पहलों के माध्यम से, बैंक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करते हुए अपने हितधारकों, पर्यावरण और सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों के लिए एक सुरक्षित, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

24.2 Environmental, Social, and Governance (ESG) initiatives:

MAHA GREEN PEHAL: Leading the Sustainable Banking Practices: Under the banner of "MAHA GREEN PEHAL," the Bank reaffirms its commitment to environmentally sustainable practices. This initiative is a cornerstone of our ESG strategy, encompassing diverse programs to reduce our environmental impact and foster sustainable banking.

• Key Highlights of Our Environmental Sustainability Efforts:

i. **Paper Reduction:** Embracing digital transformation to minimize paper consumption. Promoting virtual meetings to reduce dependency on printed materials.

ii. **Eliminating Single-Use Plastics:** Complete ban on single-use plastics across all facilities.

iii. **Energy Efficiency:** Prioritizing energy-efficient equipment for computers, lighting, air conditioning, and other systems to reduce energy consumption.

iv. **Green Energy Adoption:** Installation of solar panels at owned premises to harness renewable energy.

v. **Green Financing:** Introduction of innovative financial products to support eco-friendly initiatives such as:

01. Electric vehicle (EV) financing.
02. Solar energy projects.
03. Green housing initiatives.
04. Renewable energy developments.

vi. **E-Waste Management:** Adopting eco-friendly disposal methods for electronic waste.

vii. **Carbon Footprint Reduction:** Conducting carbon impact assessments for selected branches and offices. Tracking and disclosing Scope 1 and Scope 2 greenhouse gas emissions quarterly to ensure transparency with stakeholders.

viii. **Green Cell Initiative:** To drive these efforts further, the Bank has established a dedicated Green Cell, an executive-level committee tasked with:

- Developing policies and strategies to promote environmentally friendly practices.
- Encouraging green and climate-resilient products.
- Crafting a comprehensive green finance framework.
- Monitoring progress and providing actionable recommendations to achieve the Bank's environmental objectives.

Through these initiatives, the Bank aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) and demonstrates its commitment to fostering a secure, sustainable, and prosperous future for our stakeholders, the environment, and the communities we serve.



25

ब्रांड उत्कृष्टता को बढ़ावा देना: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में विपणन और जनसंपर्क:

विपणन और प्रचार बैंक की दृश्यता को बढ़ाकर, विश्वास का निर्माण करके और नए ग्राहकों को आकर्षित करके बैंक की प्रगति और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी वित्तीय परिदृश्य में, प्रभावी विपणन बैंकों को अपने उत्पादों, सेवाओं और अद्वितीय मूल्य प्रस्तावों को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने में मदद करती है। प्रचार, चाहे पारंपरिक मीडिया के माध्यम से हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बैंक की पहलों, उपलब्धियों और नवाचारों के बारे में जागरूकता पैदा करता है, जिससे सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनती है। यह ग्राहक जुड़ाव को भी मजबूत करता है, ब्रांड निष्ठा को बढ़ावा देता है, और विभिन्न बैंकिंग समाधानों के बारे में जनता को शिक्षित करके वित्तीय समावेशन में बैंक के प्रयासों का समर्थन करता है। हमारा मनना है कि रणनीतिक विपणन और प्रचार व्यवसाय के विस्तार, ग्राहक प्रतिधारण और दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देते हैं।

25.1 एकीकृत विपणन के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचना:

ओमनीचैनल रणनीति: हम एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं जो पारंपरिक मीडिया (प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और आउटडोर विज्ञापन) को डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की शक्ति के मिश्रण से पहुँच और प्रभाव को

अधिकतम करता है। हमारे प्रिंट मीडिया अभियान ब्रांड जागरूकता बढ़ाते हैं, जबकि रेडियो और टेलीविजन विज्ञापन विशिष्ट क्षेत्रीय दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं स्थानीय केबल प्लेसमेंट और रणनीतिक आउटडोर विज्ञापन हमारे संदेश को और आगे बढ़ाते हैं।

डिजिटल जुड़ाव: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को पहचानते हुए, डिजिटल मार्केटिंग अभियान विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। ये अभियान होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, टर्म डिपॉजिट, वीडियो केवाईसी के ज़रिए खाता खोलना और कृषि, एमएसएमई आदि के लिए लोन विकल्प जैसे प्रमुख उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये डिजिटल पहल न केवल उत्पाद जागरूकता बढ़ाती हैं बल्कि लीड भी उत्पन्न करती हैं जिन्हें शाखाएँ व्यावसायिक अवसरों में बदल सकती हैं।

25.2 हमारे ग्राहकों को शिक्षित और सशक्त बनाना:

- I. डिजिटल वकालत: हमारे डिजिटल बैंकिंग समाधानों और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना हमारे मार्केटिंग प्रयासों का केंद्र है। हम आकर्षक ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से महत्वपूर्ण घोटणाएँ, त्योहार की शुभकामनाएँ और सूचनात्मक सामग्री साझा करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं।
- II. मिस्टर ज्ञानी और मिस सयानी: हमारी रचनात्मक शैक्षिक वीडियो श्रृंखला, "मिस्टर ज्ञानी का बैंकिंग ज्ञान" और "मिस सयानी के सयाने साइबर टिप्स", दर्शकों को बैंकिंग और साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।

25

Driving Brand Excellence: Marketing and Public Relations at Bank of Maharashtra:

Marketing and Publicity play a vital role in the growth and success of the bank by enhancing its visibility, building trust, and attracting new customers. In today's competitive financial landscape, effective marketing helps banks communicate their products, services, and unique value propositions to a wider audience. Publicity, whether through traditional media or digital platforms, creates awareness about the bank's initiatives, achievements, and innovations, shaping a positive public image. It also strengthens customer engagement, promotes brand loyalty, and supports the bank's efforts in financial inclusion by educating the public about various banking solutions. We understand the strategic marketing and publicity contribute to business expansion, customer retention, and long-term sustainability.

25.1 Reaching Customers Through Integrated Marketing:

Omnichannel Strategy: We embrace a modern approach that blends traditional media (print, radio, television, and outdoor advertising) with the power of digital marketing & social media marketing to

maximize reach and impact. Our print media campaigns raise brand awareness, while radio and television commercials cater to specific regional audiences. Local cable placements and strategic outdoor advertising further amplify our message.

Digital Engagement: Recognizing the growing influence of online platforms, digital marketing campaigns are run extensively across various platforms. These campaigns focus on promoting key products such as home loans, car loans, gold loans, term deposits, account opening through video KYC, and loan options for agriculture, MSMEs etc. These digital initiatives not only raise product awareness but also generate leads that branches can convert into business opportunities.

25.2 Educating and Empowering Our Customers:

- I. Digital Advocacy: Promoting our digital banking solutions and cybersecurity awareness is central to our marketing efforts. We leverage social media to share important announcements, festive greetings, and informative content through engaging knowledge series.
- II. Mr. Gyaani & Miss Sayani: Our creative educational video series, "Mr. Gyaani ka Banking Gyaan" (Mr. Gyaani's Banking Knowledge) and "Miss Sayani ke Sayane Cyber Tips" (Miss Sayani's Smart Cyber Tips), provides viewers with valuable insights on banking and cybersecurity best practices.



- III. हमारी शनिवार की क्विज़ सीरीज़, क्यूरियस माइंड्स, बैंकिंग, वित्त और व्यापक उद्योग से संबंधित विचारोत्तेजक प्रश्नों के साथ हमारे दर्शकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक आकर्षक हल है। यह न केवल जिज्ञासा उत्पन्न करता है बल्कि सीखने को भी प्रोत्साहित करता है। साथ ही, यह हमारे फ़ॉलोअर्स के साथ सार्थक बातचीत को भी बढ़ावा देता है। ज्ञान और मनोरंजन के मिश्रण से, क्यूरियस माइंड्स वित्तीय जागरूकता बढ़ाने, हमारे ब्रांड को प्रमोट करने और एक अधिक जानकारीपरक व एक दूसरे से जुड़े समुदाय के निर्माण के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है।

- III. Our Saturday quiz series, Curious Minds, is an engaging initiative designed to captivate our audience with thought-provoking questions related to banking, finance, and the broader industry. It not only sparks curiosity and encourages learning but also fosters meaningful interaction with our followers. By blending fun with knowledge, Curious Minds serves as an effective platform to raise financial awareness, promote our brand, and build a more informed and connected community.

25.3 समकक्षों से आगे बने रहना:

- सोशल लिसनिंग और मार्केट रिसर्च: अपनी रणनीतियों को लगातार निखारने के लिए, हम सोशल मीडिया लिसनिंग टूल्स का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। ये टूल दर्शकों की सहभागिता, ब्रांड सेंटीमेंट और प्रतिस्पर्धी गतिविधि पर मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं, जिससे हमें अपने मार्केटिंग प्रयासों को अनुकूलित और बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
- अपनी परिभाषित सोशल मीडिया रणनीति और आकर्षक सामग्री के माध्यम से बैंक के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फ़ेसबुक, एक्स, लिंकडइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब) को मिलाकर 65 लाख से अधिक फ़ॉलोअर हैं।

25.3 Staying Ahead of the Curve:

- Social Listening & Market Research: To continuously refine our strategies, we actively utilize social media listening tools. These tools provide valuable data on audience engagement, brand sentiment, and competitor activity, allowing us to adapt and improve our marketing efforts.
- Bank through its defined social media strategy and engaging content have a follower base of more than 65 lakh across all social media platforms (Facebook, X, LinkedIn, Instagram & Youtube) taken together.

25.4 जनसंपर्क के माध्यम से विश्वास का निर्माण:

- सामुदायिक जुड़ाव: हम प्रायोजक, सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) गतिविधियों और धर्मार्थ पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये प्रयास न केवल सामाजिक भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं बल्कि मजबूत जनसंपर्क बनाने और हमारी सकारात्मक ब्रांड पहचान को सुदृढ़ करने में भी मदद करते हैं।

25.4 Building Trust Through Public Relations:

- Community Engagement: We actively participate in sponsorships, CSR (Corporate Social Responsibility) activities, and charitable initiatives. These efforts not only demonstrate our commitment to social good but also help build strong public relations and reinforce our positive brand identity.

25.5 भविष्य की ओर:

बैंक व्यक्तिगत ग्राहक जुड़ाव पर एक मजबूत फोकस बनाए रखते हुए डिजिटल परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रगतिशील प्रयास कर रहा है। उन्नत डेटा एनालिटिक्स को अपनाकर, बैंक ग्राहक के व्यवहार को समझते हुए, मार्केटिंग रणनीतियों को तैयार करता है और लक्षित अभियान शुरू करता है जो विविध दर्शक वर्गों के साथ अनुरूप होते हैं।

25.5 Looking Forward:

Bank is taking progressive efforts for embracing digital transformation while maintaining a strong focus on personalized customer engagement. By leveraging advanced data analytics, Bank understands customer behavior, tailor marketing strategies, and launching targeted campaigns that resonate with diverse audience segments.

26

नागरिक चार्टर

बैंक ने 2000-01 से नागरिक चार्टर को अपनाया है, जो अपने ग्राहक के प्रति बैंक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान करता है। चार्टर को सभी शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

26

Citizen's Charter

The Bank has adopted the Citizen's Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customer. The charter is displayed at all the branches and Bank's website.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो समाजिक कार्यों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बैंक सक्रिय रूप से उन पहलों में शामिल है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल और महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता एवं सामुदायिक विकास को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक कल्याण के व्यापक लक्ष्यों के साथ अपने सीएसआर प्रयासों को जोड़कर, समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास परियोजनाओं या वन्यजीव संरक्षण के माध्यम से एक सामाजिक रूप से जागरूक और संवेदनशील संस्थान के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित है।

27.1 फोकस क्षेत्र:

हमारी सीएसआर गतिविधियाँ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित करती हैं, जिनका लक्ष्य वंचितों के जीवन में एक मापनीय अंतर पैदा करना है:

- I. **स्वास्थ्य सेवा:** हम एम्बुलेंस, डायलिसिस मशीन, नेत्र जांच शिविर और विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता अभियानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके आवश्यक चिकित्सा सेवाओं में सहयोग करते हैं।
- II. **शिक्षा:** हम स्कूलों में प्रवेश, छात्रवृत्ति और बुनियादी ढांचे के उन्नयन को प्रायोजित करके वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देते हैं।
- III. **खेल और कौशल विकास:** खेल मानव गतिविधियों के लिए प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो युवाओं को देश के लिए ख्याति प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाता है। हाल के वर्षों में बैंक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार, प्रोत्साहन, पदक और स्मृति चिह्न प्राप्त करने में भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करता है। यह हमारे संरक्षकों के लिए हमारे ब्रांड मूल्य को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। तदनुसार वि. व. 2024-25 में बैंक ने 12 प्रतिभाशाली वॉलीबॉल महिला खिलाड़ियों की भर्ती की है।
- IV. **महिला सशक्तिकरण:** हम स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, महिला उद्यमियों का सहयोग करने और संसाधनों तक पहुँच को सुगम बनाने वाली पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं।
- V. **स्वच्छता:** हम सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और कचरा संग्रहण पॉइंट के लिए सौंदर्यीकरण परियोजनाओं को प्रायोजित करके बेहतर स्वच्छता में योगदान देते हैं।
- VI. **पर्यावरण:** हम वृक्षारोपण अभियान और सौर ऊर्जा ग्रिड प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं।

Bank of Maharashtra is deeply committed to its Corporate Social Responsibility (CSR), consistently striving to give back to society and contribute to nation-building. The bank actively engages in initiatives that support education, healthcare, promoting sports and women empowerment, environmental sustainability, and community development. By aligning its CSR efforts with the broader goals of social welfare, it aims to uplift underprivileged sections of society and promote inclusive growth. Whether it is through financial literacy programs, rural development projects, or wildlife conservation, Bank of Maharashtra continues to uphold its responsibility as a socially conscious and compassionate institution dedicated to the well-being of the communities it serves.

27.1 Focus Areas:

Our CSR activities target a range of critical areas, aiming to create a measurable difference in the lives of the underprivileged:

- I. **Healthcare:** We support essential medical services by providing financial assistance for ambulances, dialysis machines, eye checkup camps, and awareness campaigns on various health issues.
- II. **Education:** We promote educational opportunities for underprivileged children by sponsoring admissions, scholarships, and infrastructure upgrades in schools.
- III. **Sports & Skill Development:** Sports is one of the eminent areas for human activities which enables youth to become face for the nation. The bank admires excellent performances of Indian Sportspersons in achieving different awards, accolades, medals, and souvenirs at the International as well as National level in the recent years. It is the most influential medium for promoting our brand value to our patrons. Accordingly, Bank has recruited 12 Meritorious Volleyball Sportswomen in the FY 2024-25.
- IV. **Women Empowerment:** We champion women's empowerment through initiatives that provide training for self-employment, support women entrepreneurs, and facilitate access to resources.
- V. **Sanitation:** We contribute to improved sanitation by sponsoring sanitary pad vending machines and beautification projects for garbage collection points.
- VI. **Environment:** We actively support environmental sustainability through tree plantation drives and installation of solar power grid systems.



VII. वन्यजीव संरक्षण: बैंक लुप्तप्राय प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए पर्यावरण संगठनों के साथ साझेदारी करता है। बैंक ने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को चिकित्सा उपकरणों के साथ एक पशु एम्बुलेंस प्रदान की है। साथ ही, बैंक द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य), भरतपुर को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रदान की गईं।

VIII. अनुसंधान और विकास परियोजनाएँ: इनक्यूबेटरों को योगदान, गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस को अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता और प्रौद्योगिकी केंद्र (आईक्रिएट) कॉर्पस फंड में योगदान के माध्यम से उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में सहयोग करना।

VII. Wildlife Conservation: The Bank partners with environmental organizations to protect endangered species and natural habitats. Bank has provided an Animal Ambulance with medical equipment to Ranthambore National Park. Also, Electric Carts were provided to Keoladeo National Park (erstwhile Bharatpur Bird Sanctuary), Bharatpur.

VIII. Research & Development projects: Contribution to incubators, supporting their entrepreneurial journey through contributions to International Centre for Entrepreneurship and Technology (iCreate) corpus fund to Gujarat Foundation for Entrepreneurial Excellence.

27.2 प्रमुख पहल:

- I. वित्तीय सहायता: हमने एम्बुलेंस, चिकित्सा उपकरण स्थापना, इलेक्ट्रिक कार्ट, शैक्षिक छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- II. महिलाओं को सशक्त बनाना: हमने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों के लिए प्रायोजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के स्वरोजगार का समर्थन किया है।
- III. एमएसएमई सहायता: हमने महिला उद्यमियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई प्रदर्शनियों और सम्मेलनों को प्रायोजित करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को सुविधाजनक बनाया है।

27.2 Key Initiatives:

- I. Financial Assistance: We have provided financial aid for various projects, including ambulances, medical equipment installations, electric carts, educational scholarships, and skill development programs.
- II. Empowering Women: We have supported women's self-employment through training programs, sponsorships for exhibitions, and events promoting entrepreneurship.
- III. MSME Support: We have facilitated the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by sponsoring exhibitions and conferences specifically designed for women entrepreneurs.

27.3 भविष्य की ओर:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंकिंग से इतर सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी भूमिका को पहचानते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। समाज के लिए अपना योगदान देने में दृढ़ विश्वास के साथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामाजिक रूप से जागरूक और संवेदनशील संस्थान के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित है।

27.3 Looking Ahead:

Bank of Maharashtra is firmly committed to its social responsibility, recognizing its role in driving positive change beyond banking. With a strong belief in giving back to society, Bank of Maharashtra continues to integrate social responsibility into its core values, reinforcing its identity as a responsible and compassionate corporate citizen.

28

हिंदी को प्रोत्साहित करना: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं:

28.1 हिंदी भाषा के प्रोत्साहन में उत्कृष्टता की ओर:

- I. बैंक को राजभाषा हिंदी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 14 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में "सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका" श्रेणी में दिया गया।

28

Championing Hindi: Official Language Implementation at Bank of Maharashtra

During the year 2024-25, the Bank has achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

28.1 Path of Excellence in promoting Hindi Language:

- I. Bank was awarded "Rajbhasha Kirti Puraskar" for better implementation of Rajbhasha Hindi, which is the highest award given by MHA, GoI for Rajbhasha. The award was given in "Best House Magazine" category in a grand function on 14th September, 2024, held at Bhart Mandapam, New Delhi.



- II. बैंक को राजभाषा हिंदी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा "प्रथम पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- III. बैंक को वर्ष के दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए मुंबई स्थित प्रतिष्ठित संस्थान 'आशीर्वाद' द्वारा "उत्कृष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक", "श्रेष्ठ गृह पत्रिका" और "राजभाषा गौरव पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

- II. Bank was awarded "First Prize" by Department of Financial Services, Finance Ministry, Govt. of India for better implementation of Rajbhasha Hindi.
- III. Bank was awarded "Utkrisht Rashtriykrit Bank", "Shreshth Grih Patrika" and "Rajbhasha Gaurav Award" by the Mumbai based prestigious institution 'Aashirwad' for progressive use of Hindi during the year.

28.2 हिंदी की संस्कृति को प्रोत्साहित करना

- I. अन्य बैंक द्वारा संयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) ने हमारे भुवनेश्वर अंचल कार्यालय को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया।
- II. अन्य बैंकों द्वारा संयोजित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टोलिक) ने हमारे लखनऊ अंचल की (वाराणसी और अयोध्या) शाखाओं और जयपुर अंचल की (अजमेर और जोधपुर) शाखाओं को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया।
- III. बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'महाबैंक प्रगति' और ई-पत्रिका 'महाबैंक संवाद सरिता' नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। एक नई पहल के रूप में, बैंक की ई-पत्रिका महाबैंक संवाद सरिता, बैंक के दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लाभार्थ ब्रेल लिपि में भी प्रकाशित की जाती है।
- IV. संसदीय राजभाषा समिति ने वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे हैदराबाद अंचल कार्यालय, भिवाणी शाखा (गुरुग्राम अंचल), मुंबई दक्षिण अंचल कार्यालय और जयपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। समिति ने इन कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की सराहना की।
- V. हमारा बैंक मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर और जलगांव में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) का संयोजक बैंक है। इन समितियों की बैठकें पूरे वर्ष नियमित रूप से आयोजित की गईं और समितियों की विभिन्न गतिविधियाँ पूरे वर्ष निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं।

28.2 Fostering a Culture of Hindi:

- I. Town Official Language Implementation Committees (TOLIC) convened by other banks awarded our Bhubaneswar Zonal Office for excellent implementation of Official Language.
- II. Various Town Official Language Implementation Committees (TOLIC) convened by other banks awarded our branches of Lucknow Zone (Varanasi and Ayodhya) & Jaipur Zone (Ajmer and Jodhpur) for excellent implementation of Official Language.
- III. Bank's E-Magazine 'Mahabank Samvad Sarita' and Quarterly House Magazine 'Mahabank Pragati' are being regularly published. As a new initiative, Mahabank Samvad Sarita in Braille script is also published for the benefit of visually challenged employees of the Bank.
- IV. Parliamentary Committee on Official Language inspected our Hyderabad Zonal Office, Bhiwani Branch (Gurugram Zone), Mumbai South Zonal Office and Jaipur Zonal Office during the financial year. Committee expressed its satisfaction about the Implementation of Rajbhasha Hindi in these Offices.
- V. Our bank is the convener Bank of Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly during the year and various activities of the committees were organized throughout the year as per schedule.

28.3 हिंदी की सुगमता को बढ़ावा देना:

"वाट्सएप बैंकिंग" - वाट्सएप बैंकिंग सुविधा मराठी, तमिल, मलयालम और तेलुगु जैसी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में भी उपलब्ध है।

- I. बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों द्वारा हर महीने के तीसरे शनिवार को "हिंदी कार्य दिवस" (हिंदी कार्य दिवस) मनाया जाता है। इस दिन, सभी कर्मचारी अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करते हैं।
- II. ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक के नए मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म महा-मोबाइल प्लस का हिंदी संस्करण उपलब्ध कराया गया है।
- III. बैंक की वेबसाइट मराठी के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।

28.3 Promoting Hindi Accessibility:

"WhatsApp Banking" - WhatsApp Banking facility is available in bilingual (Hindi and English) along with other Indian Languages such as: Marathi, Tamil, Malayalam and Telugu.

- I. "Hindi Karya Diwas" (Hindi Working Day) is being observed by all the branches & offices of the Bank on the third Saturday of every month. All the staff are doing their maximum work in Hindi on this day.
- II. Hindi version of Bank's new mobile banking platform Maha-Mobile Plus has been made available for the convenience of the customers.
- III. Bank's website is available in bilingual (Hindi and English) along with Marathi.



- IV सभी कर्मचारियों के उपयोग के लिए बैंक के इंटरनेट पर "ऑनलाइन राजभाषा कोश" की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- IV The facility of "Online Rajbhasha Kosh" is made available on bank's Intranet for the use of all employees.

29

सुरक्षित और संरक्षित बैंकिंग वातावरण सुनिश्चित करना: बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहल

29.1 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों के हितों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी के लिए सुरक्षित और कुशल बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समाहित करते हुए हमारी व्यापक सुरक्षा नीति डिज़ाइन की गई है।

- I. बैंक संसाधनों की सुरक्षा: हमने नकदी, सोना, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और अन्य कीमती सामान सहित अपनी वित्तीय और भौतिक परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए कड़े प्रोटोकॉल के साथ सुदृढ़ उपाय लागू किए हैं। ये उपाय सभी शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, मुद्रा तिजोरियों, डेटा केंद्रों और अन्य प्रमुख स्थानों पर लागू होते हैं। सुरक्षित नकदी प्रबंधन प्रक्रिया से लेकर उन्नत वॉल्ट सिस्टम तक, हम जोखिम को प्रभावी ढंग से न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- II. सुरक्षित बैंकिंग वातावरण को बढ़ावा देना: ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षित और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण होना आवश्यक है। हमारा बैंक सुनिश्चित करता है कि ग्राहक, कर्मचारी और आगंतुक, बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करते समय आश्वस्त अनुभव करें। हमारी यह प्रतिबद्धता बैंकिंग प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के मन की शांति और समग्र अनुभव को सुखद बनाती है।
- III. आपात स्थितियों के लिए तैयारी : अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना हमारी बैंकिंग नीति की प्राथमिकता है। वह कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई मानव निर्मित घटना, हमारी आपदा तैयारी पहलें सभी हितधारकों की सुरक्षा और बैंकिंग संचालन की निरंतरता को प्राथमिकता देती हैं।

29.2 सक्रिय उपायों के माध्यम से सुरक्षा संवर्धन

बैंक संभावित जोखिमों का लगातार विश्लेषण और शमन करके अपने संचालन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सक्रिय दृष्टिकोण में शामिल हैं:

- I. संभावित खतरों से निपटने हेतु व्यापक इंटेलिजेंस : हम अपराध, बैंक डकैतियों के हथकंडों, सुरक्षा उल्लंघनों और आग की घटनाओं के रुझानों की सक्रिय निगरानी और विश्लेषण करते हैं। इससे हमें संभावित खतरों का अनुमान लगाने और उनका प्रभावी ढंग से सामना करने के उपायों को लागू करने में मदद मिलती है।

29

Ensuring a Safe and Secure Banking Environment: Bank of Maharashtra's Initiatives:

29.1 At the Bank of Maharashtra, safeguarding the interests of our customers, employees, and assets is our top priority. Our comprehensive Security Policy is designed to address multiple critical areas, ensuring a safe and efficient banking experience for all.

- I. Protecting Bank Resources: We have implemented robust measures with rigorous protocols to secure our financial and physical assets, including cash, gold, important documents, and other valuables. These measures span across all branches, administrative offices, currency chests, data centers, and other key locations. From secure cash handling practices to advanced vault systems, we are committed to minimizing risks effectively.
- II. Promoting a Safe Banking Environment: Creating a secure and welcoming environment is essential to fostering trust. Our bank ensures that customers, staff, and visitors feel confident while conducting their banking activities. This commitment enhances the overall experience and peace of mind for everyone involved.
- III. Preparing for Emergencies: Being ready for unforeseen circumstances is a cornerstone of our policy. Whether it's a natural calamity or a man-made incident, our disaster preparedness initiatives prioritize the safety of all stakeholders and the continuity of operations.

29.2 Enhancing Security Through Proactive Measures

Bank is committed to safeguarding its operations by continuously analyzing and mitigating potential risks. Our proactive approach includes:

- I. Comprehensive Threat Intelligence: We actively monitor and analyze trends in crime, bank robbery tactics, security breaches, and fire incidents. This allows us to anticipate potential threats and implement measures to counteract them effectively.



II. हमारे कार्मिकों के लिए उन्नत प्रशिक्षण : हमारे सुरक्षा कर्मियों और बैंक कर्मचारियों को विभिन्न सुरक्षा हालातों को संभालने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी स्थिति से तुरंत और कुशलता से निपटने के लिए हमारे कर्मचारी समुचित कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण हैं।

III. अभिनव एटीएम ई-निगरानी : सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत हमने अपने एटीएम नेटवर्क की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक ई-निगरानी प्रणाली लागू की है।

IV. एटीएम सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की कार्यप्रणाली (ई-निगरानी) : बैंक ने अपने ग्राहकों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उन्नत एटीएम ई-निगरानी प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली निम्नानुसार संचालित होती है:

क) 24/7 कमांड सेंटर मॉनिटरिंग: एक केंद्रीकृत सुविधा जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए चौबीसों घंटे हमारे एटीएम की निगरानी करती है।

ख) एकीकृत सेंसर और निगरानी: मोशन डिटेक्टर, थर्मल सेंसर, हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे और दो-तरफा ऑडियो सिस्टम व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं।

ग) तत्काल प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल: संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर घुसपैठियों को माइक द्वारा सीधे चेतावनी जारी की जाती है। साथ ही, स्थानीय अधिकारियों और बैंक अधिकारियों को अलर्ट भेजे जाते हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव होती है और बैंकिंग का सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाता है।

नवीनतम सुरक्षा उपायों और एक मजबूत सुरक्षा नीति को अपनाकर, बैंक एक सुरक्षित और विश्वसनीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए सदैव समर्पित है।

II. Advanced Training for Personnel: Our security personnel and bank staff receive regular training to handle various security scenarios. These programs ensure they are equipped with the skills and knowledge to respond promptly and efficiently in any situation.

III. Innovative ATM E-Surveillance: As part of our commitment to security, we have implemented a cutting-edge E-surveillance system to safeguard our ATM network.

IV. Functioning of Revolutionizing ATM Security (E-Surveillance): The Bank has introduced an advanced ATM E-surveillance system to ensure the safety of our customers and assets. The system operates through:

a) 24/7 Command Center Monitoring: A centralized facility staffed round-the-clock monitors ATMs using state-of-the-art technology.

b) Integrated Sensors and Surveillance: Motion detectors, thermal sensors, high-definition CCTV cameras, and two-way audio systems provide comprehensive coverage.

c) Immediate Response Protocols: In case of suspicious activity, audible warnings are issued directly to intruders. Simultaneously, alerts are sent to local authorities and bank officials, enabling swift action and ensuring a secure environment.

By adopting innovative security measures and a robust Security Policy, the Bank remains dedicated to providing a safe and reliable banking experience.

30 निदेशकों और बोर्ड का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:

सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियमन 25 के अनुसार, दिनांक 24.01.2025 की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया।

साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर गैर-सरकारी निदेशकों/शेयरधारक निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन किया जाता है।

30 Performance Evaluation of The Directors and The Board:

In terms of Regulation 25 of SEBI LODR, 2015, the performance of the Independent Directors were evaluated by the Board of Directors in the Meeting dated 24.01.2025.

Further, the performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for Performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors/ Shareholder Director is done by Board of Directors on annual basis.

31 वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह पुष्टि करते हुए घोषणा प्रस्तुत की है कि वे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 25 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

31 Declaration By Independent Directors During The Year:

All the Independent Directors of Bank have submitted the declaration confirming that they meet the criteria of independence as provided under Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.



32

बोर्ड और इसकी उप-समितियाँ:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित किए जाने वाले बोर्ड और इसकी उप-समितियों की संरचना और उनमें आयोजित बैठकों का उल्लेख कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

32

Board And Its Sub-Committees:

The composition of the Board and its Sub-committees as required to be constituted as per the SEBI (LODR) Regulations, Government of India / Reserve Bank India Guidelines and the meetings held therein are mentioned in the Corporate Governance Report.

33

सेक्रेटेरियल लेखापरीक्षा:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए और सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स एस. आर. सिद्धेश्वर एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, पुणे को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

33

Secretarial Audit :

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s S. R. Siddheshwar & Co., Practicing Company Secretaries, Pune as a Secretarial Auditor to undertake Secretarial audit of Bank for the financial year 2024-25.

The Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

लेखा परीक्षक की टिप्पणी Observation of Auditor	प्रबंधन का प्रत्युत्तर Management's reply
सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार बैंक के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है। There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI LODR Regulations, 2015.	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है। बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र मासिक आधार पर डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है। In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank to fill the vacant positions has been taken up with DFS, MoF, GoI vide letters written on monthly basis. Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, GoI on regular basis.
सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी। Number of Independent Directors was less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI LODR Regulations, 2015.	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है।



	बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र मासिक आधार पर डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है। In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank to fill the vacant positions has been taken up with DFS, MoF, GoI vide letters written on monthly basis. Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, GoI on regular basis.
सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17(1ई) की अपेक्षानुसार निदेशकों की रिक्ति तीन महीने के भीतर नहीं भरी गई। Vacancy of directors is not filled within three months as per Regulation 17(1E) of SEBI LODR Regulations, 2015.	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है। बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र मासिक आधार पर डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है। In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank to fill the vacant positions has been taken up with DFS, MoF, GoI vide letters written on monthly basis. Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, GoI on regular basis.
बैंक की लेखा परीक्षा समिति में न्यूनतम 3 सदस्य और दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे, साथ ही इस समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक नियमित अध्यक्ष नहीं थे, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण अपेक्षित है। The Audit Committee of the Bank was not comprises of minimum 3 members and 2/3rd of Independent Directors as its members as well as committee do not have regular chairperson from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI (LODR) Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors.	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है। बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र मासिक आधार पर डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है।



	In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank to fill the vacant positions has been taken up with DFS, MoF, GoI vide letters written on monthly basis. Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, GoI on regular basis.
बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक न्यूनतम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक और दो तिहाई स्वतंत्र निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 की अपेक्षानुसार दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण आवश्यक है। बैंक को वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में एनआरसी बैठक आयोजित न करने के लिए सेबी से एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र भी मिला है। Nomination & Remuneration Committee of the Bank was not comprises of minimum three non-executive directors and 2/3rd of Independent Directors as its members from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI LODR Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors. The bank has also received an administrative warning letter from SEBI for non-conduct of NRC meeting in the FY 2022-23 & 2023-24.	में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है। बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र मासिक आधार पर डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में एनआरसी बैठक आयोजित न करने के संबंध में, हम सूचित करना चाहते हैं कि बैंक ने इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनआरसी बैठक आयोजित की है। In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank to fill the vacant positions has been taken up with DFS, MoF, GoI vide letters written on monthly basis. Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, GoI on regular basis. With regard to non-conduct of NRC meeting in the FY 2022-23 & 2023-24, we wish to inform that Bank has initiated necessary corrective actions in this regard. Bank has conducted NRC meeting in FY 2024-25.
दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार अपेक्षित है। Risk Management Committee of the Bank does not have regular chairman from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI LODR Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है।



	बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र मासिक आधार पर डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है। In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank to fill the vacant positions has been taken up with DFS, MoF, GoI vide letters written on monthly basis. Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, GoI on regular basis.
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक निकाय कॉर्पोरेट को कंपनी नहीं होने के कारण एनएफआरए-1 और एनएफआरए-2 फॉर्म दाखिल करना चाहिए, जिसका बैंक द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। As per the Rule 3 of National Financial Reporting Authority Rules, 2018 every Body Corporate not being a Company should file form NFRA-1 and NFRA-2 the same has not been complied by the Bank.	बैंक आवश्यक फॉर्म भरने की प्रक्रिया में है। The Bank is in the process of filing the necessary forms.
सेबी (लॉर्ड), 2015 (तृतीय संशोधन) विनियमन, 2024 की प्रयोज्यता, जो 13.12.2024 से प्रभावी है, के बाद से, बैंक परिचालन संबंधी कमी के कारण लगे सभी जुर्मानों की नियमित रूप से सूचना दे रहा है तथा स्टॉक एक्सचेंजों को समय-समय पर रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण सुनिश्चित कर रहा है। Since the applicability of SEBI (LORD), 2015 (3rd amendment) Regulation, 2024, effective from 13.12.2024, the bank is regular in informing all the fines occurred due to operational deficiency and has ensured periodic reporting and disclosures to the stock exchanges	जैसा कि उल्लेख किया गया है, परिचालन संबंधी कमियों के कारण लगे सभी जुर्मानों की जानकारी बैंक आवधिक रूप से देता रहा है तथा स्टॉक एक्सचेंजों को समय-समय पर रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण सुनिश्चित किया गया है। As mentioned, Bank is regular in informing all the fines occurred due to operational deficiency and has ensured periodic reporting and disclosures to the stock exchanges.



34

निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन:

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करने में:

- I. लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया, साथ ही उल्लेखनीय विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया;
- II. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का पालन किया गया। और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और उस अवधि के लिए बैंक के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;
- III. निदेशकों ने बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंक हेतु लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती;
- IV. निदेशकों ने वार्षिक खातों को व्यवसाय की निरंतरता के आधार पर तैयार किया;
- V. निदेशकों ने यह सुनिश्चित किया कि बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; तथा
- VI. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार कीं, ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

34

Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2025

- I. The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- II. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and applied consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;
- III. Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- IV. Annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- V. Internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- VI. Proper systems were in place to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

35

निदेशक मंडल में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- I. बैंक में निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा होने पर श्री शशांक श्रीवास्तव, दिनांक 20.12.2024 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहे,
- II. बैंक में निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा होने पर श्री एस. बलजीत सिंह, दिनांक 20.12.2024 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहे।

35

Changes In The Board Of Directors:

During FY 2024-25, the following changes took place in the Board of Directors:

- I. Shri Shashank Shrivastava, ceased to be a Director on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2024 on completion of his tenure as a Director in the Bank
- II. Shri S. Baljit Singh, ceased to be a Director on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2024 on completion of his tenure as a Director in the Bank

36

लाभांश वितरण नीति:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 43ए के अनुसार, बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

36

Dividend Distribution Policy:

In terms of Clause 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.



37

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व रिपोर्ट तैयार की गई है और यह वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है तथा बैंक की वेबसाइट यानी www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है।

37

Business Responsibility and Sustainability Report:

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, business responsibility and sustainability report for the year 2024-25 has been prepared and is part of Annual Report and also is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

38

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक द्वारा प्राप्त प्रमुख पुरस्कार

- I. वर्ष 2024-25 में आईबीए द्वारा 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में बैंक को सभी सात श्रेणियों में सात पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मध्यम आकार के बैंक की श्रेणी में यह पुरस्कार, हमारे बैंक को लगातार दूसरी बार प्राप्त हुआ।
- II. बिजनेस टुडे द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कारों में बैंक को, प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ मध्यम आकार के बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- III. डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बीएफएसआई और फिनटेक शिखर सम्मेलन 2025 में बैंक को भारत के 'अग्रणी मध्यम आकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक' के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
- IV. आपके बैंक को ईएसजी और स्थिरता पहल और परिचालन दक्षता में उत्कृष्टता के लिए आईबीईएक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- V. एसोचैम द्वारा आयोजित 11वें एमएसएमई बैंकिंग एक्सेलेन्स अवार्ड 2025 में आपके बैंक को "सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई ऋणप्रदाता (पीएसयू) विजेता पुरस्कार" भी प्राप्त हुआ।
- VI. भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम चैंबर द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग एक्सेलेन्स अवार्ड 2024 के अंतर्गत "सीएसआर पहल एवं व्यावसायिक जिम्मेदारी" के लिए बैंक को पुरस्कृत किया गया।

38

Major Awards won by Bank in FY 2024-25.

- I. Bank has been awarded in all seven categories in 20th Annual Banking Technology Conference, Expo & Citations by IBA in the year 2024-25. This was second consecutive time for our bank in the category of mid-size bank.
- II. The Bank was honored with the prestigious best Mid-sized Bank award in the Best Bank Awards by Business Today.
- III. The Bank has been recognized as India's 'Leading Mid-Sized Public Sector Bank' at the Dun & Bradstreet BFSI & FinTech Summit 2025.
- IV. Your Bank was conferred with IBEX Award for excellence in ESG & Sustainability initiatives and Operational Efficiencies.
- V. Your Bank also received "Best MSME Lending (PSU) Winner Award" in 11th MSME Excellence Awards 2025 hosted by ASSOCHAM.
- VI. CSR Initiative & Business Responsibility" in MSME Banking Excellence Awards 2024 hosted by Chamber of Indian Micro, Small & Medium Enterprises

39

आभार:

निदेशक मंडल निवर्तमान निदेशकों द्वारा किए गए योगदान के लिए सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को उनकी बहुमूल्य सलाह, मार्गदर्शन और सहायता के लिए; ग्राहकों और हितधारकों को उनके संरक्षण के लिए; प्रतिनिधियों और सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए और "महाबैंक परिवार" के सभी कर्मचारियों को बैंक के समग्र विकास में उनकी अप्रतिम प्रतिबद्धता और योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान: पुणे

दिनांक : 25.04.2025

(निधु सक्सेना)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

39

Acknowledgement:

The Board of Directors place on record their appreciation for the contribution made by the outgoing Directors.

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association, Stock Exchanges and Depositories for their valuable advice, guidance and support; to the Customers and Stakeholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Pune

Date: 25.04.2025

(Nidhu Saxena)

Managing Director and CEO



फॉर्म नंबर एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनियां
नियम, 2014 के नियम क्र.9 (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) के अनुसरण में
और सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र
परि/सीएफडी/सीएमडी1/ 27/2019 के अनुसार

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,
सदस्य,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
"लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर,
पुणे - 411005

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और मे. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है।

सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचार/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

बैंक द्वारा रखी गई बैंक की बहियां, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख और बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के दौरान निम्नलिखित में उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस सीमा तक मौजूद हैं, जिसके आधार पर इसके पश्चात निम्नानुसार रिपोर्टिंग की गई है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और दर्ज की गई विवरणियों व अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और इसके तहत बनाए गए नियम, जहां तक लागू हों;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआर") और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए उप नियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम ;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं: -
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम, 2015")



- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018; (**“सेबी एलओडीआर विनियम, 2018”**)
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अप्रत्यावर्तनीय तथा प्रतिदेय अधिमानी शेयरों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2021;
- (छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिंग) विनियम, 2009; (**वर्ष के दौरान लागू नहीं**)
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (**वर्ष के दौरान लागू नहीं**)
- (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994;
- (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) विनियम, 1992;
- (ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018;
- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;
- (ढ) विशेष रूप से बैंक के लिए लागू अन्य कानून:
- (i) बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970
- (ii) जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पढ़ा गया।
- (iii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
- (iv) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2004
- (v) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- (vi) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- (vii) बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, 1891
- (viii) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006
- (ix) बैंकिंग कंपनियाँ (अभिलेखों के संरक्षण की अवधि) नियम, 1985
- (x) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002
- (xi) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005
- (xii) दिवाला व दिवालियापन कोड, 2016



हमने निम्नलिखित लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है -

- (i) दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचीवीय मानक - लागू नहीं
- (ii) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीकरण करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ ऊपर उल्लिखित यथा लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देश, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- क) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।
- ख) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी।
- ग) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17(1ई) के अनुसार निदेशकों की रिक्ति तीन महीने के भीतर नहीं भरी गई।
- घ) बैंक की लेखा परीक्षा समिति में न्यूनतम 3 सदस्य और दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे, साथ ही इस समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक नियमित अध्यक्ष नहीं थे, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण अपेक्षित है।
- ङ) बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक न्यूनतम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक और दो तिहाई स्वतंत्र निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण आवश्यक है। बैंक को वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में एनआरसी बैठक आयोजित न करने के लिए सेबी से एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र भी मिला है।
- च) दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार अपेक्षित है।
- छ) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक निकाय कॉर्पोरेट को कंपनी नहीं होने के कारण एनएफआरए-1 और एनएफआरए-2 फॉर्म दाखिल करना चाहिए, जिसका बैंक द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।
- ज) सेबी (लॉर्ड), 2015 (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024 की प्रयोज्यता, जो 13.12.2024 से प्रभावी है, के बाद से, बैंक परिचालन संबंधी कमी के कारण लगे सभी जुर्मानों की नियमित रूप से सूचना दे रहा है तथा स्टॉक एक्सचेंजों को समय-समय पर रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण सुनिश्चित कर रहा है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

उपर्युक्त उल्लिखित को छोड़कर, कार्यपालक निदेशकगण, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ बैंक का निदेशक मंडल विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन किए गए।

साथ ही, निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट आवश्यकता के अनुसार अग्रिम रूप से भेजे गए जैसा कि सेबी एलओडीआर 2015 के अंतर्गत अपेक्षित है और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मंगाने व प्राप्त करने हेतु समुचित प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के अंश के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं। बैंक के पास धोखाधड़ी का पता लगाने और निगरानी करने की एक मजबूत प्रणाली विद्यमान है और लागू कानूनों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को इसकी रिपोर्टिंग करने में नियमित रहा है। इससे संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं।



बैंक की शाखाओं की संख्या और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानूनों के अनुपालन की लेखापरीक्षा नमूना जांच के आधार पर की गई है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने:

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार बेसल III अनुपालक टीयर II बॉण्ड्स जारी किए गए हैं:

क्र.	आईएसआईएन क्र.	बॉण्ड्स का प्रकार	आवंटन का दिनांक	जारीकरण की राशि (करोड़ में)	ब्याज दर
1	आईएनई457A08167	डिबेंचर की प्रकृति में प्रतिभूतिरहित, अधीनस्थ, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पूर्णतः प्रदत्त, बेसल III अनुपालक टीयर II बांड (श्रृंखला VIII)	04.07.2024	1000	7.89%

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार दीर्घकालिक इन्फ्रा बॉण्ड जारी करना:

क्र.	आईएसआईएन क्र.	बॉण्ड्स का प्रकार	आवंटन का दिनांक	जारीकरण की राशि (करोड़ में)	ब्याज दर
1	आईएनई457A08175	डिबेंचर की प्रकृति में गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, सूचीबद्ध, रेटेड, प्रतिदेय, प्रतिभूतिरहित, पूर्णतः प्रदत्त, दीर्घकालिक इन्फ्रा बांड (श्रृंखला I)।	05.08.2024	811	7.80%
2	आईएनई457A08183	डिबेंचर की प्रकृति में गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, सूचीबद्ध, रेटेड, प्रतिदेय, प्रतिभूतिरहित, पूर्णतः प्रदत्त, दीर्घकालिक इन्फ्रा बांड (श्रृंखला II)।	18.02.2025	1612	7.70%

(iii) बैंक ने 05 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 संशोधित ("सेबी आईसीडीआर विनियम") ("इश्यू" या "क्यूआईपी") के अध्याय VI के प्रावधानों के अंतर्गत योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के अंतर्गत रु.10 प्रत्येक ("इक्विटी शेयर") के अंकित मूल्य के 61,01,81,311 इक्विटी शेयरों का आवंटन किया है।

कृते एस.आर. सिद्धेश्वर एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

सी एस समीर सिद्धेश्वर
कंपनी सचिव
सदस्यता क्र.- एफ11189, सीपी: 15564
यूडीआईएन: एफ011189जी000197617
सहकर्म समीक्षा फ़र्म : 1520/2021



अनुलग्नक – क

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
"लोकमंगल"
1501, शिवाजी नगर,
पुणे- 411005

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

- सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
- हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
- हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
- सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते एस.आर. सिद्धेश्वर एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

सी एस समीर सिद्धेश्वर
कंपनी सचिव
सदस्यता क्र.- एफ11189, सीपी: 15564
यूडीआईएन: एफ011189जी000197617
सहकर्मी समीक्षा फ़र्म: 1520/2021



FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014 and as per SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025

To,
The Members,
Bank of Maharashtra
"Lokmangal", 1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005

We have conducted the Secretarial Audit of the Compliance of applicable statutory provisions and the adherence to Good Corporate Practices by M/s. Bank of Maharashtra (hereinafter called "**the Bank**").

The Secretarial Audit was conducted for the period from April 1, 2024 to March 31, 2025 in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2025 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, and returns filed, disclosure made and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended on March 31, 2025 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, (Not applicable to the Company during the Audit Period)
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA") and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act"): -
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI LODR Regulations, 2015**");
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;



- (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**"SEBI ICDR Regulations, 2018"**);
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client as far as applicable;
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
(Not applicable during the year)
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; **(Not applicable during the year)**
- (j) The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;
- (k) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;
- (l) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
- (m) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;
- (n) other laws applicable specifically to the Bank:
 - (i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Banking Regulation Act, 1949;
 - (ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
 - (iii) The Bank of Maharashtra (Shares and Meeting) Regulations, 2004;
 - (iv) The Reserve Bank of India Act, 1934;
 - (v) The Banking Regulations Act, 1949;
 - (vi) The Banker's Book Evidence Act, 1891;
 - (vii) The Banking Ombudsman Scheme, 2006;
 - (viii) The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985;
 - (ix) The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest ("SARFAESI") Act, 2002 and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
 - (x) The Prevention of Money Laundering Act, 2002 and The Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005;
 - (xi) The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i. Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. - Not Applicable
- ii. The Listing Agreements entered by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited;

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as far as applicable, mentioned above with following observations:

- a) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI LODR Regulations, 2015.
- b) Number of Independent Directors was less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI LODR Regulations, 2015.
- c) Vacancy of directors is not filled within three months as per Regulation 17(1E) of SEBI LODR Regulations, 2015.



- d) The Audit Committee of the Bank was not comprises of minimum 3 members and 2/3rd of Independent Directors as its members as well as committee do not have regular chairperson from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI (LODR) Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors.
- e) Nomination & Remuneration Committee of the Bank was not comprises of minimum three non-executive directors and 2/3rd of Independent Directors as its members from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI LODR Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors. The bank has also received an administrative warning letter from SEBI for non-conduct of NRC meeting in the FY 2022-23 & 2023-24.
- f) Risk Management Committee of the Bank does not have regular chairman from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI LODR Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors
- g) As per the Rule 3 of National Financial Reporting Authority Rules, 2018 every Body Corporate not being a Company should file form NFRA-1 and NFRA-2 the same has not been complied by the Bank.
- h) Since the applicability of SEBI (LORD), 2015 (3rd amendment) Regulation, 2024, effective from 13.12.2024, the bank is regular in informing all the fines occurred due to operational deficiency and has ensured periodic reporting and disclosures to the stock exchanges.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors except as mentioned above. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the applicable provisions of the Act.

Further, adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, whereas agenda and detailed notes on agenda were sent in advance as required under SEBI LODR Regulations, 2015, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that, there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations, and Guidelines. The bank has effectively evaluated and updated to establish robust system of detection and monitoring of the frauds and has been regular in reporting the same to the Reserve Bank of India as required by the applicable laws mentioned above. The provisions of Companies Act regarding this are not applicable to the Bank.



The Compliance of the laws have been audited based on the test check basis considering the quantum and geographical locations of the branches of the Bank.

We further report that during the audit period, the Bank has:

(i) Issue of Basel III Compliant Additional Tier 2 Bonds as per the following details during the financial year:

Sr. No.	ISIN No.	Type of Bonds	Date of Allotment	Amount of ROI Issue (In Cr.)	ROI
1	INE457A08167	Unsecured, subordinated, redeemable, non-convertible, Taxable, Fully Paid up, BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series VIII) in the nature of Debentures	04.07.2024	1000	7.89%

(ii) Issue Long Term Infra Bonds as per the following details during the financial year:

Sr. No.	ISIN No.	Type of Bonds	Date of Allotment	Amount of ROI Issue (In Cr.)	ROI
1	INE457A08175	Non-Convertible, Taxable, Listed, Rated, Redeemable, Unsecured, Fully Paid-Up, Long-Term Infra Bonds (Series I) in the nature of Debentures.	05.08.2024	811	7.80%
2	INE457A08183	Non-Convertible, Taxable, Listed, Rated, Redeemable, Unsecured, Fully Paid-Up, Long-Term Infra Bonds (Series II) in the nature of Debentures.	18.02.2025	1612	7.70%

(ii) The Bank has made an allotment under Qualified institutions placement of 61,01,81,311 equity shares of face value Rs. 10 each (the "Equity Shares") under the provisions of Chapter VI of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") (the "Issue" or "QIP") on 5th October, 2024.

For S. R. Siddheshwar & Co.
Company Secretaries

.....
CS Sameer Siddheshwar
Company Secretary
Membership No: F11189, CP: 15564
UDIN: F011189G000197617
Peer Reviewed Firm: 1520/2021



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

Annexure -A

To,
The Members,
Bank of Maharashtra
"Lokmangal"
1501 , Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

Our report of even date is to be read along with this letter.

- Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Book of Accounts of the Bank.
- Wherever required, we have obtained the Management Representation about the Compliance of Laws, Rules and Regulations and happening of events, etc.
- The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable Laws, Rules, Regulations, Standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
- The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S. R. Siddheshwar & Co.
Company Secretaries

.....
CS Sameer Siddheshwar
Company Secretary
Membership No: F11189, CP: 15564
UDIN: F011189G000197617
Peer Reviewed Firm: 1520/2021

कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर नोट

Note on Corporate Governance

वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट/
Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2024-25

1

कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पद्धतियों को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा हरसंभव प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक पद्धतियां और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक संवर्धित करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

बैंक का इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। तथापि, बैंक एक कंपनी नहीं है, बल्कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत एक कॉर्पोरेट निकाय है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों का अनुपालन करता है, जब तक कि वे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश, निर्देश आदि के प्रावधानों का उल्लंघन न करे।

1

Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to serve best the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

The equity Shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (NSE). However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2

निदेशक मंडल

2.1. निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होता है।

बैंक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर

2

Board of Directors:

2.1. The Composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks. (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India, Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The nomination and appointment of all



निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन और नियुक्ति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति (स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग से समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

बैंक के बोर्ड में 31 मार्च, 2025 तक कार्यपालक और गैर-पूर्णकालिक निदेशकों का इष्टतम संयोजन है। 31 मार्च 2025 को निदेशक मंडल में 06 निदेशक शामिल थे, जिनमें से 03 कार्यपालक निदेशक तथा 03 गैर-कार्यपालक निदेशक थे, जिसमें 01 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (बोर्ड के अध्यक्ष) और दो कार्यपालक निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की कुल संख्या का 17% हैं।

बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता या सक्षमता विनिर्दिष्ट करते हैं।

- लेखांकन
- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- सूचना प्रौद्योगिकी
- सार्वजनिक नीति आदि, अथवा किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो कि रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

बैंक के निदेशक मंडल को उपर्युक्त विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल तथा अनुभव है, जिससे सतत व्यवसाय वृद्धि के माध्यम से मूल्य सृजन हेतु सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा।

2.2. बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है- नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरीयों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना। बैंक का निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और

categories of Directors are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director. Bank has requested Department of Financial Services for the appointment of requisite number of Independent directors (including the Woman Independent Director) on the Board of Bank from time to time.

The Bank's Board has an optimum combination of Executive and Non-Executive Directors as on 31st March, 2025. The Board of Directors as on 31st March 2025, comprised of 06 Directors, out of which 03 were Whole -Time Directors and 03 were Non-Executive Directors, which include 01 Independent Director. Managing Director & CEO (Chairman of the Board) and two Executive Directors are the whole time directors. The Independent Directors constitute 17% of the total Board strength.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Banking Regulation Act, 1949 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank.

- Accountancy
- Agriculture and Rural Economy
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small-scale industry
- Information Technology
- Public Policy etc., or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank

The Board of Directors of Bank have above professional knowledge, skill sets and experience thereby bringing about an enabling environment for value creation through sustainable business growth.

2.2. In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank. The Board of Directors of Bank function in



अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 तथा समय-समय पर जारी भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।

accordance with the powers delegated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

31 मार्च 2025 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2025 was as under:

क्र. Sr No.	निदेशक का नाम, पदनाम और श्रेणी Name, Designation and Category of Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	31.03.2025 को धारित ईक्विटी बैंक शेयरों/ परिवर्तनीय लिखतों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2025	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	सूचीबद्ध इकाइयों (बैंक सहित) की एसीबी/ एसआरसी# में अध्यक्ष/ सदस्यता की संख्या No. of Chairman/ membership in ACB/ SRC# of listed entities (including Bank)	बैंक/ अन्य कंपनियों में निदेशक की नियुक्ति का स्वरूप Nature of appointment in the Bank / Directorship in other Companies
1.	श्री निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक) Shri Nidhu Saxena Managing Director & CEO (Executive)	वित्त, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और व्यवसाय प्रशासन Finance, Banking, Forex and Business Administration	शून्य Nil	09	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : एसीबी- सदस्य The New India Assurance Company Limited : ACB - Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 27.03.2024 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Appointed as the Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 27.03.2024 by the Central Government. Directorship in other Companies: The New India Assurance Company Limited
2.	श्री आशीष पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Shri Asheesh Pandey Executive Director (Executive)	बैंकिंग, वित्त, विपणन, व्यवसाय प्रशासन Banking, Finance, Marketing, Business Administration	शून्य Nil	12	बैंक ऑफ महाराष्ट्र : एसआरसी- सदस्य Bank of Maharashtra: SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.12.2021 by the Central Government of India. Directorship in other Companies: The Maharashtra Executor and Trustee Company Private Limited (wholly owned subsidiary of the Bank)
3.	श्री रोहित ऋषि कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Shri Rohit Rishi Executive Director (Executive)	बैंकिंग, वित्त, व्यवसाय प्रशासन Banking, Finance, Business Administration	शून्य Nil	12	बैंक ऑफ महाराष्ट्र : एसआरसी- सदस्य Bank of Maharashtra: SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.11.2023 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: शून्य Appointed as the Executive Director w.e.f. 01.11.2023 by the Central Government of India. Directorship in other Companies: NIL
4.	श्री अभिजीत फुकन सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) Shri Abhijit Phukon Government Nominee Director (Non-Executive)	प्रशासन (आईईएस) अर्थशास्त्री (IES), Economist	शून्य Nil	08	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 25.10.2023 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: • एग्जिम बैंक Nominated as a Director w.e.f. 25.10.2023 by the Central Government. Directorship in other Companies: • EXIM Bank



Sr No.	निदेशक का नाम, पदनाम और श्रेणी Name, Designation and Category of Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	31.03.2025 को धारित ईक्विटी बैंक शेयरों/ परिवर्तनीय लिखतों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2025	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	सूचीबद्ध इकाइयों (बैंक सहित) की एसीबी/ एसआरसी# में अध्यक्ष/ सदस्यता की संख्या No. of Chairman/ membership in ACB/ SRC# of listed entities (including Bank)	बैंक/ अन्य कंपनियों में निदेशक की नियुक्ति का स्वरूप Nature of appointment in the Bank / Directorship in other Companies
5.	श्री संजीव प्रकाश आरबीआई नामित निदेशक (गैर- कार्यपालक) Shri Sanjeev Prakash RBI Nominee Director (Non-Executive)	बैंकिंग, वित्त Banking, Finance	शून्य Nil	03	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसीबी- सदस्य Bank of Maharashtra ACB- Member	दिनांक 14.07.2023 से बैंक के निदेशक मंडल में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त अन्य कंपनियों में निदेशक: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लि. Appointed as RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 14.07.2023. Directorship in other Companies: Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd.
6.	श्री प्रवीण कुमार शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) Shri Praveen Kumar Shareholder Director (Independent Non-Executive)	बीमा, प्रशासन Insurance, Administration	200	08	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसीबी- सदस्य एस आर सी - अध्यक्ष Bank of Maharashtra ACB- Member SRC - Chairman	दिनांक 30.06.2024 से बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित अन्य कंपनियों में निदेशक: शून्य Elected as Shareholder Director of Bank w.e.f. 30.06.2024 Directorship in other Companies: Nil

एसीबी अर्थात निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति और एसआरसी अर्थात हितधारक संबंध समिति

ACB means Audit Committee of the Board and SRC means Stakeholder Relationship Committee

2.3. वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

- श्री शशांक श्रीवास्तव, बैंक में निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर 20.12.2024 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहे।
- श्री एस. बलजीत सिंह, बैंक में निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर 20.12.2024 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहे।

2.3. Changes in Composition of Board of Directors of Bank took place during the year 2024-25

During FY 2024-25, the following changes took place in the Board of Directors:

- Shri Shashank Shrivastava, ceased to be a Director on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2024 on completion of his tenure as a Director in the Bank
- Shri S. Baljit Singh, ceased to be a Director on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2024 on completion of his tenure as a Director in the Bank



2.4. निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल (31.03.2025 को)

श्री निधु सक्सेना, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (एमडी एवं सीईओ)

श्री निधु सक्सेना, आयु 57 वर्ष, दिनांक 27.03.2024 को एमडी एवं सीईओ के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शामिल हुए। वे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर, वाणिज्य स्नातक हैं और उनके पास सीएआईआईबी प्रमाणन है। उन्होंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की और तत्पश्चात यूको बैंक में चले गए। श्री निधु सक्सेना के पास बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में काम करने का 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यग्रहण करने से पूर्व, वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सभी प्रमुख बैंकिंग क्षेत्रों में कार्य किया और शाखा प्रमुख, अंचल प्रमुख और वर्टिकल प्रमुख जैसे विभिन्न पदों पर अपने दायित्वों का निर्वाह किया। यूनियन बैंक में, वे ट्रेजरी, घरेलू विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन, दबावग्रस्त परिसंपत्ति, खुदरा परिसंपत्ति, एमएसएमई, रिटेल देयताएं, सीआईएसओ, संपत्ति प्रबंधन और ऑडिट वर्टिकल का दायित्व संभाल रहे थे। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड और यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में रहे हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे की अकादमिक परिषद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, गुवाहाटी के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सहयोग हेतु भी उन्हें 'विषय विशेषज्ञ' के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। बैंकिंग करियर शुरू करने से पहले उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर में 8 वर्ष का अनुभव भी है।

श्री आशीष पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक

श्री आशीष पाण्डेय, आयु 54 वर्ष, को दिनांक 31 दिसंबर 2021 को हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनके पास वित्त और विपणन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री भी है। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान - बैंगलूरू के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने आईआईएम, रोहतक से स्ट्रेटिजिक डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स-2023 में एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम और हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग के सहयोग से एगॉनज़ेन्डर द्वारा डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम-2023 भी पूर्ण किया है।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेशन बैंक से की थी। वर्तमान पद संभालने से पूर्व, उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्हें क्रेडिट, क्रेडिट मॉनिटरिंग, ट्रेजरी एवं मर्चेंट बैंकिंग, विदेशी विनिमय एवं संयुक्त उद्यम, विपणन एवं ग्राहक संबंध और बैंकिंग संचालन इत्यादि विविध पोर्टफोलियो में 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। एक टेक-सेवी बैंकर होने के नाते, उन्होंने विचारों और नवाचारों को अपनाकर सफल डिजिटल बैंकिंग परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ई-आंध्र बैंक और ई-कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के दौरान री-इंजीनियरिंग, सामंजस्य, स्वचालन और डिजिटलीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे दिनांक 30.12.2021 तक चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ आईबीए द्वारा गठित पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में

2.4. Brief Profile of the Directors (as on 31.03.2025)

Shri Nidhu Saxena, Managing Director and CEO (MD & CEO):

Shri Nidhu Saxena, aged 57 years, joined Bank of Maharashtra as MD & CEO w.e.f 27.03.2024. He is Master in Business Administration, Commerce graduate and holds CAIIB Certification. He started his banking career at Bank of Baroda and later moved to UCO Bank. Shri Nidhu Saxena has over 27 years of experience working in diversified areas of banking. Prior to joining Bank of Maharashtra, he was the Executive Director of Union Bank of India. During his tenure, he worked in all key banking functions and has been in several positions such as Branch Head, Zonal Head and Vertical Head. At Union Bank, he was looking after Treasury, Domestic Foreign Business, International Banking, Human Resources, Stressed Assets, Retail Assets, MSME, Retail Liabilities, CISO, Wealth Management and Audit Verticals. He has been on the Board of Union Bank of India (UK) Limited and Union Asset Management Company Limited and has also been a member of the Academic Council of National Institute of Bank Management, Pune and Governing Body of Indian Institute of Bank Management, Guwahati. He has also been identified as a 'Subject Expert' for assisting Union Public Service Commission. He also has experience of 8 years in corporate sector before starting his banking career.

Shri Asheesh Pandey, Executive Director

Shri Asheesh Pandey, aged 54 years, was appointed as Executive Director of our bank on 31st December 2021. He is a Mechanical Engineer and also holds Post Graduation degree in Management with specialization in Finance & Marketing. He is an alumnus of Indian Institute of Management - Bangalore. He has also completed Executive Program in Strategic Digital Marketing & Analytics-2023 by IIM, Rohtak and Directors Development Program-2023 by EgonZehnder in collaboration with Harvard Business Publishing.

He started his career from Corporation Bank. Prior to assuming the current position, he worked as Chief General Manager & Chief Operations Officer at Union Bank of India, Mumbai. He has more than 28 years of experience in diverse portfolio ranging from Credit, Credit Monitoring, Treasury & Merchant Banking, Foreign Transactions & Joint Ventures, Marketing & Customer Relationships and Banking Operations. Being a Tech-Savvy banker, he has played a key role in successful digital banking transformation by adopting ideations and innovations. He also played an important role in the re-engineering, harmonization, automation and digitization during amalgamation of e-Andhra Bank and e-Corporation Bank with Union Bank of India. He was Nominee Director on the Board of PSB Alliance Pvt Ltd, floated by IBA with select Public Sector Banks



नामित निदेशक थे। वर्तमान में वे "द महाराष्ट्र एक्जीक्यूटोर एंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड" (मेटको) के बोर्ड में अध्यक्ष सह निदेशक हैं, जो बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और वित्तीय समावेशन/ एसएचजी संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण महिला एवं बालक विकास मंडल के अध्यक्ष व ट्रस्टी हैं। वे महाबैंक कृषि अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास फाउंडेशन (एमएआरडीईएफ) के ट्रस्टी और अध्यक्ष भी हैं, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक ट्रस्ट है और वे 01.01.2022 से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की ईज़ रिफॉर्म संचालन समिति के सदस्य हैं।

श्री रोहित ऋषि, कार्यपालक निदेशक

श्री रोहित ऋषि, आयु 56 वर्ष, ने दिनांक 01.11.2023 को बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। वे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फाइनेंस) में मास्टर तथा बी.टेक. (टेक्स्टाइल्स) हैं और उनके पास सीएआईआईबी प्रमाणन है। उन्होंने जुलाई 1995 में इंडियन बैंक में औद्योगिक विकास अधिकारी के रूप में अपना बैंकिंग करियर शुरू किया। उन्हें बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर क्रेडिट प्रबंधन में कार्य किया। उन्होंने देश भर में विभिन्न पदों जैसे औद्योगिक विकास अधिकारी, सहायक महाप्रबंधक एमएसएमई/ कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नई, नई दिल्ली में बैंक की फ्लैगशिप शाखा के प्रमुख; उप महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट शाखा, नई दिल्ली), बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में फील्ड महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में समामेलन में सक्रिय भूमिका निभाई। एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के रूप में, उन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एनआईबीएम पुणे, आईआईएम बेंगलुरु (एफएसआईबी द्वारा संचालित), आईआई अहमदाबाद में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में सहभाग लिया है। उन्हें अपने क्रेडिट प्रबंधन, नेतृत्व कौशल और प्रदर्शन-उन्मुख और उच्च-डिलीवरी टीमों को तैयार करने के लिए संगठन में जाना जाता है।

डॉ. अभिजीत फुकन, भारत सरकार नामित निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन, आयु 50 वर्ष, को बैंक के बोर्ड में दिनांक 25.10.2023 से भारत सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे वित्त में पीएचडी, अर्थशास्त्र में मास्टर तथा मानव संसाधन विकास एवं विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं। वे भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस 2004 बैच) के अधिकारी हैं, वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में आर्थिक सलाहकार और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अर्थशास्त्र, प्रबंधन और वित्त से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। व्यावसायिक रूप से, उनके पास सार्वजनिक नीति में बीस वर्षों से अधिक का शैक्षणिक, अनुसंधान और विविध शासन का अनुभव है। उन्हें स्थायी वित्त, सीएसआर/ एसडीजी/ ईएसजी, कॉर्पोरेट प्रशासन, नियामक और अनुपालन, ऊर्जा और बिजली क्षेत्र,

till 30.12.2021. Presently he is the Chairperson cum-Director on the Board of "The Maharashtra Executor and Trustee Company Ltd." (METCO), a wholly owned subsidiary of the bank and President & Trustee of Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM) sponsored by Bank of Maharashtra for Financial Inclusion / SHG related activities. He is also a Trustee & Chairman of Mahabank Agricultural Research & Rural Development Foundation (MARDEF), a Trust sponsored by Bank of Maharashtra and a Member of EASE Reform Steering Committee of Indian Banks' Association (IBA) since 01.01.2022.

Shri Rohit Rishi, Executive Director

Shri Rohit Rishi, aged 56 years, joined Bank on 01.11.2023 as Executive Director. He is Master in Business Administration (Finance), B.Tech (Textiles) and holds CAIIB certification. He started his banking career as Industrial Development Officer in Indian Bank in July 1995 and has over 28 years of experience working in diversified areas of banking. During his tenure, he worked in all key banking functions in various capacities mainly in credit management. He has worked across the country in various positions such as Industrial Development Officer, AGM MSME/ Corporate Office, Chennai, Head of Bank's flagship branch in New Delhi; DGM (Corporate Branch, New Delhi), FGM at Bengaluru, Mumbai and Delhi. As General Manager he took active part in amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank. As a vivid learner, he has attended various training programmes and workshops at Frankfurt School of Finance & Management, NIBM Pune, IIM Bengaluru (conducted by FSIB), EDI Ahmedabad. He is reputed in the organization for his Credit Management, Leadership skills and cultivating performance-oriented and high-delivery teams.

Dr. Abhijit Phukon, Government of India Nominee Director

Dr. Abhijit Phukon, aged 50 years, was appointed as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 25.10.2023. He is PhD in Finance, Master in Economics, and Post Graduate Diploma in HRD & Marketing. He is an officer of Indian Economic Service (IES 2004 batch), presently serving as Economic Adviser and Chief Information Security Officer (CISO) in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. He has published a number of research papers on various issues related to economics, management and finance in internationally reputed Journals. Professionally, he brings in over twenty years academic, research and cross-cutting governance experience in public policy. He brings in domain knowledge and expertise in sustainable finance, CSR/SDGs/ESG, corporate governance,



बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि में डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग से पूर्व उन्होंने वाणिज्य विभाग, आर्थिक मामले विभाग, उर्जा मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में विभिन्न पदों सहित सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) में कार्य किया। सरकार में सेवा के दौरान, उन्होंने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार और नीतिगत ढांचे की स्थापना की। वे एग्जिम बैंक के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक भी हैं।

regulatory and compliance, energy & power sector, infrastructure & Public Private Partnership (PPP), international trade etc. Prior to DFS, he served Department of Commerce, Department of Economic Affairs, Ministry of Power, Ministry of Corporate Affairs at various capacities including as Secretary, National Financial Reporting Authority (NFRA). While being in service in the Government, he instituted large scale reforms and policy frameworks in the economic and social sectors. He is also Government Nominee Director on the Board of EXIM Bank.

श्री संजीव प्रकाश, आरबीआई नामित निदेशक

श्री संजीव प्रकाश, आयु 52 वर्ष, को दिनांक 14.07.2023 से बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे बी.एससी. (इंजीनियरिंग), सीएआईआईबी, एफआरएम (जीएआरपी) हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यग्रहण किया। उनके पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट और वित्तीय जोखिम प्रबंधन (एफआरएम) की योग्यता है। रिज़र्व बैंक में पिछले 25 वर्षों में, श्री संजीव प्रकाश ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और मुंबई में बैंक के केंद्रीय कार्यालय में कार्य किया है। बैंक में उनके दायित्व के मुख्य क्षेत्रों में बैंकों, गैर-बैंकों और वित्तीय समूहों का पर्यवेक्षण; मानव संसाधन प्रबंधन; सूचना प्रौद्योगिकी एवं परियोजना कार्यान्वयन शामिल है। श्री संजीव प्रकाश ने उप-गवर्नरों के कार्यकारी सहायक के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें कुछ समय के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) बेसल, स्विट्जरलैंड के फाइनेंशियल स्टैबिलिटी इंस्टीट्यूट में प्रतिनियुक्त किया गया था जहां उन्होंने वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान पर कार्य किया था। वर्तमान में श्री संजीव प्रकाश मुंबई में बैंक के केंद्रीय कार्यालय में मुद्रा प्रबंधन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास कुशल मुद्रा प्रबंधन संचालन के लिए नीति निर्माण पहल के रूप में, मुख्य रूप से मुद्रा विनिमय और सिक्कों के वितरण, खराब नोटों के निपटान, करंसी चेस्ट के सुचारू परिचालन तथा जाली नोटों की निगरानी का दायित्व है। वे दिनांक 24 अक्टूबर 2024 से भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लि. (बीआरबीएनएमपीएल) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

Shri Sanjeev Prakash, RBI Nominee Director

Shri Sanjeev Prakash, aged 52 years, was appointed as RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f 14.07.2023. He is B.Sc. (Engineering), CAIIB, FRM (GARP). He joined Reserve Bank of India in 1998. He holds a Bachelor's degree in Engineering and Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) & Financial Risk Manager (FRM) qualifications. Over the past 25 years in Reserve Bank, Shri Sanjeev Prakash has worked at various Regional Offices and the Bank's Central Office in Mumbai. His main areas of work in the Bank include supervision of banks, non-banks & financial conglomerates; Human Resources Management; Information Technology & Project implementation. Shri Sanjeev Prakash has also served as Executive Assistant to Deputy Governors. He was briefly deputed to the Financial Stability Institute at the Bank for International Settlements (BIS), Basel, Switzerland where he worked on identification of Global Systemically Important Banks. At present, Shri Sanjeev Prakash is working as Chief General Manager in the Department of Currency Management at Bank's Central Office in Mumbai. As part of policy making initiatives for efficient currency management operations, he is mainly responsible for facilitating exchange of currency and distribution of coins, disposal of soiled notes, smooth operations of currency chests and forged note vigilance. He is also serving as a Director on the Board of Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd. (BRBNMPL) w.e.f October 24, 2024.

श्री प्रवीण कुमार, शेयरधारक निदेशक

बीमा एवं बैंकिंग, विपणन, जोखिम प्रबंधन, प्रशासन और मानव संसाधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड की शाखाओं/ कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इससे पहले, वे एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक और निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 30.06.2024 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में शामिल हुए।

Shri Praveen Kumar, Shareholder Director

More than 36 years of experience in various areas such as Insurance & Banking, Marketing, Risk Management, Administration and Human Resources etc., worked in various capacities in the Branches/ Offices of Life Insurance Corporation of India, LIC Housing Finance Ltd and LIC Cards Services Ltd. Previously, he was holding the position of Chief Executive and Director of LIC Cards Services Limited. He joined as Director of Bank of Maharashtra on 30.06.2024



2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात बैंक के सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट <https://bankofmaharashtra.in/policies> पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.6 स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता के संबंध में बोर्ड द्वारा पुष्टि:

सभी स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त प्रकटन के आधार पर, बोर्ड ने कहा कि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा किया और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संबंध में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग से बैठक आयोजित की, जो बैंक प्रबंधन और बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक है। इस बैठक में सांविधिक आवश्यकताओं जैसे गुणवत्ता, मात्रा और सूचना के समय पर प्रवाह का आकलन इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बार बैठक हुई, जो निम्नानुसार है:

27/08/2024	10/10/2024	12/11/2024	16/12/2024

2.8 बोर्ड सदस्यों का मूल्यांकन निष्पादन :

भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल की समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गैर-आधिकारिक निदेशकों का कार्य-निष्पादन वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

2.9 बैंक के पास अपने निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट https://bankofmaharashtra.in/corporate_governance पर उपलब्ध है।

2.10 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers of the Bank has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is available on the Bank's website <https://bankofmaharashtra.in/policies>. All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.

2.6 Confirmation by the Board with respect to Independence of Independent Directors:

Based on the disclosures received from all the Independent Directors, the Board opined that all the Independent Directors fulfilled the criteria of independence as specified in Companies Act, 2013 as well as in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are independent of the management.

2.7 Separate meeting of Independent Directors:

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank has conducted four (4) separate meeting of Independent Directors during the financial year 2024-25 to discuss the matters as per the statutory requirements such as assessing the quality, quantity and timely flow of information between the Bank management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties. The meeting was attended by all Independent Directors of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under

27/08/2024	10/10/2024	12/11/2024	16/12/2024

2.8 Performance Evaluation of Board Members:

The performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors is done by Board of Directors on annual basis.

2.9 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2024-25 are available on the Bank's website https://bankofmaharashtra.in/corporate_governance

2.10 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.



3

वार्षिक साधारण बैठक

बैंक के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 12 जून, 2024 को बैंक के प्रधान कार्यालय से विडियो कॉन्फरेंस/ अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से संपन्न हुई, जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे:

क्र.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री निधु सक्सेना	एमडी एवं सीईओ
2	श्री आशीष पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक
3	श्री रोहित ऋषि	कार्यपालक निदेशक
4	श्री संजीव प्रकाश	आरबीआई नामित निदेशक
5	श्री राकेश कुमार	शेयरधारक निदेशक
6	श्री शशांक श्रीवास्तव	गैर-आधिकारिक निदेशक
7	श्री एस. बलजीत सिंह	गैर-आधिकारिक निदेशक (ऑडिट समिति व हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष)

3

Annual General Meeting

The 21st Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 12th June, 2024 at Head office of Bank through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM), where following Directors attended the meeting.

Sr.No	Name of the Director	Designation
1	Shri Nidhu Saxena	MD & CEO
2	Shri Asheesh Pandey	Executive Director
3	Shri Rohit Rishi	Executive Director
4	Shri Sanjeev Prakash	RBI Nominee Director
5	Shri Rakesh Kumar	Shareholder Director
6	Shri Shashank Shrivastava	Non-Official Director
7	Shri S. Baljit Singh	Non-Official Director (Chairman of Audit Committee and Stakeholder Relationship Committee)

4

वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वरिष्ठ प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

4

Changes in the Senior Management

The following are the changes in the Senior Management in the FY 2024-25:

क्र. Sr. No.	नाम	परिवर्तन का कारण / Reason of Change	परिवर्तन का दिनांक Date of change
1.	श्री सुभाशीष रॉय Shri Subhasish Roy	मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्ति Appointment as Chief Risk Officer	01.04.2024
2.	श्री अरुण फणीधर कबाड़े Shri Arun Fanidhar Kabade	सीआरओ से महाप्रबंधक के पद पर पद-परिवर्तन Change in Designation from CRO to General Manager	01.04.2024
3.	श्री मुकेश चन्द्र उपाध्याय Mr. Mukesh Chandra Upadhyay	महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति Elevation as General Manager	01.04.2024
4.	श्री मो. जावेद मोहनवी Mr. Mohd. Javed Mohnavi	महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति Elevation as General Manager	01.04.2024
5.	श्री दिवेश दिनकर Mr. Divesh Dinkar	मुख्य अनुपालन अधिकारी के पद पर पद-परिवर्तन Change in designation to Chief Compliance Officer	16.04.2024
6.	श्री प्रशांत आर. खटावकर Shri Prashant R Khatavkar	अधिवर्षिता Superannuation	31.07.2024
7.	श्रीमती संतोष दुलड़ Mrs. Santosh Dular	महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति Elevation as General Manager	01.08.2024
8.	श्री सूर्यकांत ए. सावंत Shri Suryakant A Sawant	अधिवर्षिता Superannuation	30.11.2024
9.	श्री उन्नम आर. राव Shri Unnam R Rao	अधिवर्षिता Superannuation	30.11.2024
10.	श्री गिरीश एम. थोरात Shri Girish M Thorat	महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति Elevation as General Manager	01.12.2024
11.	श्री अतुल जोशी Shri Atul Joshi	मृत्यु Demise	17.01.2025
12.	श्री शिरीष संतोषराव साळवे Shri Shirish Santoshrao Salway	महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति Elevation as General Manager	29.01.2025



5

बोर्ड बैठकें

बैंक के बोर्ड की बैठक अन्य व्यवसायों के अलावा बैंक की व्यापार नीति और रणनीति पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है।

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः पुणे में बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। निदेशक मंडल/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 16 बैठकें संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अंतर्गत न्यूनतम 04 (चार) बैठकें निर्धारित हैं।

5

Board Meetings

The Board of bank meets at regular intervals to discuss and decide Bank's business policy and strategy apart from other businesses. The Board oversees implementation of business policies for achieving its objectives. The Board has constituted various committees/sub committees to facilitate the smooth and efficient flow in decision-making process.

The meetings of the Board of Directors are generally held at the Bank's Head office at Pune. Directors are also provided with video conferencing facility so as to participate in Board / Committee meetings.

During the Financial Year 2024-25, 16 meetings of Board of Directors were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

26.04.2024	03.05.2024	07.06.2024	28.06.2024	15.07.2024	18.07.2024	31.07.2024
27.08.2024	26.09.2024	15.10.2024	12.11.2024	17.12.2024	15.01.2025	24.01.2025
28.02.2025	27.03.2025					

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :
The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure is given as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	16	16
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	16	16
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	16	15
श्री अभिजीत फुकन Shri Abhijit Phukon	01.04.2024 to 31.03.2025	16	16
श्री संजीव प्रकाश Shri Sanjeev Prakash	01.04.2024 to 31.03.2025	16	15
श्री राकेश कुमार Shri Rakesh Kumar	01.04.2024 to 29.06.2024	04	04
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	01.04.2024 to 20.12.2024	12	12
श्री एस. बलजीत सिंह Shri Baljit Singh	01.04.2024 to 20.12.2024	12	12
श्री प्रवीण कुमार Shri Praveen Kumar	30.06.2024 to 31.03.2025	12	12



6

निदेशक मंडल की समितियां

बैंक के बोर्ड ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न समितियों/ उप समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने प्रभावी निर्णय, निगरानी सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न कार्यशील क्षेत्रों में अपनी उप-समितियों को प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्रदान की हैं। बोर्ड की विभिन्न समितियों का विवरण निम्नानुसार है:

6.1 प्रबंधन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल के पांच निदेशकों की प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- ऋण और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देना
- ऋण समझौता/ बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना
- परिसर/ कार्टर्स को अधिग्रहित करने व अन्य खरीद से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन करना
- निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित दिनांकों को समिति की 26 बैठकें हुईं:

02/05/2024	07/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	31/07/2024	06/08/2024	27/08/2024
13/09/2024	20/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	12/11/2024	25/11/2024
03/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	13/01/2025	24/01/2025	30/01/2025	13/02/2025
28/02/2025	06/03/2025	18/03/2025	24/03/2025	27/03/2025		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 से 31.03.2025	26	26
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 से 31.03.2025	26	22
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 से 31.03.2025	26	26
श्री संजीव प्रकाश Shri Sanjeev Prakash	01.04.2024 से 31.03.2025	26	25
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	01.04.2024 से 27.08.2024	7	7
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	27.08.2024 से 20.12.2024	10	10

6

Committees of Board

The Board of Bank has constituted various committees/ sub committees as per the guidelines of Government of India, Reserve Bank of India and SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Board has delegated powers to its sub-committees in different functional areas with a view to ensure effective decision making, monitoring and focus on critical areas. Details of the various committees of the board are as under:

6.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with five Directors as its members as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- Sanction of credit and investment proposals,
- Sanction of loan, compromise/ write off proposals,
- Approve proposals relating to acquiring of premises./quarters and other procurements,
- Any other matter referred by the Board.

The Committee met 26 times during the period under review on the following dates:

The details of attendance of the Directors at the afore-said meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:



31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य
श्री संजीव प्रकाश	सदस्य

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

Shri Nidhu Saxena	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member
Shri Sanjeev Prakash	Member

6.2. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है जिसमें तीन निदेशक उसके सदस्य होंगे। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क. लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
2. सूचीबद्ध इकाई के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति;
4. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
 - निदेशक के उत्तरदायित्व कथन में शामिल किए जाने वाले मामलों को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है
 - लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
 - प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
 - लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा;
 - मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

6.2. Audit Committee of the Board:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India and Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted with three Directors as its members. The delegated functions of the Committee are as under:

A. The role of the audit committee shall include

1. Oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
2. Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the listed entity;
3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
4. Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the board for approval, with particular reference to:
 - Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the board's report
 - Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - Disclosure of any related party transactions;
 - Modified opinion in the draft audit report
5. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the board for approval;



6. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, इत्यादि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/आवेदन का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण तथा किसी 451 [सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम या अधिमान्य निर्गम या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट] की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, तथा इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।;
7. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और कार्य-प्रदर्शन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
8. संबंधित पक्षों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेन-देन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन;
9. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;
10. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;
11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
12. प्रबंधन के साथ मिलकर सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य-प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
13. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है;
14. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाई;
15. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या मैटेरियल नेचर की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना;
16. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा, ताकि चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाया जा सके;
17. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान
6. Reviewing, with the management, the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a 451[public issue or rights issue or preferential issue or qualified institutions placement], and making appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter;
7. Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
8. Approval or any subsequent modification of transactions of the listed entity with related parties;
9. Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
10. Valuation of undertakings or assets of the listed entity, wherever it is necessary;
11. Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
12. Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
13. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
14. Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
15. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the board;
16. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
17. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;



18. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना; 19. अभ्यर्थी की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देना; 20. लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को पूरा करना। 21. सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा रुपये 100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक ऋण और/या अग्रिम के उपयोग/निवेश की समीक्षा करना, जिसमें इस प्रावधान के लागू होने की तिथि तक विद्यमान मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं। 22. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, विभाजन, समामेलन आदि से संबंधित योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना.	18. To review the functioning of the whistle blower mechanism; 19. Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate; 20. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee. 21. Reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding rupees 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans / advances / investments existing as on the date of coming into force of this provision. 22. Consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholders

ख. लेखापरीक्षा समिति को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करनी होगी:

1. वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
2. प्रबंधन पत्र/ सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
3. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; और
4. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
5. विचलन का विवरण:
 - विनियमन 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने वाले विचलन का त्रैमासिक विवरण, जिसमें निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट भी शामिल है, यदि लागू हो।
 - विनियमन 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

B. The audit committee shall mandatorily review the following information:

1. Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
2. Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
3. Internal audit reports relating to internal control weaknesses; and
4. The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee.
5. statement of deviations:
 - quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1).
 - annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice in terms of Regulation 32(7).



वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें हुई और बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

During the year, the ACB met 12 times and the dates of the meetings are as under:

26/04/2024	06/06/2024	27/06/2024	15/07/2024	26/08/2024	19/09/2024	25/09/2024
10/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	11/11/2024	16/12/2024		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव प्रकाश Shri Sanjeev Prakash	01.04.2024 to 31.03.2025	12	12
श्री राकेश कुमार Shri Rakesh Kumar	01.04.2024 to 29.06.2024	03	03
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	27.08.2024 to 20.12.2024	07	07
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 20.12.2024	12	12
श्री प्रवीण कुमार Shri Praveen Kumar	30.06.2024 to 31.03.2025	09	09

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों ने तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार करने हेतु आयोजित समिति की बैठकों में भाग लिया।

The representatives of Statutory Central Auditors attended the committee meetings in which quarterly financial results were considered.

कंपनी सचिव एसीबी के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

Company Secretary acts as the Secretary to ACB.

6.3. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्य के रूप में पांच निदेशकों के साथ निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक के विभिन्न जोखिमों से युक्त समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां और रणनीतियां तैयार करती है, जिसमें बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोजर की जांच करना, आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए फ्रेमवर्क और जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि शामिल होते हैं।

6.3. Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board is constituted with five Directors as its members as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Committee devise the policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank, framework for identification of internal and external risks and to monitor and oversee implementation of the risk management policy etc.,



जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और शर्तें निम्नानुसार हैं:

The roles, responsibilities and terms of Risk Management Committee is as under:

1. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - सूचीबद्ध इकाई द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल हो सकते हैं
 - पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।
 - व्यवसाय निरंतरता योजना।
 2. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हों;
 3. जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है;
 4. जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, कम से कम दो वर्षों में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है;
 5. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना;
 6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
1. To formulate a detailed risk management policy which shall include:
 - A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
 - Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.
 - Business continuity plan.
 2. To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Company;
 3. To monitor and oversee implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
 4. To periodically review the risk management policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
 5. To keep the board of directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
 6. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.

वर्ष के दौरान समिति की 07 बैठकें निम्नानुसार हुईं।

The Committee met 07 times during the year as under.

06/06/2024	27/06/2024	31/07/2024	26/08/2024	26/09/2024	11/11/2024	16/12/2024



अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	07	07
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	07	07
श्री राकेश कुमार Shri Rakesh Kumar	01.04.2024 to 29.06.2024	02	02
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	01.04.2024 to 20.12.2024	07	07
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 20.12.2024	07	07
श्री प्रवीण कुमार Shri. Praveen Kumar	30.06.2024 to 31.03.2025	05	05

श्री शशांक श्रीवास्तव और श्री एस. बलजीत सिंह बैंक में निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 20.12.2024 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यरत नहीं रहे, अतः समिति के गठन के लिए 31.03.2025 तक अपेक्षित कोरम मौजूद नहीं है।

Shri Shashank Shrivastava and Shri S. Baljit Singh ceased to be a Directors on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2024 on completion of their tenure as a Director in the Bank and hence required quorum is not present as on 31.03.2025 to form the Committee.

6.4 हितधारकों की संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अंतर्गत बैंक के शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण, वार्षिक रिपोर्ट लाभांश वारंट आदि की गैर-प्राप्ति के पर्यवेक्षण के लिए सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठकें हुईं।

28/06/2024	26/08/2024	16/12/2024

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	03	03
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	03	03
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 27.08.2024	02	02
श्री प्रवीण कुमार Shri. Praveen Kumar	30.06.2024 to 31.03.2025	01	01

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य

6.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee is constituted formed with three Directors as its members in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 to oversee the grievances / redressal of Shareholders/ Investors of the Bank, non-receipt of annual report etc.,

The Committee met 03 times during the year as under.

28/06/2024	26/08/2024	16/12/2024

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

Shri Praveen Kumar	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member



वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

01.04.2024 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	8
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	8
31.03.2025 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री विशाल सेठिया, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

6.5 शेयर अंतरण समिति:

निदेशक मंडल ने 'हितधारकों की संबंध समिति' के साथ ही 'शेयर अंतरण समिति' का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रांसमिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन करती है। समिति में चार सदस्य हैं।

निम्नलिखित तारीखों को समिति की 02 बैठकों का आयोजन किया गया।

28.06.2024	25.09.2024

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	02	02
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	02	02
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	02	02
श्री राकेश कुमार Shri Rakesh Kumar	01.04.2024 to 29.06.2024	01	01
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	27.08.2024 to 20.12.2024	01	01

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2024	0
Number of complaints received during the year	8
Number of complaints resolved during the year	8
Number of complaints pending as on 31.03.2025	0

Mr. Vishal Sethia, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the Stock exchanges and investor grievances of the Bank.

6.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve/ note applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee consist of four Directors as its members.

The Committee met 02 times on following dates as under.

28.06.2024	25.09.2024

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under



दिनांक 31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य

Shri Nidhu Saxena	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member

6.6. बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। समिति में 6 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य रु.1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

वर्ष के दौरान समिति की 01 बैठक निम्नानुसार हुई:

07.06.2024

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है:

6.6. Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee is constituted with six Directors as its members to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above

The Committee met 01 time during the year as under:

07.06.2024

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	01	01
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	01	01
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	01	01
श्री राकेश कुमार Shri Rakesh Kumar	01.04.2024 to 29.06.2024	01	01
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	01.04.2024 to 20.12.2024	01	01
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 20.12.2024	01	01

धोखाधड़ी के मामले में निगरानी और अनुवर्तन के लिए समिति को बोर्ड की विशेष समिति के रूप में परिवर्तित किया गया।

The Committee Changed to Special Committee of Board for Monitoring and follow up cases of fraud.



6.7 निदेशकों की पदोन्नति समिति :

निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं। वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति में पांच निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं और यह सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशकगण भी इस समिति से जुड़े हुए हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं:

07.06.2024	27.08.2024	27.12.2024	27.03.2025

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री संजीव प्रकाश Shri Sanjeev Prakash	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री अभिजीत फुकन Shri Abhijit Phukon	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही

श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य
श्री अभिजीत फुकन	सदस्य
श्री संजीव प्रकाश	सदस्य

6.8 ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में सदस्य के रूप में चार निदेशक हैं। बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है।

6.7. Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director. Managing Director and CEO the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee consist of five Directors as its members and also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Directors are also associated with this committee.

The Committee met 04 times during the year as under:

07.06.2024	27.08.2024	27.12.2024	27.03.2025

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under.

Shri Nidhu Saxena	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member
Shri Abhijit Phukon	Member
Shri Sanjeev Prakash	Member

6.8 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee is constituted with four Directors as its members. The Committee review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.



वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

28.06.2024	27.08.2024	17.12.2024	28.02.2025

The Committee met 04 times during the year as under:

28.06.2024	27.08.2024	17.12.2024	28.02.2025

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	01.04.2024 to 27.08.2024	02	02
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	27.08.2024 to 20.12.2024	01	01

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under

श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य
रिक्त	सदस्य
रिक्त	सदस्य
बाह्य विशेषज्ञ : 02 सदस्य	

Shri Nidhu Saxena	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member
Vacant	Member
Vacant	Member
Outside Experts : 02 Members	

6.9 आईटी रणनीति समिति:

निदेशक मंडल की आईटी रणनीति समिति का गठन पांच निदेशकों के सदस्यों के रूप में किया गया है। समिति की बैठक में 03 बाहरी आईटी विशेषज्ञ ने भी सहभाग लिया। समिति आईटी गवर्नेंस के सभी पहलुओं को देखती है जिसमें उचित आईटी रणनीति का चयन और सभी रणनीतिक आईटी योजनाओं, साइबर सुरक्षा आदि के कार्यान्वयन की निगरानी करना शामिल है।

6.9 IT Strategy Committee:

The IT Strategy Committee of the Board is constituted with five Directors as its members. The meeting of committee is also attended by 03 outside IT Experts. The Committee deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans, Cyber Security etc.,

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 09 बैठकें आयोजित हुईं:

The Committee met 09 times during the year as under:

06.06.2024	27.06.2024	27.08.2024	25.09.2024	12.11.2024	16.12.2024	24.01.2025
27.02.2025	27.03.2025					



समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	09	08
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	09	09
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	09	09
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	01.04.2024 to 27.08.2024	03	03
श्री अभिजीत फुकन Shri Abhijit Phukon	01.04.2024 to 20.12.2024	09	08
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 20.12.2024	03	03
श्री प्रवीण कुमार Shri Praveen Kumar	30.06.2024 to 31.03.2025	06	06

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष
श्री निधु सक्सेना	सदस्य
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य
श्री अभिजीत फुकन	सदस्य
बाह्य विशेषज्ञ : 03 सदस्य	

Shri Praveen Kumar	Chairman
Shri Nidhu Saxena	Member
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member
Shri Abhijit Phukon	Member
Outside Experts : 03 Members	

6.10 ऋण अनुमोदन समिति :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन के अनुसरण में निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी, 2012 को किया गया। समिति को ₹.250.00 करोड़ तक के वैयक्तिक, ₹.500.00 करोड़ तक के समूह एक्सपोजर तथा बोर्ड द्वारा सौंपे गए अनुसार ऋण समझौते/ बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों के लिए बोर्ड की शक्तियों के साथ निहित किया गया है। प्रावधानों के अनुसार समिति का गठन इस प्रकार है।

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमडी एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा

वर्ष के दौरान निम्नलिखित दिनांकों को समिति की 30 बैठकें आयोजित हुईं:

6.10 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board is constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to Rs.250.00 crore for individual, Rs.500.00 crore for group exposure and loan compromise /write off proposals as delegated by the Board. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- Chairman & Managing Director, MD & CEO
- Executive Directors
- General Manager, Credit
- General Manager, Integrated Risk Management
- General Manager, Financial Management & Accounts

The Committee met 30 times during the year on the dates given below.



समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
1	18/04/2024	11	27/09/2024	21	31/12/2024
2	17/05/2024	12	30/09/2024	22	13/01/2025
3	13/06/2024	13	18/10/2024	23	20/01/2025
4	19/06/2024	14	30/10/2024	24	01/02/2025
5	27/06/2024	15	06/11/2024	25	13/02/2025
6	01/07/2024	16	19/11/2024	26	24/02/2025
7	30/07/2024	17	25/11/2024	27	06/03/2025
8	17/08/2024	18	10/12/2024	28	18/03/2025
9	31/08/2024	19	21/12/2024	29	25/03/2025
10	21/09/2024	20	27/12/2024	30	29/03/2025

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

S.N.	Date	S.N.	Date	S.N.	Date
1	18/04/2024	11	27/09/2024	21	31/12/2024
2	17/05/2024	12	30/09/2024	22	13/01/2025
3	13/06/2024	13	18/10/2024	23	20/01/2025
4	19/06/2024	14	30/10/2024	24	01/02/2025
5	27/06/2024	15	06/11/2024	25	13/02/2025
6	01/07/2024	16	19/11/2024	26	24/02/2025
7	30/07/2024	17	25/11/2024	27	06/03/2025
8	17/08/2024	18	10/12/2024	28	18/03/2025
9	31/08/2024	19	21/12/2024	29	25/03/2025
10	21/09/2024	20	27/12/2024	30	29/03/2025

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	30	30
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	30	30
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	30	30

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

The meetings were also attended by the following executives.

- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार
- महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार
- महाप्रबंधक, एम एस एम ई - आवश्यकतानुसार

- General Manager, Credit
- General Manager, Integrated Risk Management
- General Manager, Financial Management & Accounts
- General Manager, Credit Priority – As per requirement
- General Manager, Recovery- As per requirement
- General Manager, MSME- As per requirement

6.11 मानव संसाधन संचालन समिति:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति का गठन इसके सदस्यों के रूप में चार निदेशकों और 02 बाहरी मानव संसाधन विशेषज्ञों के साथ किया गया है। समिति का गठन मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया है।

6.11 Steering Committee on HR:

As per the guidelines of Government of India, the Committee is constituted with four Directors as its members and 02 outside HR Experts. The Committee is constituted to discuss various matters/issues related to Human Resources.

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं

The Committee met 04 times during the year as under:

07/06/2024	25/09/2024	17/12/2024	27/03/2025

07/06/2024	25/09/2024	17/12/2024	27/03/2025



समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
डॉ. अभिजीत फुकन Dr Abhijit Phukon	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य
डॉ. अभिजीत फुकन	सदस्य
श्रीमती एस. ए. पानसे	आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ (26.03.2025 को विशेषज्ञ कार्यकाल समाप्त हो गया)
श्रीमती गीतिका कपूर	आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ (26.03.2025 को विशेषज्ञ कार्यकाल समाप्त हो गया)
श्रीमती आशा भंडारकर	आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ (27.03.2025 को विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए)
डॉ. पार्थ रे	आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ (27.03.2025 को विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए)

Shri Nidhu Saxena	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member
Dr. Abhijit Phukon	Member
Mrs. S.A. Panse	Invitee outside expert (ceased to be an expert on 26.03.2025)
Mrs. Geetika Kapoor	Invitee outside expert (ceased to be an expert on 26.03.2025)
Mrs. Asha Bhandarker	Invitee outside expert (joined as an expert on 27.03.2025)
Dr. Partha Ray	Invitee outside expert (joined as an expert on 27.03.2025)

6.12 एनपीए वसूली पर निगरानी हेतु बोर्ड की समिति :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सदस्य के रूप में पांच निदेशकों के साथ समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक में एनपीए वसूली की समीक्षा और निगरानी करती है, संग्रहण प्रणाली का पर्यवेक्षण करती है और ऋण तथा अग्रिमों की वसूली करती है और बड़े मूल्य के एनपीए खातों में वसूली के प्रदर्शन की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

07.06.2024	27.08.2024	17.12.2024	27.02.2025

6.12 Committee of Board for monitoring NPA Recovery:

As per the guidelines of Government of India, the Committee is constituted with five Directors as its members. The Committee reviews and monitors NPA Recovery in the Bank provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The Committee met 04 times during the year as under:

07.06.2024	27.08.2024	17.12.2024	27.02.2025



समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
डॉ. अभिजीत फुकन Dr Abhijit Phukon	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 27.08.2024	02	02
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	27.08.2024 to 20.12.2024	01	01

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य
डॉ. अभिजीत फुकन	सदस्य

Shri Nidhu Saxena	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member
Dr. Abhijit Phukon	Member

6.13 भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा और निगरानी हेतु समिति:

इस समिति का गठन सदस्य के रूप में चार निदेशकों के साथ किया गया है। समिति भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं :

28.06.2024	19.09.2024	16.12.2024	27.02.2025

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
डॉ. अभिजीत फुकन Dr Abhijit Phukon	01.04.2024 to 31.03.2025	04	04
श्री राकेश कुमार Shri Rakesh Kumar	01.04.2024 to 29.06.2024	01	01
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S Baljit Singh	27.08.2024 to 20.12.2024	02	02

6.13 Committee to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India:

The Committee is constituted with four Directors as its members. The Committee monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India.

The Committee met 04 times during the year as under:

28.06.2024	19.09.2024	16.12.2024	27.02.2025

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:



31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री आशीष पाण्डेय	अध्यक्ष
श्री रोहित ऋषि	सदस्य
डॉ. अभिजीत फुकन	सदस्य

Shri Asheesh Pandey	Chairman
Shri Rohit Rishi	Member
Dr. Abhijit Phukon	Member

6.14 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति :

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। समिति इरादतन चूक के मामलों की अवलोकन करती है और बैंक के इरादतन चूककर्ताओं की पहचान और घोषणा करती है।

6.14 Committee for identification of Wilful defaulters:

This Committee is constituted as per RBI guidelines with three Directors as its members. The Committee looks after the willful default cases and identify and declare the willful defaulters of the Bank.

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठकें आयोजित हुईं:

The Committee met 03 times during the year as under:

28.06.2024	27.08.2024	25.09.2024

28.06.2024	27.08.2024	25.09.2024

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	03	03
डॉ. अभिजीत फुकन Dr Abhijit Phukon	01.04.2024 to 31.03.2025	03	03
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 27.08.2024	02	02
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri. Shashank Shrivastava	27.08.2024 to 20.12.2024	01	01

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
डॉ. अभिजीत फुकन	सदस्य
रिक्त	सदस्य
रिक्त	सदस्य

Shri Nidhu Saxena	Chairman
Dr. Abhijit Phukon	Member
Vacant	Member
Vacant	Member

6.15 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति:

वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.08.2019 के सम्प्रेषण क्र.एफ.क्र. 9/5/2009-आईआर के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया। समिति बैंक के आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी कार्यपालक निदेशकगण, प्रबंध निदेशक और सीईओ और आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन की मूल्यांकन प्रक्रिया करती है।

6.15 Committee for Performance Evaluation:

This Committee has been constituted as per Ministry of Finance communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 with three Directors as its members. The Committee undertakes the process of Performance Evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the Bank.



वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 02 बैठक हुई:

The Committee met 02 times during the year as under

28.06.2024	13.11.2024

28.06.2024	13.11.2024

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री राकेश कुमार Shri Rakesh Kumar	01.04.2024 to 29.06.2024	01	01
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	27.08.2024 to 21.12.2024	01	01
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 27.08.2024	01	01
श्री प्रवीण कुमार Shri Praveen Kumar	30.06.2024 to 31.03.2025	01	01
डॉ. अभिजीत फुकन Dr. Abhijit Phukon	01.04.2024 to 31.03.2025	02	02

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष
डॉ. अभिजीत फुकन	सदस्य
रिक्त	सदस्य

Shri Praveen Kumar	Chairman
Dr. Abhijit Phukon	Member
Vacant	Member

श्री शशांक श्रीवास्तव और श्री एस. बलजीत सिंह बैंक में निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 20.12.2024 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यरत नहीं रहे, अतः समिति के गठन के लिए 31.03.2025 तक अपेक्षित कोरम मौजूद नहीं है।

Shri Shashank Shrivastava and Shri S. Baljit Singh ceased to be a Directors on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2024 on completion of their tenure as a Director in the Bank and hence required quorum is not present as on 31.03.2025 to form the Committee.

6.16 अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वरूप निदेशक मंडल समिति :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा करती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष
डॉ. अभिजीत फुकन	सदस्य
रिक्त	सदस्य

6.16 Committee of Board as Appellate and Reviewing Authority:

The Committee is constituted with three Directors as its members as per the guidelines of Government of India. This Committee deals with review of vigilance, non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with Government of India guidelines.

No meeting of this Committee was held during the financial year 2024-25.

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

Shri Praveen Kumar	Chairman
Dr. Abhijit Phukon	Member
Vacant	Member

श्री शशांक श्रीवास्तव और श्री एस. बलजीत सिंह बैंक में निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 20.12.2024 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यरत नहीं रहे, अतः समिति के गठन के लिए 31.03.2025 तक अपेक्षित कोरम मौजूद नहीं है।

Shri Shashank Shrivastava and Shri S. Baljit Singh ceased to be a Directors on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2024 on completion of their tenure as a Director in the Bank and hence required quorum is not present as on 31.03.2025 to form the Committee.



6.17 नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02.08.2019 के मास्टर परिपत्र तथा भारत सरकार व सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण की समुचित प्रक्रिया करती है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कार्य निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना तथा निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना।
2. प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति में इस विवरण में उल्लिखित क्षमताएँ होनी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से समिति निम्नलिखित कार्य कर सकती है:
क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग
ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले उम्मीदवारों पर विचार कर सकती है; तथा
ग. उम्मीदवार की समय प्रतिबद्धता पर विचार करें।
3. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।
4. निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना।
5. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्ति किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।
6. स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाए या जारी रखा जाए।
7. वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो,

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 01 बैठक हुई।

06.06.2024

6.17 Nomination & Remuneration Committee:

This Committee is constituted with three Directors as its members as per RBI Master Circular dated 02.08.2019 and Government of India and SEBI guidelines. This Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The functions of Nomination and Remuneration Committee are as under:

1. Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board of directors a policy relating to, the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees.
2. For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
a. use the services of an external agencies, if required;
b. consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
c. consider the time commitments of the candidates.
3. Formulation of criteria for evaluation of performance of independent directors and the board of directors.
4. Devising a policy on diversity of board of directors.
5. Identifying persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the board of directors their appointment and removal.
6. Whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors.
7. Recommend to the board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management.

The Committee met 01 times during the year as under:

06.06.2024



उपस्थित समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री राकेश कुमार Shri Rakesh Kumar	01.04.2024 to 31.03.2025	01	01
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri. Shashank Shrivastava	01.04.2024 to 20.12.2024	01	01
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 20.12.2024	01	01

श्री शशांक श्रीवास्तव और श्री एस. बलजीत सिंह बैंक में निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 20.12.2024 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यरत नहीं रहे, अतः समिति के गठन के लिए 31.03.2025 तक अपेक्षित कोरम मौजूद नहीं है।

Shri Shashank Shrivastava and Shri S. Baljit Singh ceased to be a Directors on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2024 on completion of their tenure as a Director in the Bank and hence required quorum is not present as on 31.03.2025 to form the Committee.

6.18 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

आरबीआई के दिनांक 02.08.2019 के मास्टर परिपत्र और भारत सरकार तथा सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस समिति का गठन सदस्य के रूप में पांच निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण की समुचित प्रक्रिया करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 02 बैठकें हुईं :

26.08.2024	11.11.2024

6.18 Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-Up of Cases of Frauds:

This Committee is constituted with five Directors as its members as per RBI Master Circular dated 02.08.2019 and Government of India and SEBI guidelines. This Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The Committee met 02 times during the year as under:

26.08.2024	11.11.2024

उपस्थित समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	02	02
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	02	02
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri. Shashank Shrivastava	01.04.2024 to 20.12.2024	02	02
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 20.12.2024	02	02
श्री प्रवीण कुमार Shri Praveen Kumar	30.06.2024 to 31.03.2025	02	02



31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य

Shri Praveen Kumar	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member

6.19 समझौता के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

आरबीआई के दिनांक 02.08.2019 के मास्टर परिपत्र और भारत सरकार तथा सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस समिति का गठन सदस्य के रूप में पांच निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण की समुचित प्रक्रिया करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठकें हुईं

03.12.2024	24.01.2025	28.02.2025

उक्त समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	01.04.2024 to 31.03.2025	03	03
श्री आशीष पांडेय Shri Asheesh Pandey	01.04.2024 to 31.03.2025	03	02
श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	01.04.2024 to 31.03.2025	03	03
श्री शशांक श्रीवास्तव Shri Shashank Shrivastava	01.04.2024 to 20.12.2024	01	01
श्री एस. बलजीत सिंह Shri S. Baljit Singh	01.04.2024 to 20.12.2024	01	01
श्री प्रवीण कुमार Shri Praveen Kumar	30.06.2024 to 31.03.2025	03	03
श्री संजीव प्रकाश Shri Sanjeev Prakash	01.04.2024 to 31.03.2025	03	03
श्री अभिजीत फुकन Shri Abhijit Phukon	01.04.2024 to 31.03.2025	03	03

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
श्री रोहित ऋषि	सदस्य
श्री संजीव प्रकाश	सदस्य
श्री अभिजीत फुकन	सदस्य
श्री प्रवीण कुमार	सदस्य

Shri Nidhu Saxena	Chairman
Shri Asheesh Pandey	Member
Shri Rohit Rishi	Member
Shri Sanjeev Prakash	Member
Shri Abhijit Phukon	Member
Shri Pravin Kumar	Member



7

अन्य समितियां:

विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और परिचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरीयों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां भी हैं, जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), परिसर समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि।

7

Other Committees

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Credit Committees and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

8

निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के द्वारा बैंक को शासित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सितिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

8

Remuneration of Directors

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director/ MD & CEO and two Executive Directors (3 Whole Time Directors) are being paid remuneration by way of salary /incentive as per rules framed by the Govt. of India.

क) वर्ष 2024-25 के दौरान एमडी एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है -

A) The details of salaries paid to MD & CEO and Executive Directors during the year 2024-25 are as under:

[रु.लाख में] / Rs in Lakhs

नाम Name & Designation	पारिश्रमिक Remuneration	कार्यनिष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन Performance Linked Incentive	पीएल नकदीकरण PL Encashment
श्री निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Nidhu Saxena Managing Director & CEO	37.81	0.34	0.00
श्री आशीष पाण्डेय कार्यपालक निदेशक Shri Asheesh Pandey Executive Director	37.18	23.70	2.07
श्री रोहित रूषि कार्यपालक निदेशक Shri Rohit Rishi Executive Director	33.03	8.84	0.92



ख) सिटिंग शुल्क: भारत सरकार के दिनांक 18 जनवरी, 2019 के संप्रेषण के अनुसार निदेशक मंडल और इसकी उप-समितियों की बैठकों में सहभाग हेतु सिटिंग शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

- क. बोर्ड की बैठक : ₹.40,000/- प्रति बैठक
ख. समिति की बैठक : ₹.20,000/- प्रति बैठक
ग. बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता:
(क) के अतिरिक्त ₹.10,000/- प्रति बैठक
घ. समिति की बैठक की अध्यक्षता :
(ख) के अतिरिक्त ₹.5,000/- प्रति बैठक

वर्ष 2024-25 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों, भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशकों को कोई सिटिंग शुल्क देय नहीं है)।

क्र.	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹.)
1.	श्री राकेश कुमार	3,70,000.00
2.	श्री शशांक श्रीवास्तव	12,95,000.00
3.	श्री एस. बलजीत सिंह	15,00,000.00
4.	श्री प्रवीण कुमार	11,50,000.00
	कुल	43,15,000.00

इसके अतिरिक्त मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की क्रमशः दिनांक 07.06.2024 और 25.09.2024 की बैठकों में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे और श्रीमती गीतिका कपूर प्रत्येक को ₹.40,000/- और इसके अतिरिक्त आशा भण्डारकर, पार्था रे को दिनांक 27.03.2025 की बैठक में सहभागिता हेतु प्रत्येक को ₹. 20000/- सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया।

मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की चौथी बैठक दिनांक 27.03.2025 को आयोजित की गई, जिसमें नए मानव संसाधन विशेषज्ञों ने सहभाग लिया।

B) Sitting fees: Government of India vide its communication dated 18th January, 2019 has revised sitting fees for attending meetings of Board and its sub-committees as

- A. Board meeting: Rs. 40,000/- per meeting
B. Committee meeting: Rs. 20,000/- per meeting
C. Chairing Board meeting:
(a) Rs. 10,000/- per meeting in addition to
D. Chairing Committee meeting:
(b) Rs. 5,000/- per meeting in addition to

The total Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors during the year 2024-25 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (Rs.)
1.	Shri Rakesh Kumar	3,70,000.00
2.	Shri Shashank Shrivastava	12,95,000.00
3.	Shri S. Baljit Singh	15,00,000.00
4.	Shri Praveen Kumar	11,50,000.00
	TOTAL	43,15,000.00

Besides this, sitting fees of Rs.40,000/- each was paid to External experts i.e. Mrs.S.A. Panse and Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 07.06.2024 and 25.09.2024 respectively. Additionally Asha Bhandarkar, Partha Ray Rs. 20000/- each attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 27.03.2025.

The 4th HR Steering committee meeting was held on 27.03.2025 which was attended by new HR experts.

9

सर्वसाधारण बैठकें

9.1. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण Particulars	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue/ Deemed Venue	पारित संकल्प Resolutions passed
उन्नीसवीं वार्षिक साधारण बैठक Nineteenth Annual General Meeting	28 जून, 2022 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से At 11.00 a.m. on 28th June, 2022 through VC / OAVM	पुणे स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ओएवीएम के माध्यम से। Head office of Bank located at Pune through VC /OAVM	i) वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प) iii) एफपीओ/ राईट इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2021-22 ii) Declaration of dividend on the equity share capital of the bank (Ordinary Resolution) iii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution).

9

General Body Meetings

9.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three financial years are given below



विवरण Particulars	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue/ Deemed Venue	पारित संकल्प Resolutions passed
बीसवीं वार्षिक साधारण बैठक Twentieth Annual General Meeting	09 जून, 2023 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से At 11.00 a.m. on 9th June, 2023 through VC / OAVM	पुणे स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से। Head office of Bank located at Pune through VC / OAVM	i) वर्ष 2022-23 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना, (साधारण संकल्प)। ii) बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प) iii) एफपीओ/ राइट इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) iv) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15.12.2022 के अधिसूचना संदर्भ [eF.No.6/2/2022-बीओ] के माध्यम से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अधीन बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति 15 दिसंबर, 2022 से की गई i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2022-23 (Ordinary Resolution) ii. Declaration of dividend on the equity share capital of the bank (Ordinary Resolution) iii. To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iv. Appointment of Shri Parshant Kumar Goyal as the Non-Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref [eF.No.6/2/2022-BO.I dated 15.12.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance] w.e.f. 15th December 2022 (Special Resolution).
इक्कीसवीं वार्षिक साधारण बैठक Twenty first Annual General Meeting	12 जून, 2024 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से At 11.00 a.m. on 12th June, 2024 through VC / OAVM	पुणे स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से। Head office of Bank located at Pune through VC / OAVM	i. वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को अपनाना (साधारण संकल्प) ii. बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प) iii. एफपीओ/राइट इश्यू/ क्यूआईपी/ प्रेफरेंशियल इश्यू आदि के माध्यम से पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प)। iv. 14.07.2023 से श्री संजीव प्रकाश को आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन (साधारण संकल्प) v. 25.10.2023 से श्री अभिजीत फुकन को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन (साधारण संकल्प) vi. 01.11.2023 से श्री रोहित ऋषि को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन (साधारण संकल्प)। vii. 27.03.2024 से श्री निधु सक्सेना को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन (साधारण संकल्प)। viii. श्री राकेश कुमार के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होने वाली रिक्ति पर बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव कराना। i. Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2023-24 (Ordinary Resolution) ii. Declaration of dividend on the equity share capital of the bank (Ordinary Resolution) iii. To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iv. To seek approval for appointment of Shri Sanjeev Prakash as RBI nominee director w.e.f.14.07.2023 (Ordinary Resolution) v. Approval for appointment of Shri Abhijit Phukon as Government Nominee director w.e.f.25.10.2023 (Ordinary Resolution) vi. Approval for appointment of Shri Rohit Rishi as Executive Director w.e.f. 01.11.2023(Ordinary Resolution) vii. Approval for appointment of Shri Nidhu Saxena as Managing Director & CEO w.e.f. 27.03.2024 (Ordinary Resolution) viii. To conduct election of one shareholder Director of the Bank in the vacancy to be caused due to the end of the tenure of Shri Rakesh Kumar



9.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि बैंक की साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है।

9.2 The Ministry of Finance, Government of India sends their authorized representative to attend the General Meetings of the Bank from time to time.

10

पोस्टल बैलेट

10.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया नहीं की।

10.1 During the year under review, the Bank has not conducted postal ballot process.

10.2 प्रस्तावित पोस्टल बैलेट के बारे में :

आगामी वार्षिक साधारण बैठक में या उससे पूर्व पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

10.2 Details of Proposed Postal Ballots:

No special resolution through Postal Ballot is proposed to be conducted on or before the ensuing Annual General Meeting.

11

संप्रेषण के साधन

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (एलओडीआर) विनियमावली 2015 की सांविधिक आवश्यकताओं के अंतर्गत, बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक तथा एक स्थानीय दैनिक में मराठी में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अतिरिक्त बैंक ने वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए। वित्तीय परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी प्रदर्शित किया गया और शेयर बाजारों को प्रस्तुत किया गया। बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद बैंक, विश्लेषकों/ संस्थागत निवेशकों/संवाददाताओं के सम्मेलन, भी आयोजित करता है। बैंक की प्रेस विज्ञप्तियां और प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/ अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi as per the statutory requirements of SEBI (LODR) Regulations, 2015. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily. The financial results are also displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Press meets/ Analysts / Institutional Investor meets after announcing Bank's financial results. Press Releases and presentations made by the Bank are also displayed on the Bank's website.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

को समाप्त अवधि Period Ended	समाचार पत्र का नाम Name of the Newspaper		प्रकाशन का दिनांक Date of publication
	अंग्रेजी संस्करण English Edition	मराठी संस्करण Marathi Edition	
जून 2024 June 2024	बिजनस स्टैंडर्ड Business Standard	सकाळ Sakal	16.07.2024
सितंबर 2024 September 2024	बिजनस स्टैंडर्ड Business Standard	पुढारी Pudhari	16.10.2024
दिसंबर 2024 December 2024	फाइनांशियल एक्सप्रेस Financial Express	पुण्यनगरी Punyanagari	17.01.2025
मार्च 2025 March 2025	फाइनांशियल एक्सप्रेस Financial Express	पुण्यनगरी Punyanagari	26 .04.2025

निवेशकों के साथ संप्रेषण के चैनल :

सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट घोषणाएं, मीडिया विज्ञप्तियां इत यादि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीएसई कॉर्पोरेट कम्प्लायन्स एंड लिस्टिंग सेंटर (द 'लिस्टिंग सेंटर') और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) प्रसार हेतु दर्ज किए गए।

Channels of Communication with the investors:

All periodical compliance Filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) for dissemination.



12.1 बाइसवीं(22वीं) वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

वित्तीय वर्ष	2024-2025
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित खातों (एकल व समेकित) पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	25 अप्रैल, 2025
बाइसवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	विडियो कॉन्फरेंस या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों से दिनांक 30 जून, 2025 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	7 जून, 2025 से 9 जून, 2025 तक

12.2 लाभांश का भुगतान और रिकॉर्ड तिथि :

बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी पर रु.1.50 प्रति शेयर (यथा 15%) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। कंपनी ने अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 9 मई, 2025 निर्धारित की है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक साधारण बैठक में घोषित किया जाता है, का भुगतान 30 दिनों के अंदर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि पर दिखाई देंगे।

12.3 वित्तीय कैलेंडर 2025-26 :

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2025	14 अगस्त 2025 को या इससे पूर्व
30 सितंबर, 2025	14 नवंबर 2025 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2025	14 फरवरी 2026 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2026 (वार्षिक)	18 मई 2026 को या इससे पूर्व

12.4 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों के ब्यौरे:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए गए हैं

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	Name of Stock Exchange	स्क्रिप कोड Scrip code
बीएसई लिमिटेड (बीएसई): पता : फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400001	BSE Limited (BSE): Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001	532525
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	MAHABANK EQ
इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (आईएसआईएन):	International Security Identification Number (ISIN):	INE457A01014

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को किया गया है।

The annual listing fees for the financial year 2025-26 has been paid to the Stock Exchanges

12.1 Particulars of the Twenty Second (22nd) Annual General Meeting:

Financial Year	2024-2025
Board Meeting for considering Annual Audited Accounts (Standalone & Consolidated) for Financial year ended 31st March, 2025	25 th April 2025
Date, Time and Venue of Twenty Second AGM.	On 30th June, 2025 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference or Other Audio Video Means
Posting of Annual Report	7 th June, 2025 to 9 th June, 2025

12.2 Payment of Dividend & Record date:

The Board of Directors of the Bank has recommended payment of final Dividend of Rs.1.50 per share (i.e.15%) on the paid-up share capital, for the financial year ended 31st March, 2025 on the paid-up share capital. The Bank has fixed 9th May, 2025 as the record date for payment of final dividend. The final dividend on equity shares, if declared at the Annual General Meeting, will be paid within 30 days to the Members whose names appear in the Bank's Register of Members on record date.

12.3 Financial calendar 2025-26

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2025	On or Before 14 th August 2025
30th September 2025	On or Before 14 th November 2025
31st December 2025	On or Before 14 th February 2026
31st March 2026 (Annual)	On or Before 18 th May 2026

12.4 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges



12.5 प्रति शेयर डेटा :

12.5 Per Share Data:

विवरण	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
अंकित मूल्य (रु.)	Face Value (Rs.)	10/-	10/-
ईपीएस (रु.)	EPS (Rs.)	7.48	5.78
लाभांश (%)	Dividend (%)	15%	14%
बही मूल्य (रु.)	Book Value (Rs.)	33.65	24.26
निवल लाभ के % के रूप में लाभांश पे-आउट	Dividend Payout as % of net profit	20.90 %	24.45%

12.6 बैंक द्वारा समय-समय विभिन्न बॉण्ड (टीयर I और टीयर II पूंजी) तथा इन्फ्रा बॉण्ड जारी किए गए। 31.03.2025 को बकाया बॉण्ड्स और उनकी क्रेडिट रेटिंग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: The Bank has issued various bonds (Tier I and II) and Infra bonds from time to time. The details of outstanding Bonds along with their credit ratings as on 31.03.2025 are given as below:

क्र. सं. Sr. No.	सीरीज Series	प्रकार Type	आईएसआईएन सं ISIN No	आबंटन/जारी करने का दिनांक Date of Allotment / Issue	अवधि (माह में) Tenure (Months)	राशि (रु. करोड़ में) Amount (Rs in Cr.)	कूपन दर (प्रति) Coupon Rate (in %)	रेटिंग Rating
1	III	बेसल III एटी I (सीरीज -3) Basel III AT I (Series-3)	INE457A08134	26.12.2022	सतत Perpetual	880.00	8.74	'AA' (S) by Acuite 'AA' (S) by Infomercis
2	II	बेसल III एटी I (सीरीज -2) Basel III AT I (Series-2)	INE457A08118	08.09.2022	सतत Perpetual	710.00	8.74	'AA' (S) by Acuite 'AA' (S) Infomercis
3	I	बेसल III एटी I (सीरीज -3) Basel III AT I (Series-3)	INE457A08100	24.03.2022	सतत Perpetual	290.00	8.75	'AA' (S) by Acuite 'AA' (S) Infomercis
4	V	बेसल III टीयर II (सीरीज -5) Basel III Tier II (Series-5)	INE457A08126	07.12.2022	120	348.00	8.00	'AA+' (S) by Acuite 'AA+' (S) by Infomercis
5	IV	बेसल III टीयर II (सीरीज -4) Basel III Tier II (Series-4)	INE457A08092	21.10.2021	120	1000.00	7.86	'AA' (S) by CARE 'AA' (P) by Brickwork
6	III	बेसल III टीयर II (सीरीज -3) Basel III Tier II (Series-3)	INE457A08084	23.03.2021	120	100.00	8.00	'AA+' (S) by Acuite 'AA' (P) by Brickwork
7	II	बेसल III टीयर II (सीरीज -2) Basel III Tier II (Series-2)	INE457A08076	11.02.2021	120	205.00	8.00	'AA+' (S) by Acuite 'AA' (P) by Brickwork
8	I	बेसल III टीयर II (सीरीज -1) Basel III Tier II (Series-1)	INE457A08068	14.12.2020	120	200.70	7.75	'AA+' (S) Acuite 'AA' (P) by Brickwork
9	I	बेसल III टीयर II (मार्च -20) Basel III Tier II (March.20)	INE457A08050	04.07.2024	120	600.00	8.70	'AA' (S) by CARE 'AA' (P) by ICRA
10	I	बेसल III टीयर II Basel III Tier II	INE457A08035	27.06.2016	123	500.00	9.20	'AA' (S) by CARE 'AA' (P) by ICRA
11	VI	बेसल III टीयर II (सीरीज -6) Basel III Tier II (Series -6)	INE457A08142	18.09.2023	120	515	7.98	'AA' (S) by Acuite 'AA+' (S) by Infomercis
12	VII	बेसल III टीयर II (सीरीज -7) Basel III Tier II (Series- 7)	INE457A08159	14.12.2023	120	259	7.99	'AA+' (S) by Acuite 'AA+' (S) by CARE
13	I	एलटी इन्फ्रा बॉण्ड (सीरीज 1) LT INFRA BOND (Series-1)	INE457A08175	05.08.2024		811.00	7.80	CARE AA+ (S) ICRA AA+ (S)
14	II	एलटी इन्फ्रा बॉण्ड (सीरीज 2) LT INFRA BOND (Series-2)	INE457A08183	18.02.2025		1612.00	7.70	CARE AA+ (S) ICRA AA+ (S)

12.7 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहयोग :

बैंक ने एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को सेबी पंजीकृत श्रेणी I / II मध्यस्थ के रूप में अपना रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जो शेयरों/बांडों के हस्तांतरण, लाभांश/ ब्याज भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों की रिकॉर्डिंग, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के साथ-साथ शेयर/ बॉण्ड जारी करने से संबंधित अन्य गतिविधियों से जुड़े हैं। निवेशक अपने ट्रांसफर डीड/ अनुरोध/ शिकायत आरटीए के पास निम्नलिखित पते पर दर्ज करा सकते हैं।

12.7 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

The Bank has appointed MCS Share Transfer Agent Limited a SEBI Registered Category I / II intermediary as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट :	निवेशक सेवाएं विभाग :
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र) 3बी3- तीसरी मंजिल, गुंडेचा ओनक्लेव, खेरानी रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), फोन: 022 - 28516021-22 वेबसाइट : www.mcsregistrars.com ईमेल: helpdeskmm@mcsregistrars.com mparase@mcsregistrars.com	कंपनी सचिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : 020 25511360 ईमेल: investor_services@mahabank.co.in

निजी तौर पर रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने निम्नानुसार डिबेंचर ट्रस्टी को भी नियुक्त किया है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट) कोथरुड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	020-25280081
फैक्स नंबर	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
पता	एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनैशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई - 400 025, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	022- 62260054/ 50
ई-मेल	debenturetrustee@axistrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,
पता	चौथी मंजिल. मिस्त्री भवन, 122, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई- 400020.
फोन नंबर	022- 43025566
ई-मेल	dt@sbicaptrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड.,
पता	यूनिवर्सल इश्योरेंस बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001
फोन नंबर	022 - 40807000
ई-मेल	itsl@idbitrustee.com

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, पुणे में निवेशक सेवाएं विभाग की भी स्थापना की है। शेयरधारक अपने किसी अनुरोध/ शिकायत के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

विशाल सेठिया
कंपनी सचिव
निवेशक सेवाएं विभाग
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, निवेशक सेवाएं विभाग
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
फोन : 020 25511360
ईमेल : investor_services@mahabank.co.in

उपयुक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान 6(2)(डी) के अनुसरण में केवल निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है।

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave Kherani Road Sakinaka Andheri (E) Tel : 022-28516021-22 Website : www.mcsregistrars.com Email: helpdeskmm@mcsregistrars.com mparase@mcsregistrars.com	Company Secretary Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune - 411 005. Tel: 020 25511360 Email: investor_services@mahabank.co.in

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

Name of the Debenture Trustee	Catalyst Trusteeship Limited (Formerly known as GDA Trusteeship Limited)
Address	GDA House, S.N.o 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune - 411038, Maharashtra, India.
Tel	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E-mail	dt@gdatrustee.com

Name of the Debenture Trustee	Axis Trustee Services Ltd.
Address	Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli Mumbai - 400 025, Maharashtra, India.
Tel	022- 62260054/ 50
E-mail	debenturetrustee@axistrustee.com

Name of the Debenture Trustee	SBICAP Trustee Company Limited,
Address	4th Floor. Mistry Bhavan, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai- 400020..
Tel	022- 43025566
E-mail	dt@sbicaptrustee.com

Name of the Debenture Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited.,
Address	Universal Insurance Building, Ground Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001
Tel	022 - 40807000
E-mail	itsl@idbitrustee.com

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Pune. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Department for any of their requests / complaints:

Vishal Sethia
Company Secretary
Investor Services Department
Bank of Maharashtra, Investor Services Department
Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411 005
Tel: 020 25511360
Email: investor_services@mahabank.co.in

The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.



12.8 शेयरधारिता का वितरण :

31.03.2025 को बैंक की शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
01 - 500	874288	85.02	92466092	1.20
501 - 1000	72317	7.02	58843333	0.77
1001 - 2000	38435	3.66	58681878	0.76
2001 - 3000	13387	1.32	34394390	0.45
3001 - 4000	6062	0.61	21851934	0.28
4001 - 5000	6074	0.68	29026142	0.38
5001-10000	8896	0.94	68154786	0.89
10001-50000	6094	0.65	123956552	1.61
50001-100000	507	0.06	37002944	0.48
100000*से अधिक	459	0.04	7167176899	93.18
कुल	1026519	100.00	7691554950	100.00

12.8 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding of Bank as on 31.03.2025 is as under:

Range	No. of Shareholders	% to Total	No. of Shares	% to Total
01 - 500	874288	85.17	92466092	1.20
501 - 1000	72317	7.04	58843333	0.77
1001 - 2000	38435	3.74	58681878	0.76
2001 - 3000	13387	1.30	34394390	0.45
3001 - 4000	6062	0.59	21851934	0.28
4001 - 5000	6074	0.59	29026142	0.38
5001-10000	8896	0.87	68154786	0.89
10001-50000	6094	0.59	123956552	1.61
50001-100000	507	0.05	37002944	0.48
Above 100000	459	0.04	7167176899	93.18
TOTAL	1026519	100.00	7691554950	100.00

12.9 शेयरधारिता का वितरण :

दिनांक 31.03.2024 तथा 31.03.2023 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की श्रेणी	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %
भारत सरकार	6122627927	79.60	6122627927	86.46
भारतीय निवासी व्यक्ति	542998267	7.06	506876389	7.16
बीमा कंपनियां	665231578	8.65	302110219	4.27
बैंक/ वित्तीय संस्थान	81747908	1.06	268697	0.00
वैकल्पिक निवेश निधि	4334549	0.06	0	0
अनिवासी भारतीय व्यक्ति	15554757	0.20	14775455	0.21
विदेशी संस्थागत निवेशक	132896471	1.73	73753044	1.04
म्यूचुअल फंड/ यूटीआई	69325325	0.90	29356295	0.21
निकाय कॉर्पोरेट	31613395	0.41	31495626	0.45
अन्य	25224773	0.33	109987	0.00
कुल	7081373639	100.00	6730496447	100.00

12.9 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank as on 31.03.2025 and 31.03.2024 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2025		As on 31.03.2024	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	6122627927	79.60	6122627927	86.46
Resident Individuals	542998267	7.06	506876389	7.16
Insurance Companies	665231578	8.65	302110219	4.27
Banks/Financial Institutions	81747908	1.06	268697	0.00
Alternate Invst. Funds	4334549	0.06	0	0
Non Resident Individuals	15554757	0.20	14775455	0.21
Foreign Institutional Investors	132896471	1.73	73753044	1.04
Mutual Fund/UTI	69325325	0.90	29356295	0.21
Bodies Corporate	31613395	0.41	31495626	0.45
Others	25224773	0.33	109987	0.00
Total	7691554950	100.00	7081373639	100.00

12.10 शेयरों का डीमैटरलाइजेशन और तरलता:

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डीमैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डीमैटरलाइजेशन के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नेशनल सिक्कुरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दिया गया है।

12.10 Dematerialisation of shares and Liquidity:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's equity shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the financial year 2024-25 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.



31.03.2025 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	40839	3.98	5919465	0.07
डीमैट:				
1. एनएसडीएल	229640	22.37	1193387661	15.52
2. सीडीएसएल*	756040	73.65	6492247824	84.41
उप जोड़	985680	96.02	7685635485	99.93
कुल	1026519	100.00	7691554950	100.00

(*भारत सरकार द्वारा धारित 6122627927 इक्विटी शेयरों सहित, जो कुल शेयरधारिता का 79.60% है)

Particulars of shares held by the shareholders of Bank as on 31.03.2025 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	40839	3.98	5919465	0.07
Demat:				
1.NSDL	229640	22.37	1193387661	15.52
2.CDSL*	756040	73.65	6492247824	84.41
Sub-total	985680	96.02	7685635485	99.93
Total	1026519	100.00	7691554950	100.00

(* Including 6122627927 equity shares held by the Government of India which constitutes 79.60% of total shareholding)

12.11 नामांकन और पैन, केवाईसी, बैंक विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी के 3 नवंबर 2021 के परिपत्र संख्या से बी / एच ओ / एम आई आर एस डी / एम आई आर एस डी - आरटीएएमबी/ पी/परि./2021/655 के अधिक्रमण में सेबी ने 16 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/परि/2023/37 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अन्य शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

तदनुसार, यह एक बार फिर से दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	प्रपत्र	उद्देश्य
1	प्रपत्र आईएसआर -1	पैन, केवाईसी विवरण दर्ज/ अद्यतित करने के लिए
2	प्रपत्र आईएसआर -2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3	प्रपत्र आईएसआर -3	नामांकन से आउट-आउट के लिए घोषणा पत्र
4	प्रपत्र एसएच-13	नामांकन प्रपत्र
5	प्रपत्र एसएच-14	नामांकन को रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)

उपरोक्त सभी फॉर्म [फॉर्म आईएसआर -1, आईएसआर -2, आईएसआर -3, एसएच-13, एसएच -14] और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द नीचे दिए गए पते पर बैंक के आरटीए को सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें:

12.11 Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr. No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.bankofmaharashtra.in.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address at the earliest:



आरटीए का विवरण:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,
खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

फोन: 022-28516021-22

ई-मेल: helpdesknum@mcsregistrars.com/

mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

Details of the RTA:

MCS Share Transfer Agent Limited,

(Unit: Bank of Maharashtra)

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,
Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai - 400072
Phone : 022-28516021-22

E-mail : mailto:helpdesknum@mcsregistrars.com /

mparase@mcsregistrars.com

Website: www.mcsregistrars.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों की होल्डिंग:

उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमैटरलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

Holding of shares in Electronic Form:

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

12.12 शेयरों का डीमैटरलाइजेशन - प्रक्रिया:

जिन शेयरधारकों ने अब भी अपने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने शेयरों को शीघ्र डीमैटरलाइज कर लें और डीमैट फॉर्म में शेयरों में व्यवहार करने का लाभ उठाएं। शेयरधारकों की सुविधा के लिए शेयरों को डीमैटरलाइज करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

- क. डीमैट खाता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास खोला जा सकता है।
- ख. शेयरधारक अपने डीपी को डीमैटरलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) मूल शेयर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करें।
- ग. डीपी डीआरएफ को प्रोसेस करेंगे और डीमैटरलाइजेशन अनुरोध क्रमांक (डीआरएन) निर्मित करेंगे।
- घ. डीपी डीआरएफ तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करेगा जो कि एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड है।
- ङ. आरटीए डीआरएफ को प्रोसेस करेगा और डीपी/ डिपॉजिटरी के अनुरोध की पुष्टि करेगा अथवा निरस्त करेगा।
- च. अनुरोध की पुष्टि होने पर शेयरधारक को डीपी के पास रखे अपने डीमैट खाते में शेयरों की समरूपी संख्या प्राप्त होगी।

12.12 Dematerialization of Shares – Process:

Shareholders who continue to hold shares in physical form are requested to dematerialize their shares at the earliest and avail the benefits of dealing in shares in demat form. For convenience of shareholders, the process of getting the shares dematerialized is given hereunder:

- a) Demat account should be opened with a Depository Participant (DP).
- b) Shareholders should submit the Dematerialization Request Form (DRF) along with share certificates in original, to their DP.
- c) DP will process the DRF and will generate a Dematerialization Request Number (DRN).
- d) DP will submit the DRF and original share certificates to the Registrar and Transfer Agents (RTA), which is MCS Share Transfer Agent Limited.
- e) RTA will process the DRF and confirm or reject the request to DP/ depositories.
- f) Upon confirmation of request, the shareholder will get credit of the equivalent number of shares in his demat account maintained with the DP.

तथापि, दिनांक 08 जून, 2018 की सेबी अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 के अनुसार आगे संशोधित तथा दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/49 द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण प्रभावी करने के लिए अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि जमाकर्ताओं के पास प्रतिभूतियां डीमैटरलाइज्ड रूप में धारित न हों। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के इक्विटी शेयरों को तत्काल रूप से डीमैटरलाइज करने हेतु कार्रवाई करें।

However, as per SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018 and further amendment vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018, requests for effecting transfer of securities (except in case of transmission or transposition of securities) shall not be processed from April 1, 2019 unless the securities are held in the dematerialised form with the depositories. Therefore, Shareholders are requested to take action to dematerialize the Equity Shares of the Bank promptly.



12.13 शेयरों के डीमैटरलाइजेशन के लाभ :

- क) शेयर प्रमाणपत्र के खोने और कटने-फटने का कोई खतरा नहीं
- ख) प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका
- ग) प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण
- घ) प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई
- ङ) कम लेनदेन लागत
- च) लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है।

12.14 फोलियो का समेकन:

निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने की लागत को कम करने तथा दोहराव को रोकने के लिए बैंक को सक्षम बनाने हेतु ऐसे सदस्य जिनके पास एक ही नाम के क्रम में एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी धारिताओं को एक ही फोलियो के अंतर्गत समेकित करें। सदस्य समेकित किए जाने वाले फोलियो क्रमांकों के साथ ही मूल शेयर प्रमाणपत्रों की सूचना देते हुए पंजीयक और अंतरण एजेंटों से संपर्क करें।

12.15 शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान :

सेबी द्वारा निर्धारित किए अनुसार, बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास कुल प्रविष्ट पूंजी के समाधान हेतु एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और उसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की जाती है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। यह लेखा परीक्षा पुष्टि करती है कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा डीमैटरलाइजेशन रूप (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित) में शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

12.16 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस) :

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे उनके खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। हालांकि, शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म एजीएम नोटिस के साथ संलग्न है, जिसे उन शेयरधारकों द्वारा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जा सकता है, जिन्होंने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर डीमैटरलाइजेशन रूप में धारित किए हुए हैं, वे अपने बैंक खाते का ब्यौरा अद्यतन करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।

12.13 Benefits of Dematerialization of Shares:

- a) No threat of loss and wear and tear of share certificate
- b) Easy and convenient way to hold securities
- c) Immediate transfer of securities
- d) Reduced paperwork for transfer of securities
- e) Reduced transaction cost
- f) Dividend directly credited to your Bank Account.

12.14 Consolidation of Folios:

In order to enable the Bank to reduce costs and duplicity of efforts for providing services to investors, members who have more than one folio in the same order of names, are requested to consolidate their holdings under one folio. Members may write to the Registrars & Transfer Agents indicating the folio numbers to be consolidated along with the original shares certificates to be consolidated.

12.15 Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialised form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

12.16 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/ interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/ Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.



12.17 अदत्त लाभांश :

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए आरटीए/ बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान/ बिना दावे के खाते में पड़ी है, तो उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित "निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया गया है।

अदत्त लाभांश राशि का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ - 5 में आवेदन करके और इसकी विधिवत हस्ताक्षरित (बैंक के पास दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) की भौतिक प्रति अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे को भेजकर किया जा सकता है। दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निर्धारित आईईपीएफ नियम और आवेदन पत्र आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in और साथ ही एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

12.17 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial year 2021-22, 2022-23 and 2023-24 may contact the RTAs / Bank on the above address to claim their unclaimed dividends and necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 125 of Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years till 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

The unclaimed dividend amount can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF - 5 and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF - 5 to the Bank at the Head Office, Pune. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.in as well as the website of MCA at www.iepf.gov.in

13

अन्य प्रकटीकरण

13.1 बैंक के सामान्य व्यवसाय को छोड़कर, बैंक अपने प्रवर्तकों/ निदेशकों, प्रबंधन, अपनी अनुषंगीय या रिश्तेदारों इत्यादि के साथ किसी ऐसे भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हुआ है, जो समग्र रूप से बैंक के हितों पर सामान्यतः कोई संभावित विवाद उत्पन्न करे। संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। संबंधित पक्ष संव्यवहार इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

13.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लगाया गया दंड जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के बिंदु क्र. 12 में दर्शाया गया है, को छोड़कर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी कानून, दिशानिर्देशों और निर्देशों या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य मामले का अनुपालन न किए जाने हेतु कोई दंड नहीं लगाया गया है।

13

Other Disclosures

13.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. The Bank's policy on Related Party transactions is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies> The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

13.2 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the Reserve Bank of India on Bank which is disclosed in point no.12 of Schedule 18 of the financial statements for FY 2024-25.



13.3 प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण निदेशक मंडल की रिपोर्ट का एक भाग हैं।

13.3 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report

13.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन :

बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षानुसार 25 अप्रैल, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना प्रमाणन दिया है।

13.4 CEO and CFO Certification:

The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2024-25 to the Board of Directors at its meeting held on 25th April, 2025 as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

13.5 बैंक द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के संकल्प पर आधारित हिंसिल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और वे बैंक की वेबसाइट <https://bankofmaharashtra.in/policies> पर उपलब्ध है। यह भी वर्णित है कि कोई भी कर्मचारी समुचित प्राधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

13.5 Bank had framed Whistle Blower Policy based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies> It is further stated that no employee has been denied access to the appropriate authorities.

13.6 बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है।

13.6 Bank had framed Dividend Distribution Policy and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies>

13.7 अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंक ने आचार संहिता को अपनाया है और इसे बैंक की वेबसाइट <https://bankofmaharashtra.in/policies> पर उपलब्ध कराया गया है।

13.7 Bank had adopted Code of Conduct for its Directors and Senior Management and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies>

13.8 बैंक ने मटेरियल सब्सिडियरी नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट <https://bankofmaharashtra.in/policies> पर उपलब्ध कराया गया है, तथापि वर्तमान में बैंक की कोई मटेरियल सब्सिडियरी नहीं है।

13.8 Bank had formulated Material Subsidiary Policy and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies> However, Bank does not have any material subsidiary at present.

13.9 बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई भी परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव: लागू नहीं

13.9 Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable

13.10 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ: अनुसूची क्र. 18 - खातों पर टिप्पणियाँ में प्रकटीकरण उपलब्ध कराया गया है।

13.10 Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities: Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.

13.11 विनियमन 32 (7 ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार पात्र संस्थानों की नियुक्ति या अधिमानी आवंटन के माध्यम से उगाही गई निधियों के उपयोग का विवरण

13.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A).

बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता और अपने व्यवसाय वृद्धि निधि में सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उगाही गई निधियों का उपयोग किया गया है।

Bank had utilized the funds raised during FY 2024-25 to improve the capital adequacy and fund its business growth.

13.12 सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

13.12 The Certificate issued by Practicing Company Secretary in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 forms part of the Annual Report.



13.13 सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची – V के परिच्छेद ग के उप परिच्छेद (2) से (10) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की किसी आवश्यकता का अनुपालन न किया जाना : शून्य

13.13 Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) of Para C of Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: Nil

13.14 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा:

लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स एस. आर. सिद्धेश्वर एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पुणे को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फर्म द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में सेबी लिस्टिंग विनियम, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग विनियम, 1949 के अनुपालन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया। बैंक के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के एक अनुलग्नक के रूप में इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

13.14 Secretarial Audit for Financial Year 2024-25:

M/s S.R. Siddheshwar & Co. Practicing Company Secretaries, Pune, was appointed as the Secretarial Auditor to conduct Secretarial Audit of the Bank for the financial year ended March 31, 2025 as per the provisions of Listing Regulations. The firm has carried out an independent assessment of the compliance of Banking Regulations, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI Listing Regulations as a part of the audit. The Secretarial Audit Report addressed to the members of the Bank forms part of this Annual Report as an annexure to the Board's report.

13.15 कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र का प्रचलन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या इस प्रकार की किसी अन्य सांविधिक संस्था द्वारा बैंक के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य करार नहीं दिया गया है। यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

13.15 A Certificate from Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority has been obtained by the Bank. The said Certificate is annexed to this report.

13.16 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई, जिसमें निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की किसी समिति की किसी सिफारिश को नहीं माना हो।

13.16 There was no such instance during FY 2024-25 wherein the Board has not accepted any recommendation of any of the Committees of the Board.

13.17 सांविधिक लेखा परीक्षक जिस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई से संबंधित हैं, उसके सभी सांविधिक लेखा परीक्षकों और सभी इकाईयों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियां द्वारा दी गई सेवाओं हेतु कुल शुल्क:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क से संबंधित ब्योरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 में दिए गए हैं।

13.17 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

Details relating to fees paid to the Statutory Auditors during the financial year 2024-25 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Bank.

13.18 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान दायर और निपटाई गई शिकायतों की संख्या तथा 31 मार्च, 2025 को लंबित शिकायतों का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

13.18 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

The details of number of complaints filed and disposed of during the year and pending as on 31st March, 2025 are given in the Directors' report.



13.19 अनिवार्य और गैर- अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन का ब्यौरा :

बैंक ने लागू सीमा तक सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) और विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है।

बैंक वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त बैंक के बोर्ड में निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/ नियुक्ति बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।

कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 27 (1) के संदर्भ में नीचे निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है।

क्र. सं.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
क.	निदेशक मंडल एक गैर- कार्यपालक अध्यक्ष, सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय के रख-रखाव के लिए पात्र हो सकता है और अपने दायित्वों के निष्पादन हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दे सकता / सकती है।	बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं होने के कारण बैंक के निदेशक मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
ख.	शेयरधारक के अधिकार पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों के पते पर प्रेषित की जाएगी।	बैंक के तिमाही/ छमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
ग.	ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित मत सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ वित्तीय विवरण व्यवस्था अपना सकती है।	बैंक के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अहर्ता नहीं है।
घ.	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं होने के कारण बैंक के निदेशक मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
ड.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	महाप्रबंधक (निरीक्षण व लेखा परीक्षा) सीधे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा को रिपोर्ट करते हैं।

13.19 Details of compliance with mandatory and non - mandatory requirements:

The Bank has duly complied with the requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub- regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations to the extent applicable.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Finance, the nomination / appointment of all categories of Directors on the Board of Bank are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Bank has adopted the below specified non-mandatory requirements in terms of Regulation 27(1) of SEBI Listing Regulations:

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
A.	The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties.	The Board is chaired by MD & CEO of Bank as Bank in the absence of a non-executive Chairperson.
B.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders	The Quarterly/ Half yearly / Annual Financial Results of Bank are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website.
C.	Modified opinion(s) in audit report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.
D.	Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The Board is chaired by MD & CEO of Bank as Bank in the absence of a non-executive Chairperson.
E.	Reporting of Internal auditor The internal auditor may report directly to the audit committee.	General Manager (Inspection & Audit) directly reports to the Audit Committee of the Board.



13.20 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल :

"हरित पहल" के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95/2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/ मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की बैंक को जानकारी दें/ अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/ संप्रेषण/ दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 30 जून, 2025 को आयोजित बैंक के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी गई।

13.21 सेबी (एलओडीआर), विनियम 2105 की अनुसूची V के परिच्छेद ड के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव का अनुपालन प्रमाणपत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

13.20 Green Initiatives in communication to the Shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/emails to the shareholders, requesting them to inform/ update their email Ids to enable the Bank to send the notices/ communications/ documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the 22nd Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 30th June, 2025 are being sent to the shareholders only by electronic mode.

13.21 Compliance certificate from the practicing company secretary regarding compliance of conditions of corporate governance as per Para E of Schedule V of SEBI (LODR), Regulations, 2015 is annexed with the directors' report.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के पालन की पुष्टि की है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

दिनांक : 25 अप्रैल, 2025
स्थान : पुणे

निधु सक्सेना
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Certificate / Declaration of the Managing Director and CEO

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is available on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2025.

For Bank of Maharashtra

Date: 25th April, 2025
Place: Pune

Nidhu Saxena
Managing Director and CEO



कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर
लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

प्रति,
सदस्यगण
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल,
1501, शिवाजी नगर,
पुणे - 411005

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट किए अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एतद्वारा बाद में "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों में निर्धारित किए अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अधिकांश शर्तों का अनुपालन किया है :

क) सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।

ख) सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी।

ग) सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ई) के अनुसार निदेशकों की रिक्तियों को तीन महीने के भीतर नहीं भरा गया।



घ) बैंक की लेखा परीक्षा समिति में इसके सदस्यों के रूप में न्यूनतम 3 सदस्य और 2/3 स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे, क्योंकि सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक नियमित अध्यक्ष नहीं थे।

ड) सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक इसके सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन गैर-कार्यपालक निदेशक और 2/3 स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे, क्योंकि दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो गया था। बैंक को वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में एनआरसी बैठक आयोजित न करने के लिए सेबी से एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र भी प्राप्त हुआ है।

च) सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति में 20.12.2024 से 31.03.2025 तक नियमित अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते एस. आर. सिद्धेश्वर एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस समीर सिद्धेश्वर

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: F11189, सीपी: 15564

यूडीआईएन: F011189G000205053

सहकर्मि समीक्षा फॉर्म: 1520/2021

दिनांक : 25.04.2025

स्थान : पुणे



**CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE
CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE**

To,
The Members,
Bank of Maharashtra
"Lokmangal"
1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

We have examined the Compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as the "**The Bank**"), for the Financial Year ended on March 31, 2025, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Management's Responsibility

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance.

Auditor's Responsibility

Our examination is limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the Directors and Management, we certify that the Bank has complied with the most of conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the following observations:

- a) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- b) Number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- c) Vacancy of directors is not filled within three months as per Regulation 17(1E) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



- d) The Audit Committee of the Bank was not comprises of minimum 3 members and 2/3rd of Independent Directors as its members as well as committee do not have regular chairperson from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors.
- e) Nomination & Remuneration Committee of the Bank was not comprises of minimum three non-executive directors and 2/3rd of Independent Directors at its members from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors. The bank has also received an administrative warning letter from SEBI for non-conduct of NRC meeting in the FY 2022-23 & 2023-24.
- f) Risk Management Committee of the Bank does not have regular chairman from 20.12.2024 till 31.03.2025 as required by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 due to completion of tenure of two independent directors.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S. R. Siddheshwar & Co.
Company Secretaries

Sd/-

CS Sameer Siddheshwar

Company Secretary

Membership No: F11189, CP: 15564

UDIN: F011189G000205053

Peer Reviewed Firm: 1520/2021

Date : 25.04.2025

Place : Pune



सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र
[विनियम 17(8)]

प्रति निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
पुणे

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

क. हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- (1) इन विवरणों में कोई भी गंभीर असत्य कथन शामिल नहीं है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक कथन शामिल नहीं है;
- (2) ये विवरण मिलकर बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं और इनको दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड के समक्ष, यदि कोई हो, प्रकट किया है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति/ बोर्ड को निम्नलिखित की सूचना दी है:

- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोट्स में इनका प्रकटन किया गया है; और
- (3) हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले प्रबंधन या कर्मचारी, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत।

दिनांक: 25 अप्रैल, 2025
स्थान: पुणे

वी. पी. श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी

निधु सक्सेना
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



CEO/ CFO Certificate

[Regulation 17(8)]

To the Board of Directors,
Bank of Maharashtra,
Pune

This is to certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2025 and that to the best of our knowledge and belief:

- (1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee/Board, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee/Board:

- (1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- (2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- (3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Date: 25th April, 2025
Place: Pune

V. P. Srivastava
Chief Financial Officer

Nidhu Saxena
Managing Director & CEO



निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V परिच्छेद सी खंड 10(i) के अनुसरण में

प्रति,
सदस्यगण
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
"लोकमंगल"
1501, शिवाजी नगर,
पुणे - 411005

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V परिच्छेद सी खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बाद में 'बैंक' के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, संबंधित रजिस्ट्रों, रिकॉर्डों, फॉर्मों और विवरणियों की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा आवश्यक सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) और बैंक व इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रदत्त जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए निदेशकों में से किसी को भी कंपनियों/ सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या निदेशक के रूप में बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

31 मार्च 2025 को निदेशकों की सूची निम्नानुसार है

क्र.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति दिनांक
1	निधु सक्सेना	09691292	27-03-2024
2	आशीष पाण्डेय	09295107	31-12-2021
3	रोहित ऋषि	लागू नहीं	1-11-2023
4	अभिजीत फुकन	लागू नहीं	25-10-2023
5	संजीव प्रकाश	09528516	14-07-2023
6	प्रवीण कुमार	10119480	30-06-2024
7	शशांक श्रीवास्तव *	07710385	21-12-2021
8	एस. बलजीत सिंह *	08797196	21-12-2021
9	राकेश कुमार **	08531595	30-06-2021

* 20.12.2024 से निदेशक के पद पर नहीं रहे

** 29.06.2024 से निदेशक के पद पर नहीं रहे



#बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। अतः, बैंक के बोर्ड के निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए, डीआईएन का उल्लेख उन निदेशकों के लिए किया जाता है जिनके पास कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन है और उन निदेशकों के लिए जिनके पास डीआईएन नहीं है, यहाँ ऊपर 'लागू नहीं' उल्लेख किया गया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ पद पर बने रहने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते एस. आर. सिद्धेश्वर एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस समीर सिद्धेश्वर

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: F11189, सीपी: 15564

यूडीआईएन: F011189G000197826

सहकर्मि समीक्षा फर्म: 1520/2021

दिनांक : 25.04.2025

स्थान : पुणे



CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members,
Bank of Maharashtra
"Lokmangal"
1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as the "The Bank"), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India or any such other Statutory Authority.

The following is the List of Directors as on 31st March 2025:

Sr. No.	Name of Director	DIN	Appointment Date
1	Nidhu Saxena	09691292	27-03-2024
2	Asheesh Pandey	09295107	31-12-2021
3	Rohit Rishi	Not Applicable	1-11-2023
4	Abhijit Phukon	Not Applicable	25-10-2023
5	Sanjeev Prakash	09528516	14-07-2023
6	Praveen Kumar	10119480	30-06-2024
7	Shashank Shrivastava *	07710385	21-12-2021
8	S. Baljit Singh*	08797196	21-12-2021
9	Rakesh Kumar**	08531595	30-06-2021

*Ceased to be Director w.e.f 20-12-2024

** Ceased to be Director w.e.f 29-06-2024



#The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply to the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and / or the Directors who do not possess DIN, 'Not Applicable' is mentioned hereinabove.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For S. R. Siddheshwar & Co.
Company Secretaries

Sd/-

CS Sameer Siddheshwar
Company Secretary
Membership No: F11189, CP: 15564
UDIN: F011189G000197826
Peer Reviewed Firm: 1520/2021
Date : 25.04.2025
Place : Pune



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

वित्तीय विवरण Financial Statement



31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र Balance Sheet As On 31st Mar 2025

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	7691,55,50	7081,37,36
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	20797,70,81	12592,52,57
जमा राशियां Deposits	3	307142,60,51	270747,16,82
उधारियां Borrowings	4	23852,51,50	7718,85,50
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	9657,77,14	8997,93,70
कुल TOTAL		369142,15,46	307137,85,95
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	37992,99,37	21161,33,96
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	4201,87,42	9150,32,20
निवेश Investments	8	82004,79,08	68274,11,97
अग्रिम Advances	9	236083,79,53	200239,88,43
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	2915,58,69	2209,59,99
अन्य आस्तियां Other Assets	11	5943,11,37	6102,59,40
कुल TOTAL		369142,15,46	307137,85,95
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	40941,14,23	39390,88,64
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		6972,38,60	5740,31,19
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant accounting policies	17		
खातों हेतु टिप्पणियां Notes to Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं। The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Financial statment.

प्रवीण कुमार
निदेशक
PRAVEEN KUMAR
DIRECTOR

संजीव प्रकाश
निदेशक
SANJEEV PRAKASH
DIRECTOR

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक
Dr. ABHIJIT PHUKON
DIRECTOR

रोहित ऋषि
कार्यपालक निदेशक
ROHIT RISHI
Executive Director

आशीष पाण्डेय
कार्यपालक निदेशक
ASHEESH PANDEY
Executive Director

निधु सक्सेना
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
NIDHU SAXENA
Managing Director & CEO

केयूर तलाटी
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
KEYUR TALATI
Asst. General Manager, FM&A

मुदित अग्रवाल
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
MUDIT AGARWAL
Asst. General Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं सीएफओ
V P SRIVASTAVA
General Manager & CFO



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता
Profit & Loss Account For The Year Ended 31st Mar 2025

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)
I. आय Income			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	24947,45,17	20494,68,83
अन्य आय Other Income	14	3454,17,31	2997,86,57
कुल TOTAL		28401,62,48	23492,55,40
II. व्यय Expenditure			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	13281,88,09	10672,84,37
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	5800,71,49	4814,37,29
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		3799,24,31	3950,31,02
कुल TOTAL		22881,83,89	19437,52,68
लाभ / हानि Profit/Loss			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		5519,78,59	4055,02,72
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		3502,10,97	1536,76,19
कुल TOTAL		9021,89,56	5591,78,91
III. विनियोग	III. APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve	1379,94,65	1013,75,68
पूंजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve	44,99,64	22,13,62
राजस्व आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve	-	-
विशेष आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Special Reserve	-	-
निवेश अस्थिर आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve	215,00,00	-
निवेश आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Investment Reserve	-	62,39,41
प्रस्तावित लाभांश (इक्विटी)	Proposed dividend (Equity)	1153,73,32	991,39,23
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		6228,21,95	3502,10,97
कुल TOTAL		9021,89,56	5591,78,91
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (रूपए) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		7.48	5.78

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी

एफआरएन- 105215W/W100057

सनदी लेखाकार

For M/s. Kirtane & Pandit LLP

FRN- 105215W/W100057

Chartered Accountants

कृते मेसर्स जी डी आटे एंड कंपनी

एफआरएन- 100515W

सनदी लेखाकार

For M/s. G D Apte & co.

FRN- 100515W

Chartered Accountants

कृते मेसर्स सुंदरम एवं श्रीनिवासन

एफआरएन-004207S

सनदी लेखाकार

For M/s. Sundaram & Srinivasan

FRN- 004207S

Chartered Accountants

कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी

एफआरएन- 106041W/W100136

सनदी लेखाकार

For M/s. Manubhai & Shah LLP

FRN- 106041W/W100136

Chartered Accountants



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

सीए मित्तल शाह

भागीदार

सदस्यता क्र.: 147370

यूडीआईएन - 25147370BMHZKZ4443

CA Mittal Shah

Partner

Membership No: 147370

UDIN - 25147370BMHZKZ4443

सीए रामकुमार एस.

भागीदार

सदस्यता क्र.: 238820

यूडीआईएन - 25238820BMKNFV2259

CA Ramkumar S.

Partner

Membership No: 238820

UDIN - 25238820BMKNFV2259

सीए एस बी राशिनकर

भागीदार

सदस्यता क्र.: 103483

यूडीआईएन - 25103483BMNANY6751

CA S B Rashinkar

Partner

Membership No: 103483

UDIN - 25103483BMNANY6751

सीए हितेश पेमल

भागीदार

सदस्यता क्र.: 106137

यूडीआईएन - 25106137BNGNIN5404

CA Hitesh Pomal

Partner

Membership No: 106137

UDIN - 25106137BNGNIN5404

स्थान: पुणे

दिनांक: 25.04.2025

Place: Pune

Date: 25.04.2025

1

अनुसूची - 1 पूंजी

1

Schedule - 1 Capital

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) Year ended 31 st -Mar-2025 (current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) Year ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital प्रत्येक रु.10/- के 10,00,00,00,000 (ईक्विटी) शेयर (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous Year 10,00,00,00,000) of Rs. 10/- each		10000,00,00		10000 ,00 ,00
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed प्रत्येक रु.10/- के 769,15,54,950 (ईक्विटी) शेयर (पिछले वर्ष 708,13,73,639) 769,15,54,950 Equity Shares (Previous Year 708,13,73,639) of Rs.10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	7081 ,37 ,36		6730 ,49 ,64	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the Year	610 ,18 ,14	7691 ,55 ,50	350 ,87 ,72	7081,37 ,36
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government प्रत्येक रु.10/- के 612,26,27,927 (ईक्विटी) शेयर (पिछले वर्ष 612,26,27,927) 612,26,27,927 (Previous Year 612,26,27,927) Equity shares of Rs.10/- each	6122 ,62 ,79		6122 ,62 ,79	
ख. जनता एवं अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others प्रत्येक रु. 10/- के 156,89,27,023 (ईक्विटी) शेयर (पिछले वर्ष 95,87,45,712) 156,89,27,023 (Previous Year 95,87,45,712) Equity Shares of Rs.10/- each	1568 ,92 ,71		958 ,74 ,57	
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	-	7691 ,55 ,50	-	7081 ,37 ,36
कुल TOTAL		7691 ,55 ,50		7081,37 ,36



(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षिति Statutory Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	3439 ,35 ,12		2425,59,44	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	1379 ,94 ,65	4819 ,29 ,77	1013,75,68	3439,35,12
II. पूंजी आरक्षिति Capital Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	719,69 ,55		697,55 ,93	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	44,99 ,64		22,13 ,62	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	764,69 ,19	-	719,69,55
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	977,43,56		328,31 ,28	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	2889,81,87		649,12 ,28	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	3867,25,43	-	977,43,56
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क. राजस्व आरक्षिति a. Revenue Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	1970 ,83 ,80		1941,35 ,10	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	212 ,07 ,94		29,48 ,70	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	2182 ,91 ,74	-	1970,83 ,80
ख. विशेष आरक्षिति b. Special Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	51 ,26 ,04		51,26 ,04	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	-		-	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	51 ,26 ,04	-	51,26 ,04
ग. पुनर्मूल्यन आरक्षिति c. Revaluation Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	1443,34 ,12		1472,82 ,82	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	1923,71 ,48		-	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	1472,80 ,51	1894,25 ,09	29,48 ,70	1443,34 ,12
घ. निवेश अस्थिर आरक्षिति खाता d. Investment Fluctuation Reserve Account				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	426,10,00		426,10,00	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	215,00,00		-	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	641,10,00	-	426,10,00
ङ. निवेश आरक्षिति खाता e. Investment Reserve Account				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	62,39 ,41		-	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	-		62,39 ,41	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	62,39 ,41	-	-	62 ,39 ,41
च. एएफएस निवेश आरक्षिति खाता f. AFS Investment Reserve Account				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	-		-	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	348,71 ,60		-	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	348 ,71 ,60	-	-
V. लाभ/हानि खाते में शेष Balance In Profit And Loss Account				
लाभ/हानि खाते में शेष Balance of Profit /Loss				



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	3502,10,97		1536,76,19	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	2726,10,98		1965,34,78	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	6228,21,95	-	3502,10,97
कुल TOTAL		20797,70,81		12592,52,57

3

अनुसूची - 3 जमा राशियां

3

Schedule - 3 Deposits

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
क./ A.	I. मांग जमा राशियां Demand Deposits			
i. बैंकों से From Banks	248,29,05		297,86,52	
ii. अन्यो से From others	46062,90,43	46312,92,31	34670,16,49	34968,03,01
	II. बचत बैंक जमा राशियां Savings Bank Deposits			
		117344,13,89		107805,55,94
	III. मीयादी जमा राशियां Term Deposits*			
i. बैंकों से From Banks	391,16,48		1606,00,50	
ii. अन्यो से From others	143094,37,83	143485,54,31	126367,57,37	127973,57,87
	कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)			
		307142,60,51		270747,16,82
ख./ B.	i. भारत में स्थित शाखाओं में जमा राशियां Deposits of Branches in India			
		307142,60,51		270747,16,82
ii. भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमा राशियां		-		-
	कुल (i) + (ii) Total (i) + (ii)			
		307142,60,51		270747,16,82

*इसमें रु.10112,46,83 हजारों में, की ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा राशि शामिल है (पिछले वर्ष रु.5833,13,45 हजारों में)

*Includes Lien marked deposits of Rs.10112,46,83 in thousands (Previous Year Rs. 5833,13,45 in thousands)

4

अनुसूची - 4 उधारियां

4

Schedule - 4 Borrowings

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
I. भारत में उधारियां Borrowings In India				
i. भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India	-		-	
ii. अन्य बैंकों से Other Banks	-		-	



(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
iii. अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	15421,81,50		2111,15,50	
iv. अन्य उधारियाँ Other Borrowings				
क) बेमियादी ऋण लिखतें (पीडीआई)- टीयर -I बांड a) Perpetual Debt Instruments (PDI)- Tier -I Bond	1880,00,00		1880,00,00	
ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	-		-	
ग) गौण ऋण बांड - टीयर II बांड c) Subordinated Debt Bonds- Tier II Bond	4127,70,00		3727,70,00	
घ) इन्फ्रा बांड d) Infra Bonds	2423,00,00	23852,51,50	-	7718,85,50
II. भारत के बाहर उधारियां Borrowings Outside India		-		-
कुल (I एवं II) Total (I & II)		23852,51,50		7718,85,50
III. उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां Secured Borrowings Included In I & II Above		-		-

5

अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान

5

Schedule - 5 Other liabilities and provisions

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
I. देय बिल Bills Payable		663,37,11		1179,48,01
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		-		-
III. उपचित ब्याज Interest Accrued		343,05,25		382,80,00
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)				
क) मानक आस्तियों पर प्रावधान i) Provision against standard assets	2835,08,65		2457,83,05	
ख) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित) ii) Other liabilities (including provisions)	5816,26,13	8651,34,78	4977,82,64	7435,65,69
कुल Total (I+ II + III + IV)		9657,77,14		8997,93,70



6

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष

6

Schedule - 6 Cash And Balances With Reserve Bank Of India

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)		1025,29 ,08		1015,69 ,86
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India				
i) चालू खातों में In Current Accounts	12492,70 ,29		11397,64 ,10	
ii) अन्य खातों में In other Accounts	24475,00 ,00	36967,70 ,29	8748,00 ,00	20145,64 ,10
कुल (I एवं II) Total (I & II)		37992 ,99 ,37		21161 ,33 ,96

7

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

7

Schedule - 7 Balances With Banks And Money At Call & Short Notice

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
i) चालू खातों में Current Accounts	2,55,83		69 ,73	
ii) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	15,68,56	18,24 ,39	15,68 ,56	16,38 ,29
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास With Banks	-		-	
(ख) अन्य संस्थानों में With Other Institutions	4177,05 ,63	4177,05 ,63	9128 ,31 ,72	9128 ,31 ,72
कुल (i एवं ii) Total (i and ii)		4195,30 ,02		9144 ,70 ,01
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
क. चालू खातों में Current Account	6,57,40		5,62,19	
ख. अन्य जमा खातों में Other Deposit Account	-		-	
ग. मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	-	6,57,40	-	5,62,19
कुल Total		6,57,40		5,62,19
कुल जोड़ (I एवं II) Grand Total (I & II)		4201,87,42		9150,32,20



8

अनुसूची - 8 निवेश

8

Schedule - 8 Investments

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
क I. भारत में निवेश A I. Investments in India in				
a. सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities		74851,28,30		64282,48,51
b. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities		-		
c. शेयर्स Shares		607,21,25		323,53,96
d. डिबेंचर्स और बांड Debentures and Bonds		5588,56,64		3493,65,83
e. सहायक कंपनियाँ और/ या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures		311,43,11		141,32,51
f. अन्य Others				
i. यूटीआई / म्यूचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	37,51,97		33,11,16	
ii. जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	608,77,81		-	
iii. वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	-		-	
iv. पीटीसी PTCs	-		-	
v. अन्य Others	-	646,29,78	-	33,11,16
कुल Total		82004,79,08		68274,11,97
क II. भारत के बाहर निवेश A II. Investments outside India		-		-
कुल Total		-		-
कुल जोड़ (I एवं II) GRAND TOTAL (I & II)		82004,79,08		68274,11,97
ख I. भारत में सकल निवेश B I. Gross Investments in India	81898,56,92		68592,86,45	
i) जोड़ें/घटाएँ: निवेश पर मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास) i) Add/Less: Appreciation/(Depreciation) on Investment	443,19,83		-15,04,52	
ii) घटाएँ: निवेश पर प्रावधान ii) Less: Provisions on Investment	336,97,67	82004,79,08	303,69,96	68274,11,97
iii) निवल निवेश (क-ख) iii) Net Investment (a-b)		82004,79,08		68274,11,97
ख II भारत के बाहर सकल निवेश b II Gross Investments outside India		-		-
कुल (I एवं II) TOTAL (I & II)		82004,79,08		68274,11,97



9

अनुसूची - 9 अग्रिम

9

Schedule - 9 Advances

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
क./ A.	I. भांजित एवं खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	4110,47,48		3531,09,78	
	II. नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	53744,50,78		51489,78,04	
	III. मीयादी ऋण Term Loans	178228,81,27		145219,00,61	
			236083,79,53		200239,88,43
कुल Total			236083,79,53		200239,88,43
ख./ B.	i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	197165,37,24		162329,35,19	
	ii. बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	642,46,23		1641,25,42	
	iii. अप्रत्याभूत Unsecured	38275,96,06	236083,79,53	36269,27,82	200239,88,43
	कुल Total		236083,79,53		200239,88,43
ग./ C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i. प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	90492,59,70		81079,58,53	
	ii. सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	21940,34,77		35750,96,35	
	iii. बैंक Banks	499,98,05		741,94,95	
	iv. अन्य Others	123150,87,01	236083,79,53	82667,38,60	200239,88,43
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		-		-
कुल (ग. I एवं ग. II) Total (C.I & C.II)			236083,79,53		200239,88,43



10

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियां

10

Schedule - 10 Fixed Assets

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. परिसर Premises				
i. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31 st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1951,22,45		1937,74,81	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	57,11,80		13,47,64	
iii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	1894,25,09		-	
	3902,59,34		1951,22,45	
iv. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year #	1413,87,74		-	
	2488,71,60		1951,22,45	
v. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	397,08,58	2091,63,02	347,11,69	1604,10,76
II. प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in progress		4,36,05		9,69,53
III. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
i. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	1835,89,73		1608,08,84	
ii. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period	467,58,89		263,24,02	
	2303,48,62		1871,31,69	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	262,04,86		35,41,96	
	2041,43,76		1835,89,73	
iv. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	1221,84,14	819,59,62		595,79,70
कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)		2915,58,69		2209,59,99

#पुनर्मूल्यांकन के कारण #On account of revaluation



11

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां

11

Schedule - 11 Other Assets

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		68,56,74		65,97,75
II. उपचित ब्याज Interest accrued		1618,48,54		1307,32,88
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source		1757,86,63		1810,09,81
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps		2,83,04		2,59,78
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		-		-
VI. अन्य *(आरआईडीएफ सहित) Others* (incl RIDF)		2495,36,42		2916,59,18
कुल (I, II, III, IV, V एवं VI) Total (I, II, III, IV, V & VI)		5943,11,37		6102,59,40

* टिप्पणी: अन्य आस्तियों में रु. 636,79,67 हजार की निवल आस्थगित कर आस्तियां शामिल हैं। (पिछले वर्ष रु. 956,76,52 हजार की निवल आस्थगित कर आस्तियां)

* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of Rs.636,79,67 in thousands (Previous Year Net DTA Rs. 956,76,52 in thousands)

12

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं

12

Schedule - 12 Contingent Liabilities

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		1356,67,05		1349,90,85
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments		-		-



(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
III. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		25776 ,35 ,28		26190 ,97 ,20
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
i. भारत में In India	10865 ,74 ,83		9317 ,18 ,38	
ii. भारत के बाहर Outside India	379 ,32 ,81	11245 ,07 ,64	210 ,30 ,87	9527 ,49 ,25
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं बाध्यताएं Acceptances,endorsements and obligations		1486 ,82 ,30		1375 ,56 ,09
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contingently liable		1076 ,21 ,96		946 ,95 ,25
कुल (I, II, III, IV, V एवं VI) Total (I, II, III, IV, V & VI)		40941 ,14 ,23		39390 ,88 ,64

* वायदा विनियम संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

13

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

13

Schedule - 13 Interest Earned

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		19291 ,50 ,58		15826 ,24 ,03
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	5372,90,17 12 ,47 ,34	5360,42,83	4613 ,78 ,15 153 ,02 ,03	4460 ,76 ,12
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		202 ,63 ,54		135 ,76 ,95
IV. अन्य Others		92 ,88 ,22		71 ,91 ,73
कुल (I, II, III एवं IV) Total (I, II, III & IV)		24947,45 ,17		20494,68 ,83



14

अनुसूची - 14 अन्य आय

14

Schedule - 14 Other Income

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. कमीशन, विनियम और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage		1740,56,74		1582,23,10
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	234,74,35 14,72,23	220,02,12	214,29,80 6,41,94	207,87,86
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	- -	-	- -113,15,12	113,15,12
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	2,34,13 1,96,62	37,51	2,12,58 1,25,50	87,08
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	63,29,42 -	63,29,42	41,61,23 -	41,61,23
VI. भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/ या कंपनियों/ सहायक कंपनियों/ इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		1,71,64		1,35,93
VII. विविध आय* Miscellaneous Income*		1428,19,88		1050,76,25
कुल (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) Total (I, II, III, IV, V, VI & VII)		3454,17,31		2997,86,57

* इसमें बट्टे खाते में डाले गए खातों में की गई वसूली रु.1374,88,06 हजार में शामिल है। (पिछले वर्ष - रु. 985,52,22 हजार में)

* Includes Recoveries made in write off accounts Rs. 1374,88,06 in thousand (Previous years- Rs. 985,52,22 in thousands)



15

अनुसूची - 15 व्यय किया गया ब्याज

15

Schedule - 15 Interest Expended

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st Mar, 2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st Mar, 2024 (Previous Year)
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	12295,05,79	10040,63,05
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	22,52,43	33,27,41
III. अन्य Others	964,29,87	598,93,91
कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)	13281,88,09	10672,84,37

16

अनुसूची - 16 परिचालन व्यय

16

Schedule - 16 Operating Expenses

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3442,23,31	2838,12,75
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	326,63,73	280,41,93
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	36,84,22	31,58,55
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	48,39,45	33,56,75
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास Depreciation on Bank's property	290,57,12	223,47,20
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1,23,26	1,22,76
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय Auditors' fees and expenses	19,64,09	15,69,27
VIII. विधि प्रभार Law Charges	81,35,30	68,36,84
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	50,27,84	45,41,85
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	315,94,78	258,67,30
XI. बीमा Insurance	364,18,62	279,12,26
XII. अन्य व्यय Other expenditure	823,39,77	738,69,83
कुल (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI एवं XII) Total (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	5800,71,49	4814,37,29



अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल खातों के साथ संलग्न और उसका भाग)

Schedule 17 – Significant Accounting Policies

(Annexed To And Forming Part Of The Standalone Accounts For The Year Ended 31st March 2025)

1

पृष्ठभूमि

1.1 बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा शासित है।

1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अंतर्गत स्थिरता, उपचय और प्रचलित मौलिक लेखांकन मान्यताओं के साथ तैयार किए गए हैं, ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, और सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है। वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.3 अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि के आकलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलन में किसी भी संशोधन की पहचान भावी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

1.5 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

1

Background

1.1 Bank of Maharashtra (the Bank) is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

1.2 Basis of Preparation of Financial Statements:

The financial statements are prepared under the historical cost conventions with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency, and accrual, except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949.

1.3 Use of Estimates :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the year under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time

2

विदेशी मुद्रा विनिमय संयवहार

2.1. विदेशी मुद्रा संयवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

2

Foreign Exchange Transactions

2.1. The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.



- 2.2.** बकाया वायदा विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए “फाइनांशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) – द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, निर्दिष्ट परिपक्वता के लिये एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र के दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक/ फेडरल रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव “अन्य आस्तियों” और हानि के मामले में इसका प्रभाव “अन्य देयताओं” को प्रभावित किया गया है।
- 2.3.** विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडरल द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।
- 2.4.** अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन , यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

- 2.2.** Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the Modified MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to “Other Assets” in case of gain or to “Other Liabilities” in case of loss. .
- 2.3.** Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI
- 2.4.** Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3

निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

3.1. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) की उपश्रेणी शामिल है।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश उपरोक्त श्रेणी से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखे जाते हैं।

3.2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए की आवश्यकता के अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- सरकारी प्रतिभूतियां
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- शेयर्स
- डिबेंचर तथा बांड
- अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
- अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट इत्यादि)

3

Investments

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1. Investments are classified in the following categories:

- Held to Maturity (HTM)
- Available for sale (AFS)
- Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT)

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures is held in a distinct category separate from above category.

3.2. All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

- Government Securities
- Other approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries and Joint Ventures
- Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)



3.3. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। सभी निवेशों का प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य निरूपण किया जाता है। जब तक तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट न हो कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब अधिग्रहण लागत को उचित मूल्य के रूप में लिया जाता है। एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। एचटीएम से कोई भी बिक्री (5% की सीमा के भीतर) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है। बैंक ने अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रम में वर्गीकृत किया है अर्थात् स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3

3.4. रेपो/ रिवर्स रेपो

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

3.5. भारित औसत मूल्यन पद्धति के आधार पर निवेशों की लागत का निर्धारण किया जाता है।

स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज / खंडित अवधि के लिए चुकता ब्याज को राजस्व व्यय / आय के रूप में माना जाएगा।

ब्रोकरेज/प्राप्त प्रोत्साहन/ निवेश की खरीद/ बिक्री के समय प्रदत्त को निवेश की राशि से काटा/ जोड़ा गया है।

3.6. निवेशों का मूल्यांकन :

क. परिपक्वता तक धारित :

i. 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित की जाती हैं, अर्थात् वित्तीय परिसंपत्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारित किया जाता है। प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तों से नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो निर्दिष्ट तिथि पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ("एसपीपीआई मानदंड") है।

3.3. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, then the acquisition cost is taken as the fair value. Any discount or premium on securities under HTM, AFS, and FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument. Any sale from HTM (within limit of 5%) is as per Board approved policy. The bank has categorized its investment portfolio into three fair value hierarchies viz Level 1, Level 2, and Level 3

3.4. REPO/ Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5. Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

3.6. Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

i. Securities under the category 'Held to Maturity' is acquired with the intention and objective of holding it to maturity i.e. the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows. The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payment of principal and interest on principal outstanding ("SPPI criterion") on specified date.



- ii. एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाता है और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर मूल्यांकन नहीं किया जाता। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- iii. एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि अनुसूची 14 अन्य आय के मद II के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्य है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से पूंजी आरक्षित खाते में रेखा के नीचे विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार करों को घटाकर विनियोजित की गई राशि को सांविधिक आरक्षित में अंतरित करना आवश्यक है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

- i. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का अधिग्रहण एक उद्देश्य से किया जाता है, जिसे संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- ii. एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। सभी प्रदर्शनकारी निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण के बावजूद (यानी सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, बांड और डिबेंचर, आदि) एएफएस के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है।
- iii. शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एएफएस रिजर्व नामक रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है।
- iv. एएफएस श्रेणी में किसी भी लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एएफएस रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित की जाती है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- i. वे प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- ii. एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है।

- ii. Securities held in HTM is carried at cost and not be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM is amortized over the remaining life of the instrument.
- iii. Any profit or loss on the sale of investments in HTM is recognized in the profit and loss account under item II of Schedule 14 Other Income. The profit on sale of an investment in HTM is appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve

b. Available for Sale:

- i. Securities under the category 'Available for Sale' is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities.
- ii. The securities held in AFS is fair valued at least on quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortized over the remaining life of the instrument. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e. Government Securities, other approved securities, bonds and debentures, etc) held under AFS is aggregated.
- iii. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve.
- iv. Upon sale or maturity of any instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. In case of equity instrument, any gain or loss on sale of such investment is transferred from AFS Reserve to the Capital Reserve.

c. Fair Value Through Profit & Loss:

- i. Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS is classified under FVTPL.
- ii. The securities held in FVTPL is fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account.



- iii एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का, यदि निरंतर आधार पर नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
- iv एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

- iii The securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL is fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL is fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- iv Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument.

3.7. डेरिवेटिव :

ब्याज दर स्वेप :

i. मूल्यांकन :

- क) **हेजिंग स्वेप** : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वेप, बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्केट टू मार्केट) नहीं है।
- ख) **ट्रेडिंग स्वेप** : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वेप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्केट टू मार्केट) है।

ii. डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- क) **हेजिंग स्वेप** : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया। व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।
 - ख) **ट्रेडिंग स्वेप** : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- #### iii. स्वेप समाप्ति पर आय या हानि का लेखांकन:
- क) **हेजिंग स्वेप** : निरस्त हुए स्वेप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वेप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
 - ख) **ट्रेडिंग स्वेप** : स्वेप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

3.8. निवेश अस्थिर रिज़र्व और निवेश रिज़र्व खाता :

आरबीआई के दिनांक 12.09.2023 के मास्टर निर्देश के अनुसार परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24, के अंतर्गत निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) तब तक बनाया जाना चाहिए जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर, निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि को आईएफआर में अंतरण द्वारा एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम 2% न हो जाए।

3.7. Derivatives:

Interest Rate Swaps:

i. Valuation:

- a) **Hedging Swaps** : Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- b) **Trading Swaps** : Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market

ii. Accounting of income on derivative deals:

- a) **Hedging Swaps** : Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable
- b) **Trading Swaps** : Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date

iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- a) **Hedging Swaps** : Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- b) **Trading Swaps** : Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

3.8. Investment Fluctuation Reserve & Investment Reserve Account:

As per RBI master direction vide circular R B I / D O R / 2 0 2 3 - 2 4 / 1 0 4 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated 12.09.2023, Investment Fluctuation Reserve (IFR) to be created until the amount of IFR is at least 2% of AFS and FVTPL (Including HFT) portfolio, on continuous basis, by transferring to the IFR of an amount not less than the lower of the following:



क) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख) वर्ष के लिए निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर

बैंक को अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के 2% से अधिक आईएफआर से शेष राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, जिसे किसी भी लेखांकन वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए लाभ/हानि के शेष में जमा किया जा सकता है, जो आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

a) Net profit on sale of Investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations.

Bank has been permitted to draw down the balance from IFR in excess of 2% of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year subject to the conditions stipulated in RBI guidelines.

4

अग्रिम

4.1. दर्शाए गए अग्रिम बढ़े खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्गठित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन बिलों से निवल हैं।

4.2. अग्रिमों का वर्गीकरण और उनपर प्रावधान भारि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान भारि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -

- अवमानक - 20%
- संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

4.3. अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4.4. एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार तिमाहियों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान किए गए।

4.5. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात् बकाया घटाए प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया गया है।

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभिक प्राप्ति/या एसआरएस/ पीटीसी के मोचन द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है। आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा।

4

Advances

4.1. Advances are disclosed net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted

4.2. Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

- Sub-Standard - 20%
- Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

4.3. Provision for performing assets, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4. In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters

4.5. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRs/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.



5

स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास

- 5.1. पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों के लागत में मूल्यहास/ ऋण परिशोधन को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क शामिल हैं। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों से भविष्य के लाभ या उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है।

- 5.2. अचल आस्तियों पर मूल्यहास नीचे दी गई दरों पर किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य एक रुपया लिखा जा सके।

5

Fixed Assets and Depreciation

- 5.1. Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability

- 5.2. Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets

क्र. S.N.	आस्ति की श्रेणी Category of Asset	आस्ति की उपयोगिता अवधि (वर्ष में) Useful Life of Assets (in Years)	मूल्यहास की दर (%) Rate of Depreciation (%)	मूल्यहास की पद्धति Method of depreciation
1	भवन एवं परिसर Building & Premises	60	1.667	एसएलएम/ SLM
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं General Items including Safe	10	10	एसएलएम/ SLM
3	इलेक्ट्रिकल – टेलीविजन, मोबाइल फोन, होम थियेटर, प्रिंटर, कैमरा Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera	3	33.33	एसएलएम/ SLM
4	इलेक्ट्रिकल उपकरण- अन्य Electrical Equipment's- Others	7	14.29	एसएलएम/ SLM
5	कार्यालय मशीनरी Office Machinery	5	20	एसएलएम/ SLM
6	मोटर वाहन Motor Vehicles	8	12.5	एसएलएम/ SLM
7	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट Safe Deposit Vaults	10	10	एसएलएम/ SLM
8	कंप्यूटर तथा लैपटॉप Computers & Laptops	3	33.33	एसएलएम/ SLM
9	एटीएम ATM	7	14.29	एसएलएम/ SLM
10	यूपीएस UPS	5	20	एसएलएम/ SLM
11	बीएनए BNA	7	14.29	एसएलएम/ SLM
12	कैश रि-साइकलर Cash Re-cycler	7	14.29	एसएलएम/ SLM

* एसएलएम अर्थात सीधी रेखा पद्धति

*SLM means Straight Line Method



- 5.3. वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यहास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची /हटाई गई आस्ति के संबंध में, मूल्यहास आनुपातिक आधार पर उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

- 5.4. हर तीन वर्ष में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से निस्तारण मूल्य को घटाकर आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) से मूल्यहास लगाया जाता है।

पट्टा-धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षित को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर लागत के अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की राशि, लाभ और हानि खाते में नामे की गई लागत के अतिरिक्त अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से संबंधित मूल्यहास की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व रिज़र्व में अंतरित की जाती है।

- 5.5. पट्टा-धारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, तो उसे एस 19 के अनुसार एसएलएम आधार पर पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

- 5.3. In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year

- 5.4. Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets net of salvage value (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on straight line method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

- 5.5. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.

6

राजस्व अभिनिर्धारण

- 6.1. निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

- क भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज
- ख सरकारी व्यवसाय, म्युचुअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड, वार्षिक रखरखाव शुल्क और लॉकर किराए आदि पर कमीशन से आय
- ग खरीदे गए तथा बढ़ाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ बीमा दावे

6

Revenue Recognition

- 6.1. All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:

- a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.
- b. Income from commission like on Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual maintenance charges for cards and Locker Rent.
- c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims



- ड डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक
- च ऋण प्रोसेसिंग शुल्क
- छ व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हमीदारी कमीशन से आय
- ज इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

- e Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f Loan Processing Fees.
- g Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- h Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking

6.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में दिनांक 02.07.2021 से अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज को उपचित आधार पर बचत खाते के लिए लागू ब्याज दर पर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज दर, से जो कम हो प्रावधान किया गया है।

6.2. Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021

7

कर्मचारी अनुलाभ

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार अवकाश योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जो कि एस-15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देयताओं को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही /वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

7

Employees' Benefits

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity, Pension & Privilege Leave schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are also provided based on Actuarial valuation.

8

खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

8

Segment Reporting

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI



9

आस्तियों का हास

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 – आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों के हास, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, मूल्यहास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

9

Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable

10

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29- "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधानों को मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान में दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देयता का प्रकटन तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न्यूनतम न हो।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो।

10

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

11

निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराना के लिए प्रावधान (आस्थगित कराना सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/ अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

11

Net Profit, Provisions and Contingencies

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others

12

आयकर

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समायान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के

12

Income tax

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized



प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी प्राप्ति उचित रूप से निश्चित है।

अनवशोषित मूल्यहास या कराधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग को ब्याज सहित प्रावधान किया जाता है जब ऐसी मांग को बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है या जब न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है और समान मामले पर अन्य न्यायाधिकरण का कोई अनुकूल निर्णय नहीं होता है और बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष जाना नहीं चाहता है या जब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है।

in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the applicable tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonably certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year in which; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority OR when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court OR when such demand is upheld by high Court.

13

प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को विभाजित कर निकाली गई है। वर्ष के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है।

प्रति शेयर शिथिल आय उस संभावित शिथिलता को दर्शाती है जो प्रति शेयर आय में हो सकती है यदि वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने के अन्य अनुबंधों का प्रयोग या रूपांतरण किया जाता है।

13

Earnings Per Share

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax with the weighted average number of equity shares outstanding for the year. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the year.

14

नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में आरबीआई के पास नकद और शेष राशि, बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन शामिल है।

14

Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice



अनुसूची 18 : खातों हेतु टिप्पणियां
(नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)
(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल खातों के भाग स्वरूप सलग)

Schedule 18: Notes to Accounts

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE STANDALONE ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025)

1

नियामक पूंजी

1

Regulatory Capital

क) विनियामक पूंजी का संमिश्र

a) Composition of Regulatory Capital

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र./S.	विवरण Particulars	31.03.2025	31.03.2024
1	सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET 1) including CCB	26515.34	18275.07
2	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital	1720.00	1790.00
3	टियर 1 पूंजी (i + ii) Tier 1 capital (i + ii)	28235.34	20065.07
4	टियर 2 पूंजी Tier 2 capital	6153.31	5346.02
5	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2) Total capital (Tier 1+Tier 2)	34388.65	25411.09
6	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	167528.19	146180.67
7	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	15.83%	12.50%
8	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.86%	13.72%
9	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	3.67%	3.66%
10	जोखिम भारित आस्ति अनुपात हेतु पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	20.53%	17.38%
11	लिवरेज अनुपात Leverage Ratio	7.35%	6.27%
12	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%) Percentage of the shareholding of Government of India (%)	79.60%	86.46%
13	वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	3500.00	1000.00
14	वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से : Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: • सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयरों की राशि (पीएनसीपीएस) Amount of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) • बेसल III अनुपालक सतत ऋण लिखतें (एटी 1 बॉण्ड) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments (AT 1 Bond)	- -	- -
15	वर्ष के दौरान उगाही गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से : बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्ड Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: Basel III compliant Tier II Bond	1000.00	774.00



- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 05 अक्टूबर, 2024 को क्यूआईपी के माध्यम से ₹3500 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाई है। बैंक ने प्रति शेयर ₹47.36 के प्रीमियम पर ₹10 प्रत्येक के 61,01,81,311 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित बॉण्डों की उगाही की:
- During the year ended on March 31, 2025, Bank has raised Equity Share Capital (including Share Premium) of ₹3500 crores through Qualified Institutional Placements on October 05, 2024. The Bank has issued and allotted 61,01,81,311 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹47.36 per share.
- The Bank has raised following bonds during the FY 2024-25 as under:

श्रृंखला Series	प्रकार Type	आईएसआईएन नं. ISIN No	जारी करने का दिनांक Date of Issue	अवधि Tenure	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	कूपन दर (% में) Coupon Rate (In %)	कॉल दिनांक Call date
viii	बेसल III टियर II Basel III Tier II	INE457A08167	04.07.2024	10 Years	1000.00	7.89	04.07.2029

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने मांग विकल्प का कार्यान्वयन किया और निम्नलिखित बॉण्ड का भुगतान किया :
- During the FY 2024-25, Bank has exercised call option and made payment of following bond:

श्रृंखला Series	प्रकार Type	आईएसआईएन नं. ISIN No	जारी करने का दिनांक Date of Issue	अवधि Tenure	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	कूपन दर (% में) Coupon Rate (In %)	कॉल दिनांक Call date
I	बेसल III टियर II Basel III Tier II	INE457A08050	06.03.2020	10 Years	600.00	8.70	06.03.2025

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने निम्नानुसार दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्डों की भी उगाही की:
- During the FY 2024-25, The Bank has also raised following Long Term Infrastructure Bonds as under:

श्रृंखला Series	प्रकार Type	आईएसआईएन नं. ISIN No	जारी करने का दिनांक Date of Issue	अवधि Tenure	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	कूपन दर (% में) Coupon Rate (In %)	कॉल दिनांक Call date
I	इन्फ्रा बॉन्ड्स Infra Bonds	INE457A08175	05.08.2024	10 Years	811.00	7.80	N.A.
II	इन्फ्रा बॉन्ड्स Infra Bonds	INE457A08183	18.02.2025	10 Years	1612.00	7.70	N.A.

ख) आरक्षितियों से आहरित

लेखा मानक - 10 'संपत्ति, संचय और उपकरण', के अनुसार स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर वर्ष के लिए ₹ 29.46 करोड़ (₹ 29.49 करोड़) का मूल्यहास लाभ व हानि खाते को प्रभावित किया गया है। ₹ 29.46 करोड़ (₹ 29.49 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया।

31 मार्च, 2024 तक निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान ₹ 15.04 करोड़ है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आरक्षिति में अंतरित कर दिया गया है। 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षिति खाते (आईआरए) में शेष ₹ 62.39 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व रिजर्व में अंतरित कर दिया गया है।

b) Draw down from Reserves

In accordance with the Accounting Standard – 10 'Property, Plant & Equipment', depreciation of ₹ 29.46 Crore (₹ 29.49 Crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of ₹ 29.46 Crore (₹ 29.49 Crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

As of March 31, 2024, the provision for depreciation on investment stands at ₹ 15.04 Crore, which has been transferred to the Revenue Reserve during FY. 2024-25. The balance of ₹ 62.39 Crore in Investment Reserve Account (IRA) as of March 31, 2024, transferred to the Revenue Reserve during FY. 2024-25.



क) 31.03.2025 को आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिनों से 2 माह 31 days to 2 months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months up to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां Deposits	1195.05	4590.08	3562.81	6419.46	9226.00	10070.60	20031.90	77390.43	73851.90	37280.10	63524.28	307142.61
सकल अग्रिम Gross Advances	636.13	1685.76	1830.31	4810.13	5493.23	8251.32	16139.64	32462.56	56433.12	39971.29	72123.05	239836.54
सकल निवेश Gross Investments	30.00	1862.16	29.97	1122.40	2026.11	2473.29	2169.79	8794.56	15411.91	14660.90	33760.69	82341.77
उधारियां Borrowings	6.33	0.00	35.93	0.00	42.25	42.25	682.99	7383.49	11462.26	1774.00	2423.00	23852.52
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	345.02	1282.41	28.97	784.71	1333.06	277.82	3172.33	6410.93	0.00	0.00	0.00	13635.25
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	933.05	1026.74	19.66	983.48	1280.18	29.75	2982.17	6502.16	54.71	3.49	0.00	13815.39

31.03.2024 को आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2024

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिनों से 2 माह 31 days to 2 months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months up to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां Deposits	2244.22	4979.15	4547.68	8442.56	10135.44	16698.69	25242.98	76410.99	37940.52	18135.05	65969.90	270747.16
सकल अग्रिम Gross Advances	2875.54	3409.71	3610.85	5183.22	11060.51	7372.93	13021.73	25355.62	45586.63	30775.87	55411.33	203663.94
सकल निवेश Gross Investments	0.00	80.31	0.00	93.48	341.09	2997.25	782.45	3153.97	17317.44	10154.96	33671.92	68592.86
उधारियां Borrowings	0.00	0.00	74.41	0.00	107.64	86.17	258.52	485.47	1598.94	0.00	5107.70	7718.86
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	27.46	1727.41	73.14	1277.91	191.74	1645.97	1954.96	6769.10	0.00	0.00	0.00	13667.69
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	369.41	2291.45	1.21	1025.09	9.44	1670.59	1595.32	6823.24	36.27	7.54	0.00	13829.55

बचत बैंक और चालू जमा राशियों का यह वर्गीकरण निदेशक मंडल/ एलसीओ द्वारा अनुमोदित व्यवहारात्मक पद्धति पर आधारित है।

This classification of Savings Bank and Current Deposits is based on behavioral pattern approved by the Board / ALCO



ख) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

मात्रात्मक प्रकटन :

b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Quantitative Disclosure:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

		जून 2024 तिमाही Qtr. June 2024		सितंबर 2024 तिमाही Qtr. Sep 2024		दिसंबर 2024 तिमाही Qtr. Dec 2024		मार्च 2025 तिमाही Qtr. March 2025	
		कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां High quality Liquid assets									
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		69760.64		65231.23		66356.14		69804.18
नकद बहिर्वाह Cash outflows									
2	रटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	166321.39	12668.69	164720.89	13221.28	157639.76	14780.44	160118.43	15041.09
i	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	79268.95	3963.45	65016.28	3250.81	19670.71	983.54	19415.06	970.75
ii	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	87052.44	8705.24	99704.61	9970.46	137969.05	13796.90	140703.36	14070.34
3	अनारक्षित थोक निधियन, जिसमें से Unsecured wholesale funding, of which:	90830.17	42403.05	91996.46	42904.39	98084.22	44849.65	100427.38	46241.29
i	परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii	अप रचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	90830.17	42403.05	91996.46	42904.39	98084.22	44849.65	100427.38	46241.29
iii	अनारक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रतिभूत थोक निधियां Secured wholesale funding	351.53	0.00	1169.29	0.00	2508.22	0.00	1442.65	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which:	71.13	71.13	364.98	364.98	38882.06	6301.11	43474.17	8196.75
i	व्युत्पन्न विगोपन और अन्य संपार्श्व क आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	71.13	71.13	364.98	364.98	11.40	11.40	1437.65	1437.65
ii	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii	ऋण और अ तरलता उ द Credit and liquidity products	0.00	0.00	0.00	0.00	38870.65	6289.70	42036.52	6759.10



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

		जून 2024 तिमाही Qtr. June 2024		सितंबर 2024 तिमाही Qtr. Sep 2024		दिसंबर 2024 तिमाही Qtr. Dec 2024		मार्च 2025 तिमाही Qtr. March 2025	
		कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)
6	अन्य समझौता निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	498.37	498.37	734.45	734.45	1723.59	1723.59	2081.89	2081.89
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	48579.83	5807.62	50700.14	6030.16	16494.34	586.41	14864.60	488.97
8	कुल नकद बहिर्वाह Total Cash Outflows		61448.87		63255.25		68241.20		72049.98
नकद अंतर्वाह Cash inflows									
9	प्रतिभूत उधारी (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	5224.24	0.00	290.21	58.20	592.01	0.00	1575.81	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	5901.70	3514.57	6922.02	4130.42	9362.17	6186.01	10552.55	6986.83
11	अन्य नकद अंतर्वाह Other Cash Inflows	611.82	402.01	495.88	275.33	1325.90	1101.68	3941.55	3706.84
12	कुल नकद अंतर्वाह: Total Cash Inflows		3916.58		4463.95		7287.69		10693.67
13	कुल एच.एल.ए. Total HQLA		69760.74		65231.23		66356.14		69804.18
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह Total Net Cash Outflows		57532.29		58791.31		60953.51		61356.31
15	तरलता कवरेज अनुपात Liquidity Coverage Ratio		121.25%		110.95%		108.86%		113.77%

उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां High quality Liquid assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

		जून 2023 तिमाही Qtr. June 2023		सितंबर 2023 तिमाही Qtr. Sep 2023		दिसंबर 2023 तिमाही Qtr. Dec 2023		मार्च 2024 तिमाही Qtr. March 2024	
		कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भा रत मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भा रत मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		55734.43		62100.95		56287.06		61981.85
Cash outflows नकद बहिर्वाह									
2	रिटेल जमा राशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशियां, जिसमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	155827.76	11814.59	158640.59	12076.81	160798.83	12268.00	163308.84	12441.96
i	स्थिर जमा राशियां Stable deposits	75363.74	3768.19	75744.90	3787.24	76237.75	3811.89	77778.58	3888.93
ii	कम स्थिर जमा राशियां Less stable deposits	80464.02	8046.40	82895.69	8289.57	84561.08	8456.11	85530.26	8553.03
3	अनारक्षित थोक निधियन, जिसमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	60029.70	27824.54	65666.34	30457.76	64178.04	29042.84	75000.45	33980.30
i	प. रचालन जमा राशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

		जून 2023 तिमाही Qtr. June 2023		सितंबर 2023 तिमाही Qtr. Sep 2023		दिसंबर 2023 तिमाही Qtr. Dec 2023		मार्च 2024 तिमाही Qtr. March 2024	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (average)
ii	अपरिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	60029.70	27824.54	65666.34	30457.76	64178.04	29042.84	75000.45	33980.30
iii	अनारक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रतिभूत थोक निधियां Secured wholesale funding	2516.29	0.00	2600.82	0.00	1990.25	0.00	138.89	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से: Additional requirements, of which:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36330.54	5683.99
i	व्युत्पन्न विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	7.82
ii	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36322.72	5676.17
6	अन्य समझौता निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	243.33	243.33	301.72	301.72	273.46	273.46	353.83	353.83
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	46905.24	6077.66	50162.15	5806.20	49871.34	6063.51	14165.61	492.03
8	कुल नकद बहिर्वाह Total Cash Outflows		45960.13		48642.49		47647.81		52952.10
नकद अंतर्वाह Cash inflows									
9	प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्सरेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	143.74	0.00	674.21	0.00	896.77	0.00	4780.44	0.00
10	पूर्णतः निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	5901.83	3524.83	7828.98	4610.90	7737.23	4438.75	6835.42	3995.34
11	अन्य नकद अंतर्वाह Other cash inflows	1045.12	809.79	910.01	746.75	912.30	685.47	882.15	682.99
12	कुल नकद अंतर्वाह Total Cash Inflows		4334.62		5357.65		5124.22		4678.32
13	कुल एचक्यूएलए Total HQLA		55734.43		62100.95		56287.06		61981.85
14	कुल निवल नकद अंतर्वाह Total Net Cash Outflows		41625.50		43284.84		42523.59		48273.78
15	तरलता कवरेज अनुपात Liquidity Coverage Ratio		133.89%		143.47%		132.37%		128.40%



डाटा पिछली तिमाही पर दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अर्थात औसत की गणना 90 दिनों की अवधि पर की गई है)। सामान्य औसत की गणना पिछली तिमाहियों पर दैनिक अवलोकनों पर की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के भारित मूल्य की गणना देयताओं ऑफ बैलेन्स शीट मदों या संविदात्मक प्राप्ति की विभिन्न श्रेणियों या प्रकारों के बकाया शेष के रूप में की जाती है। एचक्यूएलए के भारित मूल्य की गणना मार्जिन के पश्चात प्रभारित मूल्य के रूप में की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के भारित मूल्य की गणना अंतर्वाह और बहिर्वाह दरों के प्रयोज्य होने के पश्चात मूल्य के रूप में की जाती है। कुल एचक्यूएलए और कुल निवल नकद बहिर्वाह को समायोजित मूल्य के रूप में प्रकट किया जाता है, जहां एचक्यूएलए का समायोजित मूल्य इस फ्रेमवर्क में सूचित किए अनुसार लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर लागू किन्हीं सीमाओं और मार्जिन दोनों को लागू करने के पश्चात कुल एचक्यूएलए का मूल्य है। निवल नकद बहिर्वाह के समायोजित मूल्य की गणना अंतर्वाहों पर सीमा लागू होने के पश्चात की जाती है, यदि लागू हो।

गुणात्मक प्रकटन :

दिनांक 01 जनवरी 2015 से, बैंक ने भारि.बैंक के तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश कार्यान्वित किए हैं।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है जिसे 30 कैलेंडर दिनों तरलता दबाव परिदृश्य के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहजता से और तत्काल रूप से नकद में परिवर्तित किया जाता है।

एलसीआर की गणना भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को दबावग्रस्त 30 कैलेंडर दिनों की अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाग देकर की जाती है।

निवल नकद बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (जमाराशियां, भाररहित और प्रतिभूत धोक उधारियां) साथ ही, अनाहरित प्रतिबद्धताओं और डेरिवेटिव संबंधित विगोपनों, 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से अंतर्वाह द्वारा समायोजित पर आरबीआई निर्धारित बहिर्वाह घटकों को लागू कर की जाती है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 113.77% है जो 100% की आरबीआई निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

i) एलसीआर के मुख्य संचालक:

बैंक ने समेकित आधार पर 31 मार्च 2025 को समाप्त तीन महीनों के दौरान ₹ 69804.18 करोड़ का औसत एचक्यूएलए (मामूली बदलाव के साथ) बनाए रखा। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों, अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों, एमएसएफ के अंतर्गत भारि.बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक और तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा द्वारा संचालित है। साथ ही, आरबीआई के पास नकदी, अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखना एचक्यूएलए स्तर 1 के लिए महत्वपूर्ण कारक है।

एचक्यूएलए स्तर 2 में मुख्य रूप से बीबीबी- और उससे ऊपर के कॉर्पोरेट बॉन्ड और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी नहीं किए गए वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं।

Data is presented as simple averages of daily observations over the previous quarter (i.e. the average is calculated over a period of 90 days). The simple average are calculated on daily observations over the previous quarters. The un-weighted value of inflows and outflows are calculated as the outstanding balances of various categories or types of liabilities, off balance sheet items or contractual receivables. The weighted value of HQLA are calculated as the value after haircuts are applied. The weighted value for inflows and outflows are calculated as the value after the inflow and outflow rates are applied. Total HQLA and total net cash outflows are disclosed as the adjusted value, where the adjusted value of HQLA is the value of total HQLA after the application of both haircuts and any applicable caps on Level 2B and Level 2 assets as indicated in this Framework. The adjusted value of net cash outflows is calculated after the cap on inflows is applied, if applicable.

Qualitative Disclosure:

From 01st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the RBI.

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid Unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net cash outflows over a stressed 30 calendar day period.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days. Average LCR on a daily basis for the quarter ended 31st March 2025 is 113.77%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

i) Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended 31st March 2025, had maintained average HQLA (after haircut) of ₹69804.18 Crore. The HQLA is primarily driven by Government securities in excess of minimum SLR, Government securities within mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the facility to avail liquidity for Liquidity coverage ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI are important factors for Level 1 HQLA.

Level 2 HQLAs primarily consisted of BBB- and above rated corporate bonds and commercial papers not issued by financial entities.



ii) समय के साथ-साथ परिवर्तन:

एचक्यूएलए में वृद्धि की तुलना में निवल नकदी बहिर्वाह में अधिक वृद्धि के कारण एलसीआर मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 138.18% से घटकर मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 113.63% हो गया। एनडीटीएल में वृद्धि के कारण सांविधिक आरक्षित अनुपात (एसएलआर/सीआरआर) में वृद्धि की तुलना में एसएलआर पोर्टफोलियो में वृद्धि के कारण एचक्यूएलए में वृद्धि हुई है।

iii) एचक्यूएलए की संरचना:

- एचक्यूएलए में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

	अभारित मूल्य	भारित मूल्य
स्तर 1 आस्तियां	66952.58	66952.58
स्तर 2 ए आस्तियां	806.43	685.46
स्तर 2 बी आस्तियां	300.06	150.03

- स्तर 2 आस्तियां जो स्तर 1 आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में कम हैं, 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के समक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 1.63% है।

iv) निधियन स्रोतों का संकेंद्रण:

एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष को एक एकल प्रतिपक्ष या संबंधित या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समग्र रूप से बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक है।

31.03.2025 को ₹ 21733.51 करोड़ की राशि के साथ 4 महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष जमा हैं, अर्थात् कुल देयताओं का 5.92%

31.03.2025 को केवल 1 महत्वपूर्ण उधारी है जिसकी राशि ₹ 11927.92 करोड़ है अर्थात् कुल देयताओं का 3.25%

बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं की हिस्सेदारी हमारी कुल जमा राशि का 14.67% है, जो एएलएम नीति के अनुसार 15% की सीमा के भीतर है।

बैंक की शीर्ष 10 उधारियां कुल उधारियों का 82.01% है।

एक महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को समान लिखतों/ उत्पादों के समूह के एकल लिखत/ उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कुल मिलाकर बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक है। निधियन लिखतों/ उत्पादों के उदाहरण- थोक जमा राशियां, जमा प्रमाणपत्र, दीर्घवधि बॉण्ड आदि। 31 मार्च 2025 तक महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद थोक जमा राशियां थीं, यानी कुल देयताओं का 13.21%, रिटेल सावधि जमा यानी कुल देयताओं का 25.86%, मांग जमा यानी कुल देयताओं का 44.57%।

ii) Changes over time:

LCR (Annual Average) has decreased from 138.18% for year end March 2024 to 113.63% for year end March 2025 mainly due to more increase in net cash outflow as compared to increase in HQLAs. HQLAs have increased on account of increase in SLR portfolio as compared to increase in statutory reserve ratios (SLR/CRR) on account of increase in NDTL.

iii) Composition of HQLAs:

- HQLAs consists of following components:

(Amount in ₹ crore)

	Unweighted value	Weighted value
Level 1 assets	66952.58	66952.58
Level 2 A assets	806.43	685.46
Level 2 B assets	300.06	150.03

- Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 1.63% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

iv) Concentration of funding sources:

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

As on 31.03.2025, there are 4 significant counterparty deposit with sum of ₹ 21733.51 Crore i.e. 5.92% of total liabilities.

There is only 1 significant borrowing as on 31.03.2025 with an amount of ₹ 11927.92 Crore i.e. 3.25% of total liabilities.

Top 20 depositors of the Bank constitute 14.67% of our total deposits which is well within limit of 15% as per ALM Policy.

Top 10 borrowings of the bank constitute 82.01% of total borrowings.

A significant instrument/product is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products- wholesale deposits, certificate of deposits, long term bonds etc. Significant instrument/product as of 31st March 2025 were bulk deposits i.e. 13.21% of total liabilities, Retail term deposits i.e. 25.86% of total liabilities, Demand deposits i.e. 44.57% of total liabilities.



v) डेरिवेटिव विगोपन और संभावित संपार्श्विक कॉल:

डेरिवेटिव विगोपन को 30 दिनों के भीतर निवल डेरिवेटिव नकदी प्रवाह के रूप में दिखाया गया है। डेरिवेटिव विगोपन से आगे परिपक्वता होने के कारण अंतर्वाह उत्पन्न हुआ।

vi) एलसीआर में मुद्रा असंतुलन ;

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जबकि एलसीआर मानक को एक ही मुद्रा पर प्राप्त करना आवश्यक है, संभावित मुद्रा असंतुलन को बेहतर तरीके से निपटान करने के लिए प्रत्येक मुद्रा में एलसीआर की निगरानी करने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रूप में एलसीआर बनाए रख रहा है और इसकी तुलना विनियामक आवश्यकता से की जाती है। इसके अतिरिक्त बैंक का किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्रा* में विगोपन नहीं है, अतः भारतीय मुद्रा रूप के लिए एलसीआर तैयार किया गया है।

(*एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह होती है जहां कुल देयताओं को मुद्रा राशि में बैंक की कुल देयताओं के 5% या अधिक के रूप में दर्शाया जाता है)।

vii) समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और प्रभाव के केंद्रीकरण की मात्रा का विवरण:

उद्यम-व्यापी आधार पर बैंक के लिए तरलता प्रबंधन, निदेशक मंडल का दायित्व है। निदेशक मंडल ने अपने दायित्व को बोर्ड की एक समिति को सौंप दिया है जिसे "बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति" कहा जाता है। समिति विभिन्न प्रकार के जोखिम और तरलता पर इसके प्रभाव के बीच अंतर संबंधों के अवलोकन के लिए उत्तरदायी है।

बैंक की एएलएम नीति है जो व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है जिसके अनुसार समूह के भीतर की सभी इकाइयां तरलता और ब्याज दर जोखिम के संदर्भ में कार्य करती हैं।

बैंक द्वारा दैनिक आधार पर एलसीआर की गणना और निगरानी की जाती है और इसे तरलता प्रबंधन के लिए ट्रेजरी/ मिड ऑफिस के साथ साझा किया जाता है और निवेश समिति में चर्चा की जाती है।

साथ ही, पिछले माह की तुलना के साथ नवीनतम माह के लिए एलसीआर मासिक आधार पर एल्को के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य तरलता मापदंडों के साथ एलसीआर की स्थिति को तिमाही आधार पर आरएमसी/ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

v) Derivative exposures and potential collateral calls:

Derivative exposure is shown as Net Derivative cash inflows within 30 days. Inflows from derivative exposure arose due to maturing forwards.

vi) Currency mismatch in the LCR;

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement. Further bank does not have exposure to any other significant currencies*, hence LCR is prepared for INR currency.

(*A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in the currency amount to 5% or more of the bank's total liabilities).

vii) A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has ALM policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the group operate in terms of liquidity and interest rate risk.

LCR is computed and monitored on daily basis by the Bank and the same is shared with Treasury/Midoffice for liquidity management and discussed in Investment committee.

Further LCR for the latest month along with comparison of previous months is placed before ALCO on monthly basis. Moreover, LCR position along with other liquidity parameters is placed before RMC/Board on quarterly basis.



viii) एलसीआर गणना में अंतर्वाह और बहिर्वाह जो एलसीआर कॉमन टेम्पलेट में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिन्हें संस्थान अपनी तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक मानता है, वे निम्नानुसार हैं:

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देनदारियों से उत्पन्न होने वाले औसत बहिर्वाह का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अभारित मूल्य	भारित मूल्य
वर्तमान में अनाहरित प्रतिबद्ध ऋण और तरलता सुविधाएं प्रदान की गईं	38134.99	5987.87
रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक	17690.63	884.53
गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट्स, सॉवरैन और केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और पीएसई - क्रेडिट सुविधाएं	13764.42	1376.44
गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट्स, सॉवरैन और केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और पीएसई - तरलता सुविधाएं	0.00	0.00
बैंक	25.42	10.17
अन्य वित्तीय संस्थान (प्रतिभूति फर्म, बीमा कंपनियों सहित) - क्रेडिट सुविधाएं	4896.33	1958.53
अन्य वित्तीय संस्थान (प्रतिभूति फर्मों, बीमा कंपनियों सहित) - तरलता सुविधाएं	117.54	117.54
अन्य कानूनी इकाई ग्राहक	1640.66	1640.66
अन्य आकस्मिक निधियन देयताएं	14751.53	502.62
गारंटी, साख पत्र और व्यापार वित्त	11747.80	352.43
प्रत्यावर्तनीय ऋण और तरलता सुविधाएं	1643.99	82.20
अन्य कोई	1359.74	67.99

viii) The inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile are as under:

Details of average Outflows arising from contingent liabilities for year end 31.03.2025 are as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Unweighted value	Weighted value
Currently undrawn committed credit and liquidity facilities provided to	38134.99	5987.87
Retail and small business clients	17690.63	884.53
Non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Credit facilities	13764.42	1376.44
Non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Liquidity facilities	0.00	0.00
banks	25.42	10.17
Other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Credit facilities	4896.33	1958.53
Other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Liquidity facilities	117.54	117.54
Other legal entity customers	1640.66	1640.66
Other contingent funding liabilities	14751.53	502.62
Guarantees, Letters of credit and Trade Finance	11747.80	352.43
Revocable credit and liquidity facilities	1643.99	82.20
Any other	1359.74	67.99

ग) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

गुणात्मक प्रकटन :

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

Quantitative Disclosure:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

31.03.2025 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.03.2025						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
	एएसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	26515.34	0.00	0.00	8273.31	34788.65
2	नियामक पूंजी Regulatory Capital	26515.34	0.00	0.00	7873.31	34388.65
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	रिटेल जमा राशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	87069.28	31208.43	37934.40	0.00	141401.37
5	स्थिर जमा राशियां Stable deposits	11601.81	2231.16	2376.42	0.00	15398.93
6	कम स्थिर जमा राशियां Less stable deposits	75467.46	28977.27	35557.98	0.00	126002.44
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	0.00	24030.69	35364.90	31615.96	61313.75
8	परिचालन जमा राशियां Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	0.00	24030.69	35364.90	31615.96	61313.75
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	77653.63	1879.03	25196.31	0.00	0.00



31.03.2025 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.03.2025

क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>=1 वर्ष >= 1 yr	
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	77653.63	1879.03	25196.31	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					237503.77
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3464.17
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	24.82				12.41
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	179.59	77891.36	48450.35	121761.23	146117.44
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	28652.06	0.00	0.00	417.71
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	6380.05	5494.57	0.00	3704.29
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	42313.84	42410.69	88307.52	117423.66
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	2758.49	2253.50	15862.36	12816.53
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	545.41	541.08	22808.87	15369.01
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	545.41	541.08	22808.87	15369.01
23	एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	179.59	0.00	4.01	10644.84	9202.77
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	1365.37	0.00	0.00	35468.00	28190.84
25	भौतिक व्यवसाय क्मोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	1365.37	0.00	0.00	35468.00	28190.85
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		46598.07	0.00	0.00	2228.61
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					180013.47
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					131.94%



31.12.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.12.2024						
		शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
क्र. SN	विवरण Particulars	परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से <1 वर्ष 6 m to <1 yr	>=1 वर्ष >=1 yr	
	एसएसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	21927.61	0.00	0.00	8641.30	30568.91
2	विनियामक पूंजी Regulatory Capital	21927.61	0.00	0.00	8241.30	30168.91
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	90346.07	34073.61	29345.05	19792.64	141799.81
5	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	45036.25	12353.25	10841.61	8097.15	64819.55
6	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	45309.82	21720.36	18503.44	11695.49	76980.26
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	47149.76	37261.22	25560.35	5970.16	53283.21
8	परिचालन जमाराशियां Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	47149.76	37261.22	25560.35	5970.16	53283.21
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	639.55	9576.79	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	639.55	9576.78	0.00	0.00	0.00
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					225651.93
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3422.89
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	4.67				2.34
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	60.65	14998.09	12570.68	135886.90	117010.34
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	2600	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2179.66	3798.08	0.00	2225.99
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	10216.63	8346.30	99888.82	88792.97
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	2758.49	2253.50	26969.98	20036.48
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	1.80	8.08	24362.95	15840.86
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1.80	8.08	24362.95	15840.86
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	60.65	0.00	418.22	11635.13	10150.52
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	4872.82	0.00	0.00	35468.00	38350.82



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

31.12.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.12.2024

क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>=1 वर्ष >= 1 yr	
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	4872.82	0.00	0.00	35468.00	38350.82
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		97073.53	3779.27	0.00	4207.23
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					162993.61
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					138.44%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

30.09.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.09.2024

क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>=1 वर्ष >= 1 yr	
	एसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	18506.34	0.00	0.00	8580.37	27086.71
2	विनियामक पूंजी Regulatory Capital	18506.34	0.00	0.00	8180.37	26686.71
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	रिटेल जमा राशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	90632.46	33178.92	27267.50	19887.29	139356.01
5	स्थिर जमा राशियां Stable deposits	45426.78	12129.07	10144.38	8193.53	64315.22
6	कम स्थिर जमा राशियां Less stable deposits	45205.68	21049.85	17123.12	11693.76	75040.79
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	44970.95	40030.44	18827.31	4753.14	50233.57
8	परिचालन जमा राशियां Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	44970.95	40030.44	18827.31	4735.14	50233.57
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	642.87	9854.62	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	642.87	9854.62	0.00	0.00	0.00
13	कुल एसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					216676.29
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3291.25
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00				0.00
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	65.83	13030.73	12657.14	128869.57	111387.27
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	3000.0	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2074.19	2345.72	0.00	1483.99



30.09.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.09.2024						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	7954.52	9812.15	94726.65	85210.74
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1759.35	2170.21	20951.26	15583.10
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	2.02	3.94	23177.68	15068.47
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	2.02	3.94	23177.68	15068.47
23	एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	65.83	0.00	495.33	10965.24	9624.07
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	5328.24	0.00	0.00	34697.00	38061.23
25	भौतिक व्यवसाय क्मोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	5328.24	0.00	0.00	34697.0	38061.23
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		97027.99	3779.27	0.00	4224.87
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					156964.62
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					138.04%



30.06.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.06.2024

क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभांरित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भांरित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>=1 वर्ष >= 1 yr	
	एसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	18219.96	0.00	0.00	7520.36	25740.32
2	नियामक पूंजी Regulatory Capital	18219.96	0.00	0.00	7220.36	25740.32
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
4	रिटेल जमाशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	89318.23	34296.71	28020.49	15573.45	139855.49
5	स्थिर जमाशियां Stable deposits	44609.49	12628.91	10433.53	6697.07	64288.33
6	कम स्थिर जमाशियां Less stable deposits	44708.74	21667.80	17586.96	8876.38	75567.15
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	43466.39	34516.48	20945.36	3585.62	43255.28
8	परिचालन जमाशियां Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	43466.39	34516.48	20945.36	3585.62	43255.28
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	789.79	11572.67	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	789.79	11572.67	0.00	0.00	0.00
13	कुल एसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					208851.09
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3614.20
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	16.89				8.44
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	48.37	11028.73	8063.02	126337.19	107845.16
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	109.79	0.00	0.00	10.98
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2132.43	1127.33	0.00	883.53
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	8784.91	6495.21	93942.13	83436.79
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1895.57	1401.51	20270.40	14824.30
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	1.60	3.17	21420.53	13925.73
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1.60	3.17	21420.53	13925.73
23	एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	48.37	0.00	437.31	10974.53	9588.13



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

30.06.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.06.2024

क्र. SN		शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	5142.86	0.00	0.00	32523.20	35568.07
25	भौतिक व्यवसाय क्मोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	5142.86	0.00	0.00	32523.20	35568.07
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		102062.92	4551.16	42.48	4450.29
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					151486.16
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात Net Stable Funding Ratio					137.87%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

31.03.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.03.2024

क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
	एसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	18275.07	0.00	0.00	7436.02	25711.09
2	विनियामक पूंजी Regulatory Capital	18275.07	0.00	0.00	7136.02	25411.09
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
4	रिटेल जमा राशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	93432.38	37751.02	26072.91	14473.78	144994.75
5	स्थिर जमा राशियां Stable deposits	45943.51	13497.46	9840.44	6300.76	65817.34
6	कम स्थिर जमा राशियां Less stable deposits	47488.87	24253.56	16232.47	8173.02	79177.41
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	49157.71	25536.25	24617.44	3514.55	39058.92
8	परिचालन जमा राशियां Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	49157.71	25536.25	24617.44	3514.55	39058.92
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	793.84	10179.44	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	793.84	10179.44	0.00	0.00	0.00
13	कुल एसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					209766.41
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3324.88
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	6.32				3.16
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	75.45	29640.71	6494.00	122418.55	105319.07
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	17876.32	0.00	0.00	912.83
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2310.67	979.15	0.00	836.17



31.03.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.03.2024						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	9451.91	5059.54	91583.96	81254.57
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1985.41	1062.78	19237.60	14028.54
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	1.82	3.01	20933.03	13608.88
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1.82	3.01	20933.03	13608.88
23	एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं हैं, Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	75.45	0.00	452.30	9901.56	8706.61
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	4313.24	0.00	0.00	31459.51	33505.75
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	4313.24	0.00	0.00	31459.51	33505.75
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		93094.64	1647.85	0.00	3980.46
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					146133.31
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात Net Stable Funding Ratio					143.54%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

31.12.2023 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.12.2023						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
	एसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	15280.87	0.00	0.00	7278.04	22558.91
2	विनियामक पूंजी Regulatory Capital	15280.87	0.00	0.00	6978.04	22258.91
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	86931.70	36883.04	25585.43	15318.38	137778.04
5	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	43365.43	13221.78	9770.56	6709.78	63039.88
6	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	43566.27	23661.26	15814.87	8608.60	74738.16
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	36222.49	25799.86	18086.78	3010.93	37628.62
8	परिचालन जमाराशियां Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	36222.49	25799.86	18086.78	3010.93	37628.62
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	797.89	8496.28	0.00	0.00	0.00



31.12.2023 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.12.2023						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभाजित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	797.89	8496.28	0.00	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					197965.57
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3251.85
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	12.51				6.25
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	75.04	15825.01	6466.36	115474.36	97325.32
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	5996.10	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2523.76	786.02	0.00	771.58
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	7303.59	5268.30	83996.08	73877.15
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1654.45	1193.41	19027.31	13791.68
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	1.56	2.65	21752.63	14141.31
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1.56	2.65	21752.63	14141.31
23	एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	75.03	0.00	409.39	9725.65	8535.28
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	4206.31	0.00	0.00	28960.62	30387.93
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	4206.31	0.00	0.00	28960.62	30387.93
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		103324.58	1647.85	0.00	4500.89
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					135472.24
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात Net Stable Funding Ratio					146.13%



30.09.2023 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.09.2023

		शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
क्र. SN	विवरण Particulars	परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से वर्ष <1 वर्ष 6 m to <1 yr	>=1 वर्ष >=1 yr	
	एसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	15279.87	0.00	0.00	6933.21	22213.08
2	नियामक पूंजी Regulatory Capital	15279.87	0.00	0.00	6633.21	21913.08
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	86060.81	34293.89	27316.83	15034.98	136195.65
5	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	43123.60	12732.03	9969.85	6570.54	62534.21
6	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	42937.21	21561.86	17346.98	8464.44	73661.45
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	35103.68	32429.99	9295.19	2739.78	34160.25
8	परिचालन जमाराशियां Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	35103.68	32429.99	9295.19	2739.78	34160.25
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	801.94	7725.17	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	801.94	7725.17	0.00	0.00	0.00
13	कुल एसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					192568.98
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3382.66
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	39.93				19.97
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	83.35	13969.31	5959.30	111691.80	94514.84
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	2113.73	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2662.23	701.88	0.00	750.28
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	9191.86	5082.33	82142.55	72358.28
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	2573.72	1423.05	22999.91	16948.33
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	1.49	3.12	19348.57	12578.88
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1.49	3.12	19348.57	12578.88
23	एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं है और जो एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	83.35	0.00	171.97	10200.68	8827.41



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

30.09.2023 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.09.2023						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभाजित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	4271.72	0.00	0.00	29491.44	30594.16
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	4271.72	0.00	0.00	29491.44	30594.16
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		87165.47	1647.85	0.00	3716.93
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					132228.56
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात Net Stable Funding Ratio					145.63%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

30.06.2023 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.06.2023						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभाजित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
	एसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	15264.89	0.00	0.00	6402.58	21667.47
2	विनियामक पूंजी Regulatory Capital	15264.89	0.00	0.00	6202.58	21467.47
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
4	रिटेल जमा राशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	86124.56	32091.21	28190.03	16282.69	135061.15
5	स्थिर जमा राशियां Stable deposits	42922.00	12374.07	10622.68	7163.92	62622.81
6	कम स्थिर जमा राशियां Less stable deposits	43202.56	19717.14	17567.35	9118.77	72438.34
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	39425.33	28461.65	11932.81	3165.23	34449.53
8	परिचालन जमा राशियां Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	39425.33	28461.65	11932.81	3165.23	34449.53
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	806.00	5289.99	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	806.00	5289.99	0.00	0.00	0.00
13	कुल एसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					191178.16
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3492.45
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	51.23				25.62
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	138.67	21379.19	4736.47	108562.39	91148.72
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	9362.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2428.90	716.58	0.00	722.63



30.06.2023 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.06.2023						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं* No maturity*	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 m to < 1 yr	>= 1 वर्ष >= 1 yr	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	9587.17	3845.27	78427.77	68674.16
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	2876.15	1153.58	23528.33	17308.28
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	1.12	2.65	20341.16	13223.64
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	1.12	2.65	20341.16	13223.64
23	एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं हैं, Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	138.67	0.00	171.97	9793.46	8528.30
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	3724.37	0.00	0.00	26872.91	26895.28
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	3724.37	0.00	0.00	26872.91	26895.28
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		104300.33	1647.85	0.00	4571.83
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					126133.90
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात Net Stable Funding Ratio					151.57%

* 'परिपक्वता नहीं' टाइम बकेट में रिपोर्ट की गई मदों की कोई निर्धारित परिपक्वता नहीं होती। इनमें मदें किंतु उन तक ही सीमित नहीं, यथा बेमीयादी परिपक्वता के साथ पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, लघु स्थिति, मुक्त परिपक्वता स्थिति और गैर-एचक्यूएल इकितियां शामिल हैं।

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions and non-HQLA equities.

एनएसएफआर के गुणात्मक प्रकटन :

एनएसएफआर पर दिशानिर्देश दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी हैं। तदनुसार, बैंक ने 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर के संबंध में अपना पहला प्रकटीकरण प्रकाशित किया है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी आस्तियों की संरचना और ऑफ-बैलेन्स शीट गतिविधियों के संबंध में स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखता है। एक स्थायी फंडिंग संरचना का उद्देश्य बैंक के फंडिंग के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति में हास की संभावना को कम करना है, जो इसकी विफलता के जोखिम को बढ़ाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव पैदा होगा। एनएसएफआर, अल्पावधि थोक निधियन पर अधिक निर्भरता को सीमित करती है, सभी ऑन तथा ऑफ-बैलेन्स शीट मदों के बीच

Qualitative Disclosure around NSFR:

Guidelines on NSFR has become effective from 01.10.2021. Accordingly, bank has published its first disclosure regarding NSFR for quarter ended 31.12.2021.

The objective of NSFR is to ensure that bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader



निधियन जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को बढ़ावा देती है और निधियन स्थिरता को प्रोत्साहित करती है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर निधियन" (एसएफ) को एनएसएफआर द्वारा निर्धारित समय अवधि पर निर्भर होने वाली अपेक्षित देयताओं और पूंजी के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है। बैंक के आवश्यक स्थिर निधियन की राशि ("आवश्यक स्थिर निधियन") (आरएसएफ) तरलता विशेषताओं और बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की शेष परिपक्वताओं और साथ ही इसके ऑफ-बैलेन्स शीट (ओबीएस) विगोपनों का एक कार्य है।

एनएसएफआर के मुख्य संचालक :

31 मार्च 2025 को बैंक का एसएफ ₹ 237503.77 करोड़ रहा। एसएफ में कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमा राशियों व रिटेल और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियों से 53% तथा रिटेल और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियों और स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमा राशियों से 6.50% शामिल हैं।

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 131.94% है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है।

systemic stress. The NSFR limits overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of Bank is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by Bank as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

Main drivers of NSFR:

The Bank as on 31st March 2025, had maintained ASF of ₹ 237503.77 crore ASF consists of 53% from less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers and 6.50% from Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers.

NSFR for the quarter ended 31st March 2025 is 131.94%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

3. निवेश Investments

आरबीआई मास्टर दिशानिर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (दिशानिर्देश), 2023 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार, परिवर्तन के दौरान (अर्थात, 1 अप्रैल, 2024 को), बैंकों ने (अध्याय III) में उल्लिखित दिशानिर्देश के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्वर्गीकृत किया। 31 मार्च, 2024 तक मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान में शेष राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आरक्षिति में अंतरित कर दिया गया है। 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षिति खाते (आईआरए) में शेष राशि (₹.62.39 करोड़) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आरक्षिति में अंतरित कर दिया गया।

As per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated 12.09.2023, at the time of transition (i.e., on April 1, 2024), banks reclassified investment portfolio as at March 31, 2024, as per direction mentioned in (Chapter III). The balance in provision for depreciation, as at March 31, 2024, has been transferred to Revenue Reserve during FY 2024-25. The balances (Rs. 62.39 Crore) in Investment Reserve Account (IRA) as of March 31, 2024, transferred to the Revenue Reserve during FY 2024-25.

क) निवेश पोर्टफोलियो का संमिश्र a) Composition of Investment Portfolio
31.03.2025 को As at 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

		Investments in India / भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश Investments outside India	कुल निवेश Total Investments	
		सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर्स Shares	डिबेंचर और बॉन्ड्स Debentures and bonds	अनुषंगी और / व संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India Others			
परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)											
	सकल	51276.79	0.00	0.00	445.11	0.00	0.00	0.00	51721.90	0.00	51721.90
	घटाएँ: अन्तर्क निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल	51276.79	0.00	0.00	445.11	0.00	0.00	0.00	51721.90	0.00	51721.90
बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)											
	सकल	23574.49	0.00	240.47	4693.04	0.00	0.00	608.78	29116.78	0.00	29116.78
	घटाएँ: अन्तर्क निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल	23574.49	0.00	240.47	4693.04	0.00	0.00	608.78	29116.78	0.00	29116.78
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एएफटी)											
	सकल	0.00	0.00	187.77	324.96	0.00	0.00	0.00	512.73	0.00	512.73
	घटाएँ: अन्तर्क निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल	0.00	0.00	187.77	324.96	0.00	0.00	0.00	512.73	0.00	512.73
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (नॉन-एएफटी)											
	सकल	0.00	0.00	178.99	432.41	0.00	0.00	67.52	678.92	0.00	678.92
	घटाएँ: एनपीआई और पुनर्गठन प्रावधान	0.00	0.00	0.03	306.95	0.00	0.00	30.00	336.98	0.00	336.98
	निवल	0.00	0.00	178.96	125.46	0.00	0.00	37.52	341.94	0.00	341.94
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (गैर-एएफटी)											
	सकल	0.00	0.00	141.33	170.11	0.00	0.00	0.00	311.44	0.00	311.44
	घटाएँ: अन्तर्क निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल	0.00	0.00	141.33	170.11	0.00	0.00	0.00	311.44	0.00	311.44
कुल निवेश											
	कुल निवेश										
	सकल निवेश	74851.28	0.00	748.56	6065.63	0.00	0.00	676.30	82341.77	0.00	82341.77
	घटाएँ: अन्तर्क निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.03	306.95	0.00	0.00	30.00	336.98	0.00	336.98
	निवल	74851.28	0.00	748.53	5758.68	0.00	0.00	646.30	82004.79	0.00	82004.79





31.03.2024 को (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट की तारीख) As at 31.03.2024 (Previous year balance sheet date) (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India	कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर्स Shares	डिबेंचर और बॉन्ड्स Debentures and bonds	अनुषंगी और / व संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India Others		
परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) Held to Maturity (HTM)	48001.88	0.00	0.00	55.02	141.33	28.78	48227.00	0.00	48227.00
सकल Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: अनवर्क निवेशों के लिए प्रबंधन (एनपीआई) Less: Provision for nonperforming investments (NPI)	48001.88	0.00	0.00	55.02	141.33	28.78	48227.00	0.00	48227.00
निवल Net									
विक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) Available for Sale (AFS)	16282.69	0.00	330.92	3742.31	0.00	9.94	20365.86	0.00	20365.86
सकल Gross	2.08	0.00	7.38	303.67	0.00	5.60	318.74	0.00	318.74
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रबंधन Less: Provision for Depreciation and NPI	16280.61	0.00	323.54	3438.64	0.00	4.34	20047.12	0.00	20047.12
निवल Net									
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एचएफटी) Fair Value Through Profit & Loss (HFT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रबंधन Less: Provision for Depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net									
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (नैः-एचएफटी) Fair Value Through Profit & Loss (Non- HFT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रबंधन Less: Provision for Depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net									
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (नैः-एचएफटी) Subsidiary & Joint Ventures	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
सकल Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: अनवर्क निवेशों के लिए प्रबंधन (एनपीआई) Less: Provision for nonperforming investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net									
कुल निवेश Total Investments	64284.57	0.00	330.92	3797.33	141.33	38.71	68592.86	0.00	68592.86
सकल निवेश Gross Investment	0.00	0.00	0.00	31.45	0.00	0.00	31.45	0.00	31.45
घटाएँ: अनवर्क निवेशों के लिए प्रबंधन (एनपीआई) Less: Provision for nonperforming investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	272.22	0.00	5.60	287.29	0.00	287.29
निवल निवेश Net Investment	64282.49	0.00	323.54	3493.66	141.33	33.11	68274.12	0.00	68274.12



ख) मूल्य हास तथा निवेश अस्थिर आरक्षिति के लिए प्रावधानों का संचलन

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
i) निवेशों पर धारित प्रावधानों का संचलन (मूल्य हास सहित) Movement of provisions held towards depreciation on investments (including NPI)		
क) आरंभिक शेष a) Opening balance	318.75	348.31
ख) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान b) Add: Provisions made during the year	56.69	266.96
ग) घटाएँ : बट्टे खाते/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन* c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year*	38.46	296.52
घ) अंतिम शेष d) Closing balance	336.98	318.75
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति का संचलन Movement of Investment Fluctuation Reserve		
क) आरंभिक शेष a) Opening balance	426.10	426.10
ख) जोड़े : वर्ष के दौरान अंतरित राशि b) Add: Amount transferred during the year	215.00	-
ग) घटाएँ : आहरण c) Less: Drawdown	-	-
घ) अंतिम शेष d) Closing balance	641.10	426.10
iii) एफएस और एचएफटी / वर्तमान श्रेणी में निवेशों के अंतिम शेष के प्रतिशत के अनुसार आईएफआर में अंतिम शेष Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.14%	2.09%

*एमटीएम मूल्यहास सहित ₹ 15.04 करोड़ की राशि, जो 31.03.2024 तक मूल्यहास के प्रावधान पर धारित थी, को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आरक्षिति में अंतरित कर दिया गया है।

*Including MTM depreciation amounting to ₹ 15.04 Crore which was held against provision for depreciation as on 31.03.2024 has been transferred to Revenue Reserve during F.Y. 2024-25.

ग) एचटीएम श्रेणी में/ से अंतरण एवं बिक्री

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत निवेश के विक्रय पर लाभ के रूप में करों और विनियामक आरक्षितियों का निवल ₹ 45.00 करोड़ (₹ 22.14 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षिति के लिए अंतरित की गई है।

c) Sale and transfers to/from HTM category

As per RBI guidelines, an amount of ₹ 45.00 crore (₹ 22.14 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.

i) एचटीएम श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के पूंजी आरक्षिति में अंतरण की गणना
Computation of Transfer of Profit on Sale of Investment in HTM Category to Capital Reserve

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of HTM Securities	80.17	39.44
एचटीएम पर हानि Loss on HTM	-	-
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर निवल लाभ Net Profit on sale of HTM Securities	80.17	39.44
घटाएँ: आयकर @25.168% Less: Income Tax @25.168%	20.17	9.92
उप- जोड़ Sub- Total	60.00	29.51
घटाएँ: सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण समानुपातिक 25% Less: 25% proportionate Transfer to Statutory Reserves	15.00	7.38
पूंजी आरक्षिति में निवल अंतरण Net Transfer to Capital reserve	45.00	22.14



ii) एएफएस और एचएफटी में निवेश पर एमटीएम मूल्यहास के कारण प्रतिलेखन के निवेश आरक्षित को अंतरण की गणना
Computation of Transfer of Write Back on account of MTM Depreciation on Investment in AFS & HFT
to Investment Reserve

वर्तमान वर्ष:

आरबीआई मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार, ट्रांजीशन के समय (यानी, 1 अप्रैल, 2024 को), बैंकों ने (अध्याय III) में उल्लिखित निर्देश के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्वर्गीकृत किया। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षित खाते (आईआरए) में शेष ₹ 62.39 करोड़ राजस्व आरक्षित में अंतरित कर दिए गए। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 तक निवेश आरक्षित शेष शून्य है।

Current Year:

As per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated 12.09.2023, at the time of transition (i.e., on April 1, 2024), banks reclassified investment portfolio as at March 31, 2024, as per direction mentioned in (Chapter III). Accordingly, the balances ₹ 62.39 crore in Investment Reserve Account (IRA) as of March 31, 2024, transferred to the Revenue Reserve. Accordingly, Investment Reserve balance as on March 31, 2025, is nil.

विगत वर्ष

Previous Year

राशि ₹ करोड़ में/ (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	31.03.2024 तक (क) AS ON 31.03.2024 (A)	31.03.2023 तक (ख) AS ON 31.03.2023 (B)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उपयोग किया गया (ग) Utilized during FY 2023-24 (C)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (क-ख+ग) Diff. over prev. year (A-B+C)
एमटीएम मूल्यहास एएफएस MTM Depreciation AFS	15.05	260.07	131.86	-113.16
एमटीएम मूल्यहास एचएफटी MTM Depreciation HFT	-	-	-	-
एमटीएम मूल्यहास एनपीआई MTM Depreciation NPI	-	3.40	3.41	0.01
एसडीआर/ एस4ए के अंतर्गत एमटीएम मूल्यहास MTM Depreciation under SDR/S4A	26.74	60.89	36.13	1.98
कुल Total	41.78	324.36	171.41	-111.17
एमटीएम पर मूल्यहास का नेट राइट बैक Net Write Back of Depreciation on MTM				111.17
घटाएं: आयकर @25.168% Less: Income Tax @25.168%				27.98
उप- जोड़ Sub-Total				83.19
घटाएं: सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण समानुपातिक 25% Less: 25% proportionate Transfer to Statutory Reserves				20.80
निवेश आरक्षित में निवल अंतरण Net Transfer to Investment Reserve				62.39

iii. परिशोधन:

आरबीआई मास्टर दिशानिर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (दिशानिर्देश), 2023 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार, एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित की जाएगी। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित: 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 में एक कॉन्ट्रा के साथ: 'निवेश'।

बैंक ने 'एचटीएम, एएफएस, और एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के लिए वर्ष के दौरान ₹117.23 करोड़ (केवल एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत पिछले वर्ष में ₹ 103.95 करोड़) का परिशोधन और ₹105.23 करोड़ की अभिवृद्धि की है, और उस सीमा तक संबंधित प्रतिभूतियों के मूल्य को समायोजित कर राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

iii. Amortisation:

As per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated 12.09.2023, Any discount or premium on the securities under HTM, AFS, & FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

The Bank has amortized ₹ 117.23 crore (₹ 103.95 Crore in previous year under HTM category only) and accretion of ₹ 105.23 crore during the year for securities classified under 'HTM, AFS, & FVTPL category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by adjusting value of the respective securities to that extent.



iv) वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए प्रतिभूतियों को एचएफटी से एएफएस श्रेणी में अंतरित करने और एएफएस तथा एचएफटी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित ब्यौरे

Details regarding shifting of securities from HFT to AFS category and securities from AFS & HFT to HTM Category be provided for FY 2024-25 & 2023-24.

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

संविभाग Portfolio	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बी.वी.) FY 2024-25 (B.V.)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बी.वी.) FY 2023-24 (B.V.)
एचएफटी से एएफएस HFT to AFS	शून्य* Nil*	502.66
एएफएस से एचटीएम AFS to HTM	शून्य Nil	शून्य Nil

* आरबीआई के दिनांक 12.09.2023 के मास्टर निर्देश के अनुसार, एचटीएम से एएफएस में अंतरण की अनुमति नहीं है।

* As per RBI Master Direction dated 12.09.2023, shifting from HTM to AFS not permitted.

v) वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित प्रतिभूति के बारे में विवरण

Details regarding security transferred from HTM category to AFS category for FY 2024-25 & 2023-24

राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

संविभाग Portfolio	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
एचटीएम से एएफएस HTM to AFS	शून्य* Nil*	2615.19

* आरबीआई के दिनांक 12.09.2023 के मास्टर निर्देश के अनुसार, एचटीएम से एएफएस में अंतरण की अनुमति नहीं है।

* As per RBI Master Direction dated 12.09.2023, shifting from HTM to AFS not permitted

घ) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

d) Non-SLR investment portfolio

i. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

i. Non-performing non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
1	प्रारंभिक शेष Opening balance	32.34	28.82
2	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	90.17	7.74
3	उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी (टीडब्ल्यूओ सहित) Reductions during the above period (Including TWO)	98.03	4.22
4	अंतिम शेष Closing balance	24.48	32.34
5	किए गए कुल प्रावधान Total provisions held	23.59	31.45



ii. निवेश में तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का संचलन

ii. Movement of Technical/Prudential Write off in Investment

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
1 अप्रैल को तकनीकी बट्टे खाते में डाली गई राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of technical written-off as at 1st April	431.75	892.05
जोड़ें:- वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट-ऑफ Add:- Technical / Prudential write-offs during the year	0.0	0.0
उप- जोड़ (क) Subtotal (A)	431.75	892.05
घटाएँ:- वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली/अपग्रेड किए गए खाते (ख) Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year / accounts upgraded (B)	56.72	460.30
31 मार्च तक का अंतिम शेष (क-ख) Closing balance as at 31st March (A-B)	375.03	431.75

iii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता अवसंरचना

iii) Issuer composition of non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement		निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		गैर क्रम वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
1	2	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
a	पी एस यू PSUs	592.01	417.39	558.14	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
b	एफ आई FIs	4,237.87	513.44	4,221.56	473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	बैंक Banks	922.30	70.63	790.25	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	निजी कॉर्पोरेट्स Private Corporates	423.96	1976.56	418.41	1976.56	18.96	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
e	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	311.43	241.43	311.43	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11
f	अन्य Others	665.93	1088.85	665.93	1088.85	134.86	121.03	134.86	121.03	266.52	275.86
	उप जोड़ Sub Total	7153.51	4308.30	6965.72	4233.78	153.82	538.68	134.86	121.03	366.52	375.97
g	धारित प्रावधान (मूल्यहास सहित) Provision held (Includes Depreciation)	0.00	316.66	0.00	316.66	0.00	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल Total	7153.51	3991.63	6,965.73	3917.13	153.82	238.75	134.86	121.03	366.52	375.96



ड.) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के रूप में)

e) Repo transactions (in face value terms)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year		31 मार्च, 2025 को बकाया Outstanding as on March 31, 2025	
	एफवी FV	एमवी MV	एफवी FV	एमवी MV	एफवी FV	एमवी MV	एफवी FV	एमवी MV
i) रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां i) Securities sold under repo								
क) सरकारी प्रतिभूतियां a) Government securities								
• रेपो उधारियां (एलएएफ) Repo Borrowing (LAF)	0 (439)	0 (500)	0 (986)	0 (976)	0 (35)	0 (38)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
• रेपो उधारियां (मीयादी) Repo Borrowing (Term)	139 (Nil)	137 (Nil)	4948 (Nil)	5000 (Nil)	338(Nil)	342(Nil)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां b) Corporate debt securities	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां c) Any other securities	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
ii) रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां ii) Securities purchased under reverse repo								
क) सरकारी प्रतिभूतियां रिवर्स-रेपो एलएएफ a) Government securities reverse repo LAF	662 (2003)	700 (1902)	1034(5130)	1000(5000)	21 (94)	21 (93)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां b) Corporate debt securities	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां c) Any other securities	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में रिपोर्ट किए गए हैं।

Previous Year Figures are reported in bracket

एलएएफ के अतिरिक्त रेपो संव्यवहार

Repo transactions other than LAF

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year		31 मार्च, 2025 को बकाया Outstanding as on March 31, 2025	
	एफवी FV	एमवी MV	एफवी FV	एमवी MV	एफवी FV	एमवी MV	एफवी FV	एमवी MV
i) विक्रय की गई प्रतिभूतियां i) Securities sold								
क) सरकारी प्रतिभूतियां a) Government securities	300 (45)	301(47)	7475(3813)	7474 (3882)	1010(425)	999(432)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां b) Corporate debt securities	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां c) Any other securities	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased								
क) सरकारी प्रतिभूतियां a) Government securities	87(5)	88(5)	23940(8671)	24093(8588)	1869(1238)	1888(1249)	4180(2176)	4177(1976)
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां b) Corporate debt securities	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां c) Any other securities	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)	Nil (Nil) शून्य (शून्य)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में रिपोर्ट किए गए हैं।

Previous Year Figures are reported in bracket



च) सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) संव्यवहार
(बाजार मूल्य के संदर्भ में)

f) Government Security Lending (GSL) transactions
(in market value terms)

31.03.2025 तक As on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में)/ (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year	वर्ष के दौरान संव्यवहारों की कुल संख्या Total volume of transactions during the year	31 मार्च, 2025 को बकाया Outstanding as on March 31, 2025
जीएसएल संव्यवहार के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

31.03.2024 को As on 31.03.2024

(राशि ₹ करोड़ में)/ (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year	वर्ष के दौरान संव्यवहारों की कुल संख्या Total volume of transactions during the year	31 मार्च, 2024 को बकाया Outstanding as on March 31, 2024
जीएसएल संव्यवहार के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-



छ) एएफएस- आरक्षिति और लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3 वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)

g) Net gain/(losses) on Level 3 financial instruments recognized in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में)/ (Amount in ₹ crore)

	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
एएफएस आरक्षिति के रूप में अभिनिर्धारित Recognized in AFS Reserve	65.46	-
लाभ और हानि खाते के रूप में अभिनिर्धारित Recognized in Profit and Loss Account	23.25	-

ज) एचटीएम से किए गए विक्रय का विवरण

h) Details of sales made out of HTM

(राशि ₹ करोड़ में)/ (Amount in ₹ crore)

		वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
क A	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य Opening carrying value of securities in HTM	47374.17	51843.90
ख B	वर्ष के दौरान विक्रय की गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य Carrying value of all HTM securities sold during the year	3520.30	2497.15
ग C	घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त स्थितियों के अंतर्गत विक्रय की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	1193.47	0.0
घ D	विक्रय की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (घ=ख-ग) Carrying value of securities sold (D=B-C)	2326.83	2497.15
ङ E	एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में विक्रय की गई प्रतिभूतियाँ (ङ=घ/क) Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D/A)	4.91%	4.82%
	एचटीएम प्रतिभूतियाँ, जिनका विक्रय लाभ के साथ हुआ, से संबंधित राशि पूंजी आरक्षिति को अंतरित की गई। Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain-	80.17	39.44

झ) आरबीआई मास्टर निर्देश दिनांक 12.09.2023 के अनुसार परिवर्तन समायोजन - वाणिज्यिक बैंकों (निर्देश) के निवेश पोर्टफोलियो का परिचालन, 2023, 01.04.2024 से लागू:

i. Transition Adjustment as per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated 12.09.2023, came into force from 01.04.2024:

- बैंक ने 01 अप्रैल 2024 को संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को संशोधित रूपरेखा में अंतरित कर दिया है।
- बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो को मौजूदा 3 श्रेणियों (एएफएस, एचएफटी और एचटीएम) से 5 श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत किया है, अर्थात् एएफएस, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य लाभ (एफवीटीपीएल) - एचएफटी, एफवीटीपीएल-गैर एचएफटी, एचटीएम और सहायक और संयुक्त उद्यम (एसएजेवी)।

- Bank migrated the entire Investment portfolio to the revised framework on 01st April 2024.
- Bank has reclassified the Investment portfolio from existing 3 categories (AFS, HFT & HTM) to 5 categories namely AFS, Fair Value Gain through Profit & Loss (FVTPL) – HFT, FVTPL-Non HFT, HTM & Subsidiary and Joint Ventures (SAJV).



i. एसएलआर पोर्टफोलियो का पुनर्वर्गीकरण और प्रभाव:

i. Reclassification of SLR Portfolio & Impact:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

S. N.	एफ ए वर्गीकरण FA Classification	मौजूदा पोर्टफोलियो Existing Portfolio	संशोधित पोर्टफोलियो Revised Portfolio	मौजूदा बही मूल्य Existing Book Value	संशोधित बही मूल्य Revised Book Value	रिज़र्व पर प्रभाव Impact on Reserve	आरक्षित खाता Reserve Account
1	जीसेक Gsec	एएफएस AFS	एएफएस AFS	14497.53	14514.51	16.97	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
		एचटीएम HTM	एएफएस AFS	1497.32	1516.07	18.75	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
		एचटीएम HTM	एचटीएम HTM	22645.66	22697.59	51.92	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
2	एसडीएल SDLs	एएफएस AFS	एएफएस AFS	1028.20	1009.42	-18.78	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
		एएफएस AFS	एचटीएम HTM	719.53	719.65	0.11	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
		एचटीएम HTM	एचटीएम HTM	15559.60	15566.60	7.00	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
कुल Total				55947.84	56023.83	75.99	

ii. गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो का पुनर्वर्गीकरण और प्रभाव

ii. Reclassification of Non-SLR Portfolio & Impact

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

S. N.	एफ ए वर्गीकरण FA Classification	मौजूदा पोर्टफोलियो Existing Portfolio	संशोधित पोर्टफोलियो Revised Portfolio	मौजूदा बही मूल्य Existing Book Value	संशोधित बही मूल्य Revised Book Value	रिज़र्व पर प्रभाव Impact on Reserve	आरक्षित खाता Reserve Account
1	रिकैप बॉण्ड Recap Bonds	एचटीएम HTM	एचटीएम HTM	8057.00	8057.00	0.00	-
2	यूडीएवाई बॉण्ड UDAY Bonds	एफएएस AFS एचटीएम HTM	एचटीएम HTM एचटीएम HTM	37.43 242.30	36.01 242.30	-1.41 0.00	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve -
3	राज्य डिस्कॉम बॉण्ड State DISCOM Bonds	एफएएस AFS	एफएएस AFS	898.00	916.86	18.85	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
4	पीएसयू बॉण्ड PSU Bonds	एफएएस AFS	एफएएस AFS	1598.24	1603.02	4.79	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
5	निजी कॉर्पोरेट बॉण्ड Private Corporate Bonds	एफएएस AFS एफएएस AFS एचटीएम HTM	एफएएस AFS एफवीटीपीएल - नॉन एचएफटी FVTPL- NON HFT एचटीएम HTM	713.19 362.79 55.02	693.90 340.33 55.02	-19.29 -22.46 0.00	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve राजस्व रिजर्व Revenue Reserve राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
6	टियर II बांड Tier II Bonds	एफएएस AFS एफएएस AFS	एफवीटीपीएल - नॉन एचएफटी FVTPL- NON HFT संयुक्त उद्यम JV	69.99 100.11	70.37 100.11	0.38 0.00	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
7	संयुक्त उद्यम एवं सहायक शेयर JV & Subsidiary Shares	एचटीएम HTM	संयुक्त उद्यम JV	141.33	141.33	0.00	-
8	सूचीबद्ध शेयर Listed Shares	एफएएस AFS	एचएफटी HFT	80.31	53.50	-26.82	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
9	असूचीबद्ध शेयर Unlisted Shares	एफएएस AFS एफएएस AFS	एफएएस AFS एफवीटीपीएल - नॉन एचएफटी FVTPL- NON HFT	175.01 17.00	220.97 157.00	45.95 140.00	एफएएस रिजर्व AFS Reserve राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
10	अधिमान शेयर Preference Share	एफएएस AFS	एफवीटीपीएल - नॉन एचएफटी FVTPL- NON HFT	58.60	0.00	-58.60	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
11	प्रतिभूति रसीदें Security Receipts	एफएएस AFS	एफवीटीपीएल - नॉन एचएफटी FVTPL- NON HFT	0.00	0.00	0.00	-
12	वीसीएफ VCF	एफएएस AFS एचटीएम HTM	एफवीटीपीएल - नॉन एचएफटी FVTPL- NON HFT एफवीटीपीएल - नॉन एचएफटी FVTPL- NON HFT	9.94 28.78	4.34 28.13	-5.60 -0.65	राजस्व रिजर्व Revenue Reserve राजस्व रिजर्व Revenue Reserve
कुल Total				12645.03	12720.17	75.14	



- नए आरबीआई मानदंडों को अपनाने के दौरान, असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्यांकन प्रभाव के कारण ₹ 45.96 करोड़ की राशि एफएस रिजर्व में अंतरित कर दी गई है और शेष सभी प्रतिभूतियों के उचित मूल्यांकन, अभिवृद्धि और परिशोधन के कारण ₹ 105.17 करोड़ की राशि राजस्व रिजर्व खाते में अंतरित कर दी गई।
- ₹ 15.04 करोड़ की एमटीएम मूल्यहास राशि, जो 31.03.2024 को मूल्यहास के प्रावधान के रूप में रखी गई थी, राजस्व रिजर्व में अंतरित कर दी गई।
- 31 मार्च, 2024 तक मूल्यहास प्रावधान में शेष राशि राजस्व रिजर्व में प्रत्यावर्तित कर दी गई है। 31 मार्च, 2024 तक निवेश रिजर्व खाते (आईआरए) में शेष राशि ₹62.39 करोड़ राजस्व रिजर्व में अंतरित कर दी गई।
- During the migration to new RBI norms an amount of ₹ 45.96 crore has been transferred to AFS reserve on account of fair valuation impact of unlisted equity shares and an amount of ₹ 105.17 crore has been transferred to Revenue Reserve account on account of fair valuation, accretion, and amortization of rest all securities.
- MTM depreciation amounting to ₹15.04 crore which was held against provision for depreciation as on 31.03.2024 has been transferred into Revenue Reserve.
- The balance in provision for depreciation, as of March 31, 2024, has reversed into the Revenue Reserve. The balances ₹62.39 crore in Investment Reserve Account (IRA) as of March 31, 2024, transferred to the Revenue Reserve.

ज) तकनीकी अपलिखितों का संचलन (संव्यवहार समायोजन)

j) Movement of Technical Written off (Transition Adjustment)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

	चालू वर्ष Current Year				पिछले वर्ष Previous Year			
	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉण्ड Debentures and Bonds	अन्य Others	कुल निवेश Total Investment	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉण्ड Debentures and Bonds	अन्य Others	कुल निवेश Total Investment
बिक्री हेतु उपलब्ध Available for Sale								
सकल Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17	158.36	175.22	431.75
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) Less: Provision for non performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17	158.36	175.22	431.75
निवल Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (गैर-एचएफटी) Fair Value Through Profit & Loss (Non- HFT)								
सकल Gross	98.17	126.12	150.74	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: टीडब्ल्यूओ प्रावधान Less: TWO Provision	98.17	126.12	150.74	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल टीडब्ल्यूओ निवेश Gross TWO investment	98.17	126.12	150.74	375.03	98.17	158.36	175.22	431.75
घटाएं- टीडब्ल्यूओ प्रावधान Less- TWO Provision	98.17	126.12	150.74	375.03	98.17	158.36	175.22	431.75
निवल Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ट) एफएस रिजर्व में अंतरित अप्राप्त लाभ/हानि

31.03.2025 तक एफएस रिजर्व का सारांश

k) Unrealized Gain/Loss Transferred to AFS Reserve

Summary of AFS Reserve as on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

प्रतिभूतियों के स्तर Level of Securities	31.03.2025 तक अप्राप्त/लाभ हानि Unrealized/Gain Loss as on 31.03.2025
स्तर 1 Level 1	385.69
स्तर 2 Level 2	14.85
स्तर 3* Level 3*	65.46
कुल Total	466.00

* 01.04.2024 को प्रारंभिक समायोजन के भाग के रूप में संव्यवहार के समय एफएस रिजर्व में अंतरित लाभ शामिल है।

* Includes Gain transferred to AFS reserve at the time of transition as part of opening adjustment as on 01.04.2024

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 12.09.2023 को जारी वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 पर 01.04.2024 से लागू मास्टर निर्देश संख्या RBI/DOR/2023-24/104 DOR. MRG.36/21.04.141/2023-24 के अनुसार, बैंक ने एफएस श्रेणी के अंतर्गत करों के बाद ₹348.72 करोड़ की निवल अभिवृद्धि को भी मान्यता दी है, जिसे आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में एफएस रिजर्व में जमा किया गया है।

तदनुसार, उस सीमा तक, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

As per the master direction No RBI/DOR/2023-24/104 DOR. MRG.36/21.04.141/2023-24 on classification, valuation and operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 issued by Reserve Bank of India Dated 12.09.2023 applicable from 01.04.2024, Bank has also recognized accretion net of taxes of ₹348.72 crores under AFS category which is credited to AFS Reserve in compliance to the RBI Directions. Accordingly, up to that extent, the figures for the year ended March 31, 2025 are not comparable with that of figures for the year ended March 31, 2024

4. आस्ति गुणवत्ता Asset quality

क) अग्रिमों का वर्गीकरण तथा धारित प्रावधान a) Classification of advances and provisions held

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	मानक Standard		गैर-निष्पादक Non-Performing				कुल Total	
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances		गैर मानक Sub-Standard		संदिग्ध Doubtful		कुल गैर-निष्पादक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
सकल मानक अग्रिम व एनपीए Gross Standard Advances and NPAs								
प्रारंभिक शेष Opening Balance	199830.90	170785.50	1181.33	1466.97	2513.09	2691.87	3833.05	4334.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (निवल) Add: Additions during the year (Net)							1687.86	1255.20
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी *							1336.39	1756.15
Less: Reductions during the year*								
समापन शेष Closing balance	235652.02	199830.89	1617.19	1181.33	2395.12	2513.09	4184.52	3833.05
* सकल एनपीए में कमी के कारण :								
*Reductions in Gross NPAs due to:								
i) उन्नयन i) Upgradation							99.59	140.93
ii) वसूली (कोटि उन्नत खातों में वसूली को छोड़ कर)								
ii) Recoveries(excluding recoveries from upgraded accounts)							441.21	625.25
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते								
iii) Technical/ Prudential Write-offs							731.08	925.61
iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बड़े खाते								
iv) Write-offs other than those under (iii) above							64.52	64.37
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़ कर) Provisions (excluding Floating Provisions)								
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	2355.51	1540.11	863.40	1100.76	2360.75	2590.34	3362.03	3860.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year							2417.32	2174.27
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित / बड़े खाते ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans							2026.61	2672.87
धारित प्रावधानों का लेखाबंदी शेष Closing balance of provisions held	2732.53	2355.51	1232.23	863.40	2348.64	2360.75	3752.74	3362.03
निवल एनपीए Net NPAs								
प्रारंभिक शेष Opening Balance			317.93	366.22	90.31	63.33	408.99	435.18
					0.75	5.63	408.99	435.18
							6485.27	5717.54
								435.18
								435.18



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra



विवरण Particulars	मानक Standard		गैर-निष्पादक Non-Performing				कुल Total	
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances		गैर मानक Sub- Standard		संदिग्ध Doubtful		कुल गैर-निष्पादक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
जोड़े: ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटान राशि Add: ECGC/DICGC Settled Amount								
सकल प्रारंभिक शेष Gross Opening Balance							62.03	38.20
जोड़े: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि Add: Fresh additions during the year							471.02	473.38
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year							896.98	514.60
सकल लेखाबंदी शेष Gross Closing Balance							895.12	516.96
घटाएं: ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटान राशि Less: ECGC/DICGC Settled Amount							472.88	471.02
निवल लेखाबंदी शेष Net Closing Balance			384.96	317.93	46.48	90.31	431.78	408.99
अस्थिर प्रावधान Floating Provisions								
प्रारंभिक शेष Opening Balance								
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year								
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि Less: Amount drawn down during the year								
अस्थिर प्रावधानों का लेखाबंदी शेष Closing balance of floating provisions								
तकनीकी बूटे खाते तथा उनमें हुई वसूली Technical write-offs and the recoveries made thereon								
तकनीकी/विवेकपूर्ण बूटे खाते का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts							19555.53	19696.71
जोड़े: वर्ष के दौरान हुए तकनीकी/ विवेकपूर्ण बूटे खाते (नए स्लिपपेज से किए गए बूटे खातों सहित) Add: Technical/ Prudential write-offs during the year (Including write-offs made from fresh slippages)\$								
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में हुए तकनीकी/ विवेकपूर्ण बूटे खातों में वसूली/ कमी/ उन्नयन # Less: Recoveries/Reduction /Upgradation made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year#							2877.96	3251.80
लेखाबंदी शेष Closing balance							19467.80	19555.53

इसमें तकनीकी रूप से बूटे खाते में डाले गए खाते में वसूली की राशि रु.1314.61 करोड़ (रु.907.01 करोड़) और उन्नयन की रु.125.82 करोड़ की राशि (रु.140.86 करोड़) शामिल है।

Includes amount of Recovery in Technically Written off Account of Rs.1314.61 Crore (Rs.907.01 Crore) & upgradation of Rs.125.82 Crore (Rs.140.86 Crore)

\$इसमें रु.2169.93 करोड़ (रु.2320.22 करोड़) के नए स्लिपपेज से किए गए तकनीकी बूटे खाते शामिल हैं। \$Includes Technical write off made from Fresh Slippages of Rs.2169.93 Crore (Rs.2320.22 Crore).



अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
सकल एनपीए से सकल अग्रिम Gross NPA to Gross Advances	1.74%	1.88%
निवल एनपीए से निवल अग्रिम Net NPA to Net Advances	0.18%	0.20%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित) Provision coverage ratio (including TWO)	98.26%	98.34%

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	क्षेत्र Sector	वि.व. 2024-25 FY 2024-25			वि.व. 2023-24 FY 2023-24		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector						
a)	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	35546.76	2950.17	8.30%	30456.27	2425.70	7.96%
b)	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	14832.00	157.39	1.06%	13105.72	181.87	1.39%
c)	सेवाएं Services	33815.07	771.40	2.28%	29056.00	880.87	3.03%
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	9752.41	17.27	0.18%	11659.81	95.17	0.82%
	उप-जोड़ (i) Sub-total (i)	93946.24	3896.23	4.15%	84277.80	3583.61	4.25%
ii)	गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non-priority Sector						
a)	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
b)	उद्योग Industry	34719.79	26.71	0.08%	27840.52	37.03	0.13%
c)	सेवाएं Services	55847.31	79.68	0.14%	49193.17	81.54	0.17%
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	55323.20	181.90	0.33%	42352.46	130.87	0.31%
	उप-जोड़ (ii) Sub-total (ii)	145890.30	288.29	0.20%	119386.15	249.44	0.21%
	कुल (i+ii) Total (i + ii)	239836.54	4184.52	1.74%	203663.95	3833.05	1.88%



उन अग्रिमों का विवरण जिनमें उप-क्षेत्रीय अग्रिम क्षेत्र के कुल अग्रिमों के 10% से अधिक हैं :

Details of advances wherein subsector advances are more than 10% of the total advances of sector:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

क्षेत्र Sector	वि.व. 2024-25 FY 2024-25			वि.व. 2023-24 FY 2023-24		
	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
उद्योग क्षेत्र Industry Sector						
मूल धातु और धातु उत्पाद Basic Metal & Metal Products	5929.84	31.29	0.53%	3983.10	26.36	0.66%
अवसंरचना Infrastructure	21496.10	3.13	0.01%	19245.36	0.64	0.00%
सेवा क्षेत्र Service Sector						
व्यापार Trade	13740.36	286.75	2.09%	15659.22	420.10	2.68%
वित्तीय मध्यस्थता Financial Intermediation	21799.53	92.45	0.42%	16056.98	30.64	0.19%
वैयक्तिक ऋण Personal Loans						
आवास ऋण Housing Loans	38346.44	75.63	0.20%	29786.27	113.62	0.38%
कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture & Allied Activities						
फसल ऋण Crop Loan	9272.37	1360.50	14.67%	9734.27	1253.02	12.87%

ग) विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

c) Overseas assets, NPAs and Revenue

राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वि.व. 2024-25 FY 2024-25	वि.व. 2023-24 FY 2023-24
कुल आस्तियां Total Assets	*156.86	*100.20
कुल अनर्जक आस्तियां Total NPAs	0.00	0.00
कुल राजस्व Total Revenue	31.45	0.15

*31.03.2025 और 31.03.2024 को नोस्ट्रो खातों में बकाया शेष

*Outstanding Balance in NOSTRO Accounts as on 31.03.2025 and 31.03.2024.

घ) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन

d) Divergence in asset classification and provisioning

बैंकों को आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर का प्रकटन वित्तीय विवरणों के खातों पर अपनी टिप्पणियों में करना आवश्यक है, जहां निम्नलिखित में से एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

Banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संदर्भित अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ से 5 प्रतिशत अधिक होता है।

(a) the additional provisioning for NPAs assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory process, exceeds 5 percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान अभिनिर्धारित सकल एनपीए संदर्भाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए से 5 प्रतिशत अधिक होता है।

(b) the additional Gross NPAs identified by Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceed 5 percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.



चूंकि विचलन ऊपर विनिर्दिष्ट आरंभिक सीमा के भीतर हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधानीकरण में विचलन पर कोई प्रकटन आवश्यक नहीं है।

As the divergences are within threshold limit as specified above, no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2023-24.

ड.) ऋण एक्सपोजरों के अंतरण का प्रकटन

- i. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान डिफ़ॉल्ट न हुए ऋणों को समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहीत या अंतरित करने से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24
अधिग्रहीत ऋणों की समग्र राशि (रु.करोड़ में) Aggregate amount of loans acquired (Rs in Crore)	11254.29	13228.05
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में) Weighted average residual maturity (in months)	32.05	30.08
ओरिजिनेटर द्वारा भारित औसत धारित अवधि (महीने में) Weighted average holding period by originator (in months)	7.38	7.11
ओरिजिनेटर द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण Retention of beneficial economic interest by the originator	10.00%	10.17%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज Tangible security coverage	19.78%	21.03%

प्राप्त किए गए ऋणों को रेट नहीं किया गया क्योंकि ये गैर-निगमित उधारकर्ताओं से संबंधित हैं।
The loans acquired are not rated as these are related to non-corporate borrowers.

e) Disclosure of transfer of loan exposures

- i. Details of loans not in default acquired or transferred during the year ended 31st. March 2025 through assignment are given below:

- ii) अंतरित या अधिग्रहीत दबावग्रस्त ऋणों का विवरण इस प्रकार है::

- ii) Details of stressed loans transferred or acquired are as under

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

क) वर्ष के दौरान अंतरित अनर्जक आस्तियों का विवरण A. Detail of Non-Performing Assets Transferred during the year			
विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें) To other transferees (please specify)
खातों की संख्या No: of accounts	4	शून्य Nil	शून्य Nil
अंतरित ऋणों का कुल मूल बकाया Aggregate principal outstanding of loans transferred	599.76*	शून्य Nil	शून्य Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil शून्य	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
समग्र प्रतिफल Aggregate consideration	447.97*	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil शून्य	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
* ₹ 263.73 करोड़ की एसआर राशि आगामी तिमाही में 30.06.2025 तक प्राप्त होनी है * SR amount of ₹ 263.73 Crore to be received in subsequent quarter up to 30.06.2025.			
ख) अंतरित एसएमए का विवरण : शून्य B) Detail of SMA Transferred: Nil			



(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

ग) वर्ष के दौरान अधिगृहीत ऋणों के ब्यौरे (एनपीए और एसएमए) C) Details of loans acquired during the year (NPA & SMA)		
विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अधिगृहीत ऋणों का समग्र मूल बकाया Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य Nil	शून्य Nil
चुक्ता समग्र प्रतिफल Aggregate consideration paid	शून्य Nil	शून्य Nil
प्राप्त ऋणों की भारित औसत शेष अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य Nil	शून्य Nil

iii) ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा बकाया एसआर को 31.03.2025 को दी गई वसूली रेटिंग

iii) Recovery Ratings assigned to O/s SRs as on 31.03.2025 by the credit rating agencies

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली रेटिंग बैंड* Recovery Rating Band*	राशि Amount
आरआर1	-
आरआर 2	-
आरआर 3	-
आरआर 4	-
आरआर 5	-
वापस ली गई रेटिंग	-
अनरेटेड	-
कुल	-

(Amount in ₹ crore)

Recovery Rating Band*	Amount
RR1	-
RR2	-
RR3	-
RR4	-
RR5	-
Rating Withdrawn	-
Unrated	-
Total	-

* विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा दी गई वसूली रेटिंग।

*Recovery rating is as assigned by various external agencies.



च) धोखाधड़ी खाते

धोखाधड़ी की संख्या और राशि के साथ-साथ प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

f) Fraud accounts

Details on the number and amount of frauds as well as the provisioning thereon as per template as under:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2023-24
रिपोर्ट की गई उधार और गैर उधार संबंधी धोखाधड़ियों की संख्या Number of Borrowal and Non Borrowal frauds reported	181	34
डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ियों की संख्या जहां ग्राहकों द्वारा स्वयं साख से समझौता किया गया है और बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है Number of Digital payment related frauds where credentials have been compromised by customers themselves & no loss has been caused to the Bank	110	438
कुल धोखाधड़ी के मामले (डिजिटल भुगतान संबंधी मामले सहित) Total number of fraud cases (including digital payment related cases)	291	472
उधार और गैर-उधार संबंधी धोखाधड़ियों में शामिल राशि Amount involved in Borrowal and Non Borrowal frauds	891.58	70.70
डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ियों में शामिल राशि जहां ग्राहकों द्वारा स्वयं साख से समझौता किया गया है और बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है Amount involved in Digital payment related frauds where credentials have been compromised by customers themselves & no loss has been caused to the Bank	0.90	3.36
कुल शामिल राशि (डिजिटल भुगतान संबंधी धोखाधड़ी सहित) Total amount involved (including digital payment related frauds)	892.48	74.06
वर्ष के दौरान ऐसी धोखाधड़ी मामलों के लिए किए गए प्रावधान की राशि * Amount of provision made for such fraud cases during year *	702.28	70.39
वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	-	-

*वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक ने 100% अर्थात ₹.702.28 करोड़ प्रावधान धारित किया है। (वि.व.2023-24 के लिए ₹.70.39 करोड़)

*The Bank holds 100% provision i.e. of ₹ 702.28 Crore against the fraud cases for FY 2024-25 (₹ 70.39 Crore FY 2023-24)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 291 धोखाधड़ी के मामलों की सूचना दी है। इनमें से 110 मामले डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित थे, जहाँ बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा, शेष धोखाधड़ी के मामलों में ₹ 891.58 करोड़ की राशि के संबंध में, बैंक ने हानि की सीमा तक 100% प्रावधान यानी ₹ 702.28 करोड़ धारित किए हैं।

During the year ended March 31, 2025, the Bank has reported 291 fraud cases. Out of which 110 cases were related to digital payment fraud where Bank has not suffered any loss. Further in respect of remaining fraud cases amounting to ₹ 891.58 crores, bank is holding 100% provisions to the extent of loss i.e. ₹ 702.28 crores.

उपरोक्त में से, पिछले वर्षों में ₹ 577.41 करोड़ की राशि के उधार धोखाधड़ी के 4 मामले (वित्तीय वर्ष 2019-20 - 2 मामले, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 - 1 मामला प्रत्येक) बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में आरबीआई द्वारा धोखाधड़ी के रूप में निष्क्रिय कर दिए गए थे। ₹ 577.41 करोड़ की राशि वाले सभी 4 उधार धोखाधड़ी (हानि की सीमा तक प्रावधान ₹ 395.40 करोड़ है) को अब उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान धोखाधड़ी के रूप में पुनः घोषित किया गया है।

Out of the above, 4 cases of borrowal frauds amounting to ₹ 577.41 Crores in earlier years (FY 2019-20 – 2 Cases, FY 2020-21, and FY 2021-22 – 1 case each) were later deactivated as fraud by RBI in compliance with the Hon'ble Supreme Court Judgement. All the 4 borrowal frauds amounting to ₹ 577.41 Crores (Provision to the extent of loss is ₹ 395.40 Crores) are now re-declared as fraud during FY 2024-25 after following due process.

छ) कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रकटन

5 मई, 2021 (समाधान रूपरेखा 2.0) और 6 अगस्त, 2020 (समाधान रूपरेखा 1.0) के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च, 2025 को कोविड-19 संबंधी दबावग्रस्त आस्तियों के लिए आरबीआई समाधान रूपरेखा के अंतर्गत कार्यान्वित की गई समाधान योजना निम्नानुसार है

g) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

Details of resolution plan implemented under the RBI Resolution Framework for COVID-19 related stressed assets as per RBI circular dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0) at March 31, 2025 are as under



(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

उधारकर्ता का प्रकार Type of the Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के मानक परिणाम के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - 30 सितंबर 2024 की समाप्ति पर स्थिति (क) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of September 30, 2024 (A)	(क) में से, समग्र ऋण जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए के रूप में अवनत हुए Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2025	(क) में से, 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2025	(क) में से, 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चुकता राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended March 31, 2025	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - 31 मार्च, 2025 की समाप्ति पर स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at March 31, 2025
वैयक्तिक ऋण Personal Loan	1335.03	42.59	36.97	156.46	1249.54
निगमित व्यक्ति* Corporate Persons*	615.72	0.00	0.00	16.15	578.82
जिसमें से एमएसएमई Of which MSMEs	21.54	0.00	0.00	1.24	20.78
अन्य Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल Total	1950.75	42.59	36.97	172.61	1828.36

*दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए अनुसार

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

बैंक ने 31 मार्च, 2025 को आकस्मिकता प्रावधान के रूप में कोविड-19 संबंधी ₹.1200 करोड़ का प्रावधान धारित किया है।

The Bank continued to hold COVID-19 related provision as contingency provision amounting to ₹ 1200 crores as on March 31, 2025.

ज) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त खातों के समाधान पर आरबीआई के दिनांक 07.06.2019 के डीबीआर क्र.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 और परिपत्र क्र आरबीआई I/2018-19/2013 का प्रभाव - संशोधित रूपरेखा निम्नानुसार है:

h) Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI Circular No RBI/2018-19/2013 DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework is as follows:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

भारिबैंक परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि (क) Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि (ख) Amount of loans to be classified as NPA (B)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (ख) में से 31.03.2025 को ऋणों की राशि (ग) Amount of Loans as on 31.03.2025, out of (B) classified as NPA (C)	भारिबैंक परिपत्र के अंतर्गत कवर ऋणों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान (घ) Additional Provision required for loans covered under RBI circular (D)	31.03.2025 को पहले ही किए गए (घ) में से प्रावधान Provision out of (D) already made by 31.03.2025
36.04	-	-	-	-



क) स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्र में एक्सपोजर

a) Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	श्रेणी Category	31.03.2025	31.03.2024
a)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर Direct exposure	57500.06	43383.27
i	आवासीय बंधक - Residential Mortgages -	49121.38	38012.68
	जिसमें से उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये पर दी गई संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए) Of which Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advance may be shown separately)	33814.29	24633.34
ii	वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.)	8378.68	5370.59
iii	बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित एक्सपोजर में निवेश - क) आवासीय ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	शून्य Nil शून्य Nil	शून्य Nil शून्य Nil
b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर - राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर Indirect Exposure - Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	5030.95	4865.53
	रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल एक्सपोजर Total Exposure to Real Estate Sector	62531.01	48248.80

ख) पूंजी बाजार में एक्सपोजर

b) Exposure to capital market

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	203.24	56.89
ii)	व्यक्तियों को इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	-	-
iii)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	0.12
iv)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपाश्वर्किक प्रतिभूति माना गया है अर्थात् जहाँ शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती। Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	-	0.02
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	31.03.2025	31.03.2024
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	-	-
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
x)	उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	78.15	93.31
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total exposure to capital market	281.39	150.34

ऋण के रणनीतिक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में रूपान्तरित करने पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश, जो पूंजी बाजार जोखिम सीमा/विनियामक उच्चतम सीमा/पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह जोखिम से मुक्त है, का विवरण निम्नानुसार है:

The details of Bank's Direct investment in equity shares on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits/regulatory ceilings/investment in para-banking activities and intra-group exposure, is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	31.03.2025		31.03.2024	
	खातों की संख्या No. of accounts	राशि Amount	खातों की संख्या No. of accounts	राशि Amount
ऋण के इक्विटी में रूपांतर के कारण प्राप्त/आबंटित इक्विटी शेयरों में निवेश, जिन्हें पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमाओं/विनियामक सीमाओं/गैर बैंकिंग गतिविधियों एवं अंतरसमूह एक्सपोजर में निवेश से छूट प्राप्त है। Investment in equity shares received/allotted on account of conversion of debt into equity which are exempt from Capital Market Exposure limits/regulatory ceilings/investment in para-banking activities and intra-group exposure	5	16.35	5	98.87

ग) जोखिम श्रेणीवार देश एक्सपोजर

क) Risk category-wise country exposure

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

जोखिम श्रेणी* Risk Category*	31 मार्च 2025 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2025	31 मार्च 2025 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2025	31 मार्च 2024 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2024	31 मार्च 2024 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2024
नगण्य जोखिम Insignificant	863.74	-	789.21	-
कम जोखिम Low	394.94	-	319.80	-
साधारणतः कम जोखिम Moderately Low	41.28	-	178.23	-
साधारण जोखिम Moderate	146.60	-	15.31	-
साधारणतः उच्च जोखिम Moderately High	13.98	-	33.50	-
उच्च जोखिम High	27.68	-	0.42	-
अति उच्च जोखिम Very High	24.34	-	14.39	-
कुल Total	1512.57	-	1350.86	-

*जब तक बैंक आंतरिक रेटिंग प्रणाली को नहीं अपनाते हैं, तब तक बैंक देश जोखिम एक्सपोजर के वर्गीकरण और प्रावधान करने के उद्देश्य से भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा अपनाई गई सात-श्रेणी वर्गीकरण का उपयोग करेंगे। ईसीजीसी बैंकों को अनुरोध करने पर उनके देश वर्गीकरण के त्रैमासिक अपडेट प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े परिवर्तन के मामले में सभी बैंकों को सूचित करेगा।

*Till such time, as banks move over to internal rating systems, banks shall use the seven-category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures. ECGC shall provide to banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.



घ) अरक्षित अग्रिम

अग्रिमों की कुल राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स, प्राधिकरण इत्यादि ली गई है, ऐसी अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
बैंक के कुल अरक्षित अग्रिम	39194.95	36545.07
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स, प्राधिकरण इत्यादि को लिया गया है।	3450.27	3302.43
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	4836.28	3704.85

ड) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर (टीआरडीएस अंतर्गत)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
टीआरडीएस एक्सपोजर के संदर्भ में डीबीआर नं. एफएसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई 2015 (पैरा 8)	3487.90	2973.03
कुल	3487.90	2973.03

च) अंतर-समूह एक्सपोजर

बैंक के अंतर-समूह एक्सपोजर का ब्यौरा निम्नानुसार है

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	2024-25	2023-24
1	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	1355.21	750.84
2	20 शीर्ष अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	1355.21	750.84
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	0.50%	0.37%
4	अंतर-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	Nil	Nil

अंतर-समूह एक्सपोजर का विवरण दिनांक 11 फरवरी, 2014 का भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र. डीबीओडी क्र. बीपी.बीसी 6/21.06.102/2013-14)

d) Unsecured advances

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken and the estimated value of such intangible collateral are as under

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total unsecured advances of the bank	39194.95	36545.07
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	3450.27	3302.43
Estimated value of such intangible securities	4836.28	3704.85

e) Factoring exposures (Under TReDS)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
TReDS Exposure in terms of DBR No. FSD.BC.32/24.01.007/2015-16 dated 30th July 2015 (Para 8)	3487.90	2973.03
Total	3487.90	2973.03

f) Intra-group exposures

The details of the intra-group exposures of the bank are as under;

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Total amount of intra-group exposures	1355.21	750.84
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	1355.21	750.84
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.50%	0.37%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

Details of Intra-Group Exposure (RBI circular no. DB OD No. BP. BC6/21.06.102/2013-14 dated 11th. Feb 2014

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S. N..	विवरण Particulars	31.03.2025	31.03.2024
1	इनसे उधारियां (यदि कोई हो) Borrowings from (if any)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)	शून्य NIL	शून्य NIL
ख.	महाराष्ट्र एग्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) The Maharashtra Executor & Trustee Com. Pvt Ltd (METCO)	शून्य NIL	शून्य NIL
2	इनको उधार (यदि कोई हो) Lending to (if any)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)* Maharashtra Gramin Bank (MGB)*		
	आज की तिथि तक बकाया एलओसी LOC Outstanding as on date	750.66#	750.84#
	आईबीपीसी की भागीदारी IBPC Participation	604.55	शून्य NIL
ख.	महाराष्ट्र एग्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) The Maharashtra Executor & Trustee Com. Pvt Ltd (METCO)	शून्य NIL	शून्य NIL



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S. N..	विवरण Particulars	31.03.2025	31.03.2024
3	निवेश (यदि कोई हो) Investment in (if any)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)	311.28	241.28
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित) Equity (incl Preference shares)	141.17	141.17
ii.	बॉन्ड/ डिबेंचर Bonds /Debentures	170.11	100.11
iii.	कोई अन्य - एमजीबी लंबित आबंटन में निवेश Any other – Investment in MGB pending allotment	-	-
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) The Maharashtra Executor & Trustee Com. Pvt Ltd (METCO)	0.15	0.15
i.	इक्विटी (अधिमान शेयर सहित) Equity (incl Preference shares)	0.15	0.15

*आरबीआई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे एक्सपोजर नहीं माना जाएगा
#31.03.2025 और 31.03.2024 को बकाया

*Not considered as exposure as per extant RBI guidelines
#Outstanding as on 31.03.2025 & 31.03.2024

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
1	यूएफसीई के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान	1.43	3.47
2	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	49.47	20.72

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले करेंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) को निश्चित करने और एक्सपोजर के मूल्यन के साथ-साथ वृद्धिशील प्रावधानीकरण के द्वारा उसके शमन का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति: घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर राशि की गणना करने हेतु रु.10.00 करोड़ एवं अधिक के एक्सपोजर वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले पांच वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह वाली मदों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से रक्षित, वित्तीय रूप से रक्षित और/ या प्राकृतिक रूप से रक्षित मदों को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (डेरिवेटिव संविदा के माध्यम से वित्तीय रक्षित (अर्थात वायदा संरक्षा) और प्राकृतिक रूप से रक्षित संविदा पर भी विचार किया जा सकता है, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करेंसी एक्सपोजर की जोखिम ऑफ सेट हो गई हो। यूएफसीई का परिकलन करने के उद्देश्य से एक एक्सपोजर को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी लेखांकन वर्ष में ऑफ सेटिंग एक्सपोजर परिपक्व हो रहा हो/ या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के एक्सपोजर पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम सहित पुनर्मूल्यन किया गया है।

g) Unhedged foreign currency exposure

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
1	Additional provisioning made on account of UFCE	1.43	3.47
2	Incremental capital held on account of UFCE	49.47	20.72

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE): The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of ₹ 10.00 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

Method to estimate the extent of likely loss: The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately: The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.



6

जमा, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

क) जमाराशियों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	45067.36	28851.70
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	14.67%	10.66%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण

अग्रिम की गणना क्रेडिट एक्सपोजर के आधार पर की जाती है। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, उसे लिया गया है। पूरी तरह से आहरित सावधि ऋण के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है, बकाया को ऋण जोखिम माना गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	32853.40	29751.71
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	10.85%	11.56%

ग) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	33018.65	29776.71
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल एक्सपोजर से कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	10.36%	11.03%

घ) एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बीस सबसे बड़े एनपीए उधारकर्ताओं का कुल एक्सपोजर	432.14	349.37
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत	10.33%	9.11%

7

डेरिवेटिव्स:

क) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वेप

(राशि ₹ करोड़ में)

मदे	31.03.2025	31.03.2024
i) स्वेप करारों का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वेप करार हेतु बैंक से अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वेप बही का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	शून्य	शून्य

6

Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total deposits of the twenty largest depositors	45067.36	28851.70
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	14.67%	10.66%

b) Concentration of advances

Advance is computed based on credit exposures. The sanctioned limits or outstanding, whichever is higher, have been considered. In case of fully drawn term loan, where there is no scope for re – drawal of any portion of the sanctioned limit, outstanding has been considered as the credit exposure.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total advances to the twenty largest borrowers	32853.40	29751.71
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	10.85%	11.56%

c) Concentration of exposures

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	33018.65	29776.71
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/ customers	10.36%	11.03%

d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	432.14	349.37
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	10.33%	9.11%

7

Derivatives

a) Forward rate agreement / Interest rate swap

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2025	31.03.2024
i) The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	Nil	Nil



बैंक में आईआरएस/ एफआरए के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। व्यक्तिगत एफआरए/ आईआरएस/ ओआईएस/ आईआरएफ/ आईआरओ के लिए अधिकतम नोशनल प्रिंसिपल वैल्यू ₹ 200 करोड़ होगी और सभी एफआरए/आईआरएस/ओआईएस/आईआरएफ का कुल बकाया नोशनल प्रिंसिपल वैल्यू ₹ 2000 करोड़ से अधिक नहीं होगा। 31 मार्च 2025 तक बैंक के पास कोई भी बकाया स्वेप नहीं था।

Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRA's. The maximum Notional Principal Value for individual FRA / IRS /OIS / IRF/IRO shall be ₹ 200 crore and the aggregate outstanding Notional Principal Value of all FRAs / IRS /OIS / IRF shall not exceed ₹ 2000 crore. As on 31st March 2025, the Bank had no outstanding swaps.

ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	2024-25	2023-24
1	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
2	31 मार्च तक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
3	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया मूल राशि जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य
4	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की मार्क-टू -मार्केट बकाया मूल्य जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य

b) Exchange traded interest rate derivatives

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	Nil	Nil
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise))	Nil	Nil

ग) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

- डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।
- उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।
- डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वेपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।
- महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.7 (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू एक्सपोजर प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण एक्सपोजर पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

Qualitative disclosures

- Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.
- Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting & monitoring of risks is in place.
- Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Head Office. The swaps are tracked on regular basis.
- Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.7 (ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.



मात्रात्मक प्रकटन

Quantitative disclosures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S. N.	विवरण Particular	वि. व. 2024-25 FY 2024-25		वि. व. 2023-24 FY 2023-24	
		करंसी डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	करंसी डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	25776.35	शून्य NIL	26190.97	शून्य NIL
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए a) For hedging	3981.59	शून्य NIL	4425.50	शून्य NIL
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए b) For trading	21794.76	शून्य NIL	21765.47	शून्य NIL
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां* Marked to Market Positions*				
	(क) आस्ति (+) a) Asset (+)	123.52	शून्य NIL	56.09	शून्य NIL
	(ख) देयताएं (-) b) Liability (-)		शून्य NIL		शून्य NIL
(iii)	ऋण एक्सपोजर\$ Credit Exposure\$	515.53	शून्य NIL	523.82	शून्य NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	0.0146	शून्य NIL	0.0504	शून्य NIL
	(ख) व्यापार डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0.0033	शून्य NIL	0.0137	शून्य NIL
(v)	वर्ष के दौरान अवलोकित 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम स्तर Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर a) on hedging	Maxअधि : 0.0508 Min न्यू : 0.0140		Maxअधि : 0.0512 Min न्यू : 0.0148	
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर b) on trading	Maxअधि : 0.0318 Min न्यू : 0.0011		Maxअधि : 0.0315 Min न्यू : 0.0001	

* प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो निवल स्थिति आस्ति या देयता के अंतर्गत दिखाई जाएगी।

\$ आरबीआई के वर्तमान निर्देशों के अनुसार बैंक डेरिवेटिव उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर पद्धति को अपना सकता है।

* The net position shall be shown either under asset or liability, as the case may be, for each type of derivatives

\$ Bank may adopt the current exposure method on Measurement of credit exposure of Derivative Products as per extant RBI instructions.

घ) डेरिवेटिव एक्सपोजर पर मानक प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	ऋण एक्सपोजर (*)	31.03.2025 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	शून्य	शून्य
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	515.53	2.56
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य
	कुल	515.53	2.56

* ऋण एक्सपोजर की गणना बेसल III - के जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है।

d) Standard provision on derivative exposure

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Credit Exposure*	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2025
1	Interest rate derivative	NIL	NIL
2	Foreign exchange derivative	515.53	2.56
3	Gold contract	NIL	NIL
4	Credit default swaps	NIL	NIL
	Total	515.53	2.56

* Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III

ड) ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) नहीं है और दिनांक 31 मार्च, 2025 को शून्य है।

e) Credit Default Swaps (CDS)

The Bank has no Credit Default Swaps (CDS) during the year 2024-25 and as on March 31, 2025 is NIL.



8

प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

8

Disclosures relating to securitization

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S. N.	विवरण Particulars	31-03-2025 (सं./ राशि) (No./ Amount)	31-03-2024 (सं./ राशि) (No./ Amount)
1.	निर्माता द्वारा निर्मित प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के लिए एसपीई धारित आस्तियों की संख्या (बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी ही यहां रिपोर्ट किए जाने हैं) No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here.)		
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitized assets as per books of the SPEs		
3.	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर के पास अनुपालन के लिए निर्माता द्वारा धारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet		
क)	तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर Off-balance sheet exposures		
a)	प्रथम हानि First loss		
	अन्य Others		
ख)	तुलनपत्र के अंतर्गत एक्सपोजर On-balance sheet exposures		
b)	प्रथम हानि First loss		
	अन्य Others		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitization transactions other than MRR		
क)	तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर Off Balance Sheet Exposures		
a)	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर Exposure to own securitizations		
	प्रथम हानि First Loss		
	अन्य Others		
	ii) अन्य पक्षों के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर Exposure to third party securitizations		
	प्रथम हानि First Loss		
	अन्य Others		
ख)	तुलनपत्र के अंतर्गत एक्सपोजर On Balance Sheet Exposures		
b)	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर Exposure to own securitizations		
	प्रथम हानि First loss		
	अन्य Others		
	ii) अन्य पक्षों के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर Exposure to third party securitizations		
	प्रथम हानि First loss		
	अन्य Others		
5	प्रतिभूत आस्तियों हेतु प्राप्त विक्रय प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण विक्रय पर लाभ /हानि Sale consideration received for the securitized asserts and gain/loss on sale on account of securitization		
6	लिक्विडिटी सहयोग, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सुधार इत्यादि द्वारा प्रदत्त सेवाओं की मात्रा और स्वरूप (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post –securitization asset servicing etc.		

शून्य Nil



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S. N.	Particulars	31-03-2025 (सं./ राशि) (No./ Amount)	31-03-2024 (सं./ राशि) (No./ Amount)
7	सुविधा का कार्यनिष्पादन प्रदान किया गया है। कृपया प्रत्येक सुविधा यथा ऋण संवर्धन लिक्विडिटी सहयोग, सुधार एजेंट इत्यादि के लिए अलग से प्रदान करें। प्रदत्त सुविधा के कुल मूल्य के रूप में प्रतिशत का उल्लेख कोष्ठक में करें। -चुकता राशि -प्राप्त पुनर्भुगतान -बकाया राशि Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. - Amount paid - Repayment received - Outstanding amount	शून्य Nil	
8	विगत में पाए गए पोर्टफोलियो के औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यथा आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से ब्रेक अप प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc		
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर प्रदत्त अतिरिक्त/ टॉप पर ऋण की राशि और संख्या कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यथा आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से ब्रेक अप प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.		
10	निवेशक शिकायतें -प्रत्यक्ष रूप से/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त; -शेष शिकायतें Investor complaints -Directly/Indirectly received and; -Complaints outstanding		

9

प्रायोजित ऑफ बैलेन्स शीट एसपीवी

9

Off balance sheet SPVs sponsored

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	ओवरसीज
शून्य	शून्य

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

10

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) को अंतरण

10

Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ crore)

विवरण	2024-25	2023-24
डीईएएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	950.09	845.13
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित रकम	152.39	151.03
घटाएं - डीईएएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	25.14	46.07
डीईएएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	*1077.34	*950.09

*जैसा कि ऊपर बताया गया है, डीईए फंड में हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (*मार्च 2025 और मार्च 2024 के दावे क्रमशः ₹1.12 करोड़ और ₹3.14 करोड़ को छोड़कर) इसे अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं- अन्य मदों के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

Particulars	2024-25	2023-24
Opening balance of amount transferred to DEAF	950.09	845.13
Add: Amount transferred to DEAF during the year	152.39	151.03
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	25.14	46.07
Closing balance of amount transferred to DEAF	*1077.34	*950.09

*The closing balance of the amount transferred to DEA Fund as disclosed above (*excluding claim lodged for the month of March 2025 and March 2024 amounting ₹ 1.12 crore and ₹ 3.14 crore respectively). This is also included under Schedule 12- Contingent Liabilities- Other Items for which Bank is contingently liable.



11

शिकायतों का प्रकटन

क) लोकपाल के कार्यालयों और ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर सारांश जानकारी

क्र. S. N.	विवरण Particulars	2024-25	2023-24
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	64	37
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	14632	17235
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	14556	17208
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा वापस की गई शिकायतें Of which, number of complaints rejected by the bank	278	602
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	140	64
	लोकपाल के कार्यालय की ओर से बैंक को प्राप्त शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	लोकपाल के कार्यालय से बैंक को प्राप्त स्वीकार्य शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	1081	1332
5.1.	5 में से, लोकपाल कार्यालय से बैंक के पक्ष में निपटान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	604	552
5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय से जारी परामर्श मध्यस्थता/ समाधान के माध्यम से निपटान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	477	780
5.3	5 में से, बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा अवार्ड पारित करने के पश्चात निपटान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	0
6.	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित न किए गए अवार्ड की संख्या (उन्हें छोड़कर जिनके विरुद्ध अपील की गई है) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

नोट: विचारणीय शिकायतों से तात्पर्य एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई शिकायतों से है और जो योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in integrated Ombudsman scheme, 2021 (previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the scheme.

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के मुख्य पांच कारण

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

शिकायतों का कारण (अर्थात: से संबंधित शिकायत) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी % increase/ decrease in the number of Complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	क्र. 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिनों से अधिक लंबित हो Of 5, number of Complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25					
1-एटीएम /डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	5	1174	6	6	0
2-इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile /Electronic Bkg	4	1831	4	15	0
3- खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of account	6	1574	-21	7	0
4- ऋण और अग्रिम Loans and Advances	3	656	-13	8	0
5. वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांगों हेतु पेन्शन और सुविधाएं Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	2	105	38	0	0
सीआईसी और अन्य CIC & Others	44	9292	-18	104	0
कुल Total	64	14632	-15	140	0



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

शिकायतों का कारण (अर्थात; से संबंधित शिकायत) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी % increase/ decrease in the number of Complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	क्र. 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिनों से अधिक लंबित हो Of 5, number of Complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24					
1-एटीएम /डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	9	894	30	5	0
2-इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile /Electronic Bkg	13	1766	-23	4	0
3- खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of account	6	2235	104	6	0
4- ऋण और अग्रिम Loans and Advances	8	757	34	3	0
5.वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांगों हेतु पेन्शन और सुविधाएं Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	0	76	17	2	0
सीआईसी और अन्य CIC & Others	1	11507	28	44	0
कुल Total	37	17235	*207	64	0

* शिकायतों में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीआईसी शिकायतों को शामिल करने के कारण है

*Increase in complaints is due to inclusion of CIC Complaints during FY 2023-24

12 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	दंड का विवरण / प्रकृति	राशि
1	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड	0.01
2	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत दंड	शून्य
3	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने के लिए)	शून्य
4	करेंसी चेस्ट पर आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड	0.03
5	आरबीआई द्वारा लगाए गये अन्य	1.29

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की ओर से रिवर्स रेपो लेनदेन में कोई चूक नहीं हुई है।

12 Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the Current Financial year following Penalties have been imposed:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars/nature of penalties	Amount
1	Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007	0.01
2	Penalty under section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949	NIL
3	Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)	NIL
4	Penalty levied by RBI on currency chests	0.03
5	Others levied by RBI	1.29

There is no default in reverse repo transaction from bank side during the financial year.

13 मानदेय का प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	नाम	पदनाम	मानदेय	
			2024-25	2023-24
1.	श्री निधु सक्सेना	एम.डी. एवं सीईओ (27.03.2024 से आज तक)	0.38	-
2.	श्री ए. एस. राजीव	एम.डी. एवं सीईओ (22.02.2024 तक)	0.24	0.74
3.	श्री आशीष पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	0.63	0.39
4.	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक (31.10.2023 तक)	0.13	0.51
5.	श्री रोहित ऋषि	कार्यपालक निदेशक (01.11.2023 से आज तक)	0.43	0.13
6.	श्री वी. पी. श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)	0.42	0.44
		कुल	2.23	2.21

13 Disclosure on remuneration

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Name	Designation	Remuneration	
			2024-25	2023-24
1.	Shri Nidhu Saxena	MD & CEO (from 27.03.2024 to till date)	0.38	-
2.	Shri A S Rajeev	MD & CEO (till 22.02.2024)	0.24	0.74
3.	Shri Asheesh Pandey	Executive Director	0.63	0.39
4.	Shri A. B. Vijayakumar	Executive Director (till 31.10.2023)	0.13	0.51
5.	Shri Rohit Rishi	Executive Director (from 01.11.2023 to till date)	0.43	0.13
6.	Shri V P Srivastava	Chief Financial Officer (CFO)	0.42	0.44
		Total	2.23	2.21



क) व्यवसाय अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.92%	7.59%
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.10%	1.11%
जमाराशियों की लागत	4.66%	4.34%
निवल ब्याज मार्जिन	4.00%	3.92%
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.96%	2.96%
आस्तियों पर प्रतिफल	1.75%	1.50%
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियां + अग्रिम) अंतर-बैंक जमाराशियों को छोड़कर (₹ करोड़ में)	37.44	35.00
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.38	0.30

ख) बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय

बैंकएश्योरेन्स और अन्य तृतीय पक्ष (एजेंसी) उत्पादों के अंतर्गत अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज/कमीशन आदि की आय ₹ 50.82 करोड़ (₹ 42.67 करोड़) है। बैंकएश्योरेन्स आय का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	आय का प्रकार	2024-25	2023-24
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	32.52	26.41
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	18.13	14.18
3	अन्य बीमा (जैसे कृषि व अन्य) के विक्रय हेतु	0.11	1.85
	कुल	50.76	42.44

ग) विपणन और वितरण

किए गए विपणन और संवितरण कार्यों के (बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय को छोड़कर) संबंध में प्राप्त शुल्क/ मानदेय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	आय का प्रकार	2024-25	2023-24
1	म्युचुअल फंड विक्रय हेतु	0.06	0.23

घ) प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खरीदी व बेची गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि निम्नानुसार है:

क्र. S.N	पीएसएलसी की श्रेणी Category of PSLCs	विक्रय/ क्रय Sold/ Purchased	प्रकार Type	राशि Amount	कमीशन/ प्रीमियम Commission/Premium
1	पीएसएलसी-कृषि PSLC Agriculture	खरीदी Purchased	पीएसएलसी कृषि जनरल PSLC Agriculture General	700.00	4.35

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बेची और खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणीवार) की मात्रा शून्य है।

a) Business Ratios

Particular	2024-25	2023-24
Interest Income as a percentage to Working Funds	7.92%	7.59%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.10%	1.11%
Cost of Deposits	4.66%	4.34%
Net Interest Margin	4.00%	3.92%
Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.96%	2.96%
Return on Assets	1.75%	1.50%
Business (deposits plus advances) per employee (₹ in crore) excluding inter bank deposits	37.44	35.00
Profit per employee (in ₹ Crore)	0.38	0.30

b) Bancassurance business

The fee/brokerage/commission etc. income earned under Bancassurance and other third party (agency) products is ₹ 50.82 Crore (₹ 42.67 crore). The details of Bancassurance income is as under:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Nature of Income	2024-25	2023-24
1	For selling life insurance policies	32.52	26.41
2	For selling non-life insurance policies	18.13	14.18
3	For selling other insurance (like Agriculture & Others)	0.11	1.85
	Total	50.76	42.44

c) Marketing and distribution

Details of fees/remuneration received in respect of marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Nature of Income	2024-25	2023-24
1	For selling of Mutual Funds	0.06	0.23

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the F.Y.2024-25 is as under:

(Amount in ₹ crore)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the F.Y.2023-24 is Nil.



ड) लाभ व हानि खाते में व्यय शेष के अंतर्गत प्रदर्शित प्रावधान व आकस्मिकताएं

e) Provisions and contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S. N.	विवरण Particulars	31.03.2025 (Amount in ₹ crore)	31.03.2024 (Amount in ₹ crore)
1	एनपीए के प्रति प्रावधान	2417.32	2174.27
2	मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	1104.54	1318.57
3	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	-	2.55
4	पुनर्गठित निवेश के लिए प्रावधान	15.10	-
5	अग्रिमों के अलावा अन्य मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	0.24	101.15
6	अन्य संपत्तियों के लिए प्रावधान - नाममात्र	18.22	1.42
7	धोखाधड़ी के लिए प्रावधान (अग्रिमों को छोड़कर)	28.87	3.63
8	आयकर के लिए प्रावधान (डीटीए के प्रत्यावर्तन सहित)	202.69	304.44
9	अन्य प्रावधान	17.41	65.88
10	आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान	3.21	0.92
	उप जोड़ (क) Sub-total (A)	3807.59	3972.83
	घटाएं : प्रतिलेखन / समायोजन Less: Write back /adjustments		
1	टीआईबीडी के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन - एफआईटीएल/ब्याज/ एसआर टीआईबीडी के लिए प्रावधान	0.49	20.54
2	पुनर्गठित निवेश के लिए प्रावधान को बढ़े खाते में डालना	-	1.98
3	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान को बढ़े खाते में डालना	7.86	-
	उप जोड़ (ख) Sub Total (B)	8.35	22.52
	कुल Total	3799.24	3950.31

च) भारतीय लेखा मानक परिवर्तित आईएफआरएस का कार्यान्वयन (आईएनडी एस)

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

- सलाहकार से जांच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रारूप वित्तीय विवरण (पीएफएस) अर्धवार्षिक (वित्तीय वर्ष 2021-22 से) आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे निदेशक मण्डल द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।
- बैंक ने ओएफएसएए समाधान के माध्यम से भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन के लिए एक सलाहकार भी नियुक्त किया है।

- The Proforma Financial Statement (PFS) has been submitted to RBI on half yearly basis (from FY 2021-22) after vetting from consultant. The same has also been approved by the Board.
- Bank has also appointed a consultant for implementation of Ind AS through OFSAA Solutions.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (राशि ₹ करोड़ में)

g) Payment of DICGC Insurance Premium (Amount in ₹ crore)

क्र.	विवरण	2024-25	2023-24
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित)	346.43	271.68
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया (जीएसटी सहित) *	18.19	-

S. N.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Payment of DICGC Insurance Premium (Incl GST)	346.43	271.68
ii)	Arrears in payment of DICGC premium (Incl GST)*	18.19	-

* डीआईसीजीसी दिनांक 10.06.2024 के पत्र के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त भुगतान।

*Additional payment for FY 2023-24 as per instruction from DICGC vide letter dated 10.06.2024.

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेन्शन में संवर्धन के कारण व्यय के अमूर्तिकरण पर प्रकटन

h) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में पारिवारिक पेंशन में संवर्धन के कारण वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार रु.217.70 करोड़ की अतिरिक्त देयता कार्यान्वित हुई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त देयता को पूर्ण मान्यता दी और लाभ व हानि खाते को इसे प्रभारित किया।

The additional liability on account of enhancement in family pension in line with Government guidelines, works out to ₹ 217.70 Crore as per Actuarial valuation. The Bank had already recognized the said liability and charged to the Profit & Loss Account during the FY 2021-22.



झ) निगमित को व्यापार ऋण सुविधा के लिए बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)

चालू वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा रु.339.70 करोड़ की राशि के 121 व्यापार ऋण मंजूर किए गए तथा निगमित ग्राहकों को व्यवसाय ऋण के प्रबंध हेतु विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में शाखाओं द्वारा कोई लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी नहीं किए गए।

दिनांक 31 मार्च 2025 तक ₹ 174.18 करोड़ की राशि के 25 व्यापार ऋण बकाया थे जबकि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 36.71 करोड़ की राशि के 45 व्यापार ऋण बकाया थे।

i) Letter of Comfort (LOCs) issued by Bank for the purpose of Trade Credit Facility to corporate

During the current year, 121 Trade credits amounting to ₹ 339.70 crores were sanctioned by the Bank and No Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st March 2025, 25 Trade Credits amounting to ₹ 174.18 crores are outstanding as against 45 Trade Credits amounting to ₹ 36.71 crores for the year ended 31st March 2024.

ज) हरित जमाराशियों जुटाए गए धन के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी

j) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	2024-25	2023-24	Cumulative*
जुटाई गई कुल हरित जमाराशियां (क) Total green deposits raised (A)	25.17	शून्य - Nil	25.17
हरित जमा निधि का उपयोग Use of green deposit funds			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा Renewable Energy	4.52	-	4.52
(2) ऊर्जा दक्षता Energy Efficiency	-	-	-
(3) स्वच्छ परिवहन Clean Transportation	-	-	-
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन Climate Change Adaptation	-	-	-
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन Sustainable Water and Waste Management	-	-	-
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण Pollution Prevention and Control	-	-	-
(7) हरित इमारतें Green Buildings	-	-	-
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-	-	-
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-	-	-
आवंटित कुल हरित जमा निधि (ख = 1 से 9 का योग) Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	4.52	-	4.52
आवंटित नहीं की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (ग = क - ख) Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A - B)	20.65	-	20.65
हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उनका आवंटन लंबित है Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	-	-	-

* इसमें तब से संचयी राशि शामिल होगी, जब से आरई द्वारा हरित जमाराशि का प्रस्ताव दिया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक में 1 जून, 2023 से हरित जमा संग्रहण शुरू है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक संग्रहीत और आवंटित की गई जमाराशि का विवरण शामिल होगा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान संग्रहीत हरित जमा की वास्तविक राशि और ऐसे फंड का उपयोग इस प्रकटीकरण के अंतर्गत दिया जाएगा।

* This shall contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2025. Further, the actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds shall be given under this disclosure.



15

स्थिर आस्तियां :

- एस-10 "संपत्ति, संयंत्र व उपकरण" के अनुसरण में स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर वर्ष हेतु रु.29.46 करोड़ (रु.29.49 करोड़) मूल्यहास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया। रु.29.46 करोड़ (रु.29.49 करोड़) की समतुल्य राशि का पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में अंतरण किया गया।
- बैंकों के कुछ परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। वर्ष के अंत में परिसरों में शामिल ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि ₹1894.25 करोड़ है।
- ऐसे लीज परिसर के मामले लंबित हैं जहां कोई आकस्मिक देयता नहीं है, क्योंकि बैंक शाखा परिसर के मकान मालिकों द्वारा लीज विलेख की समाप्ति के कारण इन सभी के खिलाफ दायर किए गए मामलों का बचाव कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी देयता का लगभग रु.1.05 करोड़ है। अन्य मामलों में जहां मकान मालिकों ने दावे दायर किए हैं, उन मामलों में राशि तब तक निश्चित नहीं की जा सकती, जब तक कोर्ट द्वारा दावा राशि की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जाता है।
- पूँजीगत कार्य-प्रगति में निश्चित परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो अभी तक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। प्रगतिधीन पूँजी कार्य में ₹ 4.25 करोड़ (₹ 9.58 करोड़) की राशि की गणना में भवन का निर्माण भी शामिल है।

15

Fixed Assets:

- In accordance with the As-10 "Property, Plant and Equipment" depreciation of ₹ 29.46 Crore (₹ 29.49 Crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of ₹ 29.46 crore (₹ 29.49 Crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.
- Certain premises of banks are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is ₹ 1894.25 Crore.
- There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed by landlords of Branch premises due to expiration of lease deeds. Out of these, Bank accounts for its liability to around ₹ 1.05 crore. In all other cases where landlords have filed the claims, the amount cannot be ascertained unless the court crystallizes quantum of claims.
- Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to ₹ 4.25 Crore (₹ 9.58 Crore) includes construction of building.

16

लेखा मानक :

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:

लेखा मानक 3 - नकदी प्रवाह विवरण : बैंक अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नकद प्रवाह विवरण तैयार करता है।

लेखा मानक 4 - तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएँ और घटनाएँ: केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी) का महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) के साथ विलय अधिसूचित किया। तदनुसार, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक को 1 मई 2025 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।

लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन : चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः वर्ष को दौरान उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया है।

लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची - 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.2 के अनुसार अतिदेय मीयादी राशि पर देय ब्याज उस ब्याज दर पर वास्तविक आधार पर प्रदान किया जाता है जो दिनांक 02.07.2021 से बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व टीडी पर संविदा

16

Accounting Standards:

The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

Accounting Standard 3- Cash Flow Statement: The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

Accounting Standard 4- Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date: Central Government vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) with Maharashtra Gramin Bank (MGB). Accordingly, Vidharbha Konkan Gramin Bank, sponsored by Bank of India will be amalgamated into Maharashtra Gramin Bank Sponsored by Bank of Maharashtra with effect from 1st May 2025.

Accounting Standard 5 - Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies: As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts during the year.

Accounting Standard 9 - Revenue Recognition: As per Accounting Policy No. 6.2, given in Schedule -17 - Significant Accounting Policies, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.



लेखा मानक 11 – विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव :
वर्ष हेतु विनिमय अंतर के रूप में निवल आय रु.63.29 करोड़ (रु.41.61 करोड़)
लाभ और हानि खाते में जमा की गई।

Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates: Net income on account of exchange differences credited to Profit and Loss account for the year is ₹ 63.29 crore (₹ 41.61 crore).

लेखा मानक (एस) 15 (संशोधित 2005)- " कर्मचारी अनुलाभ"

Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) - "Employee Benefits"

क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
क) भविष्य निधि	32.83	37.01
ख) कर्मचारी वेल्फेयर निधि में अंशदान –वेल्फेयर निधि आकस्मिकता	15.00	15.00
ग) नई पेंशन योजना में अंशदान	136.50	114.34

A. Defined Contribution Plans

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
a. Provident Fund	32.83	37.01
b. Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	15.00	15.00
c. Contribution to New Pension Scheme	136.50	114.34

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

- क) **पेंशन योजना** – यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। यह निधिगत योजना है।
- ख) **उपदान योजना** – यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।
- ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति:** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचित अवकाश के 255 दिनों (240 दिन- 31.03.2024 तक) की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह एक निधिगत योजना है।

B. Defined Benefit Plans:

- a. **Pension Plan-** This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- b. **Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- c. **Leave Encashment/ Compensated Absences-** This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 255 days (240 days- upto March 31.03.2024) of accumulated leave based on final pay. This is a funded scheme

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलावः

I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit obligation	7489.74	6997.34	621.63	517.25	432.02	380.94
2.	ब्याज लागत Interest Cost	480.78	480.68	41.14	35.00	28.77	26.32
3.	चालू सेवा लागत Current Service Cost	262.96	223.13	49.88	37.79	118.26	100.87
4.	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(797.27)	(661.10)	(66.03)	(65.03)	(41.20)	(32.87)
6.	वर्ष हेतु बीमाकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	556.36	449.69	99.15	96.62	46.32	(43.24)
7.	परिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	7992.57	7489.74	745.77	621.63	584.17	432.02



II. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:

II. Change in the Fair Value of Plan Assets:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र.	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुटी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	7282.80	6949.29	505.01	519.35	374.07	241.07
2.	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	493.77	501.04	35.30	37.50	26.15	17.41
3.	किया गया अंशदान Contributions made	906.61	451.83	240.00	10.00	125.00	143.00
4.	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(797.27)	(661.10)	(66.03)	(65.03)	(41.20)	(32.87)
5.	बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial gains/(losses)	102.30	41.74	11.45	3.19	6.78	5.46
6.	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	7988.21	7282.80	725.73	505.01	490.80	374.07

III. तुलन पत्र में निर्धारित रकम:

III. Amount recognized in the Balance Sheet:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुटी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	7992.57	7489.74	745.77	621.63	584.17	432.02
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(7988.21)	(7282.80)	(725.73)	(505.01)	(490.80)	(374.07)
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	4.36	206.94	20.04	116.62	93.37	57.95
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	4.36	206.94	20.04	116.62	93.37	57.95

IV. लाभ और हानि लेखा में निर्धारित राशि :

IV. Amount recognized in Profit and Loss Account:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र.	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुटी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	262.96	223.13	49.88	37.79	118.26	100.87
2.	ब्याज लागत Interest Cost	480.78	480.68	41.14	35.00	28.77	26.32
3.	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(493.77)	(501.04)	(35.30)	(37.50)	(26.15)	(17.41)
4.	वर्ष हेतु निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानियाँ Actuarial (Gains)/Losses for the year	454.06	407.95	87.70	93.43	39.54	(48.70)
5.	सेवा पश्चात लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	704.03	610.72	143.42	128.72	160.42	61.08
7.	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	704.03	610.72	143.42	128.72	160.42	61.08



V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान

V. Reconciliation in the Net Liability recognize
in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र.	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	206.94	48.05	116.62	(2.10)	57.95	139.87
2.	निर्धारित व्यय Expense recognized	704.03	610.72	143.42	128.72	160.42	61.08
3.	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/ Benefits paid	(906.61)	(451.83)	(240.00)	(10.00)	(125.00)	(143.00)
4.	समापन निवल देयता Closing Net Liability	4.36	206.94	20.04	116.62	93.37	57.95

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय

VI. Actual Return on Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र SN	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	493.77	501.04	35.30	37.50	26.15	17.41
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	102.30	41.74	11.45	3.19	6.78	5.46
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	596.07	542.78	46.75	40.69	32.93	22.87

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं
(भारित औसतों के रूप में व्यक्त)

VII. Principal Actuarial Assumptions
(expressed as weighted averages)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र SN	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	भांजित दर Discount rate	6.78%	7.21%	6.99%	7.22%	6.99%	7.22%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	6.78%	7.21%	6.99%	7.22%	6.99%	7.22%
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ:

C. Other Long Term Benefits:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र SN	विवरण Particulars	लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2025	31.03.2024
1	पुनर्स्थापन भत्ता Resettlement Allowance	0.00	0.00
2	छुट्टी किराया रियायत Leave Fare Concession	27.77	15.08
3	रजत जयंती पुरस्कार Silver Jubilee Award	0.38	0.28
	कुल Total	28.15	15.36

घ. वर्ष 2023-24, के दौरान बैंक ने दिनांक 08.03.2024 को हस्ताक्षरित नवें ज्वाइंट नोट / XII द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों को लागू किया है।

D. During FY 2023-24, Bank has implemented the provisions of 9th Joint note/XII bipartite settlement signed on 08.03.2024.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

लेखा मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग : बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है :
भाग क : व्यवसाय खंड

Accounting Standard 17- Segment Reporting: Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

व्यवसाय क्षेत्र Business Segments	खज़ाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व Revenue	5877.89	5002.81	9803.30	8431.56	12472.18	9824.59	248.25	233.60	28401.62	23492.56
परिणाम Result	1356.29	1042.30	2708.00	2437.92	1597.55	795.08	60.64	84.16	5722.48	4359.47
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									-	-
परिचालन लाभ Operating profit									9319.03	8005.34
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									202.69	304.44
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ Net profit									5519.79	4055.03
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	112037.06	87326.16	126307.60	112642.57	113803.41	90821.09	14599.42	14083.94	366747.48	304873.75
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									2394.67	2264.10
कुल आस्तियां Total assets									369142.15	307137.85
खंड देयताएं Segment liabilities	110679.11	86171.75	114554.24	104206.45	102744.02	82855.73	11521.79	13238.64	339499.15	286472.56
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									1153.73	991.39
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves									28489.26	19673.90
कुल देयताएं Total liabilities									369142.15	307137.85

वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर आरबीआई का मास्टर निर्देश "रिटेल बैंकिंग" को (क) डिजिटल बैंकिंग (आरबीआई परिपत्र या 07 अप्रैल, 2022 को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना में परिभाषित किया गया है) और (ख) अन्य खुदरा बैंकिंग खंड में उप-विभाजित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, खुदरा बैंकिंग खंड के खण्डनुसार परिणाम नीचे दिए गए अनुसार उप-विभाजित किए गए हैं:

RBI's Master Direction on Financial Statements –Presentation and Disclosures, requires to sub divide "Retail Banking" into (a) Digital Banking (as defined in RBI circular or Establishment of Digital Banking Units dated April 07, 2022) and (b) Other Retail Banking segment. Accordingly, the segmental results for retail banking segment is subdivided as below:

क्र SN	विवरण Particulars	राजस्व खंड Segment Revenue		परिणाम खंड Segment Results		संपत्ति खंड Segment Assets		देयताएं खंड Segment Liabilities	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
i	डिजिटल बैंकिंग Digital Banking	0.44	0.06	(1.29)	(1.76)	9.35	1.73	12.90	4.00
ii	अन्य रिटेल बैंकिंग Other Retails Banking	12471.74	9824.53	1598.84	796.84	113794.06	90819.36	102731.12	82851.73
कुल	रिटेल बैंकिंग Retail Banking	12472.18	9824.59	1597.55	795.08	113803.41	90821.09	102744.02	82855.73



- क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।
- ख) संस्थागत /थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) रिटेल बैंकिंग खंड में संस्था/ संबंधित को विगोपन शामिल है जहां
- कुल औसत वार्षिक पण्यवर्त रु.50.00 करोड़ से कम है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र निवेश रु.7.50 करोड़ तक है।
- घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- ड.) ब्याज आय को थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आवंटित किया जाता है। बैंकिंग के लिए प्राप्त कुल ब्याज में से थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक आय को घटाकर रिटेल बैंकिंग परिचालन में लिया जाता है।
- च) थोक बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर सीधे देय नहीं किए गए व्यय का आवंटन किया जाता है। खजाना परिचालनों के खर्च खजाना परिचालन से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं
- छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की संपत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।
- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.
- b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where
- Total average annual turnover less than Rs. 50.00 crore and
 - Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one is upto Rs.7.50 crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.
- e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations
- f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations
- g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

Name of the Related Parties and their relationship:

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं:
संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक – ऊपर बिंदु क्र. 13 में ब्यौरे दिए गए हैं।

घ) प्रायोजक ट्रस्ट- ग्रामीण व बालक विकास मंडल

ड) प्रायोजक ट्रस्ट- महाबैंक एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन

च) पेंशन के लिए एम्प्लाइज पेंशन फंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र

a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank

c) Key Management Personnel- **Details given in point no. 13 above**

d) Sponsor Trust- Gramin Va Balak Vikas Mandal

e) Sponsor Trust- Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation

f) Staff welfare Trust for Pension- Bank of Maharashtra Employees' Pension Fund



छ) उपदान के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट- बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज ग्रेच्युटी फंड

ज) भविष्य निधि के लिए कर्मचारी वेल्फेयर ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड

झ) अवकाश नकदीकरण के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट- बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज प्रिविलेज लीव इनकैशमेंट फंड ट्रस्ट

g) Staff welfare Trust for Gratuity- Bank of Maharashtra Employees' Gratuity Fund

h) Staff welfare Trust for Provident Fund - Bank of Maharashtra Employees' Provident Fund

i) Staff welfare Trust for Leave Encashment- Bank of Maharashtra Employees Privilege Leave Encashment Fund Trust

संबद्ध पक्षों से संव्यवहार:

संबद्ध पक्षों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखा मानक (एएस 18) के अनुच्छेद 9 के अनुसार "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं। एएस 18 के पैरा 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में संव्यवहार का खुलासा नहीं किया गया है, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार शामिल हैं।

लेखा मानक-19 - लीज

वित्तीय लीज : लीज जिसके अंतर्गत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या लीज के आरंभ में लीज भुगतान के मूल्य पर, जो भी कम हो, लिया व पूँजीकृत किया गया है।

परिचालन लीज : परिचालन लीज बैंक के विकल्प पर निरस्त किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालन लीज के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त लीज व्यय की राशि वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 252.04 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 214.15 करोड़) है।

लेखा मानक-20 - प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
मूल ई.पी.एस.	₹ 7.48	₹ 5.78
अनुकृत ई.पी.एस.	₹ 7.48	₹ 5.78
मूल / अनुकृत ई.पी.एस. की गणना		
क) कर उपरांत निवल लाभ (रु. करोड़ में)	5519.79	4055.03
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	737.89	701.81
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन (क) विभाजित (ख) द्वारा]	₹ 7.48	₹ 5.78
घ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण : सहायक कंपनी अर्थात् महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात् महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है।

लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन : बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए कर का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियाँ और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं ;

Transactions with Related parties:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases: Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases: Operating Leases are cancellable at the option of the Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit and Loss Account for such operating lease is ₹ 252.04 crore for the year 2024-25 (for FY 2023-24 ₹ 214.15 crore).

Accounting Standard 20- Earnings per Share

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Basic E.P.S.	₹ 7.48	₹ 5.78
Diluted E.P.S.	₹ 7.48	₹ 5.78
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (Rs. in Crore)	5519.79	4055.03
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Crore)	737.89	701.81
c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 7.48	₹ 5.78
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements:

The financial results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income:

Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानियों के कारण	शून्य	शून्य
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	26.67	24.48
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है.	740.31	945.19
उप जोड़ (क)	766.98	969.67
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	12.90	12.90
2) एएफएस आरक्षित के कारण (एएफएस आरक्षित से निर्मित)	117.28	शून्य
उप जोड़ (ख)	130.18	12.90
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	636.80	956.77

जैसा कि बैंक ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीए के अंतर्गत अनुमत कम कर दर का विकल्प चुना है, आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

लेखा मानक 24 - परिचालनों का समापन: बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों / परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा है और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि	-	3 वर्ष
परिशोधन दर	-	33.33%
परिशोधन पद्धति	-	लागत पर सरल रेखा पद्धति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	95.83	110.53
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	44.89	37.86
वर्ष के दौरान परिशोधन	63.30	52.56
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	77.42	95.83

लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना : जब भी कोई घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो परिसंपत्तियों की वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है कि किसी संपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति भविष्य की निवल रियायती नकदी प्रवाह के लिए एक परिसंपत्ति की वहन राशि के लिए एक तुलना द्वारा मापा जाता है जो संपत्ति द्वारा उत्पन्न होना अपेक्षित है। यदि इस तरह की संपत्ति को खराब माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त होने वाली हानि और उस राशि से मापी जाती है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की वहन राशि संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, उस वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों को भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - "परिसंपत्तियों का नुकसान" लागू होता है।

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	NIL	NIL
2) On account of provisions for Employees benefits	26.67	24.48
3) Other Provisions where DTA is created	740.31	945.19
Sub-Total (A)	766.98	969.67
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	12.90	12.90
2) On account of AFS Reserve (created out of AFS Reserve)	117.28	Nil
Sub-Total (B)	130.18	12.90
Net Deferred Tax Asset (A-B)	636.80	956.77

As the bank has opted for lower tax rate permitted under section 115 BAA of the Income Tax Act 1961 from AY 2021-22, the provisions of section 115JB of the Income Tax Act are not applicable to the bank.

Accounting Standard -24- Discontinuing Operations: The Bank, during the financial year 2024-25, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects

Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets:

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	-	3 years.
Amortization Rate	-	33.33 %
Amortization Method	-	Straight line at cost

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Software at the beginning of the year	95.83	110.53
Software acquired during the year	44.89	37.86
Amortization during the year	63.30	52.56
Net carrying amount at the end of the year	77.42	95.83

Accounting Standard 28- Impairment of Assets: Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.



लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां - वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के विरुद्ध दावे

Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Claim against the bank not acknowledged as debt on year end

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ crore)

श्रेणी	वि.व. 2024-25	वि.व. 2023-24
बकाया शेष (ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के विरुद्ध दावे)	1356.67	1349.91
धारित प्रावधान	6.79	3.57

Category	FY2024-25	FY2023-24
Balance Outstanding(Claim against the bank not acknowledged as debt)	1356.67	1349.91
Provision Held	6.79	3.57

- 17) निदेशक मण्डल ने दिनांक 25 अप्रैल 2025 की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु @15% अर्थात रु. 1.50 प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर रु. 10/- का अंकित मूल्य) लाभांश की सिफारिश की है, जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
- 18) उपरोक्त वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई है और 25 अप्रैल, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उन्हें अनुमोदित किया गया है। बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 14 ए को लागू किया है और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कोरम के अभाव में तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए सीधे निदेशक मण्डल के समक्ष रखा है। ये परिणाम बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुपालन में हैं।
- 19) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहबद्ध किया गया है।

- 17) The Board has proposed dividend @15% i.e. ₹₹₹ 1.50 per equity share (Face Value of ₹ 10/- per share) for the Financial Year 2024-25 in Board Meeting dated April, 25 2025 subject to requisite approval from Shareholders.
- 18) The above Financial Statements have been reviewed and approved by the Board of Directors in their meeting held on April 25, 2025. In the absence of sufficient number of Independent Directors on the Board, Bank has invoked Para 14A of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and placed the quarterly/yearly financial results directly to the Board for review and approval for want of quorum in Audit Committee of the Board. These results have been subjected to audit by the Statutory Central Auditors of the Bank and are in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015.
- 19) Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Standlone Cash Flow for the Year Ended 31st March 2025

(₹ in Thousands) (रु. हजार में)

Particulars विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2025		31-03-2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2024	
A. Cash Flow From Operating Activities: क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
Income आय Interest received during the year वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि from advances, Investments etc. से प्राप्त ब्याज Other Income अन्य आय	24947 ,45 ,17		20494 ,68 ,83	
	3454 ,17 ,31	28401,62,48	2997 ,86 ,57	23492 ,55 ,40
Less: Expenditure & Provisions घटाएं: व्यय व प्रावधान Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Operating Expenses परिचालन व्यय Provisions & Contingencies प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	13281,88,09 5800,71,49 3799,24,31	22881,83,89	10672 ,84 ,37 4814 ,37 ,29 3950 ,31 ,02	19437 ,52 ,68
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses व्यय से आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि		5519 ,78 ,59		4055 ,02 ,72
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately जोड़े : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें				
Provisions & Contingencies प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3799 ,24 ,31		3950 ,31 ,02	
Depreciation on Fixed Assets अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	290 ,57 ,12		223 ,47 ,20	
Profit/Loss on sale of Fixed Assets अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ / हानि	- 37 ,51		- 87 ,08	
Interest on Bonds, PCPS and PDI बांड, पीसीपीएस व पीडीआई पर ब्याज	581 ,30 ,25	4670 ,74 ,17	437 ,59 ,39	4610 ,50 ,53
		10190 ,52 ,76		8665 ,53 ,25
Less: Direct Taxes Paid (Net) घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)		-		-
Cash Profit Generated From Operations (I) परिचालन से अर्जित नकद लाभ (I)		10190,52,76		8665 ,53 ,25
निवेश के उचित मूल्यांकन के कारण आरक्षित में वृद्धि (II)				
Increase in Reserves on account of Fair valuation of Investment (II)		468,93,75		-
Increase / (Decrease) of Operating Liabilities: परिचालन देयताओं की वृद्धि/ (कमी) :				
Deposits जमाराशियां	36395 ,43 ,69		36664,48,45	
Borrowings other than Bond Borrowings बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियों	13310 ,66 ,00		-3820,80,27	
Other Liabilities & Provision अन्य देयताएं व प्रावधान	-3301 ,74 ,04		-2261,59,43	
Total Increase in Operating Liabilities परिचालन देयताओं में कुल वृद्धि	46404 ,35 ,65		30582,08,75	
Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets घटाएं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/ (कमी)				
Investments निवेश	13730 ,67 ,10		-592 ,83 ,13	
Advances अग्रिम	35843 ,91 ,10		29019 ,21 ,31	
Other Assets अन्य आस्तियां	-159 ,48 ,02		-775 ,55 ,35	
Total Increase in Operating Assets परिचालन आस्तियों में कुल वृद्धि	49415 ,10 ,18		27650 ,82 ,83	
Net Increase in Operating Liabilities Over Operating Assets (III) परिचालन आस्तियों पर परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि (III)		-3010 ,74 ,53		2931 ,25 ,92
Cash Flow From Operating Activities (A) = (I+II+III) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क) = (I+II+III)		7648 ,71 ,98		11596 ,79 ,17
B. Cash Flow From Investing Activities ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Sale of Fixed Assets अचल संपत्तियों का विक्रय	3 ,55 ,33		3 ,42 ,38	
Purchase of Fixed Assets अचल संपत्तियों का क्रय	-519 ,37 ,21		-278 ,90 ,61	
Net Cash Flow From Investing Activities (B) निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		-515 ,81 ,88		-275 ,48 ,23
C. Cash Flow From Financing Activities: ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
i) Issue/ (Redemption) of Bonds i) बॉन्ड को जारी/ (मोचन) करना	2823 ,00 ,00		774 ,00 ,00	
ii) Dividend Paid in FY 2024-25 ii) पिछली वर्ष से संबंधित वि. व. 2024-25 pertains to previous year मे प्रदत्त लाभांश	-991 ,39 ,23		-874 ,96 ,46	
iii) Interest on Bonds, PCPS and PDI iii) बांड, पीसीपीएस व पीडीआई पर ब्याज	-581 ,30 ,25		-437 ,59 ,39	
iv) Issue of equity shares iv) इक्विटी शेयरों को जारी करना	3500 ,00 ,00		1000 ,00 ,00	
Cash Flow From Financing Activities (C) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)		4750 ,30 ,52		461 ,44 ,15
Total Cash Flow During The Year (A+B+C) वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		11883 ,20 ,63		11782 ,75 ,09
Represented By- द्वारा प्रतिनिधित्व				
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष Cash & Balance with RBI नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष Balances with Banks & Money at Call & Short notice बैंकों के पास शेष तथा मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन	21161 ,33 ,96 9150 ,32 ,20		18507 ,72 ,06 21 ,19 ,01	
	30311 ,66 ,16		18528 ,91 ,07	
Cash and Cash equivalents at the end of the year वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष Cash & Balances with RBI भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Balance with banks & money at call & Short notice बैंकों के पास शेष तथा मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन	37992 ,99 ,37 4201 ,87 ,42		21161 ,33 ,96 9150 ,32 ,20	
	42194 ,86 ,79		30311 ,66 ,16	
Total Cash Flow During The Year वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह		11883 ,20 ,63		11782 ,75 ,09

नोट : पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है। Note : Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.



मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी सनदी लेखाकार, 5वीं मंजिल, विंग ए, गोपाल हाउस, कोथरुड, पुणे- 411 038	मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन सनदी लेखाकार, 23, सीपी रामास्वामी रोड, अलवरपेट, चैन्नई - 600 018
मेसर्स जी डी आटे एंड कंपनी सनदी लेखाकार, डी-509, नीलकंठ बिज़नेस पार्क, नथानी रोड, विध्या विहार पश्चिम, मुंबई - 400 086	मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार, जी-4, केपस्टोन, चिराग मोटर के सामने, सेठ मंगलदास रोड, एलिसब्रीज, अहमदाबाद - 380 006

M/s. Kirtane & Pandit LLP Chartered Accountants, 5th. Floor, Wing A, Gopal House, Kothrud, Pune- 411 038	M/s. Sundaram & Srinivasan Chartered Accountants, 23, CP Ramaswamy Road, Alwarpet, Chennai-600 018
M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants, D-509, Neelkanth Business Park, Nathani Rd, Vidhya Vihar West, Mumbai 400086.	M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants, G-4, Capstone, Opp Chirag Motors, Sheth Mangaldas Road, Ellisbridge, Ahmedabad- 380 006

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति एवं "बैंक ऑफ महाराष्ट्र" के सदस्यगण
एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट
अभिमत

- हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एकल वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 का तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण एवं लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारीयां शामिल हैं, इसमें उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 50 अंचल कार्यालयों और 20 शाखाओं तथा एक खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग और बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 682 शाखाओं, की विवरणियां सम्मिलित हैं।

हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण में 1927 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 21.70%, जमा राशियों में 46.21%, ब्याज आय में 20.98% तथा ब्याज व्यय में 44.35% हिस्सा है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित तथा बैंक के लिए आवश्यक सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप जानकारी प्रदान करता है तथा :

- तुलन पत्र को उस पर लिखी गई टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर यह एक पूर्ण और उचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणियां शामिल हैं और इसे उचित रूप से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2025 को बैंक की स्थिति के विषय में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके;

Independent Auditors' Report

To,

The President of India and Members of "BANK OF MAHARASHTRA"
Report on Audit of the Standalone Financial Statements
Opinion

- We have audited the accompanying standalone financial statements of Bank of Maharashtra, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Head Office, 50 Zonal Offices and 20 branches and one Treasury and International Banking Division audited by us, and 682 branches audited by Statutory Branch Auditors of the Bank.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 1927 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 21.70% of advances, 46.21% of deposits, 20.98% of interest income and 44.35% interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025;



- ख. लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और
- ग. नकदी प्रवाह विवरण उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

- b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March, 2025 and
- c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

अभिमत का आधार

2. हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से साथ ही भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं से स्वतंत्र हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, directions and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

मामले का ज़ोर

3. हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 18 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जहां बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के संबंध में, बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के परिच्छेद 14ए को लागू किया है और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कोरम के अभाव में वित्तीय विवरण सीधे निदेशक मंडल के समक्ष रखा है।
4. हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 4(जी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां बैंक ने 31 मार्च 2025 को आकस्मिक प्रावधान के रूप में कोविड-19 से संबंधित ₹.1200 करोड़ के प्रावधान को बनाए रखा है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

Emphasis of Matter

3. We draw attention to Note No. 18 in Schedule 18 of the Financial Statements regarding absence of sufficient number of Independent Directors on the board, the Bank has invoked Para 14A of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and placed the Financial Statements directly to the Board for want of quorum in Audit Committee of the Board.
4. We draw attention to Note No. 4(g) in Schedule 18 of the Financial Statements where Bank continues to hold COVID-19 related provision of Rs. 1200 Crore as contingency provision as on 31st March 2025. Our Opinion is not modified in respect of this matter.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended March 31 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन: (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2025 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.236,083.80 करोड़ का निवल अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) द्वारा अपेक्षित मानदंडों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने के लिए उचित कार्यप्रणाली की स्थापना की आवश्यकता होती है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी प्रणाली) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का लेखा-जोखा रखता है, जो यह भी पहचानता है कि अग्रिम अर्जक हैं या अनर्जक। भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए कुछ नीतियां भी हैं।	लेखापरीक्षा आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। मामले का इस प्रकार समाधान किया गया है: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में ऋणों का अनुमोदन, संवितरण और निगरानी पर नियंत्रण का मूल्यांकन, और आईआरएसी और प्रावधान मानदंडों और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के अनुपालन के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में उपयोग किए गए तर्क और मान्यताओं की समीक्षा शामिल थी। इसमें निम्नलिखित का मूल्यांकन और ज्ञप्ति शामिल थी: क) एप्लीकेशन की प्रणाली, अनुमोदन की प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी, ऋणों की वसूली, अतिदेय और दबावग्रस्त खातों, एनपीए की पहचान और एनपीए के लिए प्रावधान के प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। ख) अर्जक परिसंपत्तियों के नमूनों का परीक्षण किया और आरबीआई द्वारा निर्धारित आईआरएसी मानदंडों के प्रयोग का मूल्यांकन किया, ताकि उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ग) संभावित एनपीए की पहचान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टें, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की और जोखिम प्रबंधन और संबंधित नियंत्रणों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग्ड खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदमों की जांच की। घ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम और आरबीआई परिपत्रों के अनुसार लागू किए जाने वाले एनपीए और लागू लेखा मानकों से संबंधित आरबीआई की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines: (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Standalone Financial Statements) The Bank's portfolio comprises of Net Advances of Rs. 236,083.80 crores as at March 31, 2025 comprising of wholesale and retail banking. As required by Income Recognition Asset Classification (IRAC) Norms, guidelines issued by RBI and other circulars, notifications and directives issued by RBI, the Bank has classified advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines. Identification of performing and non performing advances involves establishment of proper mechanism. The bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non performing. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the bank also has certain policies for provisioning on non-performing assets.	The audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. The matter has been addressed as follows: Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. This included evaluation and understanding of the following: a) Tested the design and operating effectiveness of the key controls of the system of application, process of approval, recording, monitoring, recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA and provision for NPA. b) Tested samples of performing assets and assessed the application of IRAC norms, as prescribed by RBI, to ensure the compliance of the same. c) Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls. d) Examined the adequacy and appropriateness of disclosures as per the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
1.	बैंक के पास आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों का प्रणाली-आधारित वर्गीकरण है। चूंकि अनर्जक अग्रिमों की पहचान और अनर्जक अग्रिमों के प्रावधान के लिए उचित स्तर पर प्रबंधन का आकलन विभिन्न नियामक आवश्यकताओं का उपयोग और समग्र लेखापरीक्षा के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है।	ड) अनर्जक परिसंपत्तियों की समय पर पहचान पर प्रणाली नियंत्रण और मैनुअल नियंत्रण। च) आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए की पहचान और आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया। छ) आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। ज) हमने एसए 600 - अन्य लेखा परीक्षक के कार्य का उपयोग करना, के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उन शाखाओं के मामलों में, जहां हमने दौरा नहीं किया है, अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/ रिटर्न और किए गए कार्य पर भरोसा किया है।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	The bank has system-based classification of non-performing assets in accordance with IRAC norms. Since the identification of Non-performing advances and provisioning of Non-performing advances requires considerable level of management estimation, application of various regulatory requirements and its significance to the overall audit, we have identified this as a key audit matter.	e) System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets. f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. h) We have relied on the reports/ returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 – Using the Work of Another Auditor.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
2.	निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण: (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 3 का संदर्भ लें।) निवेश को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए रखे गए (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एचएएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है। बैंक के निवेश से आय, कुल आय का 18.87% है। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं जिसमें अनर्जक निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हमने इस मद को मुख्य लेखा परीक्षा विषय के रूप में माना है।	आरबीआई परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में वर्गीकरण, मूल्यांकन, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण, संबंधित प्रक्रिया और मूल प्रक्रियाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण का संयोजन शामिल था। निवेश समझौतों/टर्म शीट्स, डील टिकट, ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स की जांच नमूना आधार पर चालू वर्ष के दौरान की गई, ताकि प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझा जा सके और वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रासंगिक स्थिति की पहचान की जा सके। निवेश के चयनित नमूने के लिए, प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके आरबीआई दिशानिर्देशों और निर्देशों के साथ सटीकता, पूर्णता और अनुपालन का परीक्षण किया गया। नमूने इस तरह से चुने गए थे कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूतियों की प्रकृति के आधार पर) कवर की गईं। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर अनकोटेड निवेशों का स्वतंत्र मूल्यांकन अभ्यास परीक्षण जांच के आधार पर किया गया। हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। एनपीआई की पहचान और आय के अनुरूप प्रत्यावर्तन तथा प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। आरबीआई के दिशानिर्देशों और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं, प्रत्येक श्रेणी में निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.	Classification and Valuation of Investments: (Refer Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Standalone Financial Statements) Investments are classified into Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines. Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank. Impact of Impairment assessment is having overall significance to the financial results of the Bank. Interest Income from Investment of the Bank comprises 18.87% of the total income. In view of these significant points including assessment of non-performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter	Our audit approach towards investment portfolio with reference to the RBI Circulars / directives included a combination of test of the design, implementation, and operating effectiveness of internal controls, related process and substantive procedures in relation to classification, valuation, independent price verification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Examined the investment agreements / term sheets, deal tickets, broker contract notes entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments. For the selected sample of investments, tested the accuracy, completeness and compliance with the RBI guidelines and directives by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected in such a way that all the categories of investments (based on nature of security) were covered. Carried out on test check basis independent valuation exercise of unquoted investments on the basis of prescribed procedures in terms of the RBI guidelines. We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. Assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision. Carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the RBI guidelines and directives of the RBI, selected samples from the investments in each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
2.		नमूना आधार पर निवेश पोर्टफोलियो का सत्यापन किया और आय, बिक्री पर लाभ/ हानि के निर्धारण में विभिन्न मूल विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ कीं और लाभ/ हानि को लाभ और हानि खाते में पहचानने में बैंक द्वारा लागू किए गए नियंत्रणों का परीक्षण किया। बैंक द्वारा की गई आंतरिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा आदि की रिपोर्टों की समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित किया कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में नोट्स के माध्यम से पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा : बैंक में जटिल सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन को संसाधित करने और रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के दिन-प्रतिदिन के संचालन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परस्पर निर्भर आईटी प्रणालियाँ और अनुप्रयोग शामिल हैं। इसके अलावा बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), ट्रेजरी समाधान, आईआरएसी और अन्य संबद्ध प्रणालियों, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं। स्वचालन के उच्च स्तर, आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, आईटी प्रणालियों के एक साथ और महत्वपूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए, उचित आईटी सामान्य नियंत्रण और अनुप्रयोग नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी आईटी प्रणालियाँ विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित रूप से, पूरी तरह से, सटीक और लगातार डेटा को संसाधित करने में सक्षम हों। इसलिए, आईटी प्रणाली नियंत्रण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है क्योंकि कोई भी नियंत्रण चूक, सत्यापन विफलता, गलत इनपुट डेटा और डेटा का गलत निष्कर्षण प्रबंधन और नियामकों को गलत रिपोर्टिंग का कारण बन सकता है।	हमारी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: हमने अपनी आंतरिक आईएस लेखापरीक्षा टीम को शामिल किया और वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए बैंक के आईटी संबंधित नियंत्रण वातावरण, आईटी अनुप्रयोगों की जानकारी प्राप्त की। इस उद्देश्य के लिए, हमने बैंक द्वारा लागू की गई विभिन्न आईटी नीतियों, प्रोसेस और पद्धति के संबंध में प्रोसेस ओनर्स के साथ चर्चा की। उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, बैकअप और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं, प्रणाली और साइबर सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रियाओं, कर्तव्यों का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर के समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित इन आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इस संबंध में प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं। आईटी अनुप्रयोगों पर बैंक के आईटी नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। आईटी सामान्य नियंत्रणों और विशेष रूप से तार्किक पहुँच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं का परीक्षण किया।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.		Verified Investment portfolio on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tested the controls implemented by the Bank in recognizing the profit / loss to profit and loss account. Reviewed the reports of the internal audits, concurrent audits etc. conducted by the bank. Ensured that adequate disclosures have been made by way of Notes to the financial statements as mandated by the RBI guidelines.
3.	Information Technology Systems and Control Framework: The Bank is having complex Information Technology environment which comprises of various interdependent IT systems and applications used in the day-to-day operations of the Bank for processing and recording large volume of transactions across various locations. Further the Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on the Core Banking Solution (CBS), Treasury Solutions, IRAC and other allied systems, software, network and hardware controls. Considering the high-level of automation, complexity of the IT architecture, simultaneous and significant use of IT systems, appropriate IT general controls and application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data, as expected, completely, accurately and consistently for reliable financial reporting. Hence, IT system controls have been considered as a Key Audit Matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting to the management and regulators	Our significant audit procedures included the following: We Involved our internal IS Audit team and obtained an understanding of the Bank's IT related control environment, IT applications relevant for the purpose of our audit of the financial statements. For this purpose, we had discussions with the process owners with respect to various IT policies, processes and procedures put in place by the Bank. Reviewed these IT policies and procedures including user management, change management, backup and recovery procedures, system & cyber security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duties, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure that these are in line with business requirements of the Bank and comply with the relevant regulatory guidelines in this regard. Tested the design and operating effectiveness of the Bank's IT controls over the IT applications. Tested IT general controls particularly, logical access, change management and aspects of IT operational controls.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
3.		प्रणाली तक पहुँच के अनुरोधों की उचित समीक्षा और उनके प्राधिकरण का परीक्षण किया गया; एक्सेस अधिकारों की आवधिक समीक्षा हेतु बैंक में उपलब्ध नियंत्रणों का परीक्षण किया; उचित अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए प्रणाली में परिवर्तन के अनुरोधों का निरीक्षण किया। आंतरिक / बाहरी आईएस लेखापरीक्षक, बैंक द्वारा नियुक्त सलाहकारों द्वारा विभिन्न विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की और उन पर विश्वसनीयता दिखाई तथा आईआरएसी ऑटोमेशन कंट्रोल सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की। उपर्युक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था। नमूना आधार पर, प्रणाली से प्राप्त परिणामों को अन्य सूचना स्रोतों के साथ सत्यापित किया; और डेटा निकालने के लिए उपयोग किए गए तर्क का परीक्षण किया। क्षतिपूर्ति नियंत्रणों या सुधारित नियंत्रणों के संयोजन का परीक्षण किया जैसे कि प्रणाली और अन्य सूचना स्रोतों के बीच मिलान और / या वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जहां आवश्यक हो, निष्पादित की गईं।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
3.		Tested that requests for access to systems were appropriately reviewed and authorized; tested controls around Bank's periodic review of access rights; inspected requests of changes to systems for appropriate approvals and authorizations. Reviewed and placed reliance on the reports of various specialised audits by internal / external IS Auditors, consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls. In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over -financial reporting. On sample basis, verified the results obtained from the systems with the other information sources; and tested logic used for extracting the data. Tested combination of compensating controls or remediated controls such as reconciliations between systems and other information sources and / or performed alternative audit procedures, where necessary



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
4.	प्रावधान और आकस्मिक देयताएं : अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण (अनुसूची 17 के नोट क्र.10 और अनुसूची 18 के नोट क्र.16) के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है। मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण मुकदमों और करारधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
4.	Provisions and Contingent Liability: Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 16 of Schedule 18) There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon; Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues. Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved.

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report Thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for other information. The other information comprises the information other than Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosure.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our Audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained during the course of audit or otherwise appears to be materially misstated.



यदि, इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस मामले में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this matter.

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय एकल विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण हैं, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्टिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन बैंक को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी जिम्मेदार हैं।

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's Financial Reporting process.



वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के उपयुक्त हैं।

उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।

प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि हमारा निष्कर्ष यह होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी एकल लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करना।

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों के साथ संवाद करते हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंधित हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है, जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication

अन्य मामले

- हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 682 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 को रु.79025.94 के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.6514.94 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2025 तक 32.95% अग्रिम, 48.99% जमा राशियां, 43.15% अनर्जक आस्तियों और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 22.94% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं को शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, हमारी राय, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हुई है।

Other Matters

- We did not audit the financial statements / information of 682 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / Financial Information reflect total advances of Rs. 79025.94 crores as at March 31, 2025 and total revenue of Rs. 6514.95 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches cover 32.95% of advances, 48.99% of deposits and 43.15% of non-performing assets as at March 31, 2025 and 22.94% revenue for the year ended March 31, 2025. The Financial Statements / Information of these branches have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Branch Auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.



अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता तैयार किया गया है।

उपरोक्त परिच्छेद 7 से 9 में उल्लेखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख. बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और
- ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पाई गईं।

11. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 और उसके बाद दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषणों के साथ पठित की अपेक्षाओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

- क. हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।
- ख. वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ग. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं।
- घ. खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ङ. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावात्मकता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में दी गई है। हमारी रिपोर्ट, 31 मार्च, 2025 तक एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

- a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communications dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

- a. In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c. As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under the sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
- d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e. Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at March 31, 2025.



हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

12. क. हमारी राय में, बैंक द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं, जिनको हमने भेंट नहीं दी है;
- ख. इस रिपोर्ट द्वारा संचालित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा भेंट नहीं दी गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।
- ग. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है; और
- घ. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

We further report that:

12. a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी For M/s. Kirtane & Pandit LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन For M/s. Sundaram & Srinivasan सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते मेसर्स जी. डी आप्टे एंड कंपनी For M/s. G D Apte & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी For M/s. Manubhai & Shah LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन FRN – 105215W/ W100057	एफआरएन FRN – 004207S	एफआरएन FRN – 100515W	एफआरएन FRN – 106041W/ W100136
सीए मित्तल शाह CA Mittal Shah	सीए एस. रामकुमार CA S Ramkumar	सीए एस. बी. राशिनकर CA S B Rashinkar	सीए हितेश पोमल CA Hitesh Pomal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता क्र. M No 147370	सदस्यता क्र. M No 238820	सदस्यता क्र. M No 103483	सदस्यता क्र. M No 106137
यूडीआईएन: UDIN: 25147370BMHZKZ4443	यूडीआईएन: UDIN: 25238820BMKNFV2259	यूडीआईएन: UDIN:25103483BMNANY6751	यूडीआईएन: UDIN:25106137BNGNIN5404

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 अप्रैल , 2025

Place: Pune
Date: April 25, 2025



मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी सनदी लेखाकार पांचवी मंजिल, विंग ए, गोपाल हाउस कोथरुड, पुणे - 411 038	मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन सनदी लेखाकार 23, सीपी रामास्वामी रोड अलवरपेट, चैन्नई - 600 018
मेसर्स जी डी आरे एंड कंपनी सनदी लेखाकार डी-509, नीलकंठ बिजनेस पार्क, नाथानी रोड, विद्या विहार पश्चिम, मुंबई - 400086	मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार, जी-4, केपस्टोन, चिराग मोटर के सामने, सेठ मंगलदास रोड, एलिसब्रीज, अहमदाबाद - 380 006

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 11 ई में संदर्भित) भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/ 08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट-

हमने 31 मार्च, 2025 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के साथ उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों व त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

M/s. Kirtane & Pandit LLP Chartered Accountants, 5th. Floor, Wing A, Gopal House, Kothrud, Pune- 411 038	M/s. Sundaram & Srinivasan Chartered Accountants, 23, CP Ramaswamy Road, Alwarpet, Chennai-600 018
M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants, D-509, Neelkanth Business Park, Nathani Rd, Vidhya Vihar West, Mumbai 400086.	M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants, G-4, Capstone, Opp Chirag Motors, Sheth Mangaldas Road, Ellisbridge, Ahmedabad- 380 006

(Referred to in paragraph 11 e under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bank of Maharashtra ("the Bank") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls:

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.



लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जारी लेखापरीक्षा पर मानकों (एसए) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और उसे बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गए हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, जो नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संबंध में है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

- (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, उचित विवरण में, बैंक की आस्तियों के अंतरण और स्थिति को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and



(3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरसाइड, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण शामिल हैं या हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की श्रेणी का हास हो सकता है।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर इस्टिमेट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताया गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे थे।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 252 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2025, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 252 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.



मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी For M/s. Kirtane & Pandit LLP	मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन For M/s. Sundaram & Srinivasan	मेसर्स जी. डी. आरे एंड कंपनी For M/s. G D Apte & Co.	मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी For M/s. Manubhai & Shah LLP
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन FRN – 105215W/ W100057	एफआरएन FRN – 004207S	एफआरएन FRN – 100515W	एफआरएन FRN – 106041W/ W100136
सीए मित्तल शाह CA Mittal Shah	सीए एस. रामकुमार CA S Ramkumar	सीए एस. बी. राशिनकर CA S B Rashinkar	सीए हितेश पोमल CA Hitesh Pomal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
एम क्र. M. No. 147370	एम क्र. M. No. 238820	एम क्र. M. No. 103483	एम क्र. M. No. 106137
यूडीआईएन: UDIN: 25147370BMHZKZ4443	यूडीआईएन: UDIN: 25238820BMKNFV2259	यूडीआईएन: UDIN: 25103483BMNANY6751	यूडीआईएन: UDIN: 25106137BNGNIN5404

स्थान : पुणे

दिनांक : 25 अप्रैल, 2025

Place: Pune

Date: April 25 , 2025



पिलर 3 प्रकटन - 31 मार्च 2025

31 मार्च 2025 के बेसल - III पिलर प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर "प्रकटन" खंड के अंतर्गत उपलब्ध किए गए हैं। ब्योरो के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट लिंक को भेट दें -

https://bankofmaharashtra.in/basel_iii_disclosure

Pillar 3 Disclosures - 31st Mar 2025

Basel - III Pillar 3 disclosures as on 31 March 2025 is made available on Bank's website under "Disclosure" section. For details, please visit our official website link -

https://bankofmaharashtra.in/basel_iii_disclosure



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statement



31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र Consolidated Balance Sheet As On 31st Mar 2025

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	7691,55,50	7081,37,36
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	21016,42,09	12789,24,76
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	2A	-	-
जमा राशियां Deposits	3	307120,30,35	270726,42,32
उधारियां Borrowings	4	23852,51,50	7718,85,50
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	9673,01,21	9013,12,15
कुल TOTAL		369353,80,65	307329,02,09
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष	6	37992,99,50	21161,34,19
Cash and Balances with Reserve Bank of India			
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7	4201,91,43	9150,36,30
Balances with Banks, Money at call & short notice			
निवेश Investments	8	82215,73,31	68464,65,22
अग्रिम Advances	9	236083,79,53	200239,88,43
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	2915,62,22	2209,61,16
अन्य आस्तियां Other Assets	11	5943,74,66	6103,16,79
कुल TOTAL		369353,80,65	307329,02,09
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	40941,19,60	39390,94,01
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		6972,38,60	5740,31,19
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant accounting policies	17		
खातों हेतु टिप्पणियां Notes to Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं। The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Financial Statements.

प्रवीण कुमार
निदेशक
PRAVEEN KUMAR
DIRECTOR

संजीव प्रकाश
निदेशक
SANJEEV PRAKASH
DIRECTOR

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक
Dr. ABHIJIT PHUKON
DIRECTOR

रोहित ऋषि
कार्यपालक निदेशक
ROHIT RISHI
Executive Director

आशीष पाण्डेय
कार्यपालक निदेशक
ASHEESH PANDEY
Executive Director

निधु सक्सेना
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
NIDHU SAXENA
Managing Director & CEO

केयूर तलाटी
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
KEYUR TALATI
Asst. General Manager, FM&A

मुदित अग्रवाल
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
MUDIT AGARWAL
Asst. General Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं सीएफओ
V P SRIVASTAVA
General Manager & CFO



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
Consolidated Profit & Loss Account For The Year Ended 31st Mar 2025

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)
I. आय Income			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	24947,58,06	20494,84,87
अन्य आय Other Income	14	3455,02,45	2998,59,36
कुल TOTAL		28402,60,51	23493,44,23
II. व्यय Expenditure			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	13280,57,51	10671,82,77
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	5801,49,65	4815,20,10
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		3799,66,64	3950,57,29
कुल TOTAL		22881,73,80	19437,60,16
लाभ / हानि Profit/Loss			
सहायक संस्थाओं में अर्जन/ हानि का अंश Share of earnings/ loss in Associates		20,90,97	15,93,92
अल्पसंख्यक हित की कटौती से पहले वर्ष के लिए समेकित लाभ/ (हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		5541,77,68	4071,77,99
घटाएं: अल्पसंख्यक हित Less: Minorities Interest		-	-
Consolidated Net profit/(loss) for the year attributable to the group वर्ष के लिए समूह के कारण निवल समेकित लाभ/ (हानि)		5541,77,68	4071,77,99
Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group जोड़ें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)		3635,32,93	1657,41,70
कुल TOTAL		9177,10,61	5729,19,69
III. विनियोग III. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		1385,44,42	1017,94,50
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		44,99,64	22,13,62
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		-	-
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		-	-
निवेश अस्थिर आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		215,00,00	-
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		-	62,39,41
प्रस्तावित लाभांश (इक्विटी) Proposed Dividend (Equity)		1153,73,32	991,39,23
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		6377,93,23	3635,32,93
कुल TOTAL		9177,10,61	5729,19,69
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (रूपए) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		7.51	5.80

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी

एफआरएन- 105215W/W100057

सनदी लेखाकार

For M/s. Kirtane & Pandit LLP

FRN- 105215W/W100057

Chartered Accountants

कृते मेसर्स जी डी आरे एंड कंपनी

एफआरएन- 100515W

सनदी लेखाकार

For M/s. G D Apte & co.

FRN- 100515W

Chartered Accountants

कृते मेसर्स सुंदरम एवं श्रीनिवासन

एफआरएन-004207S

सनदी लेखाकार

For M/s. Sundaram & Srinivasan

FRN- 004207S

Chartered Accountants

कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी

एफआरएन- 106041W/W100136

सनदी लेखाकार

For M/s. Manubhai & Shah LLP

FRN- 106041W/W100136

Chartered Accountants



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

सीए मित्तल शाह
भागीदार

सदस्यता क्र.: 147370
यूडीआईएन - 25147370BMHZLA2260

CA Mittal Shah
Partner

Membership No: 147370
UDIN - 25147370BMHZLA2260

सीए एस बी राशिनकर
भागीदार

सदस्यता क्र.: 103483
यूडीआईएन - 25103483BMNANZ9714

CA S B Rashinkar
Partner

Membership No: 103483
UDIN - 25103483BMNANZ9714

सीए रामकुमार एस.
भागीदार

सदस्यता क्र.: 238820
यूडीआईएन - 25238820BMKNFU2029

CA Ramkumar S.
Partner

Membership No: 238820
UDIN - 25238820BMKNFU2029

सीए हितेश पेमल
भागीदार

सदस्यता क्र.: 106137
यूडीआईएन - 25106137BNGNIO5204

CA Hitesh Pomal
Partner

Membership No: 106137
UDIN - 25106137BNGNIO5204

स्थान: पुणे

दिनांक: 25.04.2025

Place: Pune

Date: 25.04.2025

1

अनुसूची - 1 पूंजी

1

Schedule - 1 Capital

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) Year ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) Year ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital प्रत्येक रु.10/- के 10,00,00,00,000 (ईक्विटी) शेयर (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous Year 10,00,00,00,000) of Rs. 10/- each		10000,00,00		10000 ,00 ,00
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed प्रत्येक रु.10/- के 769,15,54,950 (ईक्विटी) शेयर (पिछले वर्ष 708,13,73,639) 769,15,54,950 Equity Shares (Previous Year 708,13,73,639) of Rs.10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	7081 ,37 ,36		6730 ,49 ,64	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the Year	610 ,18 ,14	7691 ,55 ,50	350 ,87 ,72	7081,37 ,36
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government प्रत्येक रु.10/- के 612,26,27,927 (ईक्विटी) शेयर (पिछले वर्ष 612,26,27,927) 612,26,27,927 (Previous Year 612,26,27,927) Equity shares of Rs.10/- each	6122 ,62 ,79		6122 ,62 ,79	
ख. जनता एवं अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others प्रत्येक रु. 10/- के 156,89,27,023 (ईक्विटी) शेयर (पिछले वर्ष 95,87,45,712) 156,89,27,023 (Previous Year 95,87,45,712) Equity Shares of Rs.10/- each	1568 ,92 ,71		958 ,74 ,57	
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	-	7691 ,55 ,50	-	7081 ,37 ,36
कुल TOTAL		7691 ,55 ,50		7081,37 ,36



2

अनुसूची - 2 आरक्षितियां और अधिशेष

2

Schedule-2 Reserves And Surplus

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षिति Statutory Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	3463 ,26 ,13		2445 ,31 ,63	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	1385 ,44 ,42	4848 ,70 ,55	1017 ,94 ,50	3463 ,26 ,13
II. पुंजीगत आरक्षिति Capital Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	719 ,69 ,55		697,55,93	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	44 ,99 ,64		22,13,62	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	764 ,69 ,19	-	719,69,55
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	977 ,43 ,56		328 ,31 ,28	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	2889 ,81 ,87		649 ,12 ,28	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	3867 ,25 ,43	-	977 ,43 ,56
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां Revenue and Other Reserve				
क. राजस्व आरक्षिति a. Revenue Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	2010 ,43 ,02		1980 ,94 ,32	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	212 ,07 ,94		29 ,48 ,70	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	2222 ,50 ,96	-	2010 ,43 ,02
ख. विशेष आरक्षिति b. Special Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	51 ,26 ,04		51 ,26 ,04	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	-		-	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	51 ,26 ,04	-	51 ,26 ,04
ग. पुनर्मूल्यन आरक्षिति c. Revaluation Reserve				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	1443 ,34 ,12		1472 ,82 ,82	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	1923 ,71 ,48		-	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	1472 ,80 ,51	1894 ,25 ,09	29 ,48 ,70	1443 ,34 ,12
घ. निवेश अस्थिर आरक्षिति खाता d. Investment Fluctuation Reserve Account				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	426 ,10 ,00		426 ,10 ,00	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	215 ,00 ,00		-	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	641 ,10 ,00	-	426 ,10 ,00
ङ. निवेश आरक्षिति खाता e. Investment Reserve Account				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	62 ,39 ,41		-	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	-		62 ,39 ,41	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	62 ,39 ,41	-	-	62 ,39 ,41
च. एफएस निवेश आरक्षिति खाता f. AFS Investment Reserve Account				
i. प्रारंभिक शेष Opening Balance	-		-	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year	348 ,71 ,60		-	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year	-	348 ,71 ,60	-	-
V. लाभ/हानि खाते में शेष Balance In Profit And Loss Account				
लाभ/हानि खाते में शेष Balance of Profit /Loss	6377 ,93 ,23	6377 ,93 ,23	3635 ,32 ,93	3635 ,32 ,93
TOTAL (I, II, III, IV & V)		21016 ,42 ,09		12789 ,24 ,76



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

2क

अनुसूची - 2 क अल्पसंख्यक हित

2A

Schedule-2A Minority Interest

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 की As on 31st-Mar-2024 स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) (Previous Year)
उस दिनांक को अल्पसंख्यक हित जिस दिन मूल अनुषंगी संबंध अस्तित्व में आए Minority interest at the date on which the parents subsidiary relationship came into existence	-	-
अनुवर्ती वृद्धि/कमी Subsequent Increase/(Decrease)	-	-
तुलन पत्र के दिनांक को अल्पसंख्यक हित Minority interest of the date of balance sheet	-	-
कुल (I एवं II) Total (I & II)	-	-

3

अनुसूची - 3 जमा राशियां

3

Schedule - 3 Deposits

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)
क./ A.		
I. मांग जमा राशियां Demand Deposits		
i. बैंकों से From Banks	248,29,05	297,86,52
ii. अन्यो से From others	46062,90,43	34668,75,88
	46311,19,48	34966,62,40
II. बचत बैंक जमा राशियां Savings Bank Deposits	117343,61,42	107805,04,19
III. मीयादी जमा राशियां Term Deposits*		
i. बैंकों से From Banks	391,16,48	1606,00,50
ii. अन्यो से From others	143074,32,97	126348,75,23
	143465,49,45	127954,75,73
कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)	307120,30,35	270726,42,32
ख./ B.		
i. भारत में स्थित शाखाओं में जमा राशियां Deposits of Branches in India	307120,30,35	270726,42,32
ii. भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमा राशियां Deposits of Branches outside India	-	-
कुल (i)+(ii) Total (i)+(ii)	307120,30,35	270726,42,32

*इसमें रु.10112,46,83 हजारों में, की ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा राशि शामिल है (पिछले वर्ष रु.5833,13,45 हजारों में) *Includes Lien marked deposits of Rs.10112,46,83 in thousands (Previous Year Rs. 5833,13,45 in thousands)

4

अनुसूची - 4 उधारियां

4

Schedule - 4 Borrowings

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)
I. भारत में उधारियां Borrowings In India		
i. भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India	-	-
ii. अन्य बैंक Other Banks	-	-



(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
iii. अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	15421,81,50		2111,15,50	
iv. डिबेंचर Debentures	-		-	
v. अन्य उधारियाँ Other Borrowings				
क) बेमियादी ऋण लिखतें (पीडीआई)- टीयर -I बांड a) Perpetual Debt Instruments (PDI)- Tier -I Bond	1880,00,00		1880,00,00	
ख) बांड के रूप में जारी समिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	-		-	
ग) गौण ऋण बांड - टीयर II बांड c) Subordinated Debt Bonds- Tier II Bond	4127,70,00		3727,70,00	
घ) इन्फ्रा बांड d) Infra Bonds	2423,00,00	23852,51,50	-	7718,85,50
II. भारत के बाहर उधारियां Borrowings Outside India		-		-
कुल (I एवं II) Total (I & II)		23852,51,50		7718,85,50
III. उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां Secured Borrowings Included In I & II Above		-		-

5

अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान

5

Schedule - 5 Other liabilities and provisions

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
I. देय बिल Bills Payable		663,37,11		1179,48,01
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) क a. मूल कंपनी Parent company Inter-office adjustments (net) ख b. सहायक Subsidiary		- -		- -
III. उपचित ब्याज Interest Accrued		342,88,68		382,64,51
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)				
क) मानक आस्तियों पर प्रावधान i) Provision against standard assets	2835,08,65	-	2457,83,05	
ख) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित) ii) Other liabilities (including provisions)	5831,66,77	8666,75,42	4993,16,58	7450,99,63
कुल Total (I + II + III + IV)		9673,01,21		9013,12,15



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

6

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष

6

Schedule - 6 Cash And Balances With Reserve Bank Of India

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)		1025 ,29 ,21		1015 ,70 ,09
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India				
i) चालू खातों में In Current Accounts	12492 ,70 ,29		11397 ,64 ,10	
ii) अन्य खातों में In other Accounts	24475 ,00 ,00	36967 ,70 ,29	8748 ,00 ,00	20145 ,64 ,10
कुल (I एवं II) Total (I & II)		37992 ,99 ,50		21161 ,34 ,19

7

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

7

Schedule - 7 Balances With Banks And Money At Call & Short Notice

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st-Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st-Mar-2024 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
i) चालू खातों में Current Accounts	2 ,59 ,84		73 ,83	
ii) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	15 ,68 ,56	18 ,28 ,40	15 ,68 ,56	16 ,42 ,39
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास With Banks	-		-	
(ख) अन्य संस्थानों में With Other Institutions	4177 ,05 ,63	4177 ,05 ,63	9128 ,31 ,72	9128 ,31 ,72
कुल (i) Total (i)		4195 ,34 ,03		9144 ,74 ,11
II. भारत के बाहर Outside India				
(i) बैंकों में अधिशेष Balances with banks in				
क. चालू खातों में Current Accounts	6 ,57 ,40		5 ,62 ,19	
ख. अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	-		-	
ग. मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	-	6 ,57 ,40	-	5 ,62 ,19
कुल Total (ii)		6 ,57 ,40		5 ,62 ,19
कुल जोड़ (I एवं II) Grand Total (I & II)		4201 ,91 ,43		9150 ,36 ,30



8

अनुसूची - 8 निवेश

8

Schedule - 8 Investments

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. भारत में निवेश Investments in India in				
a. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities		74852 ,56 ,43		64284 ,26 ,63
b. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities		-		-
c. शेयर्स Shares		607 ,21 ,25		323 ,53 ,96
d. डिबेंचर्स और बांड Debentures and Bonds		5588 ,56 ,64		3493 ,65 ,83
e. सहायक संस्थानों Associates		521 ,09 ,21		330 ,07 ,64
f. अन्य Others				
i. यूटीआई / म्यूचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	37 ,51 ,97		33 ,11 ,16	
ii. जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	608 ,77 ,81		-	
iii. वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	-		-	
iv. पीटीसी PTCs	-		-	
v. अन्य Others	-	646 ,29 ,78	-	33 ,11 ,16
कुल Total		82215 ,73 ,31		68464 ,65 ,22
II. भारत के बाहर निवेश Investments outside India				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	-		-
ii) सहायक संस्थानों	ii) Associates	-		-
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट किया जाए)	iii) Other Investments (to be specified)	-		-
कुल Total		-		-
कुल जोड़ (I एवं II) GRAND TOTAL (I & II)		82215 ,73 ,31		68464 ,65 ,22
III. भारत में निवेश Investments in India				
i) सकल निवेश मूल्य	i) Gross Value of Investments	82109 ,51 ,15		68783 ,39 ,70
ii) जोड़ें/घटाएँ: निवेश पर मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)	ii) Add/Less: Appreciation/(Depreciation) on Investment	443 ,19 ,83		-15 ,04 ,52
iii) घटाएँ: निवेश पर प्रावधान	iii) Less: Provisions on Investment	336 ,97 ,67		303 ,69 ,96
iv) निवल निवेश (i+ii-iii) iv) Net Investment (i+ii-iii)		82215 ,73 ,31		68464 ,65 ,22
निवेशों का विवरण : Details of Investments:				
I. सहायक संस्थानों में निवेश	I. Investment in Associates	521 ,09 ,21		330 ,07 ,64
II. अन्य निवेश	II. Other Investments	81694 ,64 ,10		68134 ,57 ,58
कुल (I एवं II) TOTAL (I & II)		82215 ,73 ,31		68464 ,65 ,22



9

अनुसूची - 9 अग्रिम

9

Schedule - 9 Advances

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
क. A.	I. भांजित एवं खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	4110,47,48		3531,09,78	
	II. नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	53744,50,78		51489,78,04	
	III. मीयादी ऋण Term Loans	178228,81,27		145219,00,61	
			236083,79,53		200239,88,43
कुल Total			236083,79,53		200239,88,43
ख. B.	i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	197165,37,24		162329,35,19	
	ii. बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	642,46,23		1641,25,42	
	iii. अप्रत्याभूत Unsecured	38275,96,06	236083,79,53	36269,27,82	200239,88,43
	कुल Total		236083,79,53		200239,88,43
ग. C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i. प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	90492,59,70		81079,58,53	
	ii. सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	21940,34,77		35750,96,35	
	iii. बैंक Banks	499,98,05		741,94,95	
	iv. अन्य Others	123150,87,01	236083,79,53	82667,38,60	200239,88,43
II. भारत से अग्रिम Advances outside India					
	i. बैंकों से देय i. Due from Banks	-		-	
	ii. अन्यो से देय ii. Due from others	-		-	
	क. खरीदे गए व बट्टाकृत बिल a. Bill purchased and discounted	-		-	
	ख. सिंडिकेटेड ऋण b. Syndicated loans	-		-	
	ग. अन्य c. Others	-	-	-	-
कुल (ग. I एवं ग. II) Total (C.I & C.II)			236083,79,53		200239,88,43



10

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियां

10

Schedule - 10 Fixed Assets

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. परिसर Premises				
i. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31 st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1951,22,45		1937,74,81	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	57,11,80		13,47,64	
iii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	1894,25,09		-	
	3902,59,34		1951,22,45	
iv. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year	1413,87,74		-	
	2488,71,60		1951,22,45	
v. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	397,08,58	2091,63,02	347,11,69	1604,10,76
II. प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in progress		4,36,05		9,69,53
III. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
i. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	1835,93,26		1608,08,84	
ii. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period	467,58,89		263,24,02	
	2303,52,15		1871,32,86	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	262,04,86		35,41,96	
	2041,47,29		1835,90,90	
iv. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	1221,84,14	819,63,15	1240,10,03	595,80,87
कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)		2915,62,22		2209,61,16



11

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां

11

Schedule - 11 Other Assets

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
i. मूल कंपनी Parent Company		68,56,74		65,97,75
ii. अनुषंगी कंपनियां Subsidiary Companies		-		-
II. उपचित ब्याज Interest accrued		1618,50,31		1307,36,07
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source		1758,21,37		1810,35,13
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps		2,83,06		2,59,80
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		-		-
VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल) VI. Deferred Tax Assets (net)		636,85,02		956,83,31
VII. अन्य (आरआईडीएफ सहित) VII. Others (incl RIDF)		1858,78,16		1960,04,73
कुल (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) Total (I, II, III, IV, V, VI & VII)		5943,74,66		6103,16,79

12

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं

12

Schedule - 12 Contingent Liabilities

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		1356,72,42		1349,96,22
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments		-		-



(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
III. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		25776 ,35 ,28		26190 ,97 ,20
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
i. भारत में In India	10865 ,74 ,83		9317 ,18 ,38	
ii. भारत के बाहर Outside India	379 ,32 ,81	11245 ,07 ,64	210 ,30 ,87	9527 ,49 ,25
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं बाध्यताएं Acceptances,endorsements and obligations		1486 ,82 ,30		1375 ,56 ,09
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contingently liable		1076 ,21 ,96		946 ,95 ,25
कुल (I, II, III, IV, V एवं VI) Total (I, II, III, IV, V & VI)		40941 ,19 ,60		39390 ,94 ,01

* वायदा विनियम संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

13

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

13

Schedule - 13 Interest Earned

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		19291 ,50 ,58		15826 ,24 ,03
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	5373 ,03 ,06		4613 ,94 ,20	
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	12 ,47 ,34	5360 ,55 ,72	153 ,02 ,03	4460 ,92 ,17
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		202 ,63 ,54		135 ,76 ,95
IV. अन्य (आरआईडीएफ सहित) Others (incl RIDF)		92 ,88 ,22		71 ,91 ,73
कुल (I, II, III एवं IV) Total (I, II, III & IV)		24947 ,58 ,06		20494 ,84 ,87



14

अनुसूची - 14 अन्य आय

14

Schedule - 14 Other Income

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. कमीशन, विनियम और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage		1740,56,74		1582,23,10
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	234,74,35		214,29,80	
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	14,72,23	220,02,12	6,41,94	207,87,86
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	-		-	
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	-	-	-113,15,12	113,15,12
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	2,34,13		2,12,58	
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	1,96,62	37,51	1,25,50	87,08
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	63,29,42		41,61,23	
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	-	63,29,42	-	41,61,23
VI. भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/ या कंपनियों/ सहायक कंपनियों/ इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		1,71,64		1,35,93
VII. विविध आय* Miscellaneous Income*		1429,05,02		1051,49,04
कुल (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) Total (I, II, III, IV, V, VI & VII)		3455,02,45		2998,59,36

*विविध आय में बट्टे खाते में रु. 1374,88,06 (रु. हजार में) की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष रु. 985,52,22 (रु. हजार में))

*Misc. Income includes Recovery in W/Off Rs. 1374,88,06 In thousands (Previous Year Rs. 985,52,22 In Thousands)



15

अनुसूची - 15 व्यय किया गया ब्याज

15

Schedule - 15 Interest Expended

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st Mar, 2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st Mar, 2024 (Previous Year)
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	12293 ,75 ,21	10039 ,61 ,45
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	22 ,52 ,43	33 ,27 ,41
III. अन्य Others	964 ,29 ,87	598 ,93 ,91
कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)	13280 ,57 ,51	10671 ,82 ,77

16

अनुसूची - 16 परिचालन व्यय

16

Schedule - 16 Operating Expenses

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3441 ,77 ,35	2837 ,79 ,78
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	326 ,51 ,12	280 ,29 ,35
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	36 ,85 ,39	31 ,59 ,88
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	48 ,39 ,78	33 ,57 ,14
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास Depreciation on Bank's property	290 ,59 ,75	223 ,49 ,02
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1 ,23 ,26	122 ,76
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय Auditors fees and expenses	19 ,65 ,03	15 ,69 ,27
VIII. विधि प्रभार Law Charges	81 ,41 ,44	68 ,48 ,94
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	50 ,28 ,83	45 ,42 ,84
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	315 ,95 ,31	258 ,67 ,93
XI. बीमा Insurance	364 ,18 ,62	279 ,12 ,26
	824 ,63 ,77	739 ,80 ,93
कुल (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI एवं XII) Total (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	5801 ,49 ,65	4815 ,20 ,10



अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खातों के साथ संलग्न और उसका भाग)

Schedule 17 – Significant Accounting Policies

(Annexed To And Forming Part Of The Consolidated Accounts For The Year Ended 31st March 2025)

1

वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

1.1. वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अंतर्गत स्थिरता, उपचय और प्रचलित मौलिक लेखांकन मान्यताओं के साथ तैयार किए गए हैं, ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, और सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है। वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.2. अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि के आकलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलन में किसी भी संशोधन की पहचान भावी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.3. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।

1.4. ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

1.5. बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

1.6. समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 के अनुसार बनाए गए हैं।

1

Basis of Preparation of Financial Statements

1.1. The financial statements are prepared under the historical cost conventions with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency, and accrual, except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949.

1.2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3. The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.4. Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.

1.5. The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.6. The financial statements of the subsidiary and associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2025.



2

समेकन के सिद्धांत

- क. मूल इकाई :** वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।
- ख. संबद्ध इकाई :** निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्सिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (एतद्वारा मेटको के रूप में संदर्भित)	भारत	पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी	100 %

लेखा मानक 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	स्वामित्व हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहायक उद्यम	35 %

ग. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं :-

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार मूल के संबंधित मद सहित और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/ संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों/ देयताओं/ आय/ व्यय इत्यादि जैसी प्रत्येक मद को लाइन-दर-लाइन आधार पर समूहन किया गया है।
- आईसीएआई द्वारा जारी "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" लेखा मानक 23 के अनुसार 'इक्विटी पद्धति' के अधीन 'सहायक प्रतिष्ठानों' में निवेश हेतु लेखांकन। एसोसिएट में बैंक के निवेश की लागत की अधिकता को वित्तीय विवरणों में साख के रूप में मान्यता दी जाती है।

2

Principles of Consolidation

- A. Parent Entity:** The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.
- B. Related Entity:** The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred to as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100 %

The following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35 %

C. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements & its impact

The Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of :-

- Audited financial statement of Bank of Maharashtra
- Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiary with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.
- Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The excess of carrying cost of bank's investment in associate is recognized in the financial statements as goodwill.



- iv. सहायक इकाइयों में अपने समूह निवेश के लिए लागत तथा प्रतिष्ठानों के इक्विटी में सामूहिक हिस्से के बीच अंतर साख/ पूंजी आरक्षित के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं।
- v. सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं।
- vi. जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनः समूहबद्ध किया गया है।
- iv. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the financial statements as goodwill / capital reserve.
- v. The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.
- vi. The financial statements of the subsidiary have been regrouped with that of the parent bank, wherever necessary.

3

विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 3.1. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- 3.2. बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए "फाइनांशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) – द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र के दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव "अन्य आस्तियों" और हानि के मामले में इसका प्रभाव "अन्य देयताओं" को प्रभाषित किया गया है।
- 3.3. विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3

Foreign Exchange Transactions

- 3.1. The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 3.2. Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the Modified MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss
- 3.3. Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.



3.4. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के ऋण एक्सपोजर, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

3.4. Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4

निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

4.1. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

- क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) की उपश्रेणी शामिल है।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश उपरोक्त श्रेणी से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखे जाते हैं।

4.2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म-ए की आवश्यकता के अनुरूप सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- सरकारी प्रतिभूतियां
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- शेयर्स
- डिबेंचर तथा बॉण्ड
- अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
- अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट इत्यादि)

4.3. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। सभी निवेशों का प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य निरूपण किया जाता है। जब तक तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट न हो कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब अधिग्रहण लागत को उचित मूल्य के रूप में लिया जाता है। एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। एचटीएम से कोई भी बिक्री (5% की सीमा के भीतर) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है। बैंक ने अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रम में वर्गीकृत किया है अर्थात् स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3

4

Investments

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

4.1. Investments are classified in the following categories:

- a. Held to Maturity (HTM)
- b. Available for sale (AFS)
- c. Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT)

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures is held in a distinct category separate from above category.

4.2. All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

- Government Securities
- Other approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries and Joint Ventures
- Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

4.3. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, then the acquisition cost is taken as the fair value. Any discount or premium on securities under HTM, AFS, and FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument. Any sale from HTM (within limit of 5%) is as per Board approved policy. The bank has categorized its investment portfolio into three fair value hierarchies viz Level 1, Level 2, and Level 3.



4.4. रेपो/ रिवर्स रेपो

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

4.5. लागत भारित औसत मूल्यन पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है।

स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज / खंडित अवधि के लिए चुकता ब्याज को राजस्व व्यय / आय के रूप में माना जाएगा।

ब्रोकरेज/प्राप्त प्रोत्साहन/ निवेश की खरीद/ बिक्री के समय प्रदत्त को निवेश की राशि से काटा/ जोड़ा गया है।

4.6. निवेशों का मूल्यांकन :

क. परिपक्वता तक धारित :

- 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित की जाती हैं, अर्थात् वित्तीय परिसंपत्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारित किया जाता है। प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तों से नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो निर्दिष्ट तिथि पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ("एसपीपीआई मानदंड") है।
- एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाता है और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर नहीं बेचा जाता। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि अनुसूची 14 अन्य आय के मद II के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्य है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से पूंजी आरक्षित खाते में रेखा के नीचे विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार करों को घटाकर विनियोजित की गई राशि को सांविधिक आरक्षित में अंतरित करना आवश्यक है।

4.4. REPO/ Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

4.5. Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

4.6. Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

- Securities under the category 'Held to Maturity' is acquired with the intention and objective of holding it to maturity i.e. the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows. The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payment of principal and interest on principal outstanding ("SPPI criterion") on specified date.
- Securities held in HTM is carried at cost and not be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM is amortized over the remaining life of the instrument.
- Any profit or loss on the sale of investments in HTM is recognized in the profit and loss account under item II of Schedule 14 Other Income. The profit on sale of an investment in HTM is appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.



ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

- 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का अधिग्रहण एक उद्देश्य से किया जाता है, जिसे संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। सभी प्रदर्शनकारी निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण के बावजूद (यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड और डिबेंचर, आदि) एएफएस के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है।
- शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एएफएस रिजर्व नामक रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है।
- एएफएस श्रेणी में किसी भी लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एएफएस रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित की जाती है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- वे प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है।
- एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का, यदि निरंतर आधार पर नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
- एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

b. Available for Sale:

- Securities under the category 'Available for Sale' is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities.
- The securities held in AFS is fair valued at least on quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortized over the remaining life of the instrument. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e. Government Securities, other approved securities, bonds and debentures, etc) held under AFS is aggregated.
- The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve.
- Upon sale or maturity of any instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. In case of equity instrument, any gain or loss on sale of such investment is transferred from AFS Reserve to the Capital Reserve.

c. Fair Value Through Profit & Loss:

- Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS is classified under FVTPL.
- The securities held in FVTPL is fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account.
- The securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL is fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL is fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument.



4.7. डेरिवेटिव :

ब्याज दर स्वेप :

i. मूल्यांकन :

- क) **हेजिंग स्वेप** : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वेप, बाजार हेतु चिन्हित नहीं है।
- ख) **ट्रेडिंग स्वेप** : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वेप बाजार हेतु चिन्हित है।

ii. डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- क) **हेजिंग स्वेप** : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया। व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।
- ख) **ट्रेडिंग स्वेप** : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

iii. स्वेप निरसन पर लाभ या हानि का लेखांकन

- क) **हेजिंग स्वेप** : निरस्त हुए स्वेप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वेप की शेष संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- ख) **ट्रेडिंग स्वेप** : स्वेप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

4.8. निवेश अस्थिर रिज़र्व :

आरबीआई के दिनांक 12.09.2023 के मास्टर निर्देश के अनुसार प रि प त्र आ र बी आई / डी ओ आ र / 2 0 2 3 - 2 4 / 1 0 4 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24, के अंतर्गत निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) तब तक बनाया जाना चाहिए जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर, निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि को आईएफआर में अंतरण द्वारा एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम 2% न हो जाए।

निम्नलिखित में से न्यूनतम को आईएफआर में से अंतरित करें –

- क) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या
- ख) लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ से अनिवार्य विनियोग तब तक घटाएं, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और आईएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत हो जाए।

4.7. Derivatives:

Interest Rate Swaps:

i. Valuation:

- a) **Hedging Swaps**: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- b) **Trading Swaps**: Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

ii. Accounting of income on derivative deals:

- a) **Hedging Swaps**: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- b) **Trading Swaps**: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- a) **Hedging Swaps**: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- b) **Trading Swaps**: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4.8. Investment Fluctuation Reserve:

As per RBI master direction vide circular RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated 12.09.2023, Investment Fluctuation Reserve (IFR) to be created until the amount of IFR is at least 2% of AFS and FVTPL (Including HFT) portfolio, on continuous basis, by transferring to the IFR of an amount not less than the lower of the following.

Transfer to IFR is lower of the following –

- a) Net profit on sale of Investments during the year or
- b) Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis



बैंक को अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के 2% से अधिक आईएफआर से शेष राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, जिसे किसी भी लेखांकन वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए लाभ/हानि के शेष में जमा किया जा सकता है, जो आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

Bank has been permitted to draw down the balance from IFR in excess of 2% of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year subject to the conditions stipulated in RBI guidelines

5

अग्रिम

- 5.1. दर्शाए गए अग्रिम बढ़ते खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्गठित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन बिलों से निवल हैं।
- 5.2. प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण और उनपर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -

अवमानक - 20%
संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%
- 5.3. अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 5.4. एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार तिमाहियों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान किए गए।
- 5.5. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात् बकाया घटाएं प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया गया है।

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभिक प्राप्ति/या एसआरएस/ पीटीसी के मोचन द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है। आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा।

5

Advances

- 5.1. Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.
- 5.2. Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-Standard - 20%
Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion
- 5.3. Provision for performing assets, is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 5.4. In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.
- 5.5. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.



6

स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास

- 6.1. पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों के लागत में मूल्यहास/ ऋण परिशोधन को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क शामिल हैं। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों से भविष्य के लाभ या उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है।

- 6.2. अचल आस्तियों पर मूल्यहास नीचे दी गई दरों पर किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य एक रुपया लिखा जा सके।

6

Fixed Assets and Depreciation

- 6.1. Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

- 6.2. Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

क्र. S.N.	आस्ति की श्रेणी Category of Asset	आस्ति की उपयोगिता अवधि (वर्ष में) Useful Life of Assets (in years)	मूल्यहास की दर (%) Rate of Depreciation (%)	मूल्यहास की पद्धति Method of depreciation
1	भवन एवं परिसर Building & Premises	60	1.667	एसएलएम/ SLM
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं General Items including Safe	10	10	एसएलएम/ SLM
3	इलेक्ट्रिकल – टेलीविजन, मोबाइल फोन, होम थियेटर, प्रिंटर, कैमरा Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera	3	33.33	एसएलएम/ SLM
4	इलेक्ट्रिकल उपकरण - अन्य Electrical Equipment's- Others	7	14.29	एसएलएम/ SLM
5	कार्यालय मशीनरी Office Machinery	5	20	एसएलएम/ SLM
6	मोटर वाहन Motor Vehicles	8	12.5	एसएलएम/ SLM
7	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट Safe Deposit Vaults	10	10	एसएलएम/ SLM
8	कंप्यूटर तथा लैपटॉप Computers & Laptops	3	33.33	एसएलएम/ SLM
9	एटीएम ATM	7	14.29	एसएलएम/ SLM
10	यूपीएस UPS	5	20	एसएलएम/ SLM
11	बीएनए BNA	7	14.29	एसएलएम/ SLM
12	कैश रि-साइकलर Cash Re-cycler	7	14.29	एसएलएम/ SLM

* एसएलएम अर्थात सीधी रेखा पद्धति

*SLM means Straight Line Method



- 6.3.** वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में अनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यहास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची /हटाई गई आस्ति के संबंध में, मूल्यहास अनुपातिक आधार पर उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

- 6.4.** हर तीन वर्ष में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से निस्तारण मूल्य को घटाकर आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) से मूल्यहास लगाया जाता है।

पट्टा-धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षित को लीज अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर लागत के अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की राशि, लाभ और हानि खाते में नामे की गई लागत के अतिरिक्त अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से संबंधित मूल्यहास की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित की जाती है।

- 6.5.** पट्टा-धारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, तो उसे एस19 के अनुसार एसएलएम आधार पर पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

- 6.6.** मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन लागत में से संचित मूल्यहास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है। इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं। बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटाकर मूल्यहास को लागू करने के पश्चात लाभ/ हानि की गणना की गई। आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक का उपयोग करते हुए हासमान शेष पद्धति से मूल्यहास लगाया गया है।

- 6.3.** In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

- 6.4.** Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets net of salvage value (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on straight line method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

- 6.5.** In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.

6.6. In case of the subsidiary:

In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.



7

राजस्व अभिनिर्धारण

7.1. निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है:

- क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज
- ख. सरकारी व्यवसाय, म्युचुअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड, वार्षिक रखरखाव शुल्क और लॉकर किराए आदि पर कमीशन से आय
- ग. खरीदे गए तथा बढ़ाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ. बीमा दावे
- ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक
- च. प्रोसेसिंग शुल्क
- छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय
- ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

7.2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाशायियों पर देय ब्याज को उपचित आधार पर बचत खाते के लिए लागू ब्याज दर पर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज दर, दिनांक 02.07.2021 से जो कम हो, प्रावधान किया गया है।

7

Revenue Recognition

7.1. All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-:

- a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.
- b. Income from commission like on Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual Maintenance Charges for cards and Locker Rent.
- c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims.
- e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f. Processing Fees.
- g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

7.2. Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

8

कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार अवकाश योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जो कि एस-15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देयताओं को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही/वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

8

Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity, Pension & Privilege Leave schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.



9

खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

9

Segment Reporting

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

10

आस्तियों का हास

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 – आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों के हास, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभावित किया गया है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, मूल्यहास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

10

Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

11

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तिया

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29- "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधानों को मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान में दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देयता का प्रकटन तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न्यूनतम न हो।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो।

11

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per the Accounting Standard 29-“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation for which a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

12

निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, करायान के लिए प्रावधान (आस्थगित करायान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/ अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

12

Net Profit, Provisions and Contingencies

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.



13

आयकर

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी प्राप्ति उचित रूप से निश्चित है।

अनवशोषित मूल्यहास या करानुपान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग को ब्याज सहित प्रावधान किया जाता है जब ऐसी मांग को बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है या जब न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है और समान मामले पर अन्य न्यायाधिकरण का कोई अनुकूल निर्णय नहीं होता है और बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष जाना नहीं चाहता है या जब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है।

13

Income tax

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonable certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority OR when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court OR when such demand is upheld by High Court.

14

प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एस - 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को विभाजित कर निकाली गई है। अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है।

14

Earnings Per Share

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.



15

नकद और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में आरबीआई के पास नकद और शेष राशि, बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन शामिल है।

15

Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice.



अनुसूची 18 : खातों हेतु टिप्पणियां

(नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

(31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित खातों के साथ संलग्न और उसका भाग)

Schedule 18: Notes to Accounts

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

**(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025)**

1

निवेश

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः "परिपक्वता धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) की उपश्रेणी के साथ लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) इन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है" और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12.09.2023 के मास्टर दिशानिर्देशों- वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार जो दिनांक 01.04.2024 से लागू हुआ। अपने निवेशों का मूल्यांकन किया।

बैंक ने चालू वर्ष के लाभ में से निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित (आईएफआर) के लिए ₹215.00 करोड़ (₹ 0.00 करोड़) का विनियोजन किया है।

बैंक ने चालू वर्ष के लाभ में से निवेश आरक्षित खाते (आईआरए) में ₹0.00 करोड़ (₹ 62.39 करोड़) का विनियोजन किया है। 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षित खाते (आईआरए) में शेष ₹62.39 करोड़ को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आरक्षित खाते में अंतरित कर दिया गया। साथ ही, ₹15.04 करोड़ की एमटीएम मूल्यहास राशि, जो 31.03.2024 तक मूल्यहास के प्रावधान स्वरूप रखी गई थी, को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आरक्षित में अंतरित कर दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीन मापदंडों के अनुसार परिवर्तन के दौरान शेष सभी प्रतिभूतियों के उचित मूल्यांकन, अभिवृद्धि और परिशोधन के स्वरूप ₹ 105.17 करोड़ की राशि राजस्व आरक्षित खाते में अंतरित की गई है। साथ ही, बैंक ने एएफएस श्रेणी के अंतर्गत ₹348.72 करोड़ की कर-मुक्त अभिवृद्धि को भी मान्यता दी है, जिसे आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में एएफएस आरक्षित में जमा किया गया है।

1

Investments

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated 12.09.2023, came into force from 01.04.2024.

The Bank has made an appropriation of ₹ 215.00 crores (₹ 0.00 crores) to Investment Fluctuation Reserve (IFR) out of profit of current year

The Bank has made an appropriation of ₹ 0.00 crores (₹ 62.39 crores) to Investment Reserve Account (IRA) out of profit of current year. The balance of ₹ 62.39 Crore in Investment Reserve Account (IRA) as of March 31, 2024, transferred to the Revenue Reserve during FY. 2024-25. Further, MTM depreciation amounting to ₹ 15.04 Crore which was held against provision for depreciation as on 31.03.2024 has been transferred to Revenue Reserve during F.Y. 2024-25.

During the migration to new RBI norms an amount of ₹ 105.17 crore has been transferred to Revenue Reserve account on account of fair valuation, accretion, and amortization of rest all securities. Further, Bank has also recognized accretion net of taxes of ₹ 348.72 crores under AFS category which is credited to AFS Reserve in compliance to the RBI Directions.

2

लेखा मानकों का पालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखा मानक 3 - नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुरूप नकदी प्रवाह विवरण तैयार करता है।

2.2 लेखा मानक 4 -तुलन -पत्र की दिनांक के पश्चात हुई घटनाएँ और आकस्मिकताएं : केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी) का महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) में समामेलन अधिसूचित किया। तदनुसार, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक को 1 मई 2025 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में समामेलित कर दिया जाएगा।

2

Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 3- Cash Flow Statement: The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

2.2 Accounting Standard 4- Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date: Central Government vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) with Maharashtra Gramin Bank (MGB). Accordingly, Vidharbha Konkan Gramin Bank, sponsored by Bank of India will be amalgamated into Maharashtra Gramin Bank Sponsored by Bank of Maharashtra with effect from 1st May 2025.



2.3 लेखा मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।

चूंकि पूर्व अवधि की आय/व्यय की मदें महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए उन्हें वर्ष के दौरान संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित/लेखांकित किया गया है।

2.4 लेखा मानक 9 – राजस्व मान्यता

अनुच्छेद -17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां - में दी गई लेखांकन नीति संख्या 7.2 के अनुसार, अतिदेय सावधि जमा पर देय ब्याज, बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, 02.07.2021 से जो भी कम हो, पर उपचित आधार पर प्रदान किया गया है।

2.3 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts during the year.

2.4 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7.2, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

3

अचल संपत्ति

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

- "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के लेखा मानक - 10 के अनुसार अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर वर्ष के लिए ₹ 29.46 करोड़ (₹ 29.49 करोड़) के मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित हैं। साथ ही ₹ 29.46 करोड़ (₹ 29.49 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया है।
- बैंकों के कुछ परिसरों को पुनर्मूल्यांकन राशि पर दर्शाया गया है। वर्ष के अंत में परिसरों में शामिल इस तरह के पुनर्मूल्यांकन की कुल राशि ₹ 1894.25 करोड़ है।
- लीज पर लिए गए परिसर के लिए ऐसे मामले लंबित हैं जहां कोई आकस्मिक देयता नहीं है क्योंकि बैंक लीज डीड की समाप्ति के कारण शाखा परिसर के मकान मालिकों द्वारा उसके खिलाफ दायर इन सभी मामलों का बचाव कर रहा है। इनमें से, बैंक की देनदारी लगभग ₹ 1.05 करोड़ है। अन्य सभी मामलों में जहां परिसर मालिकों ने बकाए का दावा किया है, राशि का पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि अदालत दायर दावा राशि का निर्णय न कर दे।
- कार्यप्रगति पर पूंजी में स्थिर आस्तियों (भवन) की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं हैं। कार्य में प्रगति पर पूंजी भवन निर्माण सहित ₹ 4.25 करोड़ (₹ 9.58 करोड़) की राशि शामिल है।

3

Fixed Assets

The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

- In accordance with the As-10 "Property, Plant and Equipment" depreciation of ₹ 29.46 Crore (₹ 29.49 crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of ₹ 29.46 crore (₹ 29.49 crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.
- Certain premises of banks are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is ₹ 1894.25 Crore.
- There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed by landlords of Branch premises due to expiration of lease deeds. Out of these, Bank accounts for its liability to around ₹ 1.05 crore. In all other cases where landlords have claimed profits, the amount cannot be ascertained unless the court crystalizes quantum of claims.
- Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to ₹ 4.25 Crore (₹ 9.58 Crore) includes construction of building.



4

लेख मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) -
“कर्मचारी अनुलाभ”

क. परिभाषित अंशदान योजना :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
क.	भविष्य निधि	32.85	37.03
ख.	कर्मचारी कल्याण में अंशदान – आकस्मिकता कल्याण निधि	15.00	15.00
ग.	नई पेंशन योजना में अंशदान	136.50	114.34

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना :

क) पेंशन योजना – यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह एक निधिगत योजना है।

ख) उपदान योजना - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में देय है। यह निधिगत योजना है।

ग) छुट्टी नकदीकरण/ की अनुपस्थितियों - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर संचित अवकाश की अधिकतम सीमा 255 दिनों (240 दिन- 31.03.2024 तक) के लिए देय है। बैंक की यह निधिगत योजना है।

I. परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	7489.74	6997.34	622.07	517.85	432.26	381.25
2	ब्याज लागत Interest Cost	480.78	480.68	41.17	35.04	28.78	26.34
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	262.96	223.13	49.89	37.80	118.27	100.88
4	विगत सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त अनुलाभ Benefits Paid	(797.27)	(661.10)	(66.16)	(65.22)	(41.26)	(32.96)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	556.36	449.69	99.15	96.60	46.30	(43.25)
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	7992.57	7489.74	746.12	622.07	584.35	432.26

4

Accounting Standard (AS) 15
(Revised 2005)- “Employee Benefits”

A. Defined Contribution Plans:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
a.	Provident Fund	32.85	37.03
b.	Contribution to Staff Welfare-Welfare Fund Contingency	15.00	15.00
c.	Contribution to New Pension Scheme	136.50	114.34

B. Defined Benefit Plans:

a. Pension Plan - This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b. Gratuity Plan - This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c. Leave Encashment/ Compensated Absences-This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 255 days (240 days- upto March 31.03.2024) of accumulated leave based on final pay. Bank has a funded scheme.



II. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन
II. Change in the Fair Value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	7282.80	6949.29	505.56	520.16	374.07	241.07
2	योजना आस्तियों से अपेक्षित आय Expected return on plan assets	493.77	501.04	35.33	37.55	26.15	17.41
3	किया गया अंशदान Contributions made	906.61	451.83	240.00	9.88	125.00	143.00
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(797.27)	(661.10)	(66.16)	(65.22)	(41.20)	(32.87)
5	बीमांकिक लाभ/हानि Actuarial gains/losses	102.30	41.74	11.45	3.19	6.78	5.46
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	7988.21	7282.80	726.18	505.56	490.80	374.07

III. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि
III. Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व Funded Defined Benefit Obligations					
		पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	7992.57	7489.74	746.12	622.07	584.35	432.26
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(7988.21)	(7282.80)	(726.18)	(505.56)	(490.80)	(374.07)
3	मान्यता हेतु निवल देयता Net liability to be recognized	4.36	206.94	19.94	116.51	93.55	58.19
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	4.36	206.94	19.94	116.51	93.55	58.19



IV. लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि
IV. Amount recognized in Profit and Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	262.96	223.13	49.89	37.80	118.27	100.88
2	ब्याज लागत Interest Cost	480.78	480.68	41.17	35.04	28.78	26.34
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(493.77)	(501.04)	(35.33)	(37.55)	(26.15)	(17.41)
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	454.06	407.95	87.70	93.41	39.52	(48.71)
5	पूर्व सेवा लागत Past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized	704.03	610.72	143.43	128.70	160.42	61.10
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	704.03	610.72	143.43	128.70	160.42	61.10

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता का समाधान
V. Reconciliation of Net Liability recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	206.94	48.05	116.51	(2.31)	58.19	140.18
2	मान्यता प्राप्त व्यय Expense recognized	704.03	610.72	143.43	128.70	160.42	61.10
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/ Benefits paid	(906.61)	(451.83)	(240.00)	(9.88)	(125.06)	(143.09)
4	लेखाबंदी निवल देयता Closing Net Liability	4.36	206.94	19.94	116.51	93.55	58.19



VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय
VI. Actual Return on Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुटी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	493.77	501.04	35.33	37.55	26.15	17.41
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	102.30	41.74	11.45	3.19	6.78	5.46
3	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	596.07	542.78	46.78	40.74	32.93	22.87

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त)
VII. Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	विवरण Particulars	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुटी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	बट्टा दर Discount rate	6.78%	7.21%	6.99%	7.22%	6.99%	7.22%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	6.78%	7.21%	6.99%	7.22%	6.99%	7.22%
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त	
		31.03.2025	31.03.2024
1	पुनर्वास भत्ता	-	-
2	छुटी किराया रियायत	27.77	15.08
3	रजत जयंती अवार्ड	0.38	0.28
	कुल	28.15	15.36

C. Other Long Term Benefits:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2025	31.03.2024
1	Resettlement Allowance	-	-
2	Leave Fare Concession	27.77	15.08
3	Silver Jubilee Award	0.38	0.28
	Total	28.15	15.36

घ. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने 08.03.2024 को हस्ताक्षरित 9वें संयुक्त नोट/ XII द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों को लागू किया है।

D. During FY 2023-24, Bank has implemented the provisions of 9th Joint note/XII bipartite settlement signed on 08.03.2024.



बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान निम्नानुसार की है:

Bank has identified its primary reportable segments as under:

भाग-क : व्यवसाय खंड
Part A: Business segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण/ Particulars	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व Revenue	5877.89	5002.81	9803.30	8431.56	12472.18	9824.59	270.14	250.42	28423.51	23509.38
परिणाम Result	1356.29	1042.30	2708.57	2438.39	1598.27	795.63	81.73	100.19	5744.86	4376.51
अनाबंटित खर्च Unallocated expenses									-	-
परिचालनगत लाभ Operating profit									9320.53	8006.41
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									203.08	304.73
सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी Share in profit of Associates	-	-	-	-	-	-	-	-	20.91	15.94
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ Net profit									5541.78	4071.78



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण/ Particulars	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अन्य जानकारी :/ Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	112037.06	87326.16	126307.60	112642.57	113803.41	90821.09	14811.07	14275.10	366959.14	305064.92
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									2394.67	2264.10
कुल आस्तियां Total assets									369353.81	307329.02
खंड देयताएं Segment liabilities	110679.11	86171.75	114554.24	104206.45	102744.02	82855.73	11514.73	13233.08	339492.10	286467.02
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									1153.73	991.39
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									28707.98	19870.62
कुल देयताएं Total liabilities									369353.81	307329.02

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई का मास्टर निर्देश - प्रस्तुति और प्रकटीकरण के अनुसार "रिटेल बैंकिंग" को (क) डिजिटल बैंकिंग (07 अप्रैल, 2022 को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना अथवा आरबीआई परिपत्र में परिभाषित अनुसार) और (ख) अन्य रिटेल बैंकिंग खंड में उप-विभाजित करना आवश्यक है। रिटेल बैंकिंग खंड के खंडवार परिणाम नीचे दिए गए अनुसार उप-विभाजित किए गए हैं

RBI's Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures, requires to sub divide "Retail Banking" into (a) Digital Banking (as defined in RBI circular or Establishment of Digital Banking Units dated April 07, 2022) and (b) Other Retail Banking segment. Accordingly, the segmental results for retail banking segment is subdivided as below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	व्यौरा Particulars	खंड राजस्व Segment Revenue		खंड परिणाम Segment Results		खंड आस्ति Segment Assets		खंड देयताएं Segment Liabilities	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1	डिजिटल बैंकिंग Digital Banking	0.44	0.06	(1.29)	(1.76)	9.35	1.73	12.90	4.00
2	अन्य रिटेल बैंकिंग Other Retail Banking	12471.74	9824.53	1599.56	797.39	113794.06	90819.36	102731.12	82851.73
कुल Total	रिटेल बैंकिंग Retail Banking	12472.18	9824.59	1598.27	795.63	113803.41	90821.0	102744.02	82855.73



- क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय को शामिल किया गया है।
- ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं, जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) रिटेल बैंकिंग खंड में इकाई / संस्थान हेतु विगोपन शामिल हैं जहाँ
- कुल वार्षिक औसत टर्नओवर ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और
 - किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियाँ बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और
 - एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम समग्र रिटेल उधार ₹ 7.5 करोड़ तक है
- घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग परिचालन खंड में शामिल किया गया है।
- ङ) थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर ब्याज आय का आवंटन किया जाता है। थोक बैंकिंग के ब्याज को घटाकर प्राप्त कुल ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में शामिल किया जाता है।
- च) प्रत्यक्ष रूप से अभिनिर्धारित न किए गए व्यय को थोक बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। खजाना परिचालनों के व्यय कोषागार परिचालनों से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं।
- छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की संपत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।
- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.
- b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where
- Total average annual turnover less than ₹ 50.00 crore and
 - Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 7.50 crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.
- e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations
- f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations
- g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

भाग ख : भौगोलिक खंड Part B: Geographical Segments

चूंकि बैंक का परिचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.



6

लेखा मानक 18- संबद्ध पक्ष प्रकटन:

इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:
संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

- क) बैंक की अनुषंगी कंपनी - दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- ख) बैंक की सहायक संस्था- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -

6

Accounting Standard 18 –
Related party disclosures

The details in this regard are as under:
Name of the Related Parties and their relationship:

- a) Subsidiary of the Bank –
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank
- c) Key Management Personnel -

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S.N.	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration	
			वि.व. 2024-25 FY 2024-25	वि.व. 2023-24 FY 2023-24
1	श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (27.03.2024 से आज दिनांक तक) MD & CEO (from 27.03.2024 to till date)	0.38	-
2	श्री ए. एस. राजीव Shri A S Rajeev	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (22.02.2024 तक) MD & CEO (till 22.02.2024)	0.24	0.74
3	श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.63	0.39
4	श्री ए. बी. विजयकुमार Shri A. B. Vijayakumar	कार्यपालक निदेशक (31.10.2023 तक) Executive Director (till 31.10.2023)	0.13	0.51
5	श्री रोहित ऋषि Shri Rohit Rishi	कार्यपालक निदेशक (01.11.2023 से आज दिनांक तक) Executive Director (from 01.11.2023 to till date)	0.43	0.13
6	श्री वी. पी. श्रीवास्तव Shri V P Srivastava	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) Chief Financial Officer (CFO)	0.42	0.44
		कुल Total	2.23	2.21



घ) प्रायोजक ट्रस्ट- ग्रामीण एवं बालक विकास मंडल	d) Sponsor Trust- Gramin Va Balak Vikas Mandal
ङ) प्रायोजक ट्रस्ट- महाबैंक एग्रीकलचरल रिसर्च एंड रूरल डेव्लपमेंट फाउंडेशन	e) Sponsor Trust- Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation
च) पेंशन के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट- बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज पेंशन फंड	f) Staff welfare Trust for Pension- Bank of Maharashtra Employees' Pension Fund
छ) ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट- बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज ग्रेच्युटी फंड	g) Staff welfare Trust for Gratuity- Bank of Maharashtra Employees' Gratuity Fund
ज) भविष्य निधि के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड	h) Staff welfare Trust for Provident Fund - Bank of Maharashtra Employees' Provident Fund
झ) अवकाश नकदीकरण हेतु कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट- बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज प्रिविलेज लीव एनकैशमेंट फंड ट्रस्ट	i) Staff welfare Trust for Leave Encashment- Bank of Maharashtra Employees Privilege Leave Encashment Fund Trust

संबंधित पक्षों से संव्यवहार

लेखा मानक (एएस 18) के परिच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पक्षों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं। साथ ही लेखा मानक 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के रूप में संव्यवहार प्रकट नहीं किए गए हैं, जिनमें मुख्य प्रबंधन कार्मिक और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी शामिल हैं।

Transactions with Related parties:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

7

लेखा मानक 19 – पट्टे

वित्तीय पट्टे : पट्टा जिसके अंतर्गत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ स्वयं उठाता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टे : बैंक के विकल्प पर परिचालन पट्टे रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टा व्यय की राशि वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 252.04 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 214.15 करोड़) है।

7

Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases: Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases: Operating Leases are cancellable at the option of the Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit and Loss Account for such operating lease is ₹ 252.04 crore for the year 2024-25 (for FY 2023-24 ₹214.15 crore).



8

लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

8

Accounting Standard 20-
Earnings per Share

विवरण Particulars	31.03.2025	31.03.2024
मूल प्रति शेयर आय Basic E. P. S.	₹ 7.51	₹ 5.80
डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय Diluted E. P. S.	₹ 7.51	₹ 5.80
मूल/डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना Calculation of Basic /Diluted EPS.		
क) कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ में) a) Net Profit after Tax (in Crore)	5541.78	4071.78
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में) b) Weighted Average number of Equity Shares (in Crore)	737.89	701.81
ग) प्रति शेयर मूल/डाइल्यूटेड आय (ख) द्वारा विभाजित (क) c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 7.51	₹ 5.80
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9

लेखा मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण:

अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय परिणामों को लेखा मानक 21 के अनुपालन में क्रमशः मूल बैंक के साथ समेकित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया जाता है।

सहयोगी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन मानक 23 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण में किया गया है। इस उद्देश्य के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया जाता है।

9

Accounting Standard 21 –
Consolidated Financial Statements

The financial results of the subsidiary viz. The Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 21 respectively. The audited Financial Statements are considered for this purpose.

The accounting of investment in associate i.e. Maharashtra Gramin Bank has been made in Consolidated Financial Statement in accordance with Accounting Standard 23. The unaudited Financial Statements are considered for this purpose

10

लेखा मानक 22 – आय पर करों का लेखांकन:

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान अर्थात् व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए) कर्मचारी लाभों इत्यादि के कारण उत्पन्न समय अंतराल को वसूला जा सकता है। बैंक ने एएस-22 के अनुपालन में आय पर करों की गणना की है। तदनुसार, आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

10

Accounting Standard 22 –
Accounting for Taxes on Income:

Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:



(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ crore)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण	शून्य	शून्य
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	26.71	24.48
3) अन्य प्रावधान – जहां डीटीए बनाया गया है	740.32	945.26
उप-कुल (क)	767.03	969.74
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	12.90	12.90
2) एएफएस रिजर्व के कारण	117.28	लागू नहीं
उप-जोड़ (ख)	130.18	12.90
निवल आस्थगित कर आस्तियां (क-ख)	636.85	956.84

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	NIL	NIL
2) On account of provisions for Employees benefits	26.71	24.48
3) Other Provisions where DTA is created	740.32	945.26
Sub-Total (A)	767.03	969.74
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	12.90	12.90
2) On account of AFS Reserve	117.28	NA
Sub-Total (B)	130.18	12.90
Net Deferred Tax Asset (A-B)	636.85	956.84

चूंकि बैंक ने निर्धारण वर्ष 2021-22 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीए के अंतर्गत अनुमत कम कर दर के विकल्प का चयन किया है, अतः आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

As the bank has opted for lower tax rate permitted under section 115 BAA of the Income Tax Act 1961 from AY 2021-22, the provisions of section 115JB of the Income Tax Act are not applicable to the bank.

11

लेखा मानक -24- परिचालन बंद करना

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने अपनी ऐसी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि/ संचालन को बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं का निर्वहन और आस्तियों की बिक्री की गई हो और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिस पर कोई उपर्युक्त प्रभाव पड़े।

11

Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2024-25, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

12

लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त
 उपयोगी अवधि - 3 वर्ष
 परिशोधन दर - 33.33%
 परिशोधन पद्धति - लागत पर सीधी रेखा पद्धति

12

Accounting Standard 26 - Accounting for Intangible Assets

Computer Software – other than internally generated:
 Useful life - 3 years.
 Amortization Rate - 33.33 %
 Amortization Method - Straight line at cost



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	95.84	110.56
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	44.94	37.86
वर्ष के दौरान परिशोधन	63.32	52.58
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	77.46	95.84

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Software at the beginning of the year	95.84	110.56
Software acquired during the year	44.94	37.86
Amortization during the year	63.32	52.58
Net carrying amount at the end of the year	77.46	95.84

13

लेखा मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

वर्ष के अंत में हानि के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह इंगित करता है कि आस्ति को वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। किसी आस्ति को धारित करने या उपयोग करने की वसूली योग्यता का मापन आस्ति द्वारा विर्मित किए जाने वाले भविष्य के निवल भांजित नकदी प्रवाह के लिये किसी आस्ति की वहन राशी के लिए तुलना द्वारा किया जाता है। यदि ऐसी आस्ति को खराब माना जाता है, तो इस हानि को उस राशि द्वारा मापा व अभिनिर्धारित किया जाना है जिसके द्वारा आस्ति का वहन मूल्य आस्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान आस्तियों में भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिसमें लेखा मानक 28- "आस्तियों की हानि" लागू होता है।

13

Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

14

लेखा मानक -29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और बैंक के विरुद्ध आकस्मिक आस्तियां दावे, जिन्हें वर्ष के अंत में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	वि.व.2024-25	वि.व. 2023-24
बकाया शेष	1356.72	1349.96
धारित प्रावधान	6.79	3.57

14

Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Claim against the bank not acknowledged as debt on year end

(Amount in ₹ crore)

Category	FY 2024-25	FY 2023-24
Balance Outstanding	1356.72	1349.96
Provision Held	6.79	3.57



15. बैंक के निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए @15% अर्थात् ₹1.50 प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10) का लाभांश प्रस्तावित किया है, जो शेयरधारकों के आवश्यक अनुमोदन के अधीन है।
16. उपरोक्त वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई है और 25 अप्रैल, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उन्हें अनुमोदित किया गया है। बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, और लेखा परीक्षा समिति में कोरम के अभाव के कारण, बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के पैरा 14 ए के अंतर्गत वित्तीय परिणामों (तिमाही तथा वार्षिक) को समीक्षा और अनुमोदन के लिए सीधे निदेशक मंडल के समक्ष रखा है। ये परिणाम बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में हैं।
17. बैंक ने 31 मार्च 2025 को आकस्मिकता प्रावधान के रूप में ₹1200 करोड़ का कोविड-19 से संबंधित प्रावधान जारी रखा।
18. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनःसमूहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाया जा सके।
15. The Board of the Bank has proposed dividend @ 15% i.e. of ₹ 1.50 per equity share (Face Value of ₹ 10/- per share) for the Financial Year 2024-25 in Board Meeting dated April, 25 2025 subject to requisite approval from Shareholders.
16. The above Financial Statements have been reviewed and approved by the Board of Directors in their meeting held on April 25, 2025. In the absence of sufficient number of Independent Directors on the Board, Bank has invoked Para 14A of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and placed the quarterly/yearly financial results directly to the Board for review and approval for want of quorum in Audit Committee of the Board. These results have been subjected to audit by the Statutory Central Auditors of the Bank and are in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015.
17. The Bank continued to hold COVID-19 related provision as contingency provision amounting to ₹1200 crores as on March 31, 2025.
18. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the Year Ended 31st March 2025

(₹ in Thousands) (रु. हजार में)

Particulars विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2025		31-03-2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2024	
A. Cash Flow From Operating Activities: क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
Income आय				
Interest received during the year वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि from advances, Investments etc. से प्राप्त ब्याज	24947,58,06		20494,84,87	
Share of earnings/ loss in Associates एसोसिएट्स में आय/हानि का हिस्सा	20,90,97		15,93,92	
Other Income अन्य आय	3455,02,45	28423,51,48	2998,59,36	23509,38,15
Less: Expenditure & Provisions घटाएं: व्यय व प्रावधान				
Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज	13280,57,51		10671,82,77	
Operating Expenses परिचालन व्यय	5801,49,65		4815,20,10	
Provisions & Contingencies प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3799,66,64	22881,73,80	3950,57,29	19437,60,16
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses व्यय से आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि		5541,77,68		4071,77,99
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately जोड़े : गैर नकदी मदें एवं अलग से विचारित मदें				
Provisions & Contingencies प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3799,66,64		3950,57,29	
Depreciation on Fixed Assets अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	290,59,75		223,49,02	
Profit/Loss on sale of Fixed Assets अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ / हानि	-37,51		-87,08	
Share of Earnings/Loss in associates एसोसिएट्स में आय/हानि का हिस्सा	-20,90,97		-15,93,92	
Interest on Bonds, PCPS and PDI बांड, पीसीपीएस व पीडीआई पर ब्याज	581,30,25	4650,28,16	437,59,00	4594,84,31
		1019,20,584		8666,62,30
Less: Direct Taxes Paid (Net) घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)		—		—
Cash Profit Generated From Operations (I) परिचालन से अर्जित नकद लाभ (I)		10192,05,84		8666,62,30
निवेश के उचित मूल्यांकन के कारण आरक्षितियों में वृद्धि Increase in reserves on account of Fair valuations of Investments (II)		468,93,75		—
Increase / (Decrease) of Operating Liabilities: परिचालन देयताओं की वृद्धि/ (कमी) :				
Deposits जमा राशियां	36393,88,03		36662,31,96	
Borrowings other than Bond Borrowings बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियों	13310,66,00		-3820,80,27	
Other Liabilities & Provision अन्य देयताएं व प्रावधान	-3302,12,21		-2261,06,21	
Total of Increase in Operating Liabilities परिचालन देयताओं में कुल वृद्धि	46402,41,82		30580,45,48	
Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets घटाएं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/ (कमी)				
Investments निवेश	13751,08,09		-577,37,97	
Advances अग्रिम	35843,91,09		29019,21,31	
Other Assets अन्य आस्तियां	-159,42,13		-775,60,77	
Total Increase in Operating Assets परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि	49435,57,06		27666,22,57	
Net Increase in Operating Liabilities Over Operating Assets (III) परिचालन आस्तियों पर परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि (III)		-3033,15,24		2914,22,91
Cash Flow From Operating Activities (A) = (I+II+III) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क) = (I+II+III)		7627,84,35		11580,85,21
B. Cash Flow From Investing Activities ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Sale of Fixed Assets अचल संपत्तियों का विक्रय	3,55,33		3,42,38	
Purchase of Fixed Assets अचल संपत्तियों का क्रय	-519,40,74		-278,90,61	
Share of Earnings/Loss in associates एसोसिएट्स में आय/हानि का हिस्सा	20,90,97		15,93,92	
Net Cash Flow From Investing Activities (B) निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		-494,94,44		-259,54,31
C. Cash Flow From Financing Activities: ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
i) Issue/ (Redemption) of Bonds i) बॉन्ड को जारी / (मोचन) करना	2823,00,00		774,00,00	
ii) Dividend Paid in FY 2024-25 pertains to previous year ii) पिछली वर्ष से संबंधित वि. व. 2024-25 में प्रदत्त लाभांश	-991,39,23		-874,96,46	
iii) Interest on Bonds, PCPS and PDI iii) बांड, पीसीपीएस व पीडीआई पर ब्याज	-581,30,25		-437,59,00	
iv) Issue of equity shares iv) इक्विटी शेयरों को जारी करना	3500,00,00		1000,00,00	
Cash Flow From Financing Activities (C) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)		4750,30,52		461,44,54
Total Cash Flow During The Year वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (A+B+C) (क+ख+ग)		11883,20,44		11782,75,44
Represented By- द्वारा प्रतिनिधित्व				
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष				
Cash & Balance with RBI नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष	21161,34,19		18507,72,24	
Balances with Banks & Money at Call & Short notice बैंकों के पास शेष तथा मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन	9150,36,30		21,22,81	
	30311,70,49		18528,95,05	
Cash and Cash equivalents at the end of the year वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष				
Cash & Balances with RBI भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष	37992,99,50		21161,34,19	
Balance with banks & money at call & Short notice बैंकों के पास शेष तथा मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन	4201,91,43		9150,36,30	
	42194,90,93		30311,70,49	
Total Cash Flow During The Year वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह		11883,20,44		11782,75,44

नोट : पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है। Note : Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी सनदी लेखाकार, 5वीं मंजिल, विंग ए, गोपाल हाउस, कोथरुड, पुणे- 411 038	मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन सनदी लेखाकार, 23, सीपी रामास्वामी रोड, अलवरपेट, चैन्नई - 600 018
मेसर्स जी डी आटे एंड कंपनी सनदी लेखाकार, डी-509, नीलकंठ बिज़नेस पार्क, नथानी रोड, विध्या विहार पश्चिम, मुंबई - 400 086	मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार, जी-4, केपस्टोन, चिराग मोटर के सामने, सेठ मंगलदास रोड, एलिसब्रीज, अहमदाबाद - 380 006

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति एवं "बैंक ऑफ महाराष्ट्र" के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ("बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 का समेकित तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं, इसमें निम्नलिखित शामिल है -

- बैंक के लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण
- एक अनुषंगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- एक सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी

बैंक अपनी अनुषंगी के साथ 'समूह' के रूप में संदर्भित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंक के लिए आवश्यक तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

Independent Auditors' Report

M/s. Kirtane & Pandit LLP Chartered Accountants, 5th. Floor, Wing A, Gopal House, Kothrud, Pune- 411 038	M/s. Sundaram & Srinivasan Chartered Accountants, 23, CP Ramaswamy Road, Alwarpet, Chennai-600 018
M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants, D-509, Neelkanth Business Park, Nathani Rd, Vidhya Vihar West, Mumbai 400086.	M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants, G-4, Capstone, Opp Chirag Motors, Sheth Mangaldas Road, Ellisbridge, Ahmedabad- 380 006

Independent Auditors' Report

To,

The President of India and Members of "BANK OF MAHARASHTRA"

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra (the "Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements including summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which following are incorporated -

- Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
- Audited Financial Statements of one Subsidiary;
- Unaudited financial statements / financial information of one Associate.

The Bank together with its Subsidiary are referred to as the "Group".

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiary, the unaudited financial statements and the other financial information of associate as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:



- क. समेकित तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2025 को बैंक की स्थिति के विषय में उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त होता है;
- ख. समेकित लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और
- ग. समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

2. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से साथ ही भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं से स्वतंत्र हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

मामले का ज़ोर

3. हम बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के संबंध में वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 14 ए को लागू किया है और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कोरम के अभाव में वित्तीय विवरण सीधे बोर्ड के समक्ष रखा है।
 4. हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट संख्या 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां बैंक ने 31 मार्च 2025 तक आकस्मिक प्रावधान के रूप में रु.1200 करोड़ के कोविड-19 संबंधित प्रावधान को जारी रखा है।
- इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सम्प्रेषण हेतु बैंक के मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

- a. in case of Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon, gives true and fair view of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2025;
- b. the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon, shows a true balance of profit for the year ended 31st March, 2025 and
- c. the Consolidated Cash Flow Statement, gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2025.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to Note No. 16 in Schedule 18 of the Financial Statements regarding absence of sufficient number of Independent Directors on the board, the Bank has invoked Para 14A of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and placed the Financial Statements directly to the Board for want of quorum in Audit Committee of the Board.
 4. We draw attention to Note No. 17 in Schedule 18 of the Financial Statements where Bank continues to hold COVID-19 related provision of Rs. 1200 Crore as contingency provision as on 31st March 2025.
- Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन: (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 5 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2025 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.236,083.80 करोड़ का निवल अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) द्वारा अपेक्षित मानदंडों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने के लिए उचित कार्यप्रणाली की स्थापना की आवश्यकता होती है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी प्रणाली) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का लेखा-जोखा रखता है, जो यह भी पहचानता है कि अग्रिम अर्जक हैं या अनर्जक। भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए कुछ नीतियां भी हैं।	लेखापरीक्षा आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। मामले का इस प्रकार समाधान किया गया है: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में ऋणों का अनुमोदन, संवितरण और निगरानी पर नियंत्रण का मूल्यांकन और आईआरएसी और प्रावधान मानदंडों और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के अनुपालन के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में उपयोग किए गए तर्क और मान्यताओं की समीक्षा शामिल थी। इसमें निम्नलिखित का मूल्यांकन और ज्ञप्ति शामिल थी: क) एप्लीकेशन की प्रणाली, अनुमोदन की प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी, ऋणों की वसूली, अतिदेय और दबावग्रस्त खातों, एनपीए की पहचान और एनपीए के लिए प्रावधान के प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। ख) अर्जक परिसंपत्तियों के नमूनों का परीक्षण किया और आरबीआई द्वारा निर्धारित आईआरएसी मानदंडों के प्रयोग का मूल्यांकन किया, ताकि उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ग) संभावित एनपीए की पहचान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टें, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की और जोखिम प्रबंधन और संबंधित नियंत्रणों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग्ड खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदमों की जांच की। घ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम और आरबीआई परिपत्रों के अनुसार लागू किए जाने वाले एनपीए और लागू लेखा मानकों से संबंधित आरबीआई की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता और

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines:t (Refer Note No. 5 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Consolidated Financial Statements) The Group's portfolio comprises of Net Advances of Rs. 236,083.80 crores as at March 31, 2025 comprising of wholesale and retail banking. As required by Income Recognition and Asset Classification (IRAC) Norms, guidelines issued by RBI and other circulars, notifications and directives issued by RBI, the Bank has classified advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines. Identification of performing and non performing advances involves establishment of proper mechanism. The bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non performing. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the bank also has certain policies for provisioning on non-performing assets.	The audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. The matter has been addressed as follows: Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. This included evaluation and understanding of the following: a) Tested the design and operating effectiveness of the key controls of the system of application, process of approval, recording, monitoring, recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA and provision for NPA. b) Tested samples of performing assets and assessed the application of IRAC norms, as prescribed by RBI, to ensure the compliance of the same. c) Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls. d) Examined the adequacy and appropriateness of disclosures as per the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.		उपयुक्तता की जाँच की। ड) अनर्जक परिसंपत्तियों की समय पर पहचान पर प्रणाली नियंत्रण और मैन्युअल नियंत्रण। च) आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए की पहचान और आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया। छ) आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। ज) हमने एसए 600 - अन्य लेखा परीक्षक के कार्य का उपयोग करना, के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उन शाखाओं के मामलों में, जहाँ हमने दौरा नहीं किया है, अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/ रिटर्न और किए गए कार्य पर भरोसा किया है।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.		e) System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets. f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. h) We have relied on the reports/ returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 – Using the Work of Another Auditor.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
2.	निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण: (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) खरीद के समय निवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों की एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है। बैंक के निवेश से आय, कुल आय का 18.86% है। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं जिसमें अनर्जक निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हमने इस मद को मुख्य लेखा परीक्षा विषय के रूप में माना है।	आरबीआई परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में वर्गीकरण, मूल्यांकन, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण, संबंधित प्रक्रिया और मूल प्रक्रियाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण का संयोजन शामिल था। निवेश समझौतों/ टर्म शीट्स, डील टिकट, ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स की जांच नमूना आधार पर चालू वर्ष के दौरान की गई, ताकि प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझा जा सके और वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रासंगिक स्थिति की पहचान की जा सके। निवेश के चयनित नमूने के लिए, सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके आरबीआई दिशानिर्देशों और निर्देशों के साथ सटीकता, पूर्णता और अनुपालन का परीक्षण किया गया। नमूने इस तरह से चुने गए थे कि निवेश की सभी श्रेणियां (सुरक्षा की प्रकृति के आधार पर) कवर की गईं। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर अनकोटेड निवेशों का स्वतंत्र मूल्यांकन अभ्यास परीक्षण जांच के आधार पर किया गया। हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। एनपीआई की पहचान और आय के संगत प्रत्यावर्तन तथा प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। आरबीआई के दिशानिर्देशों और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की, प्रत्येक श्रेणी में निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.	Classification and Valuation of Investments: (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Consolidated Financial Statements) Investments are classified into Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines. Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank. Impact of Impairment assessment is having overall significance to the financial results of the Bank. Interest Income from Investment of the Bank comprises 18.86% of the total income. In view of these significant points including assessment of non-performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter.	Our audit approach towards investment portfolio with reference to the RBI Circulars / directives included a combination of test of the design, implementation, and operating effectiveness of internal controls, related process and substantive procedures in relation to classification, valuation, independent price verification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Examined the investment agreements / term sheets, deal tickets, broker contract notes entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments. For the selected sample of investments, tested the accuracy, completeness and compliance with the RBI guidelines and directives by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected in such a way that all the categories of investments (based on nature of security) were covered. Carried out on test check basis independent valuation exercise of unquoted investments on the basis of prescribed procedures in terms of the RBI guidelines. We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. Assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision. Carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the RBI guidelines and directives of the RBI, selected samples from the investments in each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
2.		अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की। नमूना आधार पर निवेश पोर्टफोलियो का सत्यापन किया और आय, बिक्री पर लाभ/ हानि के निर्धारण में विभिन्न मूल विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ कीं और लाभ/ हानि को लाभ और हानि खाते में पहचानने में बैंक द्वारा लागू किए गए नियंत्रणों का परीक्षण किया। बैंक द्वारा की गई आंतरिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा आदि की रिपोर्टों की समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित किया कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में नोट्स के माध्यम से पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा : बैंक में जटिल सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन को संसाधित करने और रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के दिन-प्रतिदिन के संचालन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परस्पर निर्भर आईटी प्रणालियाँ और अनुप्रयोग शामिल हैं। इसके अलावा बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), ट्रेजरी समाधान, आईआरएसी और अन्य संबद्ध प्रणालियों, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं। स्वचालन के उच्च स्तर, आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, आईटी प्रणालियों के एक साथ और महत्वपूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए, उचित आईटी सामान्य नियंत्रण और अनुप्रयोग नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी आईटी प्रणालियाँ विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित रूप से, पूरी तरह से, सटीक और लगातार डेटा को संसाधित करने में सक्षम हों।	हमारी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: हमने अपनी आंतरिक आईएस लेखापरीक्षा टीम को शामिल किया और वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए बैंक के आईटी संबंधित नियंत्रण वातावरण, आईटी अनुप्रयोगों की जानकारी प्राप्त की। इस उद्देश्य के लिए, हमने बैंक द्वारा लागू की गई विभिन्न आईटी नीतियों, प्रोसेस और पद्धति के संबंध में प्रोसेस ओनर्स के साथ चर्चा की। उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, बैकअप और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं, प्रणाली और साइबर सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रियाओं, कर्तव्यों का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर के समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित इन आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इस संबंध में प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.		Verified Investment portfolio on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tested the controls implemented by the Bank in recognizing the profit / loss to profit and loss account. Reviewed the reports of the internal audits, concurrent audits etc. conducted by the bank. Ensured that adequate disclosures have been made by way of Notes to the financial statements as mandated by the RBI guidelines.
3.	Information Technology Systems and Control Framework: The Bank is having complex Information Technology environment which comprises of various interdependent IT systems and applications used in the day-to-day operations of the Bank for processing and recording large volume of transactions across various locations. Further the Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on the Core Banking Solution (CBS), Treasury Solutions, IRAC and other allied systems, software, network and hardware controls. Considering the high-level of automation, complexity of the IT architecture, simultaneous and significant use of IT systems, appropriate IT general controls and application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data, as expected, completely, accurately and consistently for reliable financial reporting.	Our significant audit procedures included the following: We Involved our internal IS Audit team and obtained an understanding of the Bank's IT related control environment, IT applications relevant for the purpose of our audit of the financial statements. For this purpose, we had discussions with the process owners with respect to various IT policies, processes and procedures put in place by the Bank. Reviewed these IT policies and procedures including user management, change management, backup and recovery procedures, system & cyber security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duties, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure that these are in line with business requirements of the Bank and comply with the relevant regulatory guidelines in this regard.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
3.	इसलिए, आईटी प्रणाली नियंत्रण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है क्योंकि कोई भी नियंत्रण चूक, सत्यापन विफलता, गलत इनपुट डेटा और डेटा का गलत निष्कर्षण प्रबंधन और नियामकों को गलत रिपोर्टिंग का कारण बन सकता है।	आईटी अनुप्रयोगों पर बैंक के आईटी नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। आईटी सामान्य नियंत्रणों और विशेष रूप से तार्किक पहुँच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं का परीक्षण किया। प्रणाली तक पहुँच के अनुरोधों की उचित समीक्षा और उनके प्राधिकरण का परीक्षण किया गया; एक्सेस अधिकारों की आवधिक समीक्षा हेतु बैंक में उपलब्ध नियंत्रणों का परीक्षण किया; उचित अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए प्रणाली में परिवर्तन के अनुरोधों का निरीक्षण किया। आंतरिक/बाहरी आईएस लेखापरीक्षक, बैंक द्वारा नियुक्त सलाहकारों द्वारा विभिन्न विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की और उन पर विश्वसनीयता दिखाई तथा आईआरएसी ऑटोमेशन कंट्रोल सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की। उपर्युक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था। नमूना आधार पर, प्रणाली से प्राप्त परिणामों को अन्य सूचना स्रोतों के साथ सत्यापित किया; और डेटा निकालने के लिए उपयोग किए गए तर्क का परीक्षण किया। क्षतिपूर्ति नियंत्रणों या सुधारित नियंत्रणों के संयोजन का परीक्षण किया जैसे कि प्रणाली और अन्य सूचना स्रोतों के बीच मिलान और /या वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जहां आवश्यक हो, निष्पादित की गईं।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
3.	Hence, IT system controls have been considered as a Key Audit Matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting to the management and regulators.	Tested the design and operating effectiveness of the Bank's IT controls over the IT applications. Tested IT general controls particularly, logical access, change management and aspects of IT operational controls. Tested that requests for access to systems were appropriately reviewed and authorized; tested controls around Bank's periodic review of access rights; inspected requests of changes to systems for appropriate approvals and authorizations. Reviewed and placed reliance on the reports of various specialised audits by internal / external IS Auditors, consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls. In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over -financial reporting. On sample basis, verified the results obtained from the systems with the other information sources; and tested logic used for extracting the data. Tested combination of compensating controls or remediated controls such as reconciliations between systems and other information sources and / or performed alternative audit procedures, where necessary.



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
4.	प्रावधान और आकस्मिक देयताएं : अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन। (अनुसूची 17 का नोट क्र.11 और अनुसूची 18 का नोट क्र.14) प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामलों के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है। मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण मुकदमों और करआधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ शामिल कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
4.	Provisions and Contingent Liability: Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 11 of Schedule 17 and Note No. 14 of Schedule 18) There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon; Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues. Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved.

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर III प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for other information. The other information comprises the information other than Consolidated Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosures.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar III disclosures under Basel III Disclosures and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our Audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained during the course of audit or otherwise appears to be materially misstated.



यदि, इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस मामले में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this matter.

7. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय समेकित विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेदार है, जो समूह और इसकी सहयोगी कंपनी सहित इसकी समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक 21 – "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23 – "समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। समूह और इसके सहयोगी सहित संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होलिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों में शामिल संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार, करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि प्रबंधन या तो समूह का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

समूह और इसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल भी, समूह और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार है।

7. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance and Consolidated cash flows of the Group and its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India and in accordance with the Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the group and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associate's and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective management of the entities included in the Group and its associate are responsible for assessing the ability of the Group and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intend to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of the associate are responsible for overseeing the Financial Reporting process of the Group and its associate.



समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

- 8 हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या समेकित वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

- समेकित वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- उपयुक्त परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना के लिए लेखा से संगत आंतरिक नियंत्रण की सहमति प्राप्त करना।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना।

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

- 8 Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group and its associate's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



- समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं या इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंधित पर्याप्त समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके समेकित वित्तीय विवरणों के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य अनुषंगी इकाई और सहयोगी कंपनी, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और अलेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों को सहयोगी कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के लिए ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और सहयोगी कंपनी का प्रबंधन उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने लेखा परीक्षा मत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम होलिंग कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों और इस तरह की अन्य इकाइयों के साथ संवाद करते हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिसके लिए हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंध में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities of the Group and its associate to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the audit of the Financial Statements of such entity included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors are responsible for direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with Those charged with governance of the Bank included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with Those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



9 अन्य मामले

हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 682 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 को रु.79025.94 के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.6514.95 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2025 तक 32.95% अग्रिम, 48.99% जमा राशियां, 43.15% अनर्जक आस्तियों और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 22.94% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं को शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, हमारी राय, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इसके अलावा, हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 1927 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2025 को कुल रु.52053.55 करोड़ के कुल अग्रिम दर्शाते हैं और प्रबंधन द्वारा विचार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता अनुसार उस दिन समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.7351.10 करोड़ दर्शाते हैं। इसे प्रबंधन द्वारा आहरित किया गया है।

इसके साथ ही, हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 को समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार रु.24.46 करोड़ की कुल आस्तियां प्रदर्शित करती है, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही व वर्ष के लिए कुल राजस्व क्रमशः रु.0.88 करोड़ और रु.3.17 करोड़ तथा कर पश्चात निवल लाभ क्रमशः रु.0.30 करोड़ और रु.1.08 करोड़ है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट और विवरण बैंक के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरण में कर के पश्चात निवल लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रु.20.91 करोड़, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, एक सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित है और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह सहयोगी कंपनी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट उपरोक्त सहयोगी से संबंधित है, यह पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा नीचे अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण द्वारा इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

9 Other Matter

We did not audit the Financial Statements / information of 682 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / financial information reflect total advances of Rs. 79025.94 crores as at March 31, 2025 and total revenue of Rs. 6514.95 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. These branches cover 32.95% of advances, 48.99% of deposits and 43.15% of non-performing assets as at March 31, 2025 and 22.94% revenue of the Bank for the year ended March 31, 2025. The Financial Statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Further we did not audit the Financial Statements of 1927 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements reflect total advances of Rs. 52053.55 Crores as at 31st March, 2025 and total revenue of Rs. 7351.10 Crores for the year ended on that date as considered in the Consolidated Financial Statements. These have been drawn by the management.

Also, we did not audit the Financial Statements of the subsidiary company whose Financial Statement / financial information reflects Group's share of total assets of Rs. 24.46 crore as at March 31, 2025, Group's share of total revenue of Rs. 0.88 crore and Rs. 3.17 Crore and Group's share of total net profit after tax of Rs. 0.30 crore and Rs. 1.08 crore for the quarter and year ended March 31, 2025 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Financial Statements/financial information of the subsidiary company have been audited by the other auditor, whose reports and statements have been furnished to us by the management of the Bank. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary and our report, in so far it relates to the aforesaid subsidiary, is based solely on the report of such auditor.

The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of Net Profit after tax of Rs. 20.91 Crores for the year ended 31st March 2025 as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of one associate, whose Financial Statements / financial information have not been audited by us. The Financial Statements/financial information is unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the associate, and our report relates to the aforesaid associate, in so far as is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of these matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors and the financial statements certified by the Management.



10 अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह तैयार किया गया है।

उपरोक्त पैराग्राफ 7 से 9 में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और
- ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

11 "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 और उसके बाद के दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित की आवश्यकताओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

- क) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।
- ख) वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ग) जैसा कि बैंक और उसकी सहयोगी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं। हालाँकि, सहायक (एक कंपनी) के मामले में, 31 मार्च, 2025 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2025 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।
- घ) खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

10 Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11 As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

- a) in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c) As the bank and its associate are not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under the sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank. However, in case of subsidiary (a company), on the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2025, none of the directors are disqualified as on 31st March, 2025 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.



ड) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड" के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां बैंक द्वारा रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनको हमने भेंट नहीं दी है;
- ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचालित समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ हानि खाता तथा समेकित नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा भेंट नहीं दी गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है और
- घ) हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाता व समेकित नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

e) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements

12. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.



कृते मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी For M/s. Kirtane & Pandit LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन For M/s. Sundaram & Srinivasan सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते मेसर्स जी. डी आप्टे एंड कंपनी For M/s. G D Apte & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी For M/s. Manubhai & Shah LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन FRN – 105215W/ W100057	एफआरएन FRN – 004207S	एफआरएन FRN – 100515W	एफआरएन FRN – 106041W/ W100136
सीए मित्तल शाह CA Mittal Shah	सीए एस. रामकुमार CA S Ramkumar	सीए एस. बी. राशिनकर CA S B Rashinkar	सीए हितेश पोमल CA Hitesh Pomal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
एम क्र. M No 147370	एम क्र. M No 238820	एम क्र. M No 103483	एम क्र. M No 106137
यूडीआईएन: UDIN: 25147370BMHZLA2260	यूडीआईएन: UDIN: 25238820BMKNFU2029	यूडीआईएन: UDIN:25103483BMNANZ9714	यूडीआईएन: UDIN:25106137BNGNIO5204

दिनांक : 25 अप्रैल, 2025
स्थान : पुणे

Date: April 25, 2025
Place: Pune



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

WINNING YOUR TRUST SINCE GENERATIONS



Digital
Banking



Education
Loan



Home Loan



Car Loan



Gold Loan



MSME
Loan



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Celebrating



Bank Of Maharashtra,
Head Office, Lokmangal
1501, Shivajinagar, Pune-411005